Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक २ चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ७३ वां दिवस संख्या ३५

शनिवार,

दिनांक ३० मार्च, १९६८

विधान सभा की बैठक प्रातः ८.५ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई। (श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचायत, कृषि, गृह, यातायात, खाद्य, विकास एवं अकाल सहायता विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या ९६४

श्री बालसिंह सोढ़ा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ९६५

श्री रावत राम

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री हीराभाई !

श्री केसरी सिंह : हीराभाई तो हैं।

कुशलगढ़-उदयगढ़ सड़क पर डामर कार्य

९६६. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में कुशलगढ़-उदयगढ़ सड़क को डामर रोड़ बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था? यदि हाँ, तो क्या पूरा हो गया है?

(२) यदि कार्य पूरा नहीं हुआ है तो कितने मील तक हो चुका है और कितना बाकी है?

(३) इस कार्य को पूरा नहीं करवाने के क्या कारण हैं?

(४) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिए जो सामान लाया गया था वह वापिस बांसवाड़ा ले जाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह)—(१) जी हां, कार्य प्रगति पर है।

Page No. 2

(श्री माधोसिंह)

(२) ६ मील में डामर हो गया है। साढ़े तीन मील में कार्य बाकी है।

(३) वित्तीय प्रावधान की कमी।

(४) यह सही नहीं है।

श्री हीराभाई : क्या सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सामान बांसवाड़ा ले जाया जा रहा है।

श्री माधोसिंह : चार में, यह सही नहीं है।

श्री हीराभाई : कितने मील बाकी है।

श्री माधोसिंह : साढ़े तीन मील में काम बाकी है।

श्री हीराभाई : कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री माधोसिंह : जब पैसा मिल जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : पैसा कहां से मिलेगा ?

श्री माधोसिंह : जब पैसा होगा तब हो जायगा !

श्री जय नारायण सालोदिया : क्या उप मंत्री जी इस कार्य को...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री माधोसिंह : अगले वर्ष कराने की कोशिश करेंगे।

श्री हीरा भाई : मैं पूछ रहा हूँ, यह डामर रोड बनाने का काम है, यह कब शुरू हुआ था और कब समाप्त होने वाला है ?

श्री माधोसिंह : १६६४ से शुरू किया था, अगले वर्ष में पूरा करने की कोशिश करेंगे, यह कह रहा हूँ।

श्री हीरा भाई : कितने मील लम्बी है यह रोड ?

श्री माधोसिंह : ९ मील ६ फर्लांग !

श्री हीरा भाई : ९ मील लम्बी सड़क कितने साल में पूरी हो जानी चाहिए और पूरा करने में क्या बाधा आ रही है ?

श्री माधोसिंह : पैसा नहीं था, जितना था उतना लगा दिया। बाकी रहता है उसके लिए अर्ज कर दिया कि अगले साल पूरा कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ९६७

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९६८

श्री चुन्नीलाल जेलिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No. 3

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अब्दुल हादी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

एक माननीय सदस्य : सब सो रहे हैं।

प्रश्न संख्या ६७०

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७१

श्रीमती मदन कौर

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहर सिंह मेहता : आज जल्दी निपट जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा !

चरनोट की भूमि पर कब्जा !

६७२. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़ सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ में मवेशी के चरनोट की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किस किस पंचायत एरिया में कितनी कितनी भूमि पर ?

(२) क्या यह सही है कि इस विषय में पंचायत एवं पंचायत एरिया के लोगों द्वारा बार बार लिखने के बावजूद भी तहसील विभाग ने उनको कब्जे से हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या तहसील विभाग ने पशु चरनोटों की सर्वे कराई है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट का क्या परिणाम रहा ?

राजस्व उप मंत्री : (श्री गंगाराम चौधरी)-(१) जी हां, तहसील प्रतापगढ़ की ४३ पंचायतों की १०१६ बीघा भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जे किये हैं जिसमें से ७३६॥) बीघा भूमि पर से कब्जा हटाने के आदेश किये जा चुके हैं। शेष २६२।) २ के मुतालिक कार्यवाही जारी है। पंचायत वाइज सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। बल्कि इस वर्ष तो तहसील में सूचना मिलते ही मदाखलत करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई है।

(३) चरनोट में दी गई चरनोट दर्ज भूमि की सर्वे वक्त सैटिलमेंट ही हो गई। जहां बन्दोबस्त में नहीं थी वहां चरनोट कायमी कर राजस्व विभाग ने पंचायतों को चार्ज में बकाया सौंपी है और पंचायतों का उन पर नियन्त्रण है। जहां चरनोट कायम होना बकाया है वहां की कार्यवाही हो रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरलाल मीणा : जो जमीन नहीं छुड़ाई गई है वह कब छुड़ाने की आशा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : बहुत जल्दी कर दी जायगी। अब तो बहुत थोड़ी पंचायत की बाकी रह गई हैं, केवल १५ की बाकी रह गई है और वह जल्दी कर दी जायगी।

श्री हरलाल मीणा : यह सूचना दी गई है यह गलत है, ३० पंचायतों में छोड़ी है और दूसरी जगह वैसी की वैसी हैं जिन-पर लोग खेती कर रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी सूचना के अनुसार प्रतापगढ़ तहसील में ५३० गांवों में ६२ गांव तो बारानी हैं, और ४६८ में से ४५३ गांव में चरागाह कायम कर दिये हैं, १५ गांवों में बाकी हैं उनमें जल्दी कार्यवाही की जा रही है। बहुत सी जमीन जो बिना नाम है वह जंगलात विभाग के कब्जे में है, वह उनसे छुड़ा कर जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री हरलाल मीणा : जहां चरनोट कायम हो चुके हैं उसके बाद लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस जमीन को छुडाने की क्या कार्यवाही करायेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : चरनोट कायम होने के बाद कब्जा नहीं दिया गया है।

श्री हरलाल मीणा : चरनोट जहाँ हैं उन पर नाजायज कब्जा हो रहा है उनको हटाने के लिए तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गंगाराम चोधरी : दफा ९१ की कार्यवाही की गई है और बहुत सी जगह कब्जा छुड़ा दिया गया है। केवल १५ का कब्जा छुड़ाना बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्रीमती गौरी पूनिया !

डेगाना में खोदे गये कुओं के पानी का उपयोग

९७३ **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति डेगाना में सन् १९६६-६७ में ई० टी० ओ० द्वारा किस किस गांव में कुए खोदे गये ?

(२) प्रत्येक कुए में प्रति घन्टा कितना गैलन पानी की प्राप्ति हुई ?

(३) किस किस गांव में पानी का उपयोग हो रहा है तथा कहां कहां कुए बन्द पड़े हैं ?

(४) प्रत्येक कुए की कितनी लागत लगी ?

उप मंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) पंचायत समिति डेगाना में १९६६-६७ में निम्नलिखित चारों ग्राम में ई० टी० ओ० द्वारा कुए खोदे गये (१) सांजू (२) पुनलोटा (३) दुटाटी (४) चांदारूं में।

(२) प्रत्येक कुए में पानी की प्राप्ति नियमानुसार हुई है:—

१. साजू ११,२२० गैलन प्रति घंटा

२. पुनलोटा २९९५० गैलन प्रति घंटा

३. बुटाटी १७०० गैलन प्रति घंटा

Page No. 5

(श्री हरिसिंह)

४. चान्दारु ३६२०

(३) सांजू और पुनलोटा नलकूपों के पम्पों का आर्डर दे दिया गया है परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। बुटाटी के पम्प के टेन्डर परचेज कमेटी के डिसीजन के लिए पड़े हैं। पम्प आने पर ही पानी का उपयोग हो सकेगा। पम्प चांदारु कुए का पानी खारा होने के कारण एबन्डन्ड कर दिया गया है तथा पानी का उपयोग नहीं हो सकेगा।

(४) कुओं की लागत लगभग निम्न-लिखित है:—

१.	सांजू	३६००८.००
२.	पुनलोटा	२६७६७.००
३.	बुटाटी	६३१४३.००

श्रीमती गोरी पूनियां : इन तीनों कुओं को केवल पीने के लिये पानी देने के लिये काम में लिया जायगा या सिंचाई के लिए भी काम में लिया जायगा ?

श्री हरिसिंह : साजू का कुआ जिसका ११,२२० गैलन प्रति घन्टा आउट पुट है उसको पीने का पानी देने के लिये काम में लिया जायगा, आस पास के गांवों के लिये इसका उपयोग किया जायगा और पुनलोटा का कुआ जिसका २६६५० गैलन प्रति घन्टा आउटपुट है, उसके सिंचाई के लिये उपयोग में लाया जायगा। बुटाटी का कुआ जिसका १७०० गैलन प्रति घन्टा आउटपुट है, उसका उपयोग पीने के पानी के लिये किया जायगा।

श्रीमती गोरी पूनियां : क्या आप डेफिनेट टाइम बता सकते हैं कि कब तक पम्प इन पर लग जायेंगे ?

श्री हरिसिंह : तीनों कुओं के पम्पिंग सैट्स के लिये आर्डर दिये या नहीं पर साजू और पुनलोटा के कुओं के लिये आर्डर दे दिये गये हैं और मैं समझता हूं ३० जून तक ये प्राप्त हो जायेंगे। बुटाटी का अभी पर-चेज कमेटी के विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री आईदानसिंह !

पुलिस थाना भीनमाल में सिपाही की मृत्यु

९७४. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पुलिस थाना भीनमाल में एक सिपाही की मौत हाल ही में गोली से हुई है ? अगर हां, तो किन परिस्थितियों में किस कारण ?

उप गृहमंत्री (श्री खेतसिंह) : यह बात गलत है कि पुलिस थाना भीनमाल में किसी सिपाही की मौत हाल ही में गोली से हुई है। ट्रेजरी गार्ड भीनमाल के एक सशस्त्र सिपाही श्री खुशालसिंह नं० ५०५ के द्वारा दिनांक २७-२-६८ की रात्री को बवक्त ड्यूटी सर्विस राईफल से गोली चला कर आत्महत्या करने की घटना अवश्य हुई है। आत्महत्या का कारण विदित नहीं हो सका।

श्री रामकिशन : गोली से ही हुई है।

श्री खेतसिंह : मरा तो गोली से है।

श्री ग्राईदानसिंह : जो आपने आत्म-हत्या करना बताया है; उसका कोई कारण बता सकते हैं क्या ?

श्री खेतसिंह : वह पहरे पर चढ़ा हुआ था और एक पैर का बूंट खुला हुआ था, मौजा निकला हुआ था, इस तरह गोली खाई।

श्री ग्राईदानसिंह : गोली खाने का कारण क्या था ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आत्म हत्या का कारण क्या था ?

श्री खेतसिंह : अभी जांच जारी है, पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आत्म हत्या का खास कारण क्या था ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह निश्चित रूप से मर्डर नहीं है, केवल सुसाइड है, इस नतीजे पर कैसे पहुंचे ?

श्री खेतसिंह : उसने खुद ने एस पी. को और तहसीलदार को दो चिट्ठियां लिखी थीं जिनसे पता चलता है कि उसने सुसाइड किया।

श्री ग्राईदानसिंह : उसने चिट्ठियों में क्या लिखा था ?

श्री खेतसिंह : यही कि मैं स्वेच्छा से मर रहा हूँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जिन चिट्ठियों का आपने हवाला दिया है, वे कहाँ पर किस तारीख को किसके पास से बरामद हुई हैं ?

श्री हीराभाई : और मरने से कितने दिन पहले लिखी थीं ?

श्री खेतसिंह : चिट्ठियां २७-२-६८ को बरामद हुईं। मैं सारा किस्सा सुना देता हूँ। मालखाना भीनमाल में चोरी हो गई थी। उस चोरी के सम्बन्ध में वहां यह अफवाह थी कि ट्रेजरी गार्ड के लोग लगे हुए हैं, उनका उसमें हाथ था, ट्रेजरी भी वहीं है, मालखाना भी वहीं है। इसलिये सस्पीशन की वजह से कि ट्रेजेरी गार्ड ने मिल कर चोरी कराई है, इस सम्बन्ध में ट्रेजेरी वालों को पूछताछ के लिये बुलाया गया था। इस ग्लानि से या सस्पिशन की वजह से की हो, पर चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ।

श्री ग्राईदानसिंह : सस्पिशन होने के बाद क्या यह ठीक है कि ड्यूटी पर भेज दिया जाय। बन्दूक और गोली देकर ड्यूटी पर भेज दिया जाय जब कि सस्पिशन हो तो, क्या यह उचित है ?

श्री खेतसिंह : ट्रेजेरी गार्ड में जितने थे उन सबको बुलाया गया था पूछताछ के लिये और सबको ड्यूटी पर लगाया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो चिट्ठियां बरामद की हैं, उनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुलिस के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने मुझे परेशान किया इसलिये आत्महत्या कर रहा हूँ।

Page No. 7

श्री खेतसिंह : यह बिल्कुल गलत है, आपके खयालात हैं यह तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसने आत्महत्या की ?

श्री खेतसिंह : जी यह भी सही नहीं है।

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि दिनांक २३, २४, २५ फरवरी को और मरने से पहली रात पुलिस ने उसे डिटेन्शन में रखा था ?

श्री खेतसिंह : डिटेन्शन में नहीं रखा; बुलाया जरूर था।

श्री आईदानसिंह : और मारा पीटा भी........

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम शेम की ध्वनि)

श्री खेतसिंह : हर बात में क्या शेम शेम ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस मामले की मजिस्ट्रेरियल एन्क्वायरी कराई गई है ?

श्री खेतसिंह : नहीं करबाई और यह आवश्यक भी नहीं समझा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वह आन ड्यूटी मरा है ?

श्री खेतसिंह : जी हां, आन ड्यूटी।

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। ७ और १५ के बीच में चोरी हुई, १६, १७ को माल पेशी के लिये जाने वाला था उससे पहले चोरी हुई। खुशालसिंह सिपाही नं० ५०५ को बुला कर मार पीट की गई, यह कहां तक ठीक है। मैं यह नहीं कहता कि वह मार पीट से मरा पर उसकी मृत्यु हुई। वहां पर एक एल.डी.सी. को अभी पकड़ा हुआ है। चांदी सोने का माल था, यह चोरी करवाई गई है, सिपाही और एल.डी.सी. ऐसी चोरी नहीं करवा सकते, इसमें बड़ों का हाथ है। यह किसी तरह से साबित नहीं हो सका इसलिये इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। इस बारे में मंत्री महोदय पूरी जांच करवा कर फिर इस प्रश्न का उत्तर दें तो बहतर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालसिंह : जब कोई आदमी बन्दूक से खुदकुशी करता है तो कारतूस का खोका बाहर कैसे निकल सकता है, जब कि वहां पर एक खोखा बाहर पाया गया है ?

श्री खेतसिंह : यह मेरे पास जानकारी नहीं है।

मार पीट की गई होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इन्जरी जरूर आती लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिवाय गोली के और कोई इन्जरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये चिट्ठियां हैं, इनकी तारीख कौनसी है ?

श्री खेतसिंह : तारीख तो उस आदमी ने चिट्ठियों पर लिखी नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : वाह, वाह।

श्री खेतसिंह : वाह वाह क्या, उसने नहीं लिखी, उसका मैं क्या करूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चिट्ठी डाक से आई या कहीं से बरामद की गई ?

श्री खेतसिंह : उसके पास से मिली।

श्री आईदानसिंह : इसको आप एन्क्वायरी करा कर पूरी सूचना दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गोली कहां लगी ?

श्री खेतसिंह : सीने में।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रामनारायण चौधरी !

ग्राम पंचायत ककडेऊ के सरपंच के विरुद्ध जांच

९७५. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, ककड़ेऊ पंचायत समिति अलसीसर (झूंझूनू) के सरपंच के विरुद्ध किसी व्यक्ति को गौचर भूमि पर नाजायज कब्जा करवाने के बारे में जांच चल रही है ? क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच में सरपंच दोषी पाया गया है ?

(२) क्या इस मामले में तहसीलदार झुंझूनू और जिलाधीश, झुंझूनू की अदालतों में उक्त सरपंच के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं ? उन टिप्पणियों की रोशनी में क्या राज्य सरकार इस मामले में कोई मुनासिब कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या इस पंचायत के सरपंच के विरुद्ध रक्षा कोष के गबन की भी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस मामले में उपेक्षा क्यों कर रही है ?

(४) क्या रक्षा कोष के गबन की शिकायत की जांच, तहसीलदार झुंझूनू और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, झुन्झूनू के यहां चल रही है ? क्या इस जांच के दौरान में वहां की पंचायत समिति के प्रधान और विकास अधिकारी ने सरपंच के पक्ष में सफाई के बयान दिये हैं ?

(५) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त दोनों पदाधिकारी सरपंच के नजदीकी रिश्तेदार हैं ? क्या यह सही है कि जांच में अनावश्यक रूप से देर की जा रही है ?

(६) क्या इस मामले की जांच राज्य सरकार सी.आई.डी. की मारफत करवाना मुनासिब समझेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामनारायण चौधरी)

(७) क्या यह सही है कि गबन की शिकायत करने वाले व्यक्तियों के सैकड़ों रुपये जांच पूरी करने में खर्च हो गये हैं फिर भी अभी जांच पूरी नहीं हुई है ?

(८) क्या यह सही है कि रक्षा कोष में गबन की शिकायत की जांच के मामले में स्थानीय अधिकारी पंचायत समिति के प्रधान और विकास अधिकारी के कारण जांच करने में टालमटोल कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(९) क्या उक्त सरपंच स्वयं ने भी गोचर भूमि में नाजायज तौर से बाड़े बना लिये हैं ? क्या यह भी सही है कि उनके भाई ने इनकी मदद से भी काफी जमीन गोचर की दबाली है ? क्या इसकी भी उप-जिला विकास अधिकारी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है ? यदि हां, तो क्या इस जांच रिपोर्ट में सरपंच को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । सरपंच से स्पष्टीकरण मांगा गया था । उसके द्वारा आरोपों का खण्डन करने पर विस्तृत जांच करने हेतु उप जिलाधीश, झुंझूनू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । जांच रिपोर्ट १२-१-६८ को प्राप्त हो चुकी है ।

(३) जी हां । तहसीलदार झुंझूनू से जांच करवाई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही की जायगी । उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है ।

(४) जी हां । जांच जारी है । जांच में प्रधान व विकास अधिकारी के बयान हुए हैं ।

(५) ऐसी कोई जानकारी नहीं है । जांच में देरी नहीं की जा रही है ।

(६) विभागीय जांच पूरी हो जाने पर यह विचार किया जा सकेगा कि आया इस मामले की जाँच पुलिस विभाग से भी कराई जाय या नहीं ।

(७) खर्च के बाबत कोई जानकारी नहीं है । जांच विधिवत चल रही है ।

(८) जी नहीं । किसी का कोई दबाव नहीं है नियमानुसार जांच की जा रही है ।

(९) अन्तिम जांच रिपोर्ट उप जिलाधीश, झुंझूनू से दिनांक १२-१-६८ को प्राप्त हो चुकी है । जो राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामनारायण चौधरी : इस सरपंच के खिलाफ दो साल से रक्षाकोष के मामले को लेकर जांच हो रही है, जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया विकास अधिकारी और प्रधान का कोई दबाव नहीं है, तो क्या कारण है कि दो साल का समय हो गया, अभी भी जाँच पूरी नहीं हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने पूछा विकास अधिकारी और प्रधान के बयान हुए हैं, तो मैंने कहा हां हुए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों का तहसीलदार पर दबाव है, इसलिए जांच नहीं पूरी कर रहे हैं। सी० आई० डी० से क्यों नहीं जांच करवाते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई जांच रिपोर्ट आ जाय उसके बाद ही निर्णय पर पहुँचेंगे कि जांच ठीक हुई या नहीं। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा करवाई जाय या नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आरोप लगाता हूँ कि तहसीलदार जाँच नहीं कर सकते क्योंकि तहसीलदार वहां का ही है और प्रधान और विकास अधिकारी का उन पर पूरा दबाव है, सरपंच उनका रिश्तेदार है इसलिए जांच सी० आई० डी० से करवाई जाय। यह राष्ट्रीय मामला है, गबन का मामला है, ५००) रक्षाकोष के लिए वसूल किए गए हैं, १०० आदमियों के बयान हुए हैं, इसलिए सी० आई० डी० से जांच करवाई जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अब तक राज्य सरकार के पास इस बात की शिकायत नहीं आई कि जाँच में देरी हो रही है, किसी प्रकार का दबाव है या जांच सही रूप से नहीं हो रही है। माननीय सदस्य यदि लिखित रूप में देंगे कि दरअसल दबाव है तो किसी दूसरे अधिकारी से जाँच करवाई जायगी।

श्री रामानारायण चौधरी : राज्य सरकार के पास शिकायत हुई है और उपमंत्री श्री गंगारामजी जो जी० ए० डी० के इन्चार्ज थे, उन्होंने आदेश दिए कि इसकी जाँच सी० आई० डी० से करवाई जाय, लेकिन सी० आई० डी० ने कागज तहसीलदार के पास भेज दिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : सी० आई० डी० में जाँच हुई है या नहीं, यह पंचायत विभाग के पास जानकारी नहीं है। आप कहते हैं कि सी० आई० डी० ने जाँच करके तहसीलदार के पास कागज भेज दिए तो फिर सी० आई० डी० के पास केस भेजने से क्या मतलब निकलेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप प्रश्न ४ के उत्तर में बता दें कि कितनी धनराशि का रक्षाकोष से गबन का इसके विरुद्ध आरोप है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास जानकारी नहीं है, जांच की जा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको सी० आई० डी० से जाँच कराने में क्या आपत्ति है ? जबकि तहसील में दो साल से मामला चल रहा है, जाँच पूरी नहीं हुई, २०० आदमियों के बयान हुए, तहसील से रिपोर्ट नहीं आती है तो सी० आई० डी० से करवाई जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जैसा आपने बताया कि सी० आई० डी० के पास कागज गए और वे भी इस नतीजे पर पहुँचे कि विभागीय जाँच होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने कलक्टर को भेज दिया। लेकिन जब यह रक्षाकोष के गबन का मामला है तो आपको सी० आई० डी० से जाँच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लिखित में भेजें कि दरअसल सही रूप में जाँच नहीं हो रही है। मेरे पास जो जानकारी हैं उसके अनुसार जाँच सही हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कह दें कि सी० आई० डी० से जाँच करवाई जायेगी। दो साल की देरी हो रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सी० आई० डी० से जाँच करवाई जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

कोटा बारां सड़क का ठेका

६७६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा-बारां रोड के मील नं० २१, २२, २३, २४ व २५ मील पर सड़क का ठेका कब व किस किस को कितनी कितनी राशि में दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिए टेन्डर्स आमंत्रित किए गए थे ? अगर हाँ तो कब ?

(३) उक्त कार्य के लिए किस किस के टेन्डर्स किस किस रेट पर कन्डीशनल अथवा अनकन्डीशनल प्राप्त हुए ?

(४) क्या यह सही है कि इसके लिए ठेकेदारों से निगोसियेशन्स किए गए थे ? अगर हाँ तो क्यों व किस किस से ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) :

(१) मील २१ का ५-६-६७ को ६६३७) रु०

मील २२ का ५-६-६७ को ६७४२) रु०

मील २३ का ५-६-६७ को ६८६०) रु० के ठेके श्री चिरंजीलाल पटेल को दिये गए हैं।

(२) जी हाँ दिनांक १२ मई १९६७ को।

(३) सूची संलग्न है।

(४) जी हाँ कुछ ठेकेदारों से राज्यहित के लिए।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : मील २१, २२ व २३ के जो ठेके दिए गए हैं, तो जितने आइटम्स टेन्डर्स के अन्दर बताए गए सब दिए गए या स्प्लिट अप करके पोस मील में दिए गए ?

श्री माधोसिंह : पहले ४ आइटम्स का दिया गया।

Page No. 12

श्री कृष्णकुमार गोयल : मील २१, २२ व २३ के टेन्डर्स में कुल कितने आइटम्स थे ?

श्री माधोसिंह : ६ थे, ४ आइटम्स दिए गए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : डामर बिछाने का काम किसको दिया गया ?

श्री माधोसिंह : श्री चिरंजीलाल पटेल को।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि टेन्डर्स के जो आइटम्स थे, उनको स्पिल्ट अप करके जो प्रोफिटेबल आइटम्स थे ठेकेदार को दिए गए ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं, सारे आइटम्स उनको दिए गए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौन कौन से आइटम्स थे जो सरकार ने अपने पास से कराए ?

श्री माधोसिंह : अपने माध्यम से नहीं कराए, सब उन्हीं से कराए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : २१, २२ व २३ मील का सारा काम ठेकेदार से करवाया ?

श्री माधोसिंह : जी हाँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि टेन्डर्स के आइटम को स्पिल्ट अप करके ठेका दिया गया ?

श्री माधोसिंह : इसके दो हिस्से कर दिए गए थे और दो हिस्सों के अन्दर निगोसिएशन्स किए गए, फिर कराया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि मील २१, २२ व २३ के टेन्डर्स में जितने आइटम्स थे सारे आइटम्स एक ठेकेदार को न देकर आइटम्स को स्प्लिट अप किया और स्प्लिट अप करके ठेकेदारों को ठेका दिया ?

श्री माधोसिंह : उसी ठेकेदार को सब आइटम्स दिए गए, स्प्लिट अप नहीं किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि निगोसिएशन्स आरंभ करने के पश्चात् निगोसिएशन्स के आधार पर उन टेन्डर्स का ठेका दिया गया न कि टेन्डर्स के आधार पर ?

श्री माधोसिंह : नेगोसिएशन्स किए गए और जिसने कम पैसों में काम करना मंजूर किया उसको ठेका दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि एक श्री वासुदेव जिसका टेन्डर लोएस्ट था, नेगोसिएशन्स में इन्वाइट नहीं किया गया ?

श्री माधोसिंह : सबको बुलाया गया, वह नहीं आए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पंचायतों में ग्रुप सचिवों की नियुक्तियां

६७७. **श्री शंकरलाल** (जैतारन) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायतों के पुराने सचिवों को जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त सचिव भी सम्मिलित हैं, हटाकर तीन पंचायतों के बीच एक ग्रुप सचिव रखने की योजना कई जगह कार्यान्वित हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों में पुराने कार्य कर रहे सचिव बेकार हो गए हैं ? यदि हां तो इन बेकारों की संख्या क्या होगी ?

(३) क्या सरकार ने ऐसे बेकारों को नौकरी देने के लिए कोई व्यवस्था की है।

(४) क्या यह सही है कि अधिकतर ग्राम पंचायतों से यह शिकायतें आ रही हैं कि तीन पंचायतों के बीच एक ग्रुप सचिव सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है और पंचायतों का कार्य बिगड़ने लगा है ?

(५) क्या सरकार इन परिस्थितियों में पुनर्विचार करेगी ?

राज्य मंत्री पंचायत : (श्री हीरालाल देवपुरा) -

(१) वर्तमान में ६५ पंचायत समितियों में ग्रुप पंचायत सचिव लगाने की योजना कार्यान्वित की गई है।

(२) इस योजना से प्रभावित व्यक्तियों की सही संख्या तो उपलब्ध नहीं है पर अनुमानतः ऐसी पंचायतों में आठ सौ सचिव होंगे।

(३) कार्यभार को देखते हुए पंचायत यदि चाहे तो अपनी निजी आय से ऐसे व्यक्तियों को सहायक सचिव लगा सकती हैं ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री शंकरलाल : पहले जो पंचायतों में सचिव थे और सरकार द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई तो क्या उनको हटाना उचित रहेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो पंचायतों में सचिव थे, वे पंचायतों द्वारा नियुक्त सचिव थे उनको ट्रेनिंग केवल इसी बात की दी गई जो पंचायतों के काम के लिए आवश्यक थी। ग्रुप सचिव लगाने के लिए एक ही भावना थी कि सरपंचों के विरुद्ध कई तरह के मामले चलते थे और कई जगह सचिवों की गलती के कारण कई मीटिंग्स में सरपंचों द्वारा बताया गया कि किसी तरह यह भार जो अकाऊंट्स का है निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति पर होना चाहिए जिससे उन पर जिम्मेदारी लगाई जा सके और इसी दृष्टिकोण से सरकार ने ग्रुप सचिवों की योजना लागू की। कई पंचायत समितियों में वे लोग भी हैं जो पंचायत सचिव थे जिनको तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद दो साल की और ट्रेनिंग दे दी गई। आगे भी सरकार विचार कर रही है कि जो मौजूदा सचिव हैं उनमें जो निर्धारित योग्यता में आते हैं, उनको दो साल की ग्रुप सचिव

(श्री हीरा लाल देवपुरा)

को ट्रेनिंग दी जाय और जिन जिन पंचायत समितियों को जरूरत है उनको ग्रुप सचिव के रूप लगाया जाय। बाकी जो सचिव निर्धारित योग्यता में नहीं आते हैं, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं यदि पंचायतें चाहें तो अपनी निजी आय से ऐसे लोगों को उपसचिव के रूप में रख सकती हैं।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार ने ६५ पंचायत समितियों में ग्रुपपंचायत सचिव लगाए हैं तो समस्त समितियों में उनको रखने का विचार रखती है या केवल यह परीक्षण के तौर पर है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : परीक्षण के तौर पर नहीं है, आगे भी विचार रखती है।

श्री शंकरलाल : आपने बताया कि ८०० आदमी बेकार हैं तो सरकार के पास उनको वापस नौकरी में रखने के लिए कोई योजना है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस समय जो सचिव काम कर रहे हैं वे एक एक पंचायत में काम कर रहे हैं और ३-३,४-४ पंचायतों में भी काम कर रहे हैं और टैम्परेरी रूप से हैं। सरकार के लिए यह लाजिमी नहीं है कि सबको नौकरी दे। फिर भी यह ध्यान रखा जाता है कि निर्धारित योग्यता के जो व्यक्ति होंगे उनको अवश्य सरकार ग्रुप सचिव की ट्रेनिंग दिलाकर नौकरी दिलाने की कोशिश करेगी।

श्री रामकिसन : क्या यह सही है कि एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है, पंचायतों को सचिव लगाने का तो अधिकार है लेकिन कुछ पंचायतों में जो आपने ग्रुप सचिव भेजे ...

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है कि पंचायत एक्ट में संशोधन नहीं किया गया है। मैंने इसलिए निवेदन किया कि ६५ पंचायत समितियों में ही लगाए हैं, और उन पंचायत समितियों में रखे हैं जहाँ से इस बात की माँग थी कि ग्रुप सचिव चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि ग्रुप सचिव रखना पंचायतें अव्यवहारिक मानती हैं क्योंकि पंचायतें दूर दूर पड़ती है और काम प्रतिदिन हर समय चलते रहते हैं इसलिए ग्रुप सचिव को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने में समय लगता है और इस प्रकार उनका कार्य खराब होता है, इसलिए ग्रुप सचिव लगाना अव्यवहारिक है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि ग्रूप सचिव की कोई शिकायत पंचायतों की तरफ से नहीं आई है। माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रुप सचिव लगाना अव्यावहारिक है जो तीन पंचायतों में दिये गये हैं और वे एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाते तो काम सफर करता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा एक एक पंचायत में एक एक ग्रूप सचिव हो, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। आज भी सचिव ३-३ और ४-४ पंचायतों में काम करते है और उनको भी पूरा समय नहीं मिल पाता है।

Page No. 15

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल जैतारण : क्या यह सही है कि पंचायत एक्ट में यह अधिकार है कि ग्रूप सचिवों को रखने से इन्कार कर सकते हैं ?

श्री हीरालाल (वपुरा : मैंने निवेदन किया है कि एक व्यक्ति की पूरी आवश्यकता है और ग्रूप सचिव से काम नहीं हो सकता है तो पंचायतें सक्षम हैं उसमें।

श्री शंकरलाल : मेरा तो मतलब यह है कि वे इन्कार कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार को कोई अधिकार है क्या इसमें ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया है।

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६७८

श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री जुझारसिंह।

प्रश्न संख्या ६७६

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट पार्टीज को परमिट

६७६. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अगस्त सन् ६७ में तीज के मेले के वक्त कितनी प्राइवेट गाड़ियों को राष्ट्रीय कृत मार्गों पर जयपुर सवारियां लाने व ले जाने के स्पेशल परमिट जारी किये गये थे ? कृपया नाम मालिक, रूट व समय सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) तीज के मेले के समय राजस्थान रोडवेज द्वारा सवारियों की सहूलियत के लिये कितनी कितनी स्पेशल गाड़ियां किन किन रूट पर लगाई गई थी और उनसे कितनी आमदनी हुई ? अलग अलग बताने की कृपा करें ?

(३) शादियों व त्यौहारों के अवसर पर जनता की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को सहूलियत से पूरा करने के लिये क्या क्या प्रबन्ध किया जाता रहा है और क्या वह सरकार की निगाह में पर्याप्त रही है ?

(४) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट पार्टीज को परमिट जारी करने के पूर्व क्या रोडवेज विभाग से इस बात की जानकारी की जाती रही है कि वे बढ़ी हुई यातायात सुविधाओं की मांग को अपने साधनों से पूरा कर सकेंगे या नहीं और क्या स्पेशल परमिट रोडवेज के क्लियरेन्स सर्टिफिकेट बके।द ही दिये जाते है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री, यातायात (श्री शिव चरण सिंह) : १ अगस्त, १९६७ में तीज के वक्त १७ प्राइवेट गाड़ियों को अस्थाई परमिट दिये थे। नाम वस मालिक रूट व समय की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) शादियों व त्यौहारों के अवसर पर परिवहन सम्बन्धी आवश्कताओं को पूरा करने के लिये नियमित सेवाओं के अलावा आवश्यकतानुसार अस्थाई परमिट दिये जाते हैं। शादियों आदि के मौके पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा भी निश्चित दरों पर अनुबन्ध पर बसें दी जाती है।

(४) जी हाँ, रोडवेज विभाग से जानकारी की जाती रही है और उनसे नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही परमिट दिये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : यह तीज कौनसे दिन थी ?

(विराम)

तीज की तारीख कौनसी थी।

श्री शिवचरणसिंह : तीज की तारीख नहीं दी है। जो लिस्ट दी है प्राइवेट बसों की है। रोडवेज की बसें भी चलती हैं। यह तारीख शायद ५-६ और ७ के बीच में होनी चाहिये।

श्री जुझारसिंह : कौनसा तीज का दिन है, राजस्थान रोडवेज को परमिट कब दिया गया है ? उन २४ में था क्या ?

श्री शिवचरणसिंह : तीज का मेला कई दिन चलता है। कई दिन पहले शुरू हो जाता है और कई दिन बाद तक चलता रहता है। परमिट १७ बसों को दिये गये हैं।

श्री जुझारसिंह : आपने यह फरमाया कि प्राइवेट पार्टीज को परमिट देने से पहले नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट राजस्थान रोडवेज से लेते हैं तो क्या यह लिया गया है ?

श्री शिवचरणसिंह : जरूरी है। प्रेशर ज्यादा होता है सवारियों का तो प्राइवेट पार्टीज को परमिट दिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ५,६ और ७ अगस्त, १९६७ को तीज का कोई मेला नहीं था और यह मेला ८ और १२ अगस्त के बीच में लगा है ?

श्री शिवचरणसिंह : एग्जेक्ट डेट का मालूम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या रोडवेज की बसेज हैं इनको परमिट तीज के मौके पर दिया गया था ?

श्री शिवचरणसिंह : तीज पर उनको स्पेशल परमिट लेना ही पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ८ और १२ अगस्त के बीच में जारी किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

Page No. 17

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक स्पष्टीकरण। ५, ६ और ७ के बीच तीज का मेला चलता नहीं ८ और १२ के बीच देने का प्रश्न नहीं उठता तो रोडवेज को ५ और ७ के बीच परमिट क्यों दिया ?

श्री शिवचरणसिंह : प्राइवेट परमिट ५ से ६ तक है। जब पार्टी लेना चाहती है और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे दिये हैं।

श्री जुझारसिंह : रोडवेज को ८ और ६ को तीन परमिट दिये हैं कुल २४ स्पेशल परमिट दिये हैं। मेरा निवेदन है कि जब यह नियम बना हुआ है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर रोडवेज को परमिट दिये जाय और ट्रैफिक ज्यादा हो तो प्राइवेट पार्टी को दिया जाय। यह नियम फालो नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें कौनसी तारीख थी यह न तो माननीय प्रश्नकर्ता को मालूम है और न माननीय मंत्री जी को मालूम है इसलिये इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री हरलालसिंह।

ग्राम पंचायत हाथी देह को नदी के कटाव से मकानों को बचाने के लिये सहायता।

६८०. **श्री हरलालसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या विकास व पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(१) क्या ग्राम पंचायत हाथीदेह, हरदास का बास जिला सीकर के सरपंच ने पंचायत समिति से बार बार प्रार्थना की है कि ग्राम हाथीदेह में नदी के कटाव से हरिजनों के हजारों रुपये के पुख्ता मकान गिरने वाले हैं ? यदि हां, तो क्या पंचायत समिति ने उनको बचाने की कोई कार्यवाही की है ?

(२) क्या राज्य सरकार सीधी इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

राज्य मंत्री विकास (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी नहीं।

(२) भूमि कटाव संरक्षण का सम्बन्ध पंचायत से नहीं है। अतः प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामकिशन : नहीं है, तो किसी से तो है।

श्री हीरालाल देवपुरा : किसी पंचायत से मांग भी नहीं की गई है।

श्री हरलालसिंह : पंचायत समिति से क्या इसके बारे में मांग....

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हरलालसिंह : एक मिनट निवेदन कर दूं, मैंने वहां मौका देखा है। वहां हरिजनों की ऐसी स्थिति है। ३००-४०० की संख्या है जिनकी हजारों रुपयों की सम्पत्ति बरसात में नदियों के पानी से डेस्ट्राय हो गई है। ऐसी स्थिति है, मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री हरलाल सिंह)

यह पंचायत समिति से सम्बन्धित है। राज्य सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कदम उठाने की कृपा करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ने मौका देखा होगा, मैं स्थिति से इन्कार नहीं कर सकता लेकिन इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से बात की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामकिशन : यह तो ऐसा लगता है जैसे दो गवर्नमेंट्स का झगड़ा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

सरकारी कार की चोरी

६८१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) एवं **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(१) उद्योग मंत्री श्री हरिदेव जोशी के निवास स्थान से सरकारी कार की चोरी कब और कितने बजे हुई है? चोरी की एफ० आई० आर० कितने बजे दर्ज करवाई गई? एफ० आई० आर० एवं पुलिस द्वारा उस सम्बन्ध में लिये गये बयान की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कार का ड्राइवर कितने बजे तक मौजूद था?

(२) क्या यह सही है कि जिस समय कार की चोरी हुई उस समय दरवाजे पर सन्तरी मौजूद था? यदि नहीं तो क्या रात के समय कोई सन्तरी ड्यूटी पर नहीं भेजे जाते हैं?

(४) एम०एल०ए० क्वार्टर्स की पुलिस चौकी पर उस समय कितने पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर थे?

(५) कार के अलावा क्या और भी कोई सामान चोरी गया है? यदि हां, तो क्या क्या और किस किस का?

(६) चोरी जाने से पहले यह गाड़ी सरकारी ड्यूटी में कब व कहाँ गई थी और कब वापिस जयपुर लौटी?

उप मंत्री गृह (श्री खेतसिंह) : (१) उद्योग मंत्री श्री हर देव जोशी के निवास स्थान से सरकारी कार की चोरी दिनांक ९ व १०-११-६७ की दरमियानी रात को हुई। चोरी की इत्तला अव्वल कोतवाली जयपुर पर लगभग १२ बजे दिन को दर्ज कराई गई। इत्तला मिलने पर फौरन अभियोग पंजीबद्ध किया गया।

इस स्टेज पर जबकि केस की तफतीश चल रही है, एफ० आई० आर० व दफा १६१ जा० फौ० में लिये गये बयानों की नकलें सदन की मेज पर रखना तफतीश के हित में नहीं समझा जाता। अतः इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है।

(श्री खेतसिंह)

(२) कार का ड्राईवर श्री नासिर अली (मंत्रीजी के बंगले पर) रात्रि को ७ बजे तक मौजूद था।

(३) सन्तरी नहीं था। उस समय कोई गार्ड व कान्स्टेबल नाइट ड्यूटी के लिये मंत्री महोदय की कोठियों पर नहीं भेजे जाते थे।

(४) यहाँ अस्थाई चौकी थी जिस पर एक हैड कान्स्टेबल एवं दो कान्स्टेबल तैनात थे।

(५) कार के अन्दर चालक के कथनानुसार पेट्रोल की इन्डेन्ट बुक, जैक, हाथपाना, स्टेपनी, वगैरा चोरी जाना बताया गया है। दीगर किसी व्यक्ति का कोई सामान चोरी नहीं जाना बताया गया है।

(६) यह कार जयपुर शहर से बाहर कहीं नहीं गई थी। शहर में ही गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हरिदेवजी जोशी के निवास स्थान से कार की चोरी रात को कितने बजे हुई ?

श्री खेतसिंह : टाइम मैं नहीं बतला सकता क्योंकि उनको खुद को ही सवेरे मालूम हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या चोरी का समय एफ. आई. आर. में दर्ज नहीं है ?

श्री खेतसिंह : यह दर्ज है कि सवेरे ड्राइवर ने आकर चाबी मांगी, चाबी दी तो मिली नहीं, ड्राइवर ने पूछा कार कहाँ गई, तब उनको मालूम हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ड्राइवर कितने बजे ड्यूटी पर आया ?

श्री खेतसिंह : सुबह सात और आठ के बीच में वह पहुंच गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सात आठ के बीच में पहुंच गया और कार की चोरी की बात मन्त्री महोदय को मालूम पड़ गई तो रिपोर्ट ठीक कितने बजे पुलिस कोतवाली में लिखाई ?

श्री खेतसिंह : मैंने उत्तर दिया है १२ बजे के करीब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किस व्यक्ति ने दर्ज कराई ?

श्री खेतसिंह : ड्राइवर श्री नासिर अली ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उस ड्राइवर के बयान हो चुके हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हाँ। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उस वक्त भी जांच और कर ली गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने कितने गवाहों के बयान हो चुके हैं ?

श्री खेतसिंह : काफी बयान हो चुके हैं। नम्बर मुझे मालूम नहीं।

Page No. 20

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय के भी बयान हुए हैं या उनके किसी और परिवार के व्यक्ति के भी हुए हैं ?

श्री खेतसिंह : जो हां, मन्त्री महोदय से भी सारी जानकारी ली गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा यह कहना है कि १६१ के अन्दर मन्त्री महोदय के बयान कलमबन्द किए गए हैं या नहीं ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास नहीं हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर पांच महीने के बाद भी घर से कार चोरी जाने की इत्तला दी और रिपोर्ट करवाई तब तक उनके बयान कलमबन्द न करें तो इसका क्या कारण है । नवम्बर ६७ में कार चोरी गई । अप्रेल आ रहा है । पांच महीने में भी जिस को ड्राइवर चाबी देकर गया उनके बयान न हों यह कैसे है ?

श्री खेतसिंह : उनके बयान जरूर लेने चाहिए, मैं इन्कार कब कर रहा हूं । लिए होंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी के लिए स्पेसिफिक डिटेल्ड क्वेश्चन भेजा है । डिटेल्ड में मैंने स्पष्ट पूछा है कि किन किन के बयान हुए हैं । इसमें उनके बयान, उनकी धर्मपत्नी के बयान और किसी और परिवार के सदस्य के बयान धारा १६१ में कलमबन्द किए जाने चाहिए थे, वे कलमबन्द किए गए ? इसका उत्तर आना चाहिए ।

श्री खेतसिंह : मन्त्री महोदय ने ही एस. पी. और एडीशनल एस. पी. को टेलीफोन किया था । तभी सारी जानकारी दी गई थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह टेलीफोन एस. पी. महोदय को मन्त्री महोदय ने कितने बजे किया था ?

श्री खेतसिंह : यह टाइम तो मेरे पास नहीं है । पर ये मौके पर पहुंच गये थे और काफी अरसे तक लोग वहां देखते रहे । पता लगाने की कोशिश की । जब कुछ भी पता लगाने की गुंजाइश नहीं रही तो रिपोर्ट कराई ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपसिंह ।

राजवी श्री रूपसिंह : जो कार चोरी गई बयान की जाती है उसका मूल्य क्या तै किया गया, पब्लिक एक्सचेंकर में वह कब से खरीदी गई थी ?

श्री खेतसिंह : अम्बैसेडर कार की जो कीमत थी, वह थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच हजार ।

राजवी श्री रूपसिंह : वेदर न्यू वन ऑर ओल्ड वन । नई थी या पुरानी थी ?

श्री खेतसिंह : सफेद क्रीम कलर की थी । पुरानी थी नई थी यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझ जैसे आदमी को तो यही पता नहीं कि यह कितने हजार की आती है ।

राजवी श्री रूपसिंह : नवम्बर ६७ को आज चार महीने...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच महिने।

राजवी श्री रूपसिंह : पांच महीने होने आये हैं और अभी पहले होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेन्ट हुआ उसमें कहा गया था कि हमारी पुलिस और उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा काबिल है, एफीसियेन्ट है करप्शन को रोकने और चोरी की रिकवरी में एफसियेन्ट साबित हो चुकी है, फिर क्या कारण है कि पांच महीने होने आये अभी तक इस कार का पता नहीं लगा सकी। किस तरह क्या कर रही है पुलिस मिनिस्टर के घर से कार चोरी जाय और पुलिस पता नहीं लगा सके यह बड़ी शेमफुल बात है हमारे प्रशासन के लिए। होम मिनिस्टर साहब जवाब दें जिनको अनुभव है वे अच्छा जवाब दे सकते हैं डिप्टी मिनिस्टर के बजाय। यह चेयर का मामला है कि वे मन्त्री से जवाब दिलावें। डिप्टी मिनिस्टर का अधूरा जवाब है, इससे गलतफहमी होती है। हाउस में ऐसे बयान देते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दीजिए ठीक जवाब देने के लिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : कार को चोरी गये पांच महीने हो गये। बरामद नहीं हुई, इसमें तो शक नहीं। पिछली बार भी जब बहस हो रही थी डिमाण्ड पर तब भी इस प्रश्न पर काफी बहस हो चुकी है। इससे पहले भी इस प्रश्न को लेकर सदन में बहस हो चुकी है तब मैंने यह बताया था कि जितनी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं, बरामद करने की।

जहां तक बयान लेने का सवाल है कि किसके लिये गये किसके नहीं मन्त्री महोदय के बयान लिये गये या नहीं, रिपोर्ट देर से क्यों आई यह बता दिया गया था मन्त्री महोदय जोशीजी ने यह बात अपने बयान में बता दी थी। एस. पी. और एडीशनल एस. पी. को फोन किया। वे मौके पर पहुंच गये। खुद ने मौका देखा, मन्त्री से बातचीत की। जानकारी ली सबसे। अब १६१ में और १६४ में किन किन के बायान लिये गये कलमबन्द किये गये यह जानकारी हमारे पास नहीं है। यह आवश्यक भी नहीं है!

अब फोन करने और रिपोर्ट दर्ज कराने के बीच दो तीन घंटे की देर हो गई। तो इसमें देर से रिपोर्ट होना तो लाजिमी था। जब तक यह असरटेन न कर लिया जावे कि सचमुच में वह कहां गई तब तक उसकी चोरी की रिपोर्ट करना मुनासिब नहीं था। इसलिये जब इस निर्णय पर पहुँच गये कि चोरी हो गई है या कोई उडाकर ले गया है तो तभी ड्राइवर के नाम से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये एस. पी. एडीशनल एस. पी. १२ बजे से पहले पहुंच गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय गृहमन्त्री महोदय जो स्वयं एडवोकेट रहे हैं क्या आप यह नहीं मानते कि किसी क्राइम के बारे में सबसे पहले सूचना पुलिस अधिकारियों को मिले वही एफ. आई आर. मानी जाती हैं। चाहे फोन से ही सूचना दी हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं ऐसा नहीं मानता टेलीफोन की इतला को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सह मानी जाती है तो हरिदेवजी की क्यों नहीं मानी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कब कहा। टेलीफोनिक इन्फोर्मेशन पर एफ. आई. आर. कहां रिकार्ड होती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं। टेलीफोन के आधार पर मतालबा होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : टेलीफोनिक आधार पर दर्ज हो जाती है यह मैंने नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होती है टेली-फोनिक आधार पर एफ. आई. आर, दर्ज। आपको वकालत छोड़े काफी दिन हो गये है। आप यह बताइये रात को सात बजे डाइवर गाड़ी छोड़कर गया तो चाबी किसको देकर गया ?

श्री खेतसिंह : श्री जोशीजी की धर्म-पत्नी को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उनके बयान कलमबन्द किये गये।

श्री खेतसिंह : वे बयान हमारे पास नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मामला इतना गम्भीर है अनयूजुअल है जिसे मन्त्री भी स्वीकार करेंगे। डाइवर को दी गई गाड़ी डाइवर रात को सात बजे छोड़कर घर गया। रात को गाड़ी चोरी हो जावे। मन्त्री महोदय के यहां आने जाने वालों का तांता रहे, गैराज में गाड़ी रहे। रात को गाड़ी चोरी हो। सुबह आठ बजे बाद पता लग जावे पर १२ बजे तक रिपोर्ट दर्ज कराई जावे। चार घंटे की डिले हो केस को खराब किया जावे। ये हालत हैं कि जिन पर विचार करना जरूरी है। मन्त्री महोदय सदन में बताने को तैयार नही कि १६१ में बयान कलमबन्द किये गये या नहीं। तो इन हालतों में तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अब तक यह सारी सूचना न मिले और हाउस की इस सम्बन्ध में सन्तोष न हो जाय तब तक के लिये इसको पोस्टपोन किया जावे और पूरी जानकारी सरकार से फिर मांगी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गाड़ी की लाग बुक भी चोरी गई थी ?

श्री खेतसिंह : गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कोई सरकारी फाइल भी चोरी गई ?

श्री खेतसिंह : जी नहीं।

कोई सरकारी फाइल चोरी नहीं गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वह चाबी मिल गई ?

श्री खेतसिंह : चाबी तो उनके पास ही है। चाबी उनको धर्मपत्नी को दी गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या चाबी पुलिस ने बरामद कर ली ?

श्री खेतसिंह : निश्चित तौर पर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर सवाल पूछ रहा हूँ। कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग ५ में इन्होंने वगैरह शब्द का प्रयोग किया है ......

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस कार के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं वह सारे यह साबित करते हैं और लोगों का वहम है जो ड्राईवर है और श्री हरिदेव जी जोशी के सुपुत्र हैं और उनकी जो सोसाइटी और कम्पनी है वह ऐसे लोगों के साथ है जिससे यह वहम पुष्ट होता है कि यह गाड़ी राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान पहुँच गई। इसलिए सारे सवाल पूछने पड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने प्रश्न ५ के उत्तर में लिखा है यह सामान 'वगैरह वगैरह' चोरी गया तो यह वगैरह वगैरह का क्या मतलब है ?

श्री खेतसिंह : मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री हीराभाई : गाड़ी पाकिस्तान में गई और जोशी जी के लड़के ने लेकर पाकिस्तान भेजी·········

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री हीराभाई :··· ····· और यह भी कहना है कि पाकिस्तान में गाड़ी पकड़ी भी गई यह राजस्थान के पुलिस मंत्री कैसे बरदाश्त करेंगे···········

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन अपने पैरों पर है। बहुत प्रश्न हो चुके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर एक सवाल का जवाब दिला दीजिए। क्या यह सही है कि इस चोरी गई गाड़ी में पैट्रोल की इन्डेन्ट बुक, व्हील पाना, स्टेपनी के अलावा कोई चीज चोरी नहीं गई ?

श्री खेतसिंह : वह तो छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं।

श्री श्रवणलाल : आपकी जानकारी में क्या है ?

श्री खेतसिंह : अगर गाड़ी पाकिस्तान गई हो और आपके पास पुख्ता जानकारी हो तो आपसे हम और आगे जानकारी कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आपको जानकारी मेरे से लेनी है तो आप इधर आ जाओ और मुझे वहां बैठा दो में आपको सब जानकारी दे दूंगा।

श्री खेतसिंह : ऐसा है कि कई जानकारी आपके पास भी हो सकती है और हमारे पास नहीं हो सकती, इसलिए आपसे और जानकारी ले लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि और क्या चीजें चोरी गई हैं।

श्री खेतसिंह : कोई स्क्रू हो सकता है, पेचकस हो सकता है। काफी अरसे से आप भी गाड़ी रख रहे है आपको भी माननीय सदस्य तजुर्बा है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि यह गाड़ी रात को १ बजे और २ वजे के बीच में मंत्री महोदय के लड़के के साथ इनके कृषि फार्म पर गई और वहां से कुछ सामान उठाया और उसके बाद में पंजाब गई। जब पंजाब में गई तो उस समय में इसके पीली टेस्टिंग प्लेट लगा दी गई और अपने बोर्डर से पार पाकिस्तान के अन्दर गई और गाड़ी पाकिस्तान में जानकार सूत्रों के अनुसार पकड़ी गई है जिसमें सोना और अफीम बरामद किया गया है......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की गाड़ी चली जाये और इसके अन्दर......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप उत्तर सुनें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसमें अफीम और सोना जाता है इससे ज्यादा और सरकार के लिए क्या शर्म की बात हो सकती है। और उसके साथ ही साथ.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य,

श्री देवीदत्त गाड़िया : श्री हरिदेव जो जोशी के सुपुत्र जिनकी सोसाइटी इस प्रकार की हो वह एक षड़यंत्र रचकर सरकारी गाड़ी को गायब करके ले जायें।

उपाध्यक्ष महोदय यह लज्जा की बात है राज्य सरकार के लिए और गृहमंत्री जी के लिए कलंक की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एलान किया था कि निश्चित रूप से कोई सदस्य इत्तला दें तो वे जानकारी करने के लिए तैयार हैं। आज माननीय श्री विजयसिंह जी ने निश्चित रूप से आपको पाकिस्तान के लिए जानकारी दी है। इसलिए मंत्री महोदय से अब में यह वचन चाहूंगा कि आप उसकी पूरी जानकारी कर लें।

Page No. 25

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय.......

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मंत्री महोदय का उत्तर सुनें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न,

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर दे दें उसके बाद में।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर बात कही है इस सिलसिले में उनके बयान रेकार्ड किये जायेंगे और इसके आधार पर और तफतीश कर ली जायेगी कि इसमें कहां तक सत्यता है।

श्री श्रवणलाल : आप यह धमकी दे रहे हैं। यह बहुत ही खेदजनक बात है... ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हीराभाई : आप जोशी जी का बयान रेकार्ड करें... ...

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सरकारी गाड़ी चोरी जाये और उसको पकड़ी नहीं जाये और कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का चार्ज लगाये उसके खिलाफ इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाये यह बहुत ही खेदजनक बात है। इससे तो अच्छा था कि उस मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस गाड़ी के लिए लुहारू के अन्दर एक पैट्रोल पम्प से पैट्रोल खरीदा और उस पैट्रोल पम्प का कैशमीमो इसी गाड़ी के नाम से जारी किया गया ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री खेतसिंह : आपको (श्री रामानन्द अग्रवाल) जानकारी है तो इसको भी तफतीश कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपके इन्वेस्टीगेशन में बात आई है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : हमें यह बात मालूम नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको मालूम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष आर्डर, एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको यह मालूम नहीं कि गाड़ी कौन ले गया। आपको......

श्री खेतसिंह : इसका मालूम होता तो हम मुलजिम को पकड़ लेते और गाड़ी बरामद कर लेते।

Page No. 26

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस गाड़ी को ड्राइवर के अलावा भी श्री हरिदेव जी जोशी के सुपुत्र कई बार चलाते थे ?

श्री खेतसिंह : यह हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, गाड़ी चली गई और नहीं पकड़ी गई यह तो शर्म की बात है। गाड़ी का नहीं पकड़ा जाना बुरा जरूर है लेकिन जिन माननीय सदस्यों को यह पता है कि वह गाड़ी पंजाब से होकर पाकिस्तान गई और वहां पर सोना गया तो हिन्दुस्तान में सोना तो पाकिस्तान से आता है जाता कभी सुना नहीं लेकिन जाने का पता नहीं कब गया और उसके बाद यह कहा गया कि अफीम भी उसमें था और इस सब की जानकारी माननीय सदस्य को है और पुलिस को अब तक नहीं है.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस को सब जानकारी है। गवर्नमेंट को सब जानकारी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दबाने की कोशिश की जा रही है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पुलिस को अब तक पता नहीं है........

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हर एक भारतीय नागरिक का फर्ज है कि अगर कोई उसको इत्तला हो तो उस इत्तला को वह पुलिस थाने में दे और आपका भी फर्ज था कि जानकारी देते।

श्री रामानन्द अग्रवाल :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा :

(एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल :

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा :

(दोनों एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री हीराभाई : अगर चोरी साबित नहीं हुई तो यह पुलिस की नाकामयाबी है और उस पर क्या पुलिस के मंत्री महोदय इस्तीफा देने को तैयार हैं ?

(विपक्ष से हियर, हियर)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रश्न को लेकर जिस प्रकार से सदन में चर्चा हुई है वह सारा सदन जानता है, लेकिन मैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह व्यवस्था का सवाल क्या है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुछ नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस सदन में माननीय सदस्य जितनी भी सूचना मंत्री मण्डल को देते हैं तो मंत्री मण्डल का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि उन सूचनाओं के आधार पर भी जांच कराये। लेकिन इसका आशय यह नहीं होता है कि यदि कोई माननीय सदस्य इस सदन को आकर किसी प्रकार की सूचना देना चाहते हैं तो मंत्री महोदय अपने उत्तरदायित्व को दूसरे व्यक्ति पर डालने की दृष्टि से उसको साक्षी के रूप में उस सारी प्रोसीडिंग को शामिल करने की चेष्टा करें। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आनरेबल मेम्बर्स को इस सदन में बोलने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। आज हमारे देश का संविधान हमें वाणी की स्वच्छन्दता और हमारे विचारों को व्यक्त करने के अधिकार इस सदन के समक्ष देता है। इस प्रकार की यहां पर कथित बातों के ऊपर मुकद्दमें के गवाह के रूप में किसी माननीय सदस्य को शामिल करना हमारे अधिकारों पर आघात करना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत सुन्दर बात होगी कि हम आपकी पार्टी के बारे में जितनी भी बातें मालूम होती और आपके बारे में है उनके बारे में आकर यहां सदन में चर्चा करें और की हैं और उसके ऊपर इस प्रकार से दबाने की चेष्टा करें कि यदि यह सूचना देते हैं तो साक्षी रूप में बयान कलमबन्द करेंगे, १६१ में बयान लेंगे या १६४ में बयान लेंगे, तो यह आपकी कूघ्बत नहीं है। आप कानून के ज्ञाता हैं। सूचना आप गलत देते हैं। इस प्रश्न के पहले खण्ड के अन्दर स्पष्ट रूप से आप से यह पूछा गया था कि तफतीश के दौरान जिन व्यक्तियों के बयानात कलमबन्द किये गये हैं उनकी एक एक प्रति सदन के सामने रखें तो उसका उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि यह प्रिविलेज्ड डोक्यूमेंट है और प्रिविलेज्ड डोक्यूमेंट आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि बयानात किन किन के हुए हैं और अमुक व्यक्ति के बयान हुए कि नहीं तो अज्ञानता हमारे सामने प्रकट करते हैं और यह जाहिर करते हैं कि ज्ञान नहीं है कि बयान लिये गये हैं या नहीं। तो प्रिविलेज किस बिना पर क्लेम किया गया है ? जब आप प्रिविलेज क्लेम करते हैं डोक्यूमेंट के बारे में तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि अमुक व्यक्तियों के बयान हो चुके हैं।

दूसरे, जो सूचना ये देते हैं प्रश्न के उत्तर में, माननीय उपाध्यक्ष, मंत्रि-मण्डल के माननीय सदस्य यहां सदन के सामने वह गलत सूचना देते हैं। इस कारण से इसमें एक नहीं दो प्रश्न पैदा होते हैं। एक बात तो हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, और दूसरी बात यह है कि प्रश्नों के गलत उत्तर दिये जाते हैं। प्रोसीडिंग्स आप उठाकर देख लें जिन प्रोसीडिंग्स में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिये हैं उन उत्तरों से जाहिर होता है कि छिपाने की कोशिश की गई है जिससे सदन के सामने तथ्य नहीं आ सकें, और उसके उपरान्त माननीय सदस्य पर दबाव डालने की चेष्टा की जाती है कि कोई चीज यहां पर कहें तो गवाह के रूप में ली जायेगी।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

मैं इस व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम माननीय मंत्री महोदय को सूचित किया जाय कि जो सूचना हम देते हैं उसके आधार पर बयान कलमबन्द करने के लिए तैयार हो जायं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आरोप लगाते हैं तो....

श्री जयनारायण सालोदिया : फेक्ट है

श्री गिरधारीलाल व्यास : फेक्ट है तो जानकारी दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपकी आँखें फूटी हैं क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले इन से इस्तीफा दिलायें तो हम तैयार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स की किताब को पढ़ लें कि हाउस से मूव नहीं मिले तब तक बयान नहीं हो सकते हैं। धमकियाँ देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो व्यवस्था का सवाल उठाया गया है, माननीय उपाध्यक्ष, यह आपके देखने की बात है कि कहाँ तक यह पाइंट ऑफ आर्डर है और उसका क्या होगा। परन्तु माननीय मंत्रीजी ने यह बात कही कि आपकी जानकारी में है, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है, और मैं समझता हूँ कि सदन में माननीय सदस्य कोई सूचना देते हैं तो उसको हमें और ज्यादा महत्व देना पड़ता है ..

श्री देवीदत्त गाड़िया : सी० आई० डी० से क्या रिपोर्ट मिली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : .....और लाइटली ट्रीट नहीं करते हैं। उन्होंने यह सूचना दी है कि वह कार पंजाब गई और कार का नम्बर प्लेट बदला गया है। उसमें कुछ सोना था और कुछ अफीम थी। तो ऐसी सूचना कोई भी माननीय सदस्य दें चाहे सदन के बाहर या सदन के अन्दर तो हम बड़े आभारी होते हैं कि एक क्लू हमको मिलता है कि तफतीश चालू करें। उसी बात को लेकर माननीय मंत्रीजी ने यहां कहा था कि इस मामले में आपसे भी जानकारी करके तफतीश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह कोई गलत बात नहीं है, और न इसमें प्रिविलेज की बात पैदा होती है, न माननीय सदस्य की डिसरेस्पेक्ट की बात पैदा होती है। माननीय सदस्य के पास कोई सूचना है ...

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्षजी, मुझे यह सूचना दी थी वह है....

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उनसे तफतीश और बयान नहीं ले सकते हैं। उनसे जानकारी कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ...कि गीता देवी बजाज के घर यह कार रात के १२ बजे गई उसके बारे में जो मंत्रीजी ने कहा वह × ×है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज × ×को बात

श्री दामोदरलाल व्यास : तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं ग्रापसे यह ग्रर्ज करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्रीजी के कहने का मतलब यह नहीं था कि तफतीश में गवाह के रूप में उनको लेंगे । बहर हाल किसी को भी जानकारी है....(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) ग्राप सुन लें ।

...मैं यह ग्रर्ज करता हूँ कि बहुत ज्यादा सेन्सिटिव इसमें होने की ग्रावश्यकता नहीं है । ग्रगर ग्राप सूचना देते हैं सदन में तो ग्राप इन दी इन्ट्रेस्ट ग्राफ दी जस्टिस यह भी ग्रापका फर्ज है इस सदन के माननीय सदस्य होने के नाते कि ग्राप इस बात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रौर पुलिस को इस बात में मदद करें । कोई क्राइम कमिट होगया है ग्रौर ग्रापके पास में कोई क्लू है ग्रौर डिटेक्ट करने की कोशिश करने में यदि वह सहायक हो सकता है तो मैं यह समझता हूँ कि ग्रापको ग्रगर जानकारी है तो मैं समझता हूँ कि यह ग्रापको ग्रधिकार है इस बात का ग्रौर पुलिस को भी ग्रधिकार है कि ग्रापसे जानकारी लेकर ग्रागे उसकी तफतीश करे ग्रापने जो जानकारी दी है उस बेसिस पर ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बात बिल्कुल × ×है ..

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज ।

श्री लादूराम सुलानिया : इन मंत्रीजी ने एक कार ही नहीं खाई हैं, कंजरों को जमीन खा गये तो क्या बड़ी बात है कि कार भी खा जायं, ये मिट्टी खा जायं, ये सोना खा जायं । खाने का काम है मंत्रीजी का ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : ये जांच नहीं कराना चाहते हैं ग्रौर माननीय सदस्य के पुलिस में बयान के बारे में कहना चाहते हैं । सदस्यों से इमदाद लेने के लिए कहते हैं । १३ करोड़ रुपये साल भर में खा जाती है पुलिस...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : हम फेक्ट सामने रखते हैं तो क्या कारण है कि जांच नहीं करवाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, हमने ग्रखबारों में यह पढ़ा था कि एक सरकारी गाड़ी झण्डी लगी हुई है वह झुन्झुनूं की तरफ जाती हुई देखी गई है, ग्रौर ग्रखबारों में यह समाचार भी ग्राया था कि जो ग्रभी माननीय सदस्य ने कहा ग्रलवर से ग्राने वालों ने, लोहारू के पेट्रोल पम्प पर उसी गाड़ी ने पेट्रोल लिया । जब ग्रखबारों में इस प्रकार की खबरें ग्राईं तो पुलिस का फर्ज था कि लोहारू की तरफ जाने वाली गाड़ी ग्रौर शख्सों से मालूम करे ग्रौर लोहारू से पेट्रोल लिया या नहीं इस

× × × ग्रध्यक्ष-महोदय के ग्रादेशानुसार निकाले गये ।

(श्री दौलतराम सारण)

बात की जानकारी की जानी चाहिए थी। इस सदन में ३-४ बार यह प्रश्न आया, और तीनों बार भी ये ही चार्ज लगाये गये हैं कि झुन्झुनू की साइड से होती हुई पंजाब की तरफ गई है और वहां पर नम्बर प्लेट बदली गई है, मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सच है, लेकिन यह चार्ज लगाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को यह चाहिए था कि तत्परता के साथ इस बात की जानकारी की जाती, और आज जो इस प्रश्न के सम्बन्ध में सारे एलिगेशन्स लगाये गये हैं, मैं समझता हूं कि पूरी सूचना राज्य सरकार के सामने होनी चाहिए थी। और राज्य सरकार को यह जवाब देना चाहिये था मुकम्मिल तरीके पर कि उस समय अखबारों की बात कही गई थी, उधर जाने की बात कही थी वह सही नहीं है, डेफिनेटली कहा जाना चाहिये था लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया और आज भी यह मसला आरोप, प्रत्यारोप उसी आधार पर है। यह सारा वातावरण सदन की उत्सुकता प्रकट करता है, राज्य सरकार की उदासीनता प्रकट करता है। यह स्वाभाविक बात है कि जो माननीय सदस्य डेफिनेट स्थिति को जानना चाहते हैं, जो पब्लिक प्रोपर्टी को सुरक्षा करना चाहते हैं, जो पब्लिक एक्सचेकर को बचाना चाहते हैं उनको चिन्ता होना स्वाभाविक है। मैं कहूँगा कि उनसे जवाब दिलाया जाय।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह केस जिस अहमियत को धारण कर गया, जो मोड ओफ इन्वेस्टिगेशन है, जो माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उस सूचना का आधार क्या है उसको लेकर मोटिव इम्प्यूट करने लगें तो कोई सूचना नहीं आयेगी। यदि ये इतने विजिलेन्ट होते तो उस दिन सूचना मिलने के बाद अपने आप इन्वेस्टिगेशन को उस आधार पर तेज करते, स्टेटमेन्ट लोगों के रेकार्ड करते लेकिन यह कुछ नहीं किया इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री हरिदेव जोशी के बारे में शक है, यहां पर यह आक्षेप है इन्फ्लुएन्स डालते हैं तो माननीय गृह मंत्रीजी को यह मामला सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स को रेफर करना चाहिये।

इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उस पर व्यवस्था दी जा रही है। माननीय श्री बाढ़दारजी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कोई सदस्य सदन में सूचना देते हैं तो उसको यह कहा जाय कि उनसे पुलिस जानकारी करेगी और इस रूप में उन्होंने यह समझा कि गवाह के रूप में इन्डिविजुअल तौर पर उनसे पूछा जायगा इसका मतलब यह हुआ कि सदन के ऊपर दबाव रहे कि सदन में सही जानकारी नहीं दें, इस तरह के प्रश्न उठाये। मेरी जानकारी यह है कि सूचना दो प्रकार से होती है, एक तो निजी जानकारी से और दूसरी किसी और तरीके से जानकारी मिली हो। एक साक्षी में और माननीय सदस्य में फर्क यह है कि सदस्य दूसरों पर आधारित जानकारी से भी कह सकते हैं और निजी जानकारी से भी कह सकते हैं। इसमें माननीय सदस्यों को एक

(श्री उपाध्यक्ष)

बात का ध्यान रखना है कि जो सूचना दूसरों पर आधारित है उसको उसी रूप में कहा जाता है और दूसरा यहां पर यह कहदें कि निजी जानकारी है, दो तीन ऐसे अवसर आये हैं कि यहां माननीय सदस्यों ने अपने आपको घटना से जोड़ दिया है। मेरा निवेदन यह है कि घटना से अपने आप को जोड़ते समय यह देख कर रहना चाहिये कि घटना से जोड़ा जाता है तो आइ विटनेस की साक्षी हो जाती है तो उनके बयान होने जरूरी हो जाते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये। राज्य सरकार को भी ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी एविडेन्स जो एक सदस्य निजी जानकारी नहीं मानता और बात कहता है तो उसके लिये यह नहीं हो सकता कि उससे जानकारी की जायगी। यह उनका अधिकार है कि कहीं से भी सूचना प्राप्त हुई है तो सदन में दें और राज्य सरकार उसके बारे में मालूमात करे (हीयर हीयर) माननीय सदस्य विधान सभा के सदस्य की हैसियत से सूचना दे सकते हैं लेकिन फिर भी जो जानकारी माननीय सदस्यों को है, जहां तक हो व्यक्तिगत तौर से जब तक उनको सही बात की सूचना नहीं हो तब तक खुद से संबन्धित नहीं करें, नहीं तो मामला पेचीदा हो जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक व्यवस्था का सवाल है। मैं आपका ध्यान नियम २८८ की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन को यह उत्तर दिया है:—

"इस स्टेज" पर जब कि केस की तफतीश चल रही है, एफ.आई.आर. व दफा १६१ जा.फो.में लिये गये बयानों की नकलें सदन की मेज पर रखना तफतीश के हित में नहीं समझा जाता। अतः इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है।

एफ० आई० आर० और सेक्शन १६१ के अंतर्गत मैंने सदन की मेज पर नकलें रखने को कहा है, उन्होंने उत्तर में यह कहा कि तफतीश के हित में नहीं होने के कारण मैं सदन की मेज पर नहीं रखता। मै प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों की धारा २८८ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसमें यह कहा गया है उक्त पत्रों का मेज पर रखा जाना:—

"यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्यपत्र को उद्धृत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उसको सदन की मेज पर रखा जाय माननीय मंत्रीजी इस रूल के प्रोविजो के तहत प्रिविलेज क्लेम करना चाहते है वह है:

"परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बतायें कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा।"

लोक हित के प्रतिकूल यह बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि तफतीश के हित में नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि तफतीश के हित में नहीं होगा इस आधार पर प्रिवलेज क्लेम नहीं किया जा सकता, लोक हित में नहीं होगा इस आधार पर प्रिविलेज क्लेम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में पचासों केसेज चलते हैं। सरकार ने पिछली बार अनेक रिपोर्टें सी.आई.डी. की, डी.आई जी.की आदि और ऐसे बहुत से डोकुमेंट्स सदन की मेज पर रखे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि नियम २८८ के अनुसार प्रिवलेज नहीं रहता। इसलिये उनको बाध्य किया जाय कि धारा १६१ के अन्तर्गत लिये गये बयान आदि की नकलें सदन की मेज पर रखी जायं उसके बाद में इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक इस व्यवस्था के प्रश्न का सवाल है, जो नियम माननीय सदस्य ने सामने रखा है उससे यह केस कवर नहीं होता। यदि मंत्री महोदय अपने उत्तर में किन्हीं डोक्युमेंट्स का जिक्र करें तो ऐसी हालत में यह कह सकते हैं कि डोक्युमेंट्स को पब्लिक इन्टरेस्ट में सदन को टेबल पर रखना उचित नहीं होगा, लेकिन यह नियम यहां लागू नहीं होता है। उनको १६१की तहत जो बयानात हुए हैं उनको मेज पर रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। सी.आर पी.सी. में प्रोविजन ऐसा है कि जिसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन के कई मामले ऐसे होते हैं जो जन हित में खोले नहीं जाते, सी.आर.पी.सी. में ऐसा प्रावधान है इसलिये मंत्री महोदय को बाध्य नहीं किया जा सकता।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न अभी कहां समाप्त हुए, प्रश्न तो अभी पूछने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का एक घंटा होता है वह भी समाप्त हो गया।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने सबसे बड़ा प्रश्न पूछा था कि क्या मंत्री जी कह सकते हैं कि गाड़ी पाकिस्तान नहीं गई है, इतना ही कहदें ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरी बात सुनिये। क्या माननीय सदस्य इस स्थिति में हैं कि गाड़ी पाकिस्तान गई है, न तो आपके पास जानकारी है और न इनके पास जानकारी है जिसके आधार पर कह सकें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आम लोगों में चर्चा है, हो सकता है कि जोशी जी निर्दोष हों लेकिन राजस्थान के आम लोगों में चर्चा है, उन पर कलंक लगाते हैं लेकिन आप इन्क्वायरी नहीं कराते। ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें असफल हो रहे हैं, लोग माननीय सदस्यों से मिलते हैं कोई बात डिस्क्लोज करने का सवाल आता है तो उसमें प्रीविलेज क्लेम करते हैं। फिर कौन सही इन्फोरमेशन देने का प्रयास करेगा ? मुझे इस तरह की पुलिस की तरफ से इत्तिला मिल रही हैं इस इन्वेस्टीगेशन को पुलिस को फिलो नहीं करने दिया जा रहा है, इसको स्पेशल तरीके से दबाव से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से इसकी इन्वेस्टीगेशन होनी चाहिये वह करने नहीं दी जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ लोहारू में पेट्रोल पम्प पर इस कार द्वारा पेट्रोल खरीदा गया इसके लिये माननीय मंत्री

Page No. 33

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय हम से पूछेंगे यह तो साधारण समझ का काम है कि जब इस प्रकार की सूचना है तो पुलिस को इसके लिये जानकारी करनी चाहिये, वह पेट्रोल पम्प के मीजोज देखें। क्या वे यह जानना चाहते हैं कि मेरी मौजूदगी में वहां से पेट्रोल लिया गया? इससे आपकी नीयत साफ जाहिर करती है एक पुलिस अधिकारी कहता है आप इन्वेस्टीगेशन नहीं करने देना चाहते। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहां की पुलिस के हाथ से यह मामला ले लिया जाना चाहिये और इसकी जांच सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन द्वारा कराई जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

माननीय सदस्यों ने इस मामले के इन्वेस्टीगेशन के संबन्ध में जो बातें कहीं उस संबन्ध में मेरा निवेदन है कि आप किस तरफ इस इन्वेस्टीगेशन को लेजाना चाहते हैं? इस संबन्धी डिस्कशन एक दुधारी तलवार की तरह चलता है पुलिस एक लाइन पर जा रही है और यहां की चर्चा को देखकर आप चाहते हैं कि उसका ध्यान जो एक तरफ जा रहा है उसको हटा दें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच महिने से जांच कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मामला पुलिस के अनुसंधान में चल रहा है उस पर इतना वाद विवाद नहीं होना चाहिये। इसका असर डर दबाव का हो सकता है और भी पचासों बातें हो सकती हैं। इन्वेस्टीगेशन हो रहा है उस पर कुछ निर्णय निकल जाय उसके बाद में कुछ कहा जा सकता है। अनुसन्धान की स्टेज पर इतनी चर्चा होना उचित नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सी० आइ० डी० विभाग यहां का इस मामले की जांच करने में बिल्कुल असफल रहा है क्योंकि यह मामला एक केबीनेट मिनिस्टर से संबन्धित है इसके लिए यहां की पुलिस इसको जांच नहीं कर सकती। इसलिये इस मामले को सेन्ट्रल पुलिस को सौंपा जाना चाहिये।

श्री मदनसिंह : इस सदन के साथ अन्याय है जब कि विरोधी पक्ष की मांग है राजस्थान पुलिस इस मामले की इन्क्वायरी नहीं कर सकती इसलिये सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ब्यूरो को यह मामला देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

राजवी श्री रूपसिंह : यह सही है कि एक मिनिस्टर की कार चोरी गई और इनवेस्टीगेशन चलरहा है। यह भी सही है कि यह कार मिनिस्टर के बंगले से चोरी गई है लेकिन जब तक इसका इन्वेस्टीगेशन चल रहा है तब तक इस तरह के गम्भीर इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। यह कार कहां गई, किस तरह से गई, यह सब पुलिस जानकारी कर रही है वैसी हालत में कोई इल्जाम लगाना इस मामले को डेमेज ही करेगा और जो कुछ काम हो रहा है उसमें भी बाधा पैदा होगी। इसके अलावा यह कहना कि इस मामले को Central पुलिस को सौंप देना चाहिये मैं समझता हूँ यह हमारी पुलिस की एफीसियेन्सी

(राजवी श्री रूपसिंह)

को doubt करने का सवाल होगा इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर इस तरह का ज्यादा विवाद न किया जायगा तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कार मंत्री महोदय के घर से गई है और वे केबीनेट के मंत्री हैं उनकी जांच यहां की पुलिस नहीं कर सकती इसलिये इसको पंजाब पुलिस को सौंपना चाहिये या सेन्ट्रल पुलिस को सौंपना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस कार के संबन्ध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने और श्री गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव रखे हैं। पिछले पाँच महिने से यह कार चोरी गई लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लग सका। इसमें एक मंत्री की लापरवाही यह थी कि उन्होंने अपनी कार तो गैरेज में रख दी और सरकारी कार को बाहर ही रख छोड़ा। दूसरी लापरवाही उनकी यह थी कि उसके ताला नहीं लगाया गया तीसरी लापरवाही यह कि तीसरे दिन दोपहर को तीन चार बजे पुलिस को इतला की गई। चौथी लापरवाही यह थी कि माननीय मंत्री महोदय के धारा १६१ के तहत बयानात नहीं हुये दूसरे उनकी धर्मपत्नी के और न उनके लड़के के बयानात हुए। इस तरह से सारे इन्वेस्टीगेशन को मंत्री महोदय अपने प्रभाव से दबाना चाहते हैं। एक तो मंत्री की यह लापरवाही सरकारी कार के संबन्ध में तो उससे यह पता चलता है ये सरकारी सम्पत्ति के मामले में कितने लापरवाह हैं अतः ऐसे मंत्री को तुरन्त बरखास्त किया जाना चाहिये।

दूसरा, माननीय गृह मंत्री ने उपदेश दिया कि श्री विजयसिंह जी रावत के बयानों को धारा १८२ के अन्तर्गत मानकर उनके बयानों से उनको टेप करने की उनकी चाल है। लेकिन आप यह निश्चित मानकर चलिये जब तक हाउस की लीव नहीं होती हाउस की प्रोसीडिंग्ज का किसी भी सदस्य के बयान का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन यह बात सही है जिस प्रकार के बयान माननीय सदस्य ने हाउस को दिये उस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ढाई करोड़ जनता की कमाई का १३ करोड़ रुपया जिस पुलिस प्रशासन पर व्यय हो रहा है, वह पुलिस इसका पता लगाने में नाकामयाब रहती है पांच महिने तक पुलिस इसके फेक्टस फाइन्ड आउट नहीं कर सकी एफ० आइ० आर० जिसको आप सदन में रखना नहीं चाहते। वैसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूँगा कि जिस प्रकार गृह मंत्री ने अपने एक साथी को बचाने का प्रयास किया है, और उनके द्वारा जो सरकारी सम्पत्ति की चोरी करने वाले को पकड़ा नहीं जाना यह साबित करता है कि पुलिस प्रशासन कितना अकर्मण्य है, वैसी हालत में यह होना चाहिये, ऐसे गृह मंत्री को भी तुरन्त पदत्याग करना चाहिये और इस मामले की जाँच सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ब्यूरो को सौंपनी चाहिये। इन बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गृह मंत्री अपने विभाग पर कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इनको इस पद से बरखास्त किया जाना चाहिये।

(घंटी)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपका आदेश हो चुका है अब मैं ज्यादा न कह कर सरकार ने जो इस कार की चोरी के बारे में नीति अपनायी है, उससे हमको रोष है इसके लिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करहे हैं और सरकार को इस नीति पर रोष प्रगट करते हैं।

(जनसंघ दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी इन्क्वायरी सी० आई० डी० पुलिस के द्वारा होनी चाहिये मैं भी सरकार की इस नीति के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(शोर गुल, व्यवधान, शोरगुल)

श्री हीराभाई : मैं पुलिस के मंत्री से चाहूँगा कि वे इस्तीफा दें दें और हरिदेव जोशी को बरखास्त किया जाना चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सन् १९६५ में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जीप चोरी चली गई उसका पता नहीं लगा यह बहुत सीरियस मामला है इसकी सेन्ट्रल पुलिस द्वारा जाँच होनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : इस मामले में सरकार की तरफ से विरोधी दल के सदस्यों की भावना का कद्र नहीं किया जाना यह साबित करता है कि सरकार इस मामले को भी दबाना चाहती है इसके विरोध स्वरूप मैं भी सदन से बहिर्गमन करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन में जो इस बारे में रुख गृह मंत्री ने अपनाया है वह बिल्कुल पक्षपात पूर्ण है उनको चाहिये कि यह मामला उनकी पुलिस के वश का नहीं इसे सेन्ट्रल पुलिस को दिया जाना चाहिये। मैं भी इसके विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार और पुलिस की मिली भगत से यह मामला दबाया जा रहा है वैसी हालत में सही स्थिति सदन के सामने नहीं आ सकती। इस बारे में जो सरकार का रुख है उसको विरोध स्वरूप मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है। यह मामला सेन्ट्रल पुलिस को दिया जाना चाहिये।

(स्वतन्त्र पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह (मकराना) : धोली टोपी मुर्दाबाद (के नारे के साथ सदन से बहिर्गमन)।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ३ देखियें)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील पोकरण के काश्तकारों को नोटिस

९६४. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर में हर काश्तकार को सीलिंग के नोटिस जारी कर दिये गये हैं जब कि उनके पास सीलिंग से अधिक भूमि नहीं है ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(२) क्या यह सच है कि नोटिस सीलिंग से प्रभावित को ही देना चाहिये ? यदि हां, तो इस प्रकार के नोटिस जारी करने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह भी सच है कि भू-राजस्व रेकार्ड से कौन कौन लोग सीलिंग लिमिट में आते हैं, यह जानकारी सहज उपलब्ध है ?

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

कस्बा राजलदेसर में उपभोक्ता भंडार

६६५. श्री रावतराम (छापर सु.) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा राजलदेसर (जिला चूरू) के निवासियों ने वहां पर उपभोक्ता भण्डार खोलने हेतु चार सौ सदस्य बनाये और प्रत्येक का शेयर २५) रु. रखा ?

(२) क्या यह सही है कि सम्बन्धित उपभोक्ता भण्डार के लिये समस्त नियमानुसार कार्यवाही करने के बाद भी अभी तक सम्बन्धित अधिकारियों ने भण्डार की कार्यवाही चालू नहीं की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

१. चूरू जिले के ग्राम राजलदेसर में अलग से उपभोक्ता भण्डार खोलने की कोई योजना नहीं थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित गतिमान कार्यक्रम के अन्तर्गत चूरू होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार का गठन दिनांक २२-४-६६ को हुआ था। इस होलसेल भण्डार की एक शाखा राजलदेसर में खोलने का लक्ष्य था। इस हेतु ग्राम राजलदेसर में ४०० सदस्य बनाये गये एवं उनसे ४१००) रु० हिस्साराशि अंशदान के रूप में ४००) रु० प्रवेश शुल्क के रूप में जमा करवाये गये। यह कुल राशि ४५००) रु० चूरू जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक की राजलदेसर शाखा में जमा है। यह सही है कि होलसेल भण्डार का सदस्य बनने हेतु एक हिस्से का मूल्य २५) रु० रखा गया था।

२. राजलदेसर में अलग से भण्डार खोलने की कोई योजना नहीं है, बल्कि चूरू होलसेल भण्डार की शाखा खोलने का लक्ष्य अवश्य था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। यह भी सही है कि राजलदेसर में शाखा खोलने हेतु पूरी कार्यवाही करली गई थी परन्तु शाखा अभी तक नहीं खुल पाई है। इसका कारण यह है कि होलसेल भण्डार चूरू के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक २७-१२-६७ में यह निर्णय लिया गया था कि भण्डार की अन्य शाखाएं जो खोली गई हैं, वह सब घाटे में चल रही हैं। अत: वर्तमान में अन्य स्थानों पर शाखा नहीं खोली जावे एवम् इस विषय को संचालक मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे। संचालक मण्डल की आगामी बैठक नहीं हो पाई है, जिसके कारण राजलदेसर में शाखा नहीं खोली जासकी है। विभाग की ओर से ग्राम राजलदेसर में होलसेल भण्डार चूरू की शाखा खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही संचालक मण्डल मामले में विचार कर उचित निर्णय लेगा।

पाली जिले में लगान की वसूली

६६७. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में संवत् २०२० के लगान में छूट करने की घोषणा की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इसी कारण संवत् २०२० का लगान वसूली का कार्य स्थगित रखा था ?

(३) क्या यह सही है कि कई पटवारियों द्वारा यह रकम मय ब्याज के बाद में वसूल करली गई ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार ने वसूल शुदा रकम की एवज में आगे की रकम वसूल न करने (एडजस्ट) की आज्ञा दी थी ?

(५) क्या यह सही है कि उस आज्ञा का अभी तक पालन नहीं किया गया है ?

(६) यह रकम पूरे जिले की कितनी है और अब सरकार द्वारा इसको एडजस्ट करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, सम्वत् २०२० रबी के लगान में छूट दी गई थी ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । यह रकम वसूल करली गई थी मगर ब्याज अकाल स्थिति के समय का वसूल नहीं किया गया ।

(४) जी नहीं, राज्य सरकार से वसूल शुदा राशि के अगले वर्षों में एडजस्ट करने हेतु आदेश नहीं दिये थे राज्य सरकार को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि छूटी हुई रकम का कुछ हिस्सा वसूल हो गया है ।

(५) राज्य सरकार से इस प्रकार के आदेश न होने के कारण पालन नहीं करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

(६) सम्वत् २०२० रबी फसल के छूट की राशियों में से रुपये ५,०१,८२६ वसूल कर लिये गये थे, अब इस वसूल शुदा राशि को संवत् २०२४ के रबी फसल के लगान पेटे एडजस्ट करने के आदेश कलेक्टर की तरफ से प्रसारित किये जा चुके हैं ।

राजकीय अस्पताल खण्डार

६६८. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कस्बा खण्डार में राजकीय अस्पताल है ?

(२) उक्त अस्पताल में किस तारीख से डाक्टर नहीं है ?

(३) क्या सरकार के यह इल्म में है कि खण्डार तहसील भर में अन्य कोई अस्पताल नहीं है और न डाक्टर ?

(४) सरकार द्वारा उक्त अस्पताल में डाक्टर कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां। खण्डार में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

(२) १२-६-६७ से।

(३) खण्डार तहसील में एक अन्य डिस्पेन्सरी ग्राम वालोर में है पर इसमें डाक्टर का स्थान रिक्त है।

(४) दिनांक १३-३-६८ को डाक्टर हालदार की नियुक्ति के आदेश कर दिये गये हैं।

ग्राम बुरहान का तला में यूनानी दवाखाना

६६९. श्री अब्दुलहादी (चौहटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गांव बुरहान का तला, तहसील चोहटन में कितने साल से यूनानी दवाखाना है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त दवाखाने में करीब तीन साल से कोई हकीम नियुक्त नहीं है और न ही कोई चिकित्सा व दवाइयों की व्यवस्था है ?

(३) सरकार का उक्त दवाखाने में हकीम नियुक्त करने व दवाइयों का प्रबन्ध करने के बारे में क्या विचार है ?

उत्तर

(१) गांव बुरहान का तला में ११ साल से अर्थात् १-११-५६ से यूनानी दवाखाना चालू है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली जिले की पंचायतों में गबन के मामले

९७०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या पंचायत विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ज्यों ही पंचायत इन्सपेक्टर गबन की रिपोर्ट ला कर जिलाधीश कार्यालय में पेश करे, तीन दिन के भीतर भीतर उस रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानी चाहिये ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त निर्णय नवम्बर ६, १९६५ को लिया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) पाली जिले में जिन जिन इन्सपेक्टरों (पंचायत सहायकों) ने पिछले चार सालों में गबन के मामलों की रिपोर्ट पेश की उनमें से कितने मामलों को पुलिस विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है ? उन सारे मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें जिनमें गबन की रिपोर्ट पंचायत सहायकों ने पेश कर दी है।

(४) क्या यह सत्य है कि पाली जिले में पंचायत सहायकों ने व आडिट विभाग ने कम से कम १०० मामले गबन के जांच करके

(श्री मूलचन्द डागा)

रखे हैं ? यदि हां, तो आज तक उन पर क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

उत्तर

१. धन के दुरुपयोग व गबन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।

२. उक्त निर्णय ६-११-६५ को लिया गया और उसकी अनुपालना में २६-११-६५ को आदेश प्रसारित किये गये हैं। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी गई है।

(३) पुलिस मे जांच के लिए ७ मामले दिये गये। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

४. जी नहीं। इन मामलों में गबन प्रतीत नहीं हुआ बल्कि सरपंचों एवं सचिवों की नासमझी से वित्तीय भूलें हुई हैं जिनके लिये उनके उत्तर मांगे जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम वायतू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

६७१. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गांव वायतू तहसील बाड़मेर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खुला हुआ है ? यदि हाँ, तो यह केन्द्र किस भवन में चलता है ?

(२) क्या यह सही है कि १०,०००)रु. जनता की ओर से इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार के पास चार साल पूर्व जमा करा दिये थे ? यदि हां, तो अब तक भवन-निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। यह केन्द्र जनता द्वारा दिये हुए भवन में चल रहा है।

(२) जी हां। धनराशि के अभाव के कारण भवन निर्माण नहीं हो सका।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाने वाले कानून

६७८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि संविधान के अन्तर्गत जिन विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कानून बनाने के समान अधिकार हैं उनमें केन्द्रीय सरकार कोई भी कानून संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार की सलाह और सम्मति के लिये सम्बन्धित बिल राज्य सरकार को भेजती है ?

(२) क्या केन्द्रीय सरकार ने "इन्डस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स बिल १९६७" और "अनलॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेन्शन बिल, १९६७" के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सम्मति ली थी ? यदि हाँ, तो कब ?

(३) राज्य सरकार ने इन दोनों बिलों के सम्बन्ध में अपनी क्या क्या राय भेजी थी ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(४) क्या राज्य सरकार जानती है कि इन कानूनों के अमल में आने से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ जायेगा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस राय से अवगत कराया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

१. अपेक्षित नहीं है। भारत सरकार की इच्छा पर निर्भर है।

२. इन्डस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स बिल १९६६ के लिए राज्य सभा सचिवालय ने राज्य सरकार की सम्मति चाही थी जिस पर यहां से उस बिल के बाबत नवम्बर, ६७ में कुछ सामान्य संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया था।

अनलाफुल एक्टीविटीज (प्रिवेन्शन) बिल, १९६६ का अध्यादेश (आर्डीनेन्स) भारत सरकार द्वारा जारी करने से पहले राज्य सरकार को नहीं भेजा गया था।

३. इन्डस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स बिल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि इस बिल के अन्तर्गत गठन की जाने वाली फोर्स का नाम इन्डस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स रखा जावे तथा बिल की धारा ४ के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी का पद नाम डाईरेक्टर रखा जावे व उसकी सहायता के लिए जाइन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर तथा असिस्टेन्ट डाइरेक्टर नियुक्त किये जावें न कि आई० जी० पी० फोर्स, डीवाई० आई० जी० पी० फोर्स आदि।

४. भारत के संविधान के परिशिष्ट ७ में कान्करेन्ट लिस्ट के हर विषय पर पार्लियामेन्ट को धारा २४२ (२) के अन्तर्गत कानून बनाने का अधिकार है और कानून बनाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार के लिए राज्य सरकार से परामर्श करना विधान के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बारां मंडी से अनाज ले जाने के परमिट

५३०. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिले में किस किस तहसील में कितने कितने गांव सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि तहसील शाहबाद, किशनगंज एवं मांगरोल के सीमावर्ती गांव के लोग बारां मंडी से खाने के लिये गल्ला खरीद कर बिना परमिट नहीं ले जा सकते ?

(३) इन सीमावर्ती गांवों के लोगों को खाने के लिये जवार आदि गल्ला बारां मंडी से ले जाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

उत्तर

१. कोटा जिले में जिन जिन तहसीलों के गांव सीमावर्ती क्षेत्र (१० मील व ५ मील)

Page No. 41

खाद्य (खत्री)

में आते हैं, उनकी सूची, सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. जी नहीं। दी राजस्थान फूडग्रेन्स (रेस्ट्रिकान्स ओन बोर्डर मूवमेन्ट) आदेश १९५९ के तहत, तहसील, शाहबाद, किशनगढ़ एवं मांगरोल के सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी बारां मंडी से एक क्विन्टल खाद्यान्न बिना किसी परमिट के ले जा सकते हैं। यदि ये निवासी एक क्विन्टल से ज्यादा खाद्यान्न ले जावें तो जिलाधीश से उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता है।

३. इसका उत्तर प्रश्न नं० २ के उत्तर में आ चुका है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

कोटा जिले की खाद्यान्न वितरण कमेटी

५३१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले में आम चुनाव, ६७ के बाद तीन माह में खाद्यान्न वितरण कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई? यदि हां, तो किन कारणों से?

(२) क्या यह सही है कि कोटा जिले में गल्ला व चीनी वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें जनता द्वारा एवं समाचार पत्रों के द्वारा आई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

(३) कोटा जिले के बारां, छबड़ा, रामगंजमण्डी एवं कोटा उपजिला केन्द्रों पर आम चुनाव, ६७ के बाद तीन माह में कितनी बोरी गल्ला एवं कितनी बोरी चीनी प्रतिमाह किस किस प्रकार से किन किन तारीखों में वितरण की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि बारां, छबड़ा, रामगंजमण्डी आदि क्षेत्रों में गल्ला व चीनी वितरण सम्बन्धीत कोई कमेटी नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो किन कारणों से नहीं बनाई गई?

उत्तर

१. यह सही नहीं है। खाद्य वितरण समिति की बैठक बुलाई गई थी?

२. गल्ले के वितरण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायत न तो कभी जनता द्वारा की गई और न समाचार पत्रों द्वारा ही आई। चीनी के वितरण के सम्बन्ध में अलबत्ता कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, सूची संलग्न है।

३. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

४. जी हां, यह सही है। राज्य सरकार ने इसकी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि जिला स्तर पर ऐसी कमेटी कायम है। राज्य

(खाद्य मंत्री)

सरकार के पास इस बाबत कोई सुझाव भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

लेवी की वसूली

५३२. सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान गेहूं उत्पादन आदेश (उत्पादन पर अधिग्रहण), १९६७ को जारी करने के अधीन कितनी लेवी वसूल की गई और कितनी लेवी वसूल करने का लक्ष्य रखा गया था ? जिलेवार दोनों प्रकार के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त आदेश की अवज्ञा के सिलसिले में कुल मुकदमें न्यायालयों में दर्ज करवाये गये और उनमें कुल कितने व्यक्तियों को सजा हुई ? इनमें से कितने मुकदमें वापिस लिये गये ? इसके जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सम्बन्धित आदेश का सही नाम है राजस्थान गेहूं प्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट उत्पादकों पर लेवी) आदेश १९६७ इसके तहत २९७६१६-५४-० १९ क्वि० गेहूं प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था व कुल १९६५८१-०६-२०१ क्वि० गेहूं लेवी में वसूल हुआ जिसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

पंचायत समिति, उनियारा द्वारा बीज की खरीद

५३३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक द्वारा वर्ष १९६७ में गेहूं का बीज खरीदा गया था ? यदि हां, तो कुल कितना और किस किस रेट पर ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ गल्ला स्थानीय काश्तकारों से ४२) रु., ४३) रु., ४४) रु० मन के हिसाब से लिया गया था जब कि कोटा से ४८), ५०) रु. मन से खरीदा गया ? यदि हां, तो भावों में इतने अन्तर पर कैसे खरीदा गया ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने इन दोनों दरों को मान्यता दे दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि स्थानीय काश्तकारों से जो गल्ला लिया गया उनको पूरा भुगतान नहीं दिया गया ? यदि हां,

(श्री दिग्विजयसिंह)

तो क्यों ? यदि नहीं, तो कुल कितना भुगतान किया गया ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, नगर के विरुद्ध गबन का मामला

५३४. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच समिति, देवली जिला टौंक, सरकार द्वारा गबन के आरोप में निलंबित व बाद में ३ वर्ष के लिए डिबार कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त आरोप भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध सही पाए गए थे ? यदि हां, तो फिर उक्त सरपंच के विरुद्ध अदालत में कार्यवाही धारा ४२० व ४०६ में क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

१. सरपंच को सस्पेन्ड नहीं किया और गबन के आरोप में डिबार भी नहीं किया गया।

२. जी नहीं। न्यायालय द्वारा श्री निवास को डिस्चार्ज कर दिया गया।

डेगाना-खाटू सड़क का कार्य

५३५. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डेगाने से खाटू सड़क की मंजूरी किस वर्ष हुई तथा यह सड़क पूरी हो चुकी है या बीच में से कुछ अधूरा काम छोड़ दिया गया है ?

(२) इस अधूरी सड़क को इस वर्ष पूरा करवाने का प्रावधान है या नहीं ?

उत्तर

(१) अकाल राहत कार्यों में यह सड़क ६३-६४ में स्वीकृत की गयी थी इस सड़क का काम अधूरा है।

(२) जी नहीं।

गंगानगर जिले में पशु चिकित्सालय

५३६. **श्री बीरबल** (संगरिया सु.)- क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) इस समय गंगानगर जिले के समस्त क्षेत्र में कितने चिकित्सालय हैं ? तहसीलवार पूरा ब्यौरा बताया जावे।

(२) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की तहसील टीबी के समस्त क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो गांव टीबी में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(पशुपालन मंत्री)

उत्तर

(१) गंगानगर जिले में, पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा ३ चल पशु चिकित्सा ईकाई हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची के अनुसार है।

(२) जी, हां। राज्य सरकार की विषम आर्थिक स्थिति के कारण अभी राज्य सरकार का वहां पशु चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

भारत-पाक संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त कुओं की मरम्मत

५३७. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर)–क्या राजस्व (सैनिक सहायता) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सन् ६५ के भारत-पाक संघर्ष के समय जैसलमेर जिले के सीमा क्षेत्रों में पाक घुसपैठियों ने पीने के पानी के २७ कुओं को तोड़ फोड़ दिया था ? यदि हां, तो उनकी अब तक मरम्मत क्यों नहीं कराई गई ?

उत्तर

सन् ६५ के भारत-पाक संघर्ष के समय इस जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पाक घुसपैठियों ने पीने के पानी के ३३ कुओं को तोड़ फोड़ दिया था। इन कुओं को मरम्मत हेतु राज्य सरकार से गत साल ३३,००० रु० स्वीकृत हुए थे। कुओं की मरम्मत करवाने का कार्य पंचायत समितियों को सुपुर्द किया गया था मगर वे मरम्मत न करवा सके। तत्पश्चात् वन निर्माण विभाग को मरम्मत करवाने का कार्य सौंपा गया था मगर वे भी यह कार्य नहीं करवा सके।

इस वर्ष १६००१ रुपये स्वीकृत किए गए हैं एवं अब इन कुओं की मरम्मत का कार्य सीमा सुरक्षा दल व आर. ए. सी. को सौंपा गया है।

तहसील पाटन के अकालग्रस्त ग्राम

५३८. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) तहसील पाटन जिला बूंदी के कितने ग्राम गत वर्ष अकालग्रस्त घोषित किए गये थे और उनके नाम क्या हैं ?

(२) क्या ग्राम मोर बूंदणा, गोठड़ा, गोपालपुरा, लोहली व भेवखेड़ा के काश्तकारों से साल गुजिश्ता का लगान वसूल करने के आदेश तहसीलदार पाटन ने पटवारी को दिये थे ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या इन ग्रामों की वसूली करली गई है ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं करने के विरुद्ध शिकायतें

५३९. श्री दौलतराम सारण (डूंगर-

(श्री दौलतराम सारण)

गढ़)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पैदावार गोश्वारा को आधार मानकर कृषि पैदावार में हानि आठ आने से अधिक आंकी गई फसल नुकसान की स्थिति के बाबत कलेक्टर द्वारा तीन दिन की अवधि के नोटिस द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों एवं ग्रामवासियों से टेनेन्सी नियम ३५ के तहत आपत्ति व एतराज का प्रावधान है ? तहसीलों में संचार और यातायात की सुविधाओं से वंचित दूर दूर फैले ग्रामों के लिए ऐतराज व आपत्ति की अवधि तीन दिन रखना क्या सरकार पर्याप्त समझती है ? यदि हां, तो किस आधार पर, नहीं तो फिर क्या प्रावधान करने का विचार है और कब तक ?

(२) राजस्व कर्मचारियों द्वारा फसल गिरदावरी में आठ आने से कम गलत ढंग से हानि दर्ज कर देने पर ऐतराज की कोई व्यवस्था नही है ?

(३) आठ आने से अधिक फसल की हानि वाले गांवों में ही नहीं अपितु क्षेत्राधीन सभी गांवों की फसल गिरदावरी के अंकन इन्द्राज के सम्बन्ध में आपत्ति उठाने के प्रावधान १५ दिन की अवधि देकर किए जाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ? यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो कब तक ऐसी व्यवस्था करदी जायगी ?

(४) क्या राज्य सरकार के पास गलत गिरदावरी करने के कारण अभावग्रस्त गांवों में भी जामना अंकित करके उन्हें अभावग्रस्त घोषित नहीं करने की शिकायतें पंचायतों पंचायत समितियों, जिला परिषदों द्वारा य उनके सरपंचों, प्रधानों, प्रमुखों द्वारा चूरू जिले से इस वर्ष और गत वर्ष प्राप्त हुई थी ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(५) नियमों में ऐतराज सुनाने का समुचित प्रावधान व होने के कारण ही ऐसी शिकायतें दूर नहीं हुई ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है कि पैदावार गोश्वारा को आधार मानकर कृषि पैदावार में हानि आठ आने से अधिक आंकी हुई फसल नुकसान की स्थिति में सम्बन्धित ग्रावासियों से टिनेन्सी नियम ३५ के अनुसार आपत्ति व एतराज मांगने का प्रावधान है जो पर्याप्त है।

(२) यह सही नहीं है राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर गिरदावरी पंच, सरपंच एवं मुखिया के साथ की जाती है।

(३) जांच के पश्चात् अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती।

(४) ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराई गई और उन्हें तथ्यहीन पाया गया।

(५) नियमों में एतराज के सुनने का प्रावधान समुचित है। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

चिकित्सा विभाग में डाक्टरों, अस्पतालों तथा औषधियों आदि पर व्यय

५४०. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न मुद्दों पर कितना व्यय किया गया:--

(१) डाक्टरों, नर्सों आदि की तनख्वाहों पर,

(२) अस्पतालों में नये भवनों के निर्माण पर,

(३) अस्पतालों में काम आने वाली मशीनरी एवं औजारों पर, व

(४) निःशुल्क वितरण होने वाली औषधियों पर।

(ख) क्या डाक्टरों को नॉन प्रेक्टिसिंग एलाउन्स देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी या है ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

उत्तर

(क) ३१ मार्च १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में पूछे गये मुद्दों पर अनुमानित व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

डाक्टरों व नर्सों आदि के वेतन के आंकड़े अलग अलग नहीं हो जाते हैं । अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

अधिकारियों के वेतन पर	-	५२,३८,०००) रु०
(१) कर्मचारियों के वेतन पर	-	१,१८,६१,०००) रु०
(२)		७,२६,०००) रु०
(३)		३८,३७,०००) रु०
(४)		६३,५१,०००) रु०

(ख) डाक्टरों को नॉन-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स देने की योजना को सिद्धान्त रूप से राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे अभी क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हो सका है। राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर लागू किया जावेगा। इस समय डाक्टरों को विज्ञप्ति क्रमांक एफ. २ (बी) (११८)/एफ. डी. (इ. आर.)/६५-१ दिनांक २८-७-६६ अनुसार नॉन-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ठ ६ देखिये)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, ऋषभदेव का भवन

५४१. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा सु०) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि प्राइमर हैल्थ सेन्टर, ऋषभदेव, जिला उदयपुर का काम काज पुरानी बिल्गि (भवन) में चल रहा है ?३

Page No. 47

(श्री विद्यासागर)

(२) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए वह भवन पूर्ण नहीं है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने भवन बड़ा बनाने के लिये कोई नक्शा व भवन बनाने के लिये एस्टीमेट बनाया है ?

(४) क्या यह सही है कि ऋषभदेव के नागरिकों ने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिये दस हजार रुपया जमा कराया है ? यदि हां, तो कब और उन रुपयों का क्या उपयोग हो रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। केवल वर्तमान भवन में आवर्तन-परिवर्तन के लिये।

(४) जी हां। यह रकम २०-६-६२ को जमा कराई है। यह रकम ३ उप-केन्द्रों के निर्माण हेतु जमा कराई गई है।

चूरू नगर में पिकनिक पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी

५४२. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः--

क्या यह सही है कि चुरू नगर में तारीख १३-१०-६७ को रात्रि के साढ़े दस बजे एक पिकनिक पार्टी को जिसमें कि चूरू नगर के प्रमुख व्यापारी एवं नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष व राज्य कर्मचारी शामिल थे पुलिस थानेदार ने गिरफ्तार किया ? अगर हां, तो उनकी गिरफ्तारी का क्या कारण था ? और फिर आगे क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

चूरू नगर में सेठानी के जोहड़े पर दिनांक १३-१०-६७ की रात्रि के साढ़े दस बजे एक पिकनिक पार्टी जिसमें चुरू नगर के १७ व्यक्ति शामिल थे। इनमें कोई भी नगर पालिका का भूतपूर्व अध्यक्ष नहीं था। पुलिस थानेदार ने इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। ये सभी व्यक्ति पिकनिक करके वापस चुरू नगर में लौट रहे थे। भंग के नशे में चूर लड़खड़ाते चले आरहे थे। चुरू नगर के थानेदार जोगेन्द्रसिंह एस० आई० भी मुखबिर की इस इत्तला पर कि सेठानी के जोहड़े पर कुछ आदमियों द्वारा जुआ खेला जा रहा है इसलिये उनको दबीश देकर पकड़ने के लिये बस को लेकर फोर्स सहित सेठानी के जोहड़े पर जा रहे थे। रास्ते में ये लोग लौटते हुये दिखाई देने पर इनसे श्री जोगेन्द्र सिंह ने जुआ के सामान तास आदि के लिये मालूम किया। इनके पास तीन चार जोड़ी तास व चौपड़ मिली। भंग के नशे में चूर होने के कारण उन १७ व्यक्तियों में से कुछ के बस में बैठने के लिये थानेदार श्री जोगेन्द्र सिंह से कहा और उनके इजाजत देने पर सभी बस में बैठ गये। बस उनके चुरू कोतवाली ले आई जहां उनका नाम पता पूछ कर उन समस्त १७ व्यक्तियों को जाने की इजाजत श्री जोगेन्द्रसिंह एस० आई० के द्वारा दे दी गई।

(श्री लाभ चन्द वैद)

उक्त १७ व्यक्तियों द्वारा श्री जोगेन्द्रसिंह एस० आई० के विरुद्ध प्रस्तुत हुये परिवाद की जांच वृताधिकारी चुरू ने की तो जांच से परिवाद झूंठा पाया गया।

घुड़ सवार पुलिस पर व्यय

५४२. **श्री मेघराज (चुरू)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में घुड़ सवार पुलिस किस किस जिले में है और उसमें कितने कितने घोड़े रखे हुए हैं ?

(२) घुड़ सवार पुलिस के प्रति घोड़े का सालाना क्या खर्च आता है।

उत्तर

(१) राजस्थान में घुड़सवार पुलिस जिला जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में है। इनमें जिला जयपुर के अतिरिक्त ११-११ (ग्यारह-ग्यारह) घोड़े रखे हुये हैं। जयपुर जिले में २२ घोड़े रखे हुये हैं।

(२) घुड़सवार पुलिस के प्रति घोड़े का सालाना खर्चा ३७५५) रु० होता है।

स्थगित प्रश्न

(२१-३-६८)

ग्राम बम्मोलिया के शहीद सैनिक के परिवार का सरकार द्वारा पोषण

३४५. **श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा)** : क्या राजस्व (सैनिक कल्याण) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के ग्राम बम्मोलिया का एक सैनिक चाइना वार में काम आया था ? यदि हां, तो उसके परिवार के पोषण की क्या व्यवस्था राज्य सरकार ने की ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सैनिक के परिवार को आज तक भी कोई भूमि सरकार द्वारा नहीं दी गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त परिवार के ग्राम में पीने के पानी के लिये ट्यूब वैल लगाये जाने का मौखिक आदेश कलेक्टर ने दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या सोच रही है ?

(४) क्या यह सही है कि इस सैनिक की यादगार में एक मिडिल स्कूल सरकार द्वारा खोले जाने की योजना थी ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां।

भूतपूर्व सैनिक श्री जगमालसिंह भारत-चीन संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए।

१. १५,००रु० की सहायता (५०० रु० नकद एवं १,००० रु० के नेशनल डिफेन्स फंड सर्टिफिकेट)।

२. ११ बीघा १० बिस्वा असिंचित भूमि काश्त के लिए आवंटित की गई।

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री)

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(२१-३-६८)

जिला टौंक पंचायतवार शक्कर का कोटा

३८८. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला टौंक में पंचायतवार शक्कर का कोटा निर्धारित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कुल कितनी कितनी किस किस पंचायत के लिए निर्धारित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि माह दिसम्बर, १९६६ का शक्कर का कोटा ग्राम पंचायत नगर, तहसील देवली को प्राप्त नहीं हुआ और वहां के ग्रामवासियों को उस माह शक्कर नहा दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय जिला खाद्य अधिकारी को शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो कब ? उस पर क्या कार्यवाई हुई ?

(४) क्या यह सत्य है उस माह का शक्कर का कोटा कोई और ले गया जिसकी रिपोर्ट जिला खाद्य अधिकारी टौंक को करने पर भी कुछ कार्यवाही नहीं की गई ?

उत्तर

(१) ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर शक्कर का कोटा प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिलाधीश कार्यालय टौंक से ग्राम नगर के लिये माह दिसम्बर, ६६ को ८ (आठ) बोरी शक्कर का परमिट दिनांक १७-१२-६६ को जरिये डाक ग्राम नगर के अधिकृत डीलर को भेजा गया। परन्तु थोक व्यापारी के यहां से माल उठाया जाना नहीं पाया गया। जब डीलर ने इस माह की चीनी उठाई ही नहीं तो यह स्पष्ट है कि वितरण नहीं हुआ है।

(४) इस सम्बन्ध में दिनांक २३-३-६७ एवं ११-४-६७ को प्रार्थना पत्र श्री चिरंजीलाल पुत्र श्री फुलचन्द जैन, निवासी नगर द्वारा जिला रसद कार्यालय में प्राप्त होने पर जांच की गई जिसके अनुसार दिसम्बर, १९६६ की शक्कर नहीं उठाई गई।

(४) यह सही नहीं है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति द्वारा माह दिसम्बर की चीनी उठाई ही नहीं गई है तो दूसरे को ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अलबत्ता माह जनवरी, ६७ की चीनी अन्य व्यक्ति द्वारा दिनांक ३१-१-६७ को उठाली गई उसके लिये कार्यवाही जिला रसद अधिकारी टौंक द्वारा की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

चोरी एवं कत्ल के मामले

३६५. श्री हंसराज (भादरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सन् १९६४-६५, ६५-६६, ६६-६७, में कुल कितनी चोरियां और कत्ल के मामले हुए हैं ? जिलेवार व सालवार चोरी और कत्ल के मामलों की संख्या बताई जावे।

(२) कत्ल के मामलों में कितने कातिल गिरफ्तार होकर सजा पा चुके हैं और कितने मामलों में कातिल गिरफ्तार नहीं हुए है ?

(३) चोरियों में कुल कितना सामान गया और उसमें से कितने रुपयों का अनुमानतः सामान बरामद हुआ और कितने चोरों को सजा मिली तथा कितना सामान बरामदगी से बाकी रहा और चोरियों के चोर नहीं पकड़े गये ?

(४) बकाया कत्ल और चोरियों के मामलों में अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में सन् १९६४ में कुल ४६६ कत्ल और १५४१४ चोरियां, सन् १९६५ में कुल ५२० कत्ल एवं १४६७५ चोरियां, सन् १९६६ में कुल ५३१ कत्ल एवं १६४८६ चोरियां तथा सन् १९६७ में कुल ५७५ कत्ल एवं १७१७१ चोरियों के मामले दर्ज हुए थे। सूची जिलेवार एवं सालवार साथ में संलग्न है।

(२) कुल ६६४ अपराधी कत्ल के मामलों में गिरफ्तार होकर सजा पा चुके हैं तथा २१४ कत्ल के मामलों के अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सके (इस में कोटा, बाड़मेर, सवाई-माधोपुर जिलों की संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि सूचना अभी आनी शेष है)

(३) कुल २,६७,८८,५६०.९१ नये पैसे (कुल दो करोड़ सड़सठलाख इठियासी हजार पांच सौ साठ रुपये इक्यान्वे पैसे, का किमती सामान चोरी गया था और इसमें से कुल रु० १.२९,८६,०१४ ४४ नये पैसे, एक करोड़ उन्नतीस लाख छियासी हजार चौदह रुपये चौवालीस पैसे, का किमती सामान वापिस बरामद किया जा चुका है, तथा १,३८,०२,५४६.४७ (एक करोड़ अड़तीस लाख दो हजार पांच सौ छीयालीस रुपये सेतालीस पैसे का, सामान बरामद करना शेष रहा है चोरियों के मामलों में कुल ७६०३ अपराधियों को अदालतों से सजा हो चुकी है। तथा २५७८६ चोरी के मामलों के अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सके (इसमें जिला कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, पाली एवं सिरोही को सूचना शामिल नहीं है)।

(४) जिन जिन कत्ल एवं चोरियों के मामलों में अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं उनके लिए विशेषतौर पर जिला पुलिस और अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा) से विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये जाकर ऐसे मामलों का पता चलाने की पूर्ण कोशिश की जा रही है।

)कृपया परिशिष्ठ ७ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

सड़कों की मरम्मत

४०६. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता रोड व मेड़ता सिटी के बीच की पुरानी सड़क को नये ढंग से तैयार कराया गया ? यदि हां, तो इसमें कितनी रकम लगाई गई ?

(२) क्या यह सही है कि उस सड़क की हालत अब पहले से भी बदतर है, व उस पर अब तक डामर नहीं कराया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि अकाल-राहत कार्य के तहत ग्राम डोडीयान (तहसील डेगाना) से टेला तक सड़क का निर्माण कराया गया ?

(४) क्या यह सही है कि वह सड़क टूट-फूट कर दुर्दशा ग्रस्त व यातायात के उपयुक्त नहीं रही ?

(५) क्या यह सही है कि मेड़ता से पुष्कर, पीपाड़, रेन, डेगाना, नागौर, जैतारण जाने वाली सभी सड़कें बहुत खराब हैं ?

(६) क्या सरकार उपरोक्त सड़कों को ठीक कराकर यात्रियों व बसों, ट्रक वालों को सुविधा देना चाहती है ?

उत्तर

(१) जी हां, १,३३,१६६) रु० अकाल राहत कार्यों में व्यय हुआ है।

(२) जी हां, डामर कार्य तृतीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

(३) २ मील ग्रेवल रोड निर्माण कराया गया है।

(४) यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(५) सड़कों की दशा साधारण है।

(६) मरम्मत व देखरेख विभागीय गैंग द्वारा होती रहती है।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

हनुमानगढ़ से सिरसे तक पक्की सड़क बनाने की योजना

४१०. **श्री बीरबल** (संगरिया सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या हनुमानगढ़ जंक्शन से वाया पीर-कामड़िया सुरेवाल से होती हुई सिरसे को पक्की सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है, जिससे दिल्ली से हनुमानगढ़ गंगानगर का सीमावर्ती क्षेत्र से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सके ?

(श्री बीरबल)

उत्तर

यह सड़क तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं हुई है और चतुर्थ योजना का क्या रूप होगा निश्चित नहीं है अतएव नवीन निर्माण के प्रस्तावों पर विचार का प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

गुढ़ा से उदयपुरवाटी सड़क का निर्माण कार्य

४११. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झुन्झुनूं जिले में गुढ़ा से उदयपुरवाटी सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था तथा अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है ? योजना के अनुसार इस सड़क का कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिए था ।

उत्तर

झुन्झुनूं से श्री माधोपुर वाया गुढ़ा उदयपुरवाटी का कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था गुढ़ा-उदयपुरवाटी का भाग जनवरी १९६४ में शुरू किया गया था सम्पूर्ण सड़कें २५ मील पूरी हो चुकी हैं । यह सड़क योजना अनुसार तीसरी योजना के अंत तक होने को थी ।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

४१२. श्री बीरबल (संगरिया सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्व तहसील टिबी के कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष (१९६८) में भवन का पूर्ण निर्माण करवाया जा सकेगा ?

उत्तर

जी हां, भवन निर्माण की स्वीकृति इस विभाग को राजस्व विभाग से प्राप्त नहीं हुई है । अतएव भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

तहसील परबतसर में ग्राम रास्तों के कटाव की भूमि का क्षेत्रफल

४२१. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) तहसील परबतसर में ग्राम रास्तों के कटाव की कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है ?

(२) धारा ९१ के तहत उक्त भूमि में से कितनी भूमि के लिये कितने किसानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई व जुर्माना किया गया ग्राम वाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री विजयसिंह)

उत्तर

(१) तहसील परवतसर के ग्राम रास्तों के कटान का कुल क्षेत्रफल १४०६६) १ बीघा है।

(२) धारा ६१ के तहत उक्त भूमि में से अतिक्रमण करने वाले २८८ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिन पर ३८२७ २४ पैसे जुर्माना आरोपित किया गया है। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

छीपाबड़ोद व छबड़ा तहसीलों के पटवार सर्किल

४२३. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील छीपाबड़ोद व तहसील छबड़ा में कितने पटवार सर्किल हैं ?

(२) प्रत्येक पटवार सर्किल में कितनी कितनी जमीनें एलॉट हो चुकी हैं और अब कितनी जमीनें काश्तकारों को काश्त करने के लिए एलॉट होनी हैं ?

(३) छबड़ा तहसील में पटवार सर्किल दीलोद, ग्राम पंचायत दीलोद में कितनी जमीन सन् १९६६ व १९६७ में एलॉट की गई है व जो जमीन एलॉट की गई है वह क्या भूमिहीन काश्तकारों को एलॉट की गई है तथा क्या वे इसी क्षेत्र के रहने वाले भूमिहीन किसान हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ? व साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि क्या एलॉटमेन्ट कमेटी ने जंगलात की भी जमीनें अलॉट कर दी थीं ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों संबन्धी व्यवस्था।

श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने तहसील नोहर के गाँव सोनड़ी में एक जाट के घर पर चार आदमियों द्वारा पुलिस की वर्दी में आकर माल लूट ले जाने संबन्धी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री श्रवणलाल सदस्य विधान सभा ने भी जिला सवाई माधोपुर के सब डिवीजन करौली तहसील सपोटरा के कुड़गांव की माइन्स विभाग की चौकी पर तैनात चौकीदार की दिनांक २४-३-६८ को रात्रि को हत्या किये जाने से संबन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये दोनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। इसके अलावा ये मामले राज्य में लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था से संबन्धित है अतः इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना संभव नहीं होगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

मेवाड़ शूगर मिल्स लि० भूपालसागर द्वारा किसानों को गन्ने की कीमत का लाखों रुपयों का भुगतान न किये जाने तथा मालिक को ही गन्ना बेचने के लिये पाबन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामानन्द अग्रवाल, व श्री रामकुमार नन्दवाना, सदस्य, विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं।

इन स्थगन प्रस्तावों का विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एसेन्शियल कॉमोडिटीज एक्ट, १९५५ की धारा ३ के अन्तर्गत शूगरकेन कन्ट्रोल आर्डर १९६६ जो प्रसारित किया है उसके तहत यदि मालिक द्वारा समय पर भुगतान न किया जाय या उसके खिलाफ कोई शिकायत हो तो मिल मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना संभव नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री गंगासहाय, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को अभी तक वही महंगाई भत्ता मिल रहा है जो उन्हें एक नवम्बर १९६७ से पहले मिलता था जब कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना संभव नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्थगित प्रश्न तो छूट गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेवाड़ शूगर मिल के सम्बन्ध में......

श्री रामकुमार नन्दवाना : उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में लाखों मन किसानों के गन्ने का......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री रामकुमार नन्दवाना : मैं व्यवस्था को मान्यता देता हूँ, लेकिन किसानों को पेमेन्ट अभी तक नहीं दिया गया है। किसानों का पेमेन्ट मेवाड़ शूगर मिल में बाकी है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इसमें व्यवस्था दी जा चुकी है। और कानून में प्रावधान है, अगर मिल मालिक भुगतान न करे तो उसको सजा दी सकती है। तीन साल की सजा और जुर्माना भी है। उस कानूनी प्रावधान का उपयोग कीजिये।

श्री रामकुमार नन्दवाना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें कि आखिर मेवाड़ शूगर मिल के बारे में क्या

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

करना चाहते हैं, किसानों का पेमेन्ट किस प्रकार से करना चाहते है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़ा में भी निवेदन करना चाहता हूँ ....

श्री उपाध्यक्ष : बात करके जानकारी कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पांच हजार किसानों का मामला है और उसके अन्दर माननीय मंत्री जी ने सौलह लाख कहा, लेकिन मेरी जानकारी में तीस लाख है। किन किन का कितना अमाउन्ट है, और एक एक किसान इस प्रकार की शिकायत करे और मिल के खिलाफ कार्यवाही हो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यह किसानों के लिए कितनी दिक्कत की बात है। खुद सरकार ने जिस तरह से कानून बना कर बाध्य किया गन्ना देने के लिए, उसी तरह जब सरकार के नोटिस में नॉनपेमेन्ट की बात आ गई है तो सरकार को अपनी तरफ से कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला सरकार की जानकारी में आ गया है, और माननीय सदस्य ने कह भी दिया है व्यवस्था के बाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के कहने का प्रश्न नहीं उठता है। वह कार्यवाही करेंगे।

श्री लाभचन्द वेद : उपाध्यक्ष महोदय. स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था····

श्री उपाध्यक्ष : उस पर जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री श्रवणलाल : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, करौली सब डिवीजन के कुड़गांव की माइन्स के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी गई है, नम्बर १, और नम्बर दो उस वक्त आप सदन से बहिगमन कर गये थे।

श्री लाभचन्द वेद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था होनी चाहिए····

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त आप बहिगमन कर गये थे। दुबारा पढ़ना उचित नहीं है।

श्री लाभचन्द वेद : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर मंत्रियों द्वारा व्यक्तव्य। श्रम मंत्री !

श्री ओमदत्त भाटी : याचिका का उपस्थापन ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके पश्चात् !

अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् वाद विवाद को कार्यवाही में दिया जाय या नहीं इस पर व्यवस्था

रावजी श्री रूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक दफा

(राजवी श्री रूपसिंह)

जब आसन से रूलिंग दे दी जाती है तो उसके बाद हाउस में उस पर डिस्कशन होता है उसको यहां रिकार्ड किया जा सकता है? मेरे ख्याल में वह रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

श्री रामकिशन : यह ठीक है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह अदालत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस आसन की रूलिंग के बाद उस पर चर्चा की जाय अनधिकृत रूप से तो वह रिकार्ड नहीं होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कैसे नहीं होगी?

श्री विजयसिंह : कैसे नहीं होगी, इससे अच्छा तो यह है कि प्रोसीडिंग मत बनाये।

श्री उपाध्यक्ष : जो बिना अनुमति के कहा जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्षीय आसन पर निर्भर है कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप स्पेसिफिकली जब तक न कहें तब तक सामान्य कार्यवाही मानी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस सुझाव के साथ यह व्यवस्था दे दी जाती है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : एक माननीय सदस्य आग्रह नहीं कर सकते इस तरह तो अगर आग्रह कर सकते हैं तो वह नोट होना चाहिए। वरना आपकी रूलिंग के माफिक तो वह खत्म हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए ही संशोधन स्वीकार किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष को अधिकार है ··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! श्रम मंत्री जी!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्रम मंत्री के खड़े होने पर) किस विषय पर?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर।

शासकीय वक्तव्य

राष्ट्रदूत के कर्मचारियों की हड़ताल सम्बन्धी

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : राष्ट्रदूत के कर्मचारियों पर—

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रदूत के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है उस विषय में निवेदन है ···

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं व्यवस्था का सवाल खड़ा करना चाहता हूँ ···

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है एक घंटे का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : में ही समय लूंगा और कौन लेगा ?

मेरा निवेदन छोटा सा है कि जो डेली लिस्ट कार्यक्रम की होती है उसमें इन सब बातों का समावेश होना चाहिए जिससे माननीय सदस्यों को यह जानकारी मिल सके कि आज का सारा डिटेल्ड बिजनेस क्या है, कौन मंत्री वक्तव्य देंगे, किस सम्बन्ध में देंगे जिससे माननीय सदस्य उस दृष्टि से तैयार होकर आये और सम्बन्धित कागजात लेकर आये। आपने व्यवस्था दी थी उसका पालन हो, इस सम्बन्ध में नम्र निवेदन है कि हमें यहां आकर पूछना पड़ता है, किसके बारे में वक्तव्य है। यह लिस्ट आफ बिजनेस में होता नहीं है। उसमें इन्क्लूड हो-ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : साधारणतया दैनिक कार्यक्रम उसमें सम्मिलित होते हैं। स्थगन प्रस्ताव के लिए अगर चाहें तो मंत्री महोदय उसी वक्त उठ कर उसी वक्त दे सकते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में नहीं हो सकता !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसे जाने दें उस पर तो आपत्ति नहीं है। लेकिन लिस्ट आफ बिजनेस में जिनके लिए स्पेसिफिक तारीख दें तो उस दिन की लिस्ट आफ बिजनेस में वह इन्क्लूड होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर पुराना प्रस्ताव है और उसके ऊपर वक्तव्य दें तो सूची में साधारणतया होना चाहिए।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था हुई थी आसन की ओर से कि जिन मांगों से सम्बन्धित जितने कटौती के प्रस्ताव थे उनका सात दिन में मंत्री जवाब दे देंगे। आज ३० तारीख हो गई लेकिन एक का भी नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : २४ और ७ ३१ होते हैं। कल सात दिन होते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : सात दिन पहली मांग को बहस हुए हो गये लेकिन उसका उत्तर नहीं आया है। आप गवर्नमेंट को आग्रह करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १७ तारीख को शुरू हो गई थी बहस डिमाण्ड पर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव का जवाब देने से पहले में एक बात निवेदन करना चाहूँगा। मेरी जानकारी में आया है, हालांकि अधिकृत रूप से वहां से लिखा हुआ नहीं आया है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्रदूत के प्रबन्धक ने इस क्वेश्चन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, ग्रेच्युटी के मामले को, और यही प्रश्न है जो राष्ट्रदूत के जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहां पर श्रमिक न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत किया है। तो उस सम्बन्ध में कोई चर्चा में न जाते हुए केवल फेक्चुअल पोजीशन सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो इस तरह से है।

राजस्थान समाचार पत्र कर्मचारी संघ ने दिनांक २-३-६८ को एक पत्र द्वारा राष्ट्रदूत के व्यवस्थापकों को गैर पत्रकार वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ग्रेच्युटी देने, वेतन मण्डल के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन देने तथा बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में मांग पत्र दिया। इसका उत्तर राष्ट्रदूत के व्यवस्थापक की ओर से राजस्थान समाचार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को दिनांक ६-३-६८ को दिया गया। व्यवस्थापक ने अपने उत्तर में बताया कि ग्रेच्युटी भुगतान एक विवादास्पद विषय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है तथा ३ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र ग्रेच्युटी दिलाने के सम्बन्ध में राजस्थान के औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष यूनियन द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

जुलाई से बकाया चढ़ी हुई वेतन की रकम के भुगतान के लिये व्यवस्थापक ने सूचित किया है कि भुगतान के अंश का पेमेन्ट होली से पूर्व कर दिया जावेगा। जिन व्यक्तियों को निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया गया है उनके सम्बन्ध में व्यवस्थापक ने सूचित किया है कि कुछ व्यक्तियों का जो कम्पोजिंग विभाग में प्रोबेशन पर हैं उन्हें निर्धारित वेतन से कम दिया जा सकता है।

इस उत्तर से राजस्थान समाचार कर्मचारी संघ संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने दिनांक ९ मार्च से हड़ताल कर दी। उनकी मुख्य मांग यह है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त गैर पत्रकार वेतन मण्डल की सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाय। व्यवस्थापक ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक को अपना पत्र संख्या आर० डी०।१८७८।१६८ के द्वारा सूचित किया है, कि उन्होंने वेतन मण्डल की सिफारिशों को जुलाई १९६७ से लागू कर दी है पर इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ग्रेच्युटी की सिफारिशों को भी मान लिया है।

गैर पत्रकार वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू करने पर कानूनी प्रावधान नहीं है अतः राज्य सरकार इसे स्वेच्छा से लागू करने का प्रयत्न कर रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है कि वेतन मण्डलों की सिफारिशें पूर्ण तरह लागू हों। सरकार राष्ट्रदूत के व्यवस्थापक से यह आशा करती है कि वे वेतन मण्डल की सिफारिशों को शीघ्र पूर्ण रूप से लागू करेंगे। साथ ही श्रमिकों से भी यह अपील है कि वे व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए हड़ताल समाप्त करें और शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या को निपटाने में सहयोग दें।

इसके बाद जैसा मैंने निवेदन किया, यह मामला हाई कोर्ट के सामने है, अब इसके क्या प्रोस एण्ड कॉन्स होंगे, क्या इसका नतीजा होगा-उसको तो मैं निवेदन नहीं कर सकता लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा जब मामला चला गया है तो हम यह आशा करें कि दोनों तरफ से आपसी सम्बन्ध कायम करते हुए हड़ताल समाप्त हो और राष्ट्रदूत के व्यवस्थापक हैं वह भी जिद् को खत्म करें ताकि आगे काम चालू हो सके। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह विवाद खड़ा हुआ है यह गैर पत्रकार जो श्रमजीवी हैं प्रेस में काम करने वाले हैं उन पर वेतन मंडल की सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न पर उत्पन्न हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस बात को अपने वक्तव्य में जाहिर नहीं किया कि जो वेतन मण्डल की सिफारिशें हैं और पत्रकार कर्मचारियों से सम्बन्धित क्या यह सही है कि उस वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू करने का वचन या घोषणा 'राष्ट्रदूत' द्वारा कर दी गई थी क्योंकि जैसा कि इसमें अभी जो पक्ष प्रस्तुत किया गया है कर्मचारियों की ओर से और जैसा कि पता लगता है कि राष्ट्रदूत की ओर से इस प्रश्न को अब विवादास्पद बना दिया है कि क्या वेतन मंडल की जो सारी सिफारिशें हैं इन इट्स इण्टायरिटी पूरे तरीके से वह उस पर लागू होती हैं या नहीं ? मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसमें तीन प्रश्न, थे, एक प्रश्न तो जो वेतनों के स्तर हैं पेस्केल्स के नये सुझाव दिये गये, उनको लागू करना । एक उसके तहत नये एपॉइन्टमेंटस हों उनको भी वही वेतन स्तर देना और तीसरे जिन लोगों को नौकरी से हटाया जायगा उनको ग्रेच्यूटी देना—यह तीन प्रश्न इससे सम्बन्धित हैं । माननीय श्रम मन्त्री ने यह नहीं बताया कि आखिर यह विवाद इन तीनों मुद्दों पर है या कि केवल एक ग्रेच्युटी के मुद्दे पर है ? क्या राष्ट्रदूत इन दोनों मुद्दों को मानता है, स्वीकार करता है या कि नहीं मानता है ? इसमें हमने भी जानकारी करने की कोशिश की थी तो वह फैक्चुअल स्थिति हमें पता लगाती है कि दूसरे मुद्दों को मानता है, ग्रेच्युटी को नहीं मानता है, केवल । कुछ कहते हैं कि तीनों मुद्दों को नहीं मानता है । वेतनस्तर को नहीं मानता है, नये लोगों को ग्रेच्युटी प्रोबेशन पर कह कर नहीं देना चाहता है । एरियर के पेमेंट पर भी झगड़ा है । तो एक तो माननीय मन्त्री यह बात बताने का कष्ट करें, यह जो तीन विवादास्पद मुद्दे थे, क्या यह हड़ताल और यह मौजूदा झगड़ा, यह जो आपने समझौता-वार्ता कराने का प्रयत्न किया, वह तीनों मुद्दों पर है या तीन मुद्दों में से दो मुद्दे.......

(६·४२ म. पू)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर, सभापति, पदासीन)

हैं, इन दोनों पर एग्री करते हुए एक मुद्दे पर झगड़ा है ? दूसरी बात वह बताने की कृपा करें कि क्या यह वेतन मण्डल की जो सिफारिशें हैं, यह तमाम पत्रों पर, दूसरे पत्रों पर लागू होती हैं ? क्या सरकार ने इन सब पत्रों पर लागू कराने के लिए प्रयत्न किया ? यह बात सही है, वह स्टेच्युटरी नहीं है मगर स्टेच्युटरी नहीं होते हुए भी सरकार को सब पत्रों पर लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए, और इस तरह मजदूरों की एकता टूटती है इसमें कि एक पर लागू करने की कोशिश करें और दूसरे पर नहीं, तो वह मिलकर नहीं लड़ सकते । मजदूर सामूहिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकते । क्या आप की तरफ, से विभाग की तरफ से इस बात का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रयत्न किया गया कि दूसरे जो भी अखबार हैं उनके ऊपर भी लागू हो ? इस बात का क्या प्रयत्न किया गया है ?

तीसरी एक बात उसमें स्टेआर्डर के बारे में आयी है। कब यह पता लगा ? माननीय मन्त्री ने कल बताया था, हाई कोर्ट से स्टे आर्डर मिल गया और उन्होंने इसका खण्डन किया है, जो कर्मचारी हैं उन्होंने खण्डन किया है, मई, में किसी को स्टे नहीं मिला। तो इस बात को ठोस रूप में बतायें आखिर झगड़ा किस हद तक है ? क्या यह झगड़ा उन तीन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के बारे में है, यह प्रश्न विवादास्पद है जो तीन कर्मचारी हटा दिये गये हैं, उनको ही ग्रेच्युटी नहीं देना चाहते, या एक्जिस्टिंग कर्मचारी हैं, उनको भी ग्रेच्युटी नहीं देना चाहता ? क्या राष्ट्रदूत के मालिक इस बात को मानने को तैयार है, जो मौजुदा कर्मचारी हैं, इनको नहीं निकाला जाएगा, और निकाला जायगा तो इनको ग्रेच्युटी दे देंगे ? या जो निकाले गये है उनका विवादास्पद प्रश्न है। यह बात इन मुद्दों पर आप क्लेरीफाई करें।

श्री रामकिशन : एक जानकारी........

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ट्रि-पार्टाइट कॉन्फ्रेंस में एक युनेनिमस फैसला हुआ है कि किसी भी इण्डस्ट्री के लिए इण्डस्ट्रियल वेज बोर्ड कायम किया जाये तो उसकी रिकमेंडेशन को माना जायगा। फिर अमली तौर पर स्टेट के अन्दर इस तरह की नॉन-जर्नलिस्ट वेज बोर्ड को लागू क्यों किया और क्यों हमारी सरकार ने उसमें इण्टरवीन नहीं किया ? इसको एम्प्लॉयर पर नहीं छोड़ देना चाहिए। यह लेबर के बारे में स्टेट पॉलिसी है उसके खिलाफ है, ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेंस का फैसला हुआ है उसके खिलाफ है। मैं चाहता हूं इसके बारे में चाहे किसी का केस हो। माननीय श्रम मन्त्री को पर्सनल इन्ट्रेस्ट लेकर जो ट्रिपार्टाइट का फैसला है और जो अण्डरस्टेंडिंग है उसके मुताबिक इसमें फैसले करने चाहिए।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय मन्त्री ने बयान दिया है उससे यह जाहिर नहीं होता कि सरकार ने भी इस मामले में कोशिश की है। उन्होंने फैक्ट्स रखे हैं। केवल यह जानकारी में है कि प्रेस में इतने दिनों से हड़ताल चल रही है। यह कोई इंडस्ट्री नहीं है, यह एक प्रकाशन है और किसी प्रकाशन के ऊपर लागू होना, पत्र के ऊपर लागू होने के बाबत जो व्यवस्थायें होनी चाहिए उसमें कठिनाई आती है। तो क्या सरकार ने इन फेक्ट्स को रखने के अलावा परिस्थिति को जानने व प्रेस के मामले को सुलझाने का प्रयत्न किया है और कानून के रूप में मंत्री महोदय और श्रम मंत्रालय को दखल देकर दोनों पार्टियों को नजदीक लाकर आपस में बातचीत के द्वारा जैसी कि उनकी मनोवृत्ति है, इस मामले को सुलझाने का काम किया है, आचरण किया है ? इसकी जानकारी दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : एक बात मैं पूछना चाहता हूँ श्रममन्त्री महोदय से आप के माध्यम से कि गैर-पत्रकार वेतन मंडल की सिफारिश लागू हुई उनको राजस्थान के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पत्रों के किन किन मालिकों ने पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लागू किया है। और राजस्थान सरकार ने लागू किया जाने के बारे में क्या कार्यवाही की ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मैं भी दो शब्द निवेदन करूं, मैं समझता हूँ कि किसी पत्र का बन्द होना खेद जनक व्यवस्था है। सरकार को चाहिए। आपस में मेल मिलाप करके कोई न कोई विवाद को समाप्त करने का रास्ता निकालने की चेष्टा करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्थान सरकार गैर-पत्रकार वेतन-मंडल की सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले पत्रों को सरकारी विज्ञापन देना बन्द कर देगी (श्री बृजसुन्दर शर्मा के खड़े होने पर) अगर सही मायने में आपकी सहानुभूति है तो ? अगर आपका ही प्रोवोकेशन है हड़ताल के लिए तो बात दूसरी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि मैंने स्वयं इस बारे में तीन चार दफा बातचीत वहां पर की व्यवस्थापक से और समाचार पत्र कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधियों से और बहुत छोटी सी बात पर आकर प्रेस्टीज का इश्यू बनाकर वह बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हम कानून के जरिये करा लेंगे।......

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल राष्ट्रदूत के व्यवस्थापक से बात की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : झगड़ा राष्ट्रदूत के व्यवस्थापक और कर्मचारियों का चल रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और भी कई मामले हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हालांकि सारे पेपर्स का इन्सपेक्शन होता रहता है। निरीक्षक जाकर बात करते हैं, देखते हैं कहां कहां क्या क्या कमी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस प्रश्न पर सारे एम्प्लॉयर्स को बुलाइये।

श्री सभापति : आप जवाब देने के बाद प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करूंगा, स्थगन प्रस्ताव जिस विषय को लेकर है उसमें सारे दूसरे प्रश्नों के बारे में बहस करली जाय तो लाभ नहीं होगा। जितनी सूचना मेरे पास है वह माननीय सदस्यों को बता दूंगा।

तो इस प्रकार जब श्रम निरीक्षक राष्ट्रदूत का निरीक्षण करने के लिए गया तो उसके पश्चात् उन्होंने इस बात को स्वीकार किया—मैं उसकी जानकारी के लिए उनके पत्र की प्रतिलिपि से पढ़कर सुनाना चाहूँगा जो राष्ट्रदूत के व्यवस्थापक ने केन्द्रीय श्रमजीवी पत्रकार मंडल की सिफारिशों को लागू करने के हेतु निरीक्षक को पत्र दिया।

"उक्त विषय के पत्र क्रमांक का प्राप्त हुआ। चाही गई सूचना इस प्रकार है :—

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

संस्था का नाम—राष्ट्रदूत।

किस श्रेणी में आता है. पांच हजार से पन्द्रह हजार के अन्तर्गत कुल पत्रकार और गैर पत्रकारों कीसंख्या।

और फिर एक प्रश्न है—

"क्या आपके यहां वेतनमण्डल की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है? अगर हां, तो कब से?"

इसके जवाब में उन्होंने लिखा है "हां, जुलाई १९६७ से।"

जब यह सदन में चर्चा आई थी उस वक्त भी उनके पत्र में यह लिखा आया था कि हमने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है, सभापति महोदय, कि पत्रकार वेतन-मंडल की सिफारिशों को लागू कर देने के बाद गैर पत्रकारों के बारे में कि जब तक कोई दूसरा प्रावधान नहीं हो और दूसरा कोई नही हो तो वही कण्डशन्स लागू समझौता होंगी जो पत्रकारों के लिए लागू होती हैं यह प्रावधान उस एक्ट में है, अभी उसमें ग्रेच्युटी का प्रावधान है। एक मामला ट्रिब्युनल में रेफ़ेन्स में चल रहा था तो उन लोगों में आपस में कम्प्रोमाइज होकर यह चीज मानी कि यह बात गैर पत्रकारों के लिये भी लागू करेंगे, उसके ऊपर अवार्ड दे दिया गया। अब उनका प्ली यह है कि ग्रेच्युटी के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में अटेक किया गया है और मन्जूर कर लेते हैं तो हमारे दूसरे असोसियेशन्स कुछ चाहेंगे या नहीं चाहेंगे।

यह तथ्य है कि ग्रेच्युटी को सुप्रीम-कोर्ट में अटेक किया गया है। जहां तक यूनियन का ताल्लुक है, जो कन्सेन्टेड अवार्ड हुआ, उसके बारे में एक कम्प्लेन्ट दायर कर दी कि इस बात को नहीं मानते, तो यह बात भी चल रही है। तीन आदमियों के ग्रेच्युटी के प्रश्न को उठा लिया। मेनेजमेंट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अटेक हो रहा है, इसलिये हम अभी कुछ नहीं कर सकते, जैसा वहां से निर्णय होगा, वह सब को मान्य होगा। जूडिशियल टर्म में जो रेफर्ड था, वह दे सकते हैं, वह रेफ़रेन्स नहीं था, इसलिए इस इल्लीगल है ...

(९.५१. म. पू.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो यह इतना कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। मैं परसों भी इन्तजार कर रहा था, क्योंकि १२ बजे का टाइम दिया गया था कि बात करेंगे, पर कोई आये ही नहीं। इसलिए दोनों से मिल कर आपस में ही बात-चीत कर के निर्णय निकालें तो अच्छी बात है, वरना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसा, विरोधी दल के नेता ने कहा यह मामला काफी उलझ गया है। स्टे ऑर्डर का तो मुझे पता नहीं था पर यह निश्चित है कि हाई कोर्ट में रिट पेश कर दी है। क्या नतीजा होता है, क्या नहीं होता है, उसकी इन्तजार करनी पड़ेगी।

Page No. 63

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पर मेरी तरफ से प्रयत्न जारी रहेंगे कि समझौता हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछली ६ तारीख से हड़ताल चल रही है, २१ दिन को हो गये हैं। जो उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया है, इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट मानो इस तरीके से चल रही है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र यह मामला तय नहीं हो, ढीली डोर छोड़ते जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रदूत ने वेतन मण्डल की सिफारिशों को मन्जूर करने का वचन दिया हुआ है, अब उससे रिट्रीट करना कोई मोरल नहीं, कोई नैतिकता नहीं, पर गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस मामले को हल करने की कोशिश की है, उससे इस मसले को हल करने की बजाय ढीली डोर देकर और उलझाने की कोशिश की है जिससे मजदूर मारे जाय और कांसिलियेशन नहीं हो। मैं समझता हूँ इसके पीछे गवर्नमेंट का राजनैतिक दृष्टिकोण है। यह बजट सेशन है और गवर्नमेंट की आलोचना होती है। राष्ट्रदूत गवर्नमेंट की आलोचना करता है। इसलिये बजाय इसके कि सब एम्प्लॉयर्स को बुला कर कहे कि वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू करो, ऐसी भावना पैदा कर दी कि मजदूर इकट्ठे नहीं हो सकें और मालिक को मालूम हो कि तुमको पोलिटिकल आलोचना के कारण यह दबाने की कोशिश है। इस तरह की भावना पैदा कर के मजदूरों में और मालिक में टेन्शन पैदा कर दिया है। कॉन्सिलियेशन रिपोर्ट की फेल्योर काफी पहले सामने आ चुकी है। क्या मन्त्री महोदय ने यह जवाब नहीं दिया था कि अन्डर डिस्प्यूट तीन पॉइन्ट हैं, जो केवल ग्रेच्युटी का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज...

श्री रामानन्द अग्रवाल : २१ दिन हो गये। इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिये, अखबार भी नहीं निकले और मजदूर भी बैठे रहें........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। एक स्थगन प्रस्ताव कच्ची बस्तियों के बारे में है, उस पर वक्तव्य कुछ देर बाद दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस समय ?

श्री रामकिशन : वे तो भूख हड़ताल पर हैं, बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : आज ही देना है, थोड़ी देर बाद देना है।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी !

श्री ओमदत्त भाटी : (सरदारपुरा, जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आनासागर व बासनी बांध (ग्राम पूंजला व बासनी) की मरम्मत कराने से सम्बन्धित ४ याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ;

विराय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर मैं वित्तीय समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में नये सिरे से प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, १९६८-६९ के लिये १२ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों में संशोधन हुआ है क्या? मैं तो केवल यह जानकारी चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री महोदय ने किया है, सदस्यों की संख्या बढ़ाने के बारे में, तो इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन किया गया है वह नियम समिति में, हाउस में किया है या रूल्स कमेटी ने किया है? क्या रूल्स कमेटी ऐसा कर सकती है और उसकी सिफारिश को हाउस को मंजूर करना जरूरी है?

श्री उपाध्यक्ष : यह रूल्स समिति की सिफारिश पर किया गया है। सदन की मेज पर रख दिया, ७ दिन के भीतर भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई इसलिये वह स्वीकार ही माना जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहाँ मैं आपका ध्यान नियम २४६, २४८ की ओर दिलाना चाहता हूँ, नियम २४६ में लिखा है:—

"**नियम समिति के कृत्य** : सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों पर विचार करने और इन नियमों में से ऐसे संशोधनों या वृद्धियों की सिफारिश करने के लिये, जो आवश्यक समझी जावे, एक नियम समिति होगी।"

अब मैं आपका ध्यान नियम २४८ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नियम २४८ इस प्रकार है:—

"**प्रतिवेदन का मेज पर रखा जाना** : (१) समिति की सिफारिशें मेज पर रखी जायेंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जावें, उससे आरम्भ हो कर ७ दिनों की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा।"

(१० म० पू०)

संशोधनों की सूचना की मियाद रखी है कोई सदस्य चाहे तो मेरे इन्टरप्रिटेशन के अनुसार वह ७ दिन के अन्दर उन नियमों के अन्तर्गत या जो संशोधन किए गए हैं या समिति ने जो सिफारिश की है उसके अन्तर्गत संशोधन की सूचना दे सकता है जैसे कट मोशन्स होते हैं लिमिटेशन होती है कि ७ दिन में दे सकते हैं लेकिन समिति की सिफा-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रिशों में किसी सदस्य द्वारा दी गई किसी संशोधन की सूचना समिति को निर्दिष्ट होगी जो उस पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जो समिति उचित समझे। समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सदस्यों द्वारा सुझाये गए संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् मेज पर रख दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति के सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सदन के सहमत हो जाने पर नियमों के संशोधन, सदन द्वारा अनुमोदित किए गए रूप में, अध्यक्ष द्वारा विधान सभा समाचार में प्रख्यापित कर दिए जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : और आगे पढ़िए नम्बर (३)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि ऐसे संशोधनों की सूचना सात दिन के भीतर न दी गई हो तो समिति की सिफारिशें सदन द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायेंगी और उक्त कालावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष समिति द्वारा सिफारिश किए गए नियमों के संशोधनों को विधान सभा समाचार में प्रख्यापित करेगा।

(४) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, नियमों के संशोधन, विधान सभा समाचार में उनके प्रकाशन पर प्रवृत्त होंगे।

लेकिन यहां प्रख्यापित नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : ७ दिन की कलावधि में कोई संशोधन की सूचना नहीं हुई तो रूल्स मान लिये जायेंगे, उनका पब्लिकेशन बुलेटिन में कर लिया जायगा। पब्लिकेशन आज हो जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कौन से रूल के अन्तर्गत अध्यक्ष को अधिकार है?

श्री उपाध्यक्ष : २४८ (३)। प्रश्न यह है कि जन लेखा समिति के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, १९६८-६९ के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने प्राक्कलन समिति के निर्वाचन के विषय में रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३३ बी (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति १९६८–६९ के लिए १२ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्यमंत्रीजी ने राजकीय उपक्रम समिति निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयकों का पुरःस्थापन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रममंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा। श्री जयनारायण सालोदिया।

आधे घंटे की चर्चा

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक २२–३–६८ को एक तारांकित प्रश्न पूछा था शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में। उसमें विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई उससे मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ इसलिए मैंने आधे घंटे की चर्चा उठाई है। मामला २०० अध्यापकों की बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज के पूछे करौली के शिक्षा निरीक्षक द्वारा भर्ती किए जाने सम्बन्धी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जहां तक मेरी जानकारी है शिक्षा निरीक्षक को इस तरह बिना एम्पलाइमेंट एक्सचेंज के पूछे सीधी भर्ती करने का कोई अधिकार नही हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो जो मैं निवेदन करूं अपने पास नोट करें और अपने उत्तर में वे बातें स्पष्ट करें। मंत्रीजी ने उत्तर में बताया कि अपर निदेशक के आदेशानुसार सीधे आवेदन पत्र मांगे गए। आवेदन पत्रों पर मेरिट के अनुसार अग्रिम रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई।

मेरा पहला आक्षेप है कि शिक्षा निरीक्षक को अधिकार नहीं था बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज के पूछे वह सीधी भर्ती करें। दूसरी बात यह है कि मेरिट का क्या आधार उन्होंने बनाया, काम्पटीशन था या नहीं था? कैसा आधार बनाया जिससे उन्होंने समझा कि ये ही लोग आ सकते हैं। तीसरी बात जो शिक्षा मंत्रीजी यह कहते हैं और उन्होंने जबाव दिया है कि शिक्षा विभाग में

(श्री जयनारायण साजोदिया)

कोई प्रोफार्मा था उसमें कालम था जिसमें एम्पलायमेंट एक्सचेंज को कार्ड नम्बर लिख दिया जाना पर्याप्त था तो यह भी मेरी जानकारी है कि इस तरह का कोई प्रोकार्मा नहीं है अगर है तो इस तरह का कोई कालम नहीं होना चाहिए। कालम होगा तो भी उस कालम में सिर्फ एम्पलायमेंट एक्सचेंज का कार्ड नं० लिखने से उनकी स्वीकृति हो गई और ये आदमी एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भेजे हुए माने जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जब उन लोगों को भर्ती किया १९६६ में उसके बाद वे चलते रहे। जब उन लोगों का वेतन लेने का समय आया और बिल बन कर ट्रेजरी में गया तो ट्रेजरी ने एतराज कर दिया कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज का फार्म एक्स-३ शामिल नहीं है। जब तक वह नहीं होगा तब तक वेतन पास नहीं होगा। यहां सरकार अटकी, सरकार को मालूम हो गया कि गड़बड़ी हो गई। फिर शिक्षा निरीक्षक ने चाल की। उन्होंने फिर एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे कि २०० ट्रेन्ड अध्यापकों की आवश्यकता है। नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा आए। उसके बाद जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है, मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि बाद में शिक्षा निरीक्षक ने एम्पलायमेंट एक्सचेंज को लिखा कि उनको २००ट्रेन्ड अध्यापक चाहिए जिस पर एम्पलायमेंट एक्सचेंज ने जिन अध्यापकों को पहले ही शिक्षा निरीक्षक ने ले लिया था उनके नाम भेज दिए और उनकी नियुक्ति बाद में नियमानुसार की गई ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा जी हां।

तो इसका मतलब जो नियुक्तियां शिक्षा निरीक्षक ने की थी वे नियमानुसार नहीं थीं। आपने उत्तर में माना है, कि उनकी नियुक्ति बाद में एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांग कर नियमानुसार की गई। इसका मतलब आपने स्वीकार किया है कि जो काम किया गया है उसको कन्डेम किया गया है नियमानुसार नियुक्ति बाद में एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांग कर की है, इसलिए जो नियुक्ति हमने की है २०० अध्यापकों की वह नियमानुसार नहीं थी। इसके दो प्रमाण हैं। आपने जी हां कहकर मन्जूर किया। दूसरा उनको वेतन नहीं मिला इसलिए नहीं मिला कि इसके लिए फार्म एक्स-३ एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नहीं मिला क्योंकि सीधी भर्ती थी। उसके बाद एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे और नियमानुसार इंदराज किया। जो गलती की है, जो भूल की है, जो भ्रष्ट काम किया गया है उसको रेगूलराईज किया लेकिन कुछ दिन बाद उसके बाद भी अध्यापकों ने उन दिनों का वेतन क्लेम किया। हमने शिक्षा विभाग के निदेशक से सोरी निरीक्षक महोदय ने एम्पलायमेंट के आफिसर पर यह दबाव डाला कि जिन लोगों की डाइरेक्ट भर्ती, बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज के भर्ती किया है, उनको उसी दिन से वेतन दिया जाय जबसे उनको भर्ती किया गया है। एक्स-३ उसी दिन से दिया जाय। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक्स-३ नहीं दे सकते हैं। हमसे जब से लिस्ट मांगी है तब से ही एक्स-३ देंगे। जबसे एम्पलायमेंट ने एक्स-३ दिया है तब से ही उनको वेतन मिल रहा है लेकिन उस पीरियड का एक्स-३ नहीं है। आज ६६ से ६८ तक वेतन नहीं मिल रहा

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का अध्यापकों का मामला है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जैसा मैंने पहले कहा था कि शिक्षा निरीक्षक, करौली का दफ़्तर–इन बातों के लिये शिक्षा विभाग में एक कलंक स्वरूप रहा है। हमारा भी डिस्ट्रिक्ट पहले उन्हीं के तहत लगता था वहां जितनी अनियमितताएं होती हैं, वहां जितना भ्रष्टाचार हैं, वहां जितनी बदइन्तजामी है, मास्टरों की दयनीय स्थिति है-माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इससे साफ जाहिर होता है कि जो चार्ज मैंने लगाया है — आखिर क्या उनकी मजबूरी थी, क्या उनको जानकारी नहीं थी, क्या वे अयोग्य हैं कि सरकारी नियम बना हुआ है कि बिना एम्पलायमेंट एक्सचेंज के एक-दो को ही नहीं २०० अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर सकते है। उन्होंने जान बूझकर किया है, उनको बदनीयती थी-यह साफ जाहिर होता है। उन्होंने उन अध्यापकों से जैसी मेरी जानकारी है निश्चित रूप से २००-३०० रुपये लेकर अपाईन्टमेंट दिया है। और आपके और उनके कार्यकलापों से आज जाहिर है, वे बे नकाब हैं। वे यह नहीं कह सकते हैं कि उनकी मजबूरी है। ऐसी कोई एमरजेन्सी नहीं थी अध्यापकों की नियुक्ति की और जब सवाई माधोपुर में ही एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज है और वह करौली के रास्ते में है तो यह बिलकुल जाहिर है कि उनकी बदनीयती थी। इस दृष्टि से है कि उन अध्यापकों से रिश्वत ली हैं। जो नियुक्तियां की गई हैं, उनमें सिनियोरिटि से नहीं की गई है। जो नये आदमी आये है, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे यह भी स्पष्ट करें कि जो उन्होंने २०० अध्यापकों को लिया है, सिनियोरिटि के आधार पर नहीं लिया है, लम्पसम के आधार पर लिया है जिन्होंने उनकी खुशामद की, जिन्होंने उनको पैसे देकर राजी कर लिया, उनको ले लिया और जो लोग सिनियोरिटि की लिस्ट में ट्रेन्ड अध्यापक पड़े है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यह मेरी निश्चित धारणा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी निवेदन किया है कि ये सारे मामले, प्रथम मामले ही नहीं है। उस निरीक्षक महोदय-उनसे पहले वाले निरीक्षक महोदय और इस तरह करौली के निरीक्षक महोदयों द्वारा हमेशा होता आया है। इसका कारण है कि शिक्षा निरीक्षक का दफ्तर है, वह बिलकुल कोने में हैं। आवागमन के साधन नहीं, वहां कोई साधारण तौर पर आता जाता नहीं है इसलिये वे अपने आपको निरंकुश मानते है, सेफ गार्ड मानते हैं। जो मन में आता है वही करते हैं। इनसे पूर्व जितने शिक्षा निरीक्षक वहां आये, उनके नाम मुझे याद नहीं हैं जब उनकी विदाई होती है, जब वे वहां से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके दफ्तर के एक क्लर्क ने उनके पैर छुये और फिर जूते लगाये। इस तरह का वहां का रेकार्ड है, वहां का जो स्टाफ है, उसका यह रवैया है। रिश्वत के मामलों में ओतप्रोत है। रिश्वत के मामले में जब कोई मामूली काम के लिये जाते हैं तो बिना रिश्वत के वहां काम नहीं करते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं आप या ब्लड है, मैं आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करता हूँ लेकिन

Page No. 69

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उनकी ईमानदारी में अगर इस तरह की अनियमितता हो और उस पर फिर वे पर्दा डालने की कोशिश करें,स्पष्ट जबाब न दें अगर, मगर चुनाव में टालना चाहे तो स्पष्ट है कि आप ऐसे आदमियों को संरक्षण देना चाहते हैं, शिक्षा में उत्थान नहीं करना चाहते हैं, इस विभाग में जो करप्शन चल रहा है, उसको मिटाना नहीं चाहते। उनकी तरफ आपकी किसी न किसी रूप में उदासीनता है, किसी न किसी रूप में आप उनको ढकना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, यह ढकने का मामला नहीं है। अध्यापक वर्षों से लाईन में क्यू में खड़े हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उनको नहीं लिया जा रहा है, जिनकी मेरिट है, उनको नहीं लिया जा रहा है तो मैं इस तरह के मामलों के लिये निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय श्री जय नारायण जी सालोदिया ने तारीख २२-३-६८ को उनके एक प्रश्न के जरिये करौली विद्यालय निरीक्षक के द्वारा कुछ अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई थी। मैंने इस बात की जांच करने के बाद में सदन को सूचित करने के लिये निवेदन किया था। जो कुछ भी जांच कराई गई है, उसके आधार पर विभाग का जो स्पष्टीकरण मुझे मिला है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

उप-शिक्षा निदेशक, अजमेर-वृत, जयपुर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथ्य यह है कि विद्यालय निरीक्षक, करौली ने नवम्बर ६६ से अगस्त ६७ तक ३८१ आवेदन-पत्र प्रत्याशियों से सीधे ही बिना नियोजन कार्यालय से नाम प्राप्त किये, अपर-निदेशक के स्थायी आदेश संख्या २०।६६ के अनुसार अपने कार्यालय में मांगे थे जबकि विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के अधीनस्थ उस सत्र में २०० स्थान ही निम्न प्रकार रिक्त हुए थे :—

(१) ५७ तृतीय श्रेणी से द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति के कारण।

(२) २९ पद अतिरिक्त शिक्षकों के प्रावधान में से निदेशक, प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्राप्त।

(३) ११४ सेवारत अध्यापक जिनको विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए प्रति नियुक्त किया गया।

———
२००
———

तृतीय वेतन श्रृंखला में नियुक्ति हेतु अधिमान क्रम बनाने में अंकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है :—

(श्री शिवचरण माथुर)

मैट्रिक एवं इसके समकक्ष योग्यता तथा कुल विषयों में प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, खेलकूद, स्काउटिंग, रेडक्रास, अध्यापक व अध्यापिकाओं के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए अंक सुरक्षित थे तथा पिछले सत्रों में कार्य करने के अंक नियत थे। इस प्रकार जिस प्रत्याशियों को सबसे अंक अधिक मिले उसका नाम अधिमान सूची में सबसे ऊपर रहा। उपरोक्त व्यक्तियों की अधिमान सूची स्थायी आदेश संख्या २०।६६ के अनुसार ही बनाई गई।

इसी निर्धारित आधार पर विद्यालय निरीक्षक ने विभिन्न तिथियों की पदों की उपलब्धी के अनुसार २०० व्यक्तियों को तृतीय श्रेणी में नियुक्तियां दी गई। चूंकि स्थायी आदेश नं० २०।६६ से यह स्पष्ट नहीं था कि गत सत्रों में सेवा में रह चुके अध्यापकों को बिना अधिमान सूची में सम्मिलित किए हुए ही सत्र में पुनः नियुक्तियां दी जावें अथवा नहीं, अतः गत सत्र में सेवारत अध्यापकों से भी यह आशा की गई थी कि वे नए प्रत्याशियों की तरह चयन किए जावेंगे। इसी कारण उनमें से अधिकांश ने आवेदन पत्र दिए एवं अधिमान सूची में अपनी योग्यताएं सेवाकाल आदि के अंकों का लाभ उठाकर अधिमान सूची में सम्मिलित किया जाकर अधिमान सूची बनाई गई और जिन प्रत्याशियों ने या तो आवेदन पत्र ही नहीं दिए अथवा जिनके आवेदन पत्र अपूर्ण थे (प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न नहीं की) अथवा जिनका अधिमान सूची में श्रेष्ठता क्रम २०० क्रमांक के बाद था, उनको इस सत्र में नियुक्त नहीं किया जा सका। इस वर्ष ६५-६६ के समस्त सेवारत अध्यापकों ने आवेदन पत्र दिए एवं उनका अधिमान सूची में श्रेष्ठता क्रम भी २०० क्रमांक तक होने के कारण नियुक्ति दे दी गई। लेकिन सत्र ६४-६५ के २४ ऐसे अध्यापक हैं जिनमें से कुछ एक तो अप्रशिक्षित होने के कारण, कुछ एक राज्य सेवा निर्धारित ६ माह के कम होने से, कुछ एक पंचायत समितियों द्वारा अथवा अन्य जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा नियुक्तियां दी जाने तथा कुछ को आवेदन पत्र न भरने के कारण विद्यालय निरीक्षक, करौली द्वारा नियुक्तियां नहीं दी गई।

नया आदेश २०।६६ अपर निदेशक, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांक १६-७-६६ को प्रसारित किया गया था और ये नियुक्तियाँ नवम्बर ६६ में की गई थी अतः इस आदेश के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्याशियों को अपने प्रार्थना पत्र के साथ सिर्फ नियोजन कार्यालय के पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना ही पर्याप्त था और आवेदन पत्र विद्यालय निरीक्षकों द्वारा सीधे ही मांगे जाने थे। अतः राजस्थान राज्य में सभी विद्यालय निरीक्षकों ने इसी आदेश के अनुसार बिना नियोजन कार्यालय के नाम प्राप्त किए ही अधिमान सूची में श्रेष्ठता क्रम के अनुसार तृतीय श्रेणी में नियुक्तियां की। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र माह जौलाई से प्रारम्भ होता है तथा रिक्त स्थानों की जानकारी माह अगस्त तक विद्यालय निरीक्षक को हो पाती है। इन नियुक्तियों में पहिले ही देर हो चुकी थी और अगर नियोजन कार्या-

(श्री शिवचरण माथुर)

लय से प्रत्याशियों की सूची मांगी जाती तो और अधिक देरी की सम्भावना थी। इसी कारण अपर निदेशक ने भी अपने ऊपर वर्णित आदेश में केवल नियोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या का प्रमाण मांगना ही आवश्यक समझा था। अतः विद्यालय निरीक्षक ने शालाओं में अध्यापन कार्य में और अधिक विलम्ब न हो, इसलिए ऐसा किया।

इन नियुक्त अध्यापकों का वेतन बिल जब कोषाधिकारी से एक्स थी कार्ड के अभाव में आक्षेप में आए तो विद्यालय निरीक्षक ने इन २०० अध्यापकों को जिनकी नियुक्ति उसने उस सत्र में की थी नियोजन कार्यालय से पत्र व्यवहार करके थी एक्स कार्ड मंगवाया। ये सभी नियुक्तियां वैधानिक तरीके से की गई थी। जहां तक वेतन का सम्बन्ध है इन अध्यापकों को केवल नियुक्ति के प्रारम्भिक माह के कुछ दिनों को छोड़कर नियमितरूप से मिलता रहा है, वो इस अवधि का एरियर बकाया है उसके लिये कार्यवाही की जा रही है। केवल नवम्बर ६६ अथवा नियुक्ति के प्रारम्भिक माह के कुछ दिनों के वेतन न मिलने का मामला नियोजन विभाग में विचाराधीन है।

६७-६८ सत्र में जितनी भी नियुक्तियां की गई वो सभी नियोजन कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही अधिमान सूची एवं श्रेष्ठता क्रम के अनुसार ही की गई हैं और गत सत्र में (६६-६७) में कार्य कर चुके सभी अध्यापकों को पुनः नियुक्त किया जा चुका है।

अक्टूबर सन् ६६ का तो श्री मोहनी मोहन शर्मा, विद्यालय निरीक्षक के पद पर जो अब इस पद के पदावनत भी किए जा चुके हैं, कार्य कर रहे थे। उसके उपरान्त श्री ओमप्रकाश सिंघल, जो वर्तमान में विद्यालय निरीक्षक, अजमेर के पद पर कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे थे और २० जौलाई १९६७ तक कार्य किया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि नवीन स्थायी आदेश संख्या २०।६६ जिसके अन्तर्गत ये नियुक्तियां की गई थी की मूल भावना यही थी कि प्रत्येक प्रत्याशी का चयन उसकी योग्यता, अनुभव तथा अन्य सभी क्षेत्रों में उसके गुणों के आधार पर हो ताकि किसी असंतोष का कोई अवसर न हो और नियुक्ति अधिकारी मनमानी न कर सके।

समय की कमी तथा नीति परिवर्तन के कारण कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न हुई उदाहरण थे एक ओर सीधे प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने की सूचना अधिक से अधिक प्रचार कर प्रसारित करना दूसरी ओर नियोजन कार्यालय से उनके नियमानुसार नामों का प्राप्त करना यह सत्र कार्य, कार्य प्रणाली में सांमजसन बैठ सकने के कारण ही हुवा है। वस्तुतः जो नीति बदली गई वह न केवल उचित ही थी अपितु समय समय पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों और कठिनाइयों का एक स्थायी समाधान है जिसके अनुसार जिलाधिकारी अपने दायित्वों को अधिक निपुणता और सरलता के साथ बिना किसी भेदभाव और पक्षपात से निपटा सकें। अब इस प्रकार की उत्पन्न होने वाली समस्याओं को (नियोजन

(श्री शिवचरण माथुर)

कार्यालय से नाम मांगे) पूर्व नियुक्त अध्यापकों की पुन: नियुक्ति आदि निराकरण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिन्होंने प्रश्न उठाया उन माननीय सदस्य को सन्तोषप्रद उत्तर मिल जावेगा।

मूल सवाल उनका यह था कि २०० अध्यापकों की सूची जो एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज से ली गई उस बारे में था। इसके लिये जैसा मैंने निवेदन किया कि सर्कूलर नम्बर २०।६६ इस बात का संकेत करता है कि इससे पूर्व कई अनियमिततायें होती थी और योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नहीं होते थे। अब इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिससे कोई भी अधिकारी इधर उधर नहीं जा सकता।

समय कम है, नहीं तो मैं बताता कि इसके लिये सब तरह से अंक निर्धारित हैं। उसकी टीचिंग योग्यता के लिये, स्पोर्ट्स के, सांस्कृतिक कार्यक्रम के सब प्रवृत्तियों के लिये अंक निर्धारित हैं, तो जो इन अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची बनती है उसके आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। और मैं मानता हूँ कि इस आदेश के बाद पूर्ण रूप से अध्यापकों में सन्तोष है। अध्यापक अब यह कहते हैं कि जहां जहां मैं जाता हूं अब इससे हम में सन्तोष है। वे आने आप ही अन्दाज लगा लेते हैं कि अगर उपर्युक्त अंक हमारे पास हैं तो हमें ले लिया जावेगा।

एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज को बिना पूछे नियुक्त किया गया। यह सही है इसमें दो राय नहीं है। ये नियुक्तियां नवम्बर में हुई थीं और शायद एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज से मांग पत्र अगस्त में प्राप्त करने के अपर निरीक्षक के स्पष्ट आदेश थे पर मैं समझता हूँ इसमें कहीं मिस अण्डर स्टेंडिंग से यह हुआ।

कहा गया कि पुराने लोगों को छोड़ दिया गया नयों को ले लिया गया। यह भी सम्भव हो सकता है। स्थायी नियुक्तियां जब से होती हैं तब से सीनियोरिटी लिस्ट मानी जाती है। इसलिये आपने कहा कि सीनियर आदमी से मतलब आपका यह था पहले साल काम करता था आज भी ऐसा होता है कि जब मैरिट की लिस्ट के आधार पर ड्राप भी हो जाते हैं। तो यह मानना स्थायी तौर पर काम करने वाले सीनियोरिटी लिस्ट की अवहेलना करना है सही नहीं होगा। आप गम्भीरता और गहराई से सोचेंगे तो इसका आधार वैज्ञानिक पावेंगे। काफी सोच समझ कर इस आधार को तैयार किया है। किसी भी अध्यापक को शिकायत नहीं आई है।

आपने कहा कि करौली की शिकायत आई है। यह सही है कि तनखा की दिक्कत हुई थी कुछ दिनों तक। एम्पलोयमेंट एक्सचेंज से बैठकर बात की वेतन बराबर मिल रहा है केवल नवम्बर ६६ का कुछ दिनों का वेतन नहीं मिला है। अब वह बहुत जल्दी कार्यवाही करके दे दिया जावेगा। और मैं निश्चित रूप से निवेदन कर दूं कि शिक्षण विभाग के अन्दर ही सीनियोरिटी लिस्ट बना है और इसकी तारीफ अध्यापक भी करते हैं।

२४ अध्यापकों का जहां तक सवाल है। इसके बारे में मैंने जानकारी की है। यदि उन्होंने एप्लाई किया होता तो ले लिया गया होता। हो सकता है दूसरी जगह पंचायत

(श्री शिवचरण माथुर)

समितियों में या विद्यालयों के निरीक्षक के दफ्तर में दर्ख्वास्त दी हो और नियुक्ति वहां की गई हो। आज भी उनमें से नहीं लगे होंगे तो विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वे मैरिट लिस्ट में आते हैं तो निश्चित रूप से लेने की बात कहता हूँ।

आगे रिश्वत की बात कही। इसके बारे में कोई वेग चार्ज लगाने से काम नहीं होगा। इस तरह की बातें आम तौर पर साबित नहीं होतीं। निश्चित रूप से कोई स्पेसिफिक चार्ज की बात आप कहें तो उसकी जांच कराने को तैयार हूँ। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर देना चाहता हूँ आपने कहा कि ३०० अध्यापकों ने एप्लीकेशन दी और २०० का सलेक्शन हुआ क्या वहां पर ३०० ही अध्यापक हैं ? कम्पीटीशन कहां हुआ हमारा ?

श्री शिवचरण माथुर : ३८१ अध्यापकों की एप्लीकेशन आई उसमें से अधिकांश सूची का निर्माण किया गया है और अधिकांश सूची का आधार एक निश्चित आधार है और मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलती नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! चर्चा समाप्त हुई।

श्री गंगासहाय !

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री गंगासहाय (कठूमर सु) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जो तो हैं नहीं ध्यान किस का आकर्षित करूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरु तो कीजिए।

एक माननीय सदस्य : आप बेन्च का ध्यान आकर्षण कीजिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : न मंत्री हैं और न उप मंत्री हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह पुनः व्यवस्था का प्रश्न है अनुपस्थिति के कारण किस का ध्यान आकर्षित करें। या यहां भी योगाभ्यास सिखाया जाता है ताकि मंत्री महोदय जहां बैठे हों वहां से तारतम्य स्थापित हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री बृजसुन्दर शर्मा के आगमन पर) मंत्री महोदय आ गये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह आवश्यक है कि जो भी कार्यक्रम इस सदन में लाये जाते हैं उनकी सूची पूर्वरूपेण प्रस्तुत कर दी जाती है और फिर आपकी अनुमति से दूसरा विषय लिया जाता है। मंत्री महोदय यह जानते थे कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उनसे संबन्धित आने वाला है तदुपरान्त भी सदन की अवहेलना करके माननीय मंत्रीजी सदन

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के प्रांगण से बाहर चले जाते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रोटेक्शन किस से सीक करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे इसके लिए अफसोस है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दे दें कि वह कम से कम सदन में रहा करें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : उनको अफसोस है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूँगा कि अभी एक हफ्ते पहले ही इस मामले में सिविल सूट मुन्सिफ कोर्ट में फाइल कर दी गई है इसलिए इस विषय में यह प्रश्न उपस्थित नहीं होना चाहिए। सब-जुडिस है।

श्री उपाध्यक्ष : किस ने किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन लोगों को इस आवंटन से आपत्ति है। लाखेरी के कुछ लोगों ने इस बारे में सिविल कोर्ट को एप्रोच किया है कि यह गलत हुआ है।

श्री गंगासहाय : मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैंने रखा है। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, जैसी आप व्यवस्था दें।

(विराम)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : केवल यह जानकारी दे दें कि किस ने किस के खिलाफ कौन सी अदालत में सूट किया है फिर हम मान लेंगे।

श्री बृजसुंदर शर्मा : कल मैं रात वहीं था और वहीं पर श्री नाथूलाल जी उनके वकील हैं और लाखेरी के तमोलियों ने जिनका आवंटन नहीं हुआ उनके खिलाफ जिनका आवंटन हुआ है सिविल कोर्ट में एप्रोच किया है। अब उसका नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा यह दूसरी बात है लेकिन वह सूट पेन्डिंग है इसलिए अभी कुछ इस बारे में कहना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य। श्री स्वायत्त शासन मंत्री जी !

स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विचारार्थ लिये जाने वाले स्थगन प्रस्ताव की सूचना वैसे मुझे नहीं थी क्योंकि वह कार्यसूची में नहीं था और माननीय सदस्य जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव भेजा था, से मैंने कल परसों बात की थी मेरे चेम्बर में इस बात के लिए कि आपस में कुछ रास्ता निकल सकता है तो और विचार किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर या जहां कहीं शहरों के अन्दर जिस प्रकार की कच्ची बस्तियां हैं वह कच्ची

(श्री भीखाभाई)

बस्तियां राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और सभी दृष्टियों से मैं समझता हूँ कि बहुत ही विचार करने काबिल प्रश्न हो गया है और यह प्रश्न समय समय पर राजस्थान की विधान सभा में भी हमारे माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है। जैसा कि सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने एक प्रस्ताव तो इसी सत्र में जनवरी माह में उठाया था और उसी प्रकार से अन्य सदस्यों ने पिछली विधान सभा में भी इस प्रश्न को उठाया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह मानवीय प्रश्न है और इसको मानवीय दृष्टि से सोचा जाना चाहिए, इसमें दो प्रकार की राय नहीं हो सकतीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अन्दर जो हमारा प्रदेश है उसमें कच्ची बस्तियों की समस्या उतनी नहीं है जितनी अन्य प्रदेशों में है, लेकिन फिर भी जहां बढ़ती हुई आबादी है, जहां बड़े बड़े शहर हैं वहां यह समस्या बढ़ती चली जा रही है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। लोगों के अन्दर यह भावना है और जो बाहर से आते हैं वह भी चाहते हैं कि शहरों में बसा जाय। मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर की आबादी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर कुछ लोग जो बाहर से आते हैं वह भी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कच्ची बस्तियों की समस्या और भी बढ़ती हुई चली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों की समस्या के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि उसमें कोई पार्टी की दृष्टि से विचार करने का प्रश्न नहीं है। यहां पर ध्यान साम्यवादी, जनसंघ और संसोपा के सदस्यों ने भी आकर्षित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि सारे जो हाउस के प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टीज के उन सब की ओर से इस प्रकार को चर्चा करने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में पहले जब हमारे माननीय सदस्य सतीशचन्द्र जी ने प्रश्न उठाया था उस समय भी जवाब दिया गया था। उसमें कहा गया था कि जयपुर नगर विकास न्यास क्षेत्र में ६२ कच्ची बस्तियां हैं और इन कच्ची बस्तियों में १४ बस्तियों का योजनाबद्ध विकास हुआ है और उससे सम्बन्धित बस्तियों को नियमानुसार बसा दिया गया है। इन बस्तियों को बसाने के लिए नल, बिजली और सड़क तथा बस्तियों की सफाई कराने हेतु वहां के निवासियों की मांग थी मगर नगर न्यास का योजनाबद्ध विकास के लिए नल, बिजली और सड़कों की जिम्मेदारी है यह उसके प्रति सदैव जागरुक रही है। इसलिए यहां पर बस्तियों की सफाई और तहारत की मांगों का सवाल है उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। उपरोक्त स्थिति के बारे में यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि १४ कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है और उनको योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है और दूसरी ११ बस्तियां ऐसी हैं कि जहां सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और ३६ ऐसी बस्तियां हैं जिनका सर्वे अभी जारी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के अन्दर जो कि गुलाबी शहर है उसके आसपास की जो जंगल की भूमि है जो भूमि आबादी के लायक होनी चाहिए वह

(श्री भीखाभाई)

पर्याप्त नहीं है। इसमें सिवाय चक की भूमि है और कोई जंगलात की भूमि है। जंगलात की भूमि लेने के बारे में और उसके साथ में सिवाय चक भूमि को प्राप्त करने के बारे में अभी हाल में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी ने निरीक्षण करके इस को देखा है कि कौन सी भूमि रिलीज की जाकर आबाद की जा सकती है। समस्या बहुत गम्भीर है इसको टाला नहीं जा सकता और समस्या का हल निकालना जरूरी है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था या नगरपालिका की कैपेसिटी नहीं हो सकती कि सारी समस्या का हल जैसा चाहे वैसा निकाल सके। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कि इस प्रश्न का हल जरूर होना चाहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि साल, २ साल, ३ साल अगर यह विभाग मेरे पास रहा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि २–३ साल में इस समस्या का सेन्टपर्सेन्ट नहीं तो ६० प्रतिशत हल निकाल सकता हूं। मैं यह निवेदन कर दूं कि यहां पर जो समस्या उटाई गई है कि यहां की जो कच्ची बस्तियों के निवासी लोग हैं उनको मालिकाना हक प्राप्त होने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कच्ची बस्तियों का सवाल है उस को उठाने की बात नहीं है। राज्य सरकार शुरू से इस बारे में जागरूक है। उन्होंने जो अपने निर्णय लिये हैं उनके अनुसार और साथ ही साथ नगर-न्यास के जो अध्यक्ष हैं उन सब ने मिलकर यह निर्णय लिया था, जितने ट्रस्ट हैं राजस्थान में उन ट्रस्टों के अध्यक्षों ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं और जो ५२ से पूर्व और ५७ से पूर्व से रहते हैं, और जिनका नाम निर्वाचन नामावलियों के अन्दर है उन लोगों को बोनाफाइड रेजीडेन्ट उन जगहों का मानकर उनको यह कहा गया है कि उनको बेदखल नहीं किया जायगा। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आज्ञा की अवहेलना हुई हो तो उसके बारे में बेदखली को रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जायगी। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

रहा सवाल उन लोगों को जो उन कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं इसके बाद के उनको दूसरी जगह बसाने का तो जहां पर जमीन कम नहीं है और पर्याप्त है तो उनको हटाया नहीं जायगा। यह नगर न्यासों ने उसके बारे में फैसला लिया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो एक स्थगन-प्रस्ताव रखा था उस वक्त नगर न्यास के नियमों के अनुसार उसमें यह लिखा है और खास तौर से कुल कच्ची बस्तियों के बारे में यह कहा गया है और अभी हाल में नगर न्यास, जयपुर ने यह निर्णय लिया है कि ढाई लाख रुपया बिजली और सड़कों के लिए प्रावधित करा दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, मैं समझता हूँ कि समस्या का हल होगा। समस्याओं का हल धीरे धीरे होता है। वित्तीय साधनों की पृष्ठ भूमि में कार्य हो सकेगा।

Page No. 77

(श्री भीखाभाई)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये थे उनमें से मुख्य जो प्रश्न थे वे इस प्रकार से हैं। उन्होंने कहा है कि कच्ची बस्ती वालों को मालिकाना हक दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य सरकार के अन्दर हम सब लोगों ने मिलकर इस बात का निर्णय किया था कि जो बड़े बड़े शहर हैं और जहां ५० हजार से ज्यादा जन-संख्या है वहां पर जो लोग रहते हैं वहां नये प्रकार से लीज राइट सेल करके या आक्शन से होगा। यह नही कर सकते हैं कि मालिकाना हक मिलें। जितनी भी नई बस्तियां बनी हैं उनमें लीज होल्ड राइट मिले हैं मालिकाना हक किसी को नहीं मिला है। बनी पार्क में जो रहते हैं या जो नई स्कीम्स बनी हुई हैं उनमें लीज राइट का जो सेल होता है वह एलाटमेंट के जरिये से या आक्शन के जरिये से होता है। इसलिए यह कहना कि उनको मालिकाना हक दिया जाय, मैं समझता हूं कि इस शहर के लिए उचित नहीं होगा।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहा बिजली, सड़क और पानी के बारे में, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थगन-प्रस्ताव में जो यह बात रखी गई है उससे मेरी सहानुभूति है, और मैं चाहता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थाएं जहां कहीं है वे कच्ची बस्तियों के लोगों, हरिजन बस्तियों के लोगों और पिछड़ी जाति की बस्ती के लोगों को प्लाट एलाट करें, गवर्नमेंट के आदेश की पालना करें, और साथ ही साथ उनको सभी सुविधाएं मिलें। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका मानस बनाने वाले सभी माननीय सदस्य हैं। जो लोग हमारी तरफ से नगरपालिकाओं के सदस्य हैं या ट्रस्ट के मेम्बर हैं तो उनके दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक वह भावना माननीय दृष्टि से सोचने को उनके दिमाग में नहीं बैठ सकती है। यह बात सही है कि आज जो स्थिति है उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि नगरपालिकाओं और ट्रस्ट के अन्दर जो लोग बैठे हुए हों उनका एक ही दृष्टिकोण हो। यह बात नहीं है। मैं इस बात के लिए किसी की तरफ से दावा नहीं कर सकता। आज इस तरफ बहुत काम करने की जरूरत है। इस बात को संकेत में रखते हुए जब तक मैं रहूंगा इस बात को कोशिश करूंगा कि यह जो समस्या कच्ची बस्तियों की है उस समस्या का हल निकाला जाय। इसलिए यह दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो जाता है।

तीसरी बात यह कही गई है कि कच्ची बस्ती के मकानों की मरम्मत पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसी ६२ बस्तियों की बात हुई उन ६२ बस्तियों में से जो योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई हैं, उनको बसा दिया गया है। वे ग्यारह हैं। उसके बाद जो वहां कच्ची बस्तियों में रहते हैं उन पर यह रोक नहीं लगाई जाय और निर्माण के काम को जारी रखें तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि उसका मतलब यह हुआ कि उनको वहां से हटाया नहीं

(श्री भीखाभाई)

जायगा। अब प्रश्न यह उठता है कि उनको हटाया नहीं जायेगा और जमीन वहां है नहीं ज्यादा तो किसी न किसी रूप में भूमि का आवंटन करना पड़ेगा। इसलिए यह कहना कि जब तक उनको फार्मली उठाया नहीं जाता है तब तक उनको बने रहने दिया जायगा, कठिन है। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा खास तौर से कि रोजमर्रा मेरे पास कच्ची बस्ती के लोग आते हैं। जिनसे मैं बातचीत करता हूँ। एक समस्या उठती है उसका हल होता है तो दूसरी प्रकार की समस्या लेकर आजाते हैं। समस्या यह कठिन है जैसा कि मैंने आपसे कहा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह मुझे पता है। उनकी मदद करने के लिए यह करना कि दस्तखत करा लिये या सिफारिश कर दी उससे ही काम नहीं चलता है। निर्वाचन नामावलियों के अन्दर जिनके नाम बराबर हैं उन लोगों को हटा दिया गया हैं तो उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जायगी।

माननीय सदस्य ने मेरे चेम्बर में बात करते हुए मुझे कहा था कि क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि बेदखली के बारे में कोई कानून बनाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस सुझाव के बारे में सहानुभूति हो सकती है, लेकिन इस कानून को बनाने की प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, वचन नहीं दे सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो कानून बनाने की बात है वह सदन जानता है और सदन की इच्छा पर निर्भर रहता है। इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। इस बात को मैं नहीं कह सकता।

अब प्राइवेट कोलोनाइजेशन के बारे में बात कही गई है, चौमू हाउस को मान लीजिये या सेवाड़ हाउस की बात हो तो ये जमीनें जागीरदारों की थी। उन्होंने भूमि का आवंटन कर दिया तो उनका यह कर्त्तव्य है, उन पर यह लाजिमी है कि उन्होंने जिन लोगों से पैसा लिया है और जिन लोगों को उन्होंने जमीनें बेची हैं, उनको बराबर सुविधाएं पहुँचाएं। उनमें सड़कों की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था करें। मैं समझता हूँ कि सदन यह सोच ले कि इसके बारे में कानून बनाने की बात है तो बनाया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए।

उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन-प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है, उसके बारे में मेरी सहानुभूति है, लेकिन मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार उस दिशा में काम कर रही है और बराबर जागरूक है, और जागरूक होकर तत्परता के साथ काम कर रही है, लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण जो कठिनाई है वह मेरे सामने भी है, सदन के माननीय सदस्यों के सामने भी है, और राज्य सरकार के सामने भी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामकिशन : बिलकुल संक्षेप में।

यह जो माननीय मंत्रीजीने जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि सरकार की राजनैतिक घोषणाएं तो सदन में एक बार नहीं अनेक बार की गई हैं। सवाल तो यह है कि जो समस्या है उसका निराकरण कितने दिनों में, कितने समय तक पूरा हो जायगा? हमें आपके जवाब से यह मालूम पड़ता है कि ६२ में से कुल १४ बस्तियों के बारे में आपने स्थिति को स्पष्ट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि समस्या का एक चौथाई भी समाधान नहीं हुआ है। माननीय मंत्रीजी ने जो इसकी गम्भीरता और गहनता के सम्बन्ध में बात कही है, जब उसको वे स्वीकार करते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार के प्रयत्न भी इतनी ही गहनता और गम्भीरता से होने चाहिएं।

कच्ची बस्तियों का सवाल जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा है निरन्तर बढ़ता रहेगा। जहां शहर का विकास होगा तो विकास के काम के लिए श्रमिक आयेंगे और बसते रहेंगे और उनके ठिकाने बनते जायेंगे। इनमें जो आधार लिया गया है ६२ बस्तियों के बारे में कि जिनका वोटर्स लिस्ट में नाम था उनको बसाने के लिए हम एक तरह से जिम्मेदार हैं तो मूल रूप से ही मंत्रीजी गलत बात पर चल रहे है। यह आने वाली समस्या है। यहां पर जो आज लोग बसे हैं और जो शहर में रहना चाहते हैं उनको आप किस प्रकार से हटायेंगे।

दूसरी स्थिति यह है कि अगर सरकार यह मान ले कि इस तरह की बस्तियाँ बढ़ेंगी और बढ़ने के बाद समस्या बढ़ेगी तो नई जमीन जहां हो और नई जमीन जहां उपलब्ध हो तो उसकी पहले जानकारी हो जानी चाहिए कच्ची बस्ती वालों को बसाने से पहले। थोड़ी पूंजी लगाकर कोई आधार बना लेते हैं उनके लिए यह सम्भव नहीं है किसी प्रकार से भी कि आज से ६ महीने या दो साल के बाद जब आप फैसला करेंगे तब अपनी झौंपड़ियों में जो पैसा लगाते हैं २०० या ५०० रुपया वे दुबारा लगा सकें। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ५२-५७ का आधार लिया गया है वह आधार नहीं होना चाहिए और आज जो भी जहां पर बसे हुए हैं उनको रेग्युलेराइज करना चाहिए। अगर आपने उनके लिए अलग से जमीन उपलब्ध की हों तो नगर न्यास की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, आपके विभाग की जिम्मेदारी है कि जहां पर जमीन उपलब्ध हों पहले से ही उन्हें वहां बसने के लिए कहा जाय, अन्यथा अनधिकृत निर्माण हो सकते हैं। इसके बारे में समस्या का समाधान आवश्यक है। इसके बिना यह समस्या सुलझेगी नहीं।

मंत्रीजी ने यह कहा कि अगर मैं २-३ साल मंत्री रहा तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह समस्या सुलझ जायगी।

अभी मंत्री जी ने जो कहा उसका मतलब यह हुआ कि माननीय भीखाभाई को दिलचस्पी इस मामले में है पर राजस्थान सरकार को दिलचस्पी नहीं है। इस बात की गारन्टी हम कैसे दे सकते हैं कि आप दो तीन साल मंत्री रहेंगे? किसी सरकार का ऐसा जवाब नहीं होना चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि हम मुख्य मंत्री बनेंगे तो दो तीन साल आपको मंत्री रख सकते हैं। मुख्य मंत्री

(श्री रामकिशन)

आपको मंत्री नहीं रखें या रखें इसकी बहस नहीं है। सवाल यह है कि आप दो तीन साल में इस समस्या को सुलझाने को तैयार हैं तो किस किस तरह से सुलझायेंगे ? आपने कहा कि मलिकाना हक मिले उस पर ९९ साल की लीज की व्यवस्था लागू है। मालिकाना हक से मतलब इतना ही है कि उनका स्थायित्व होना चाहिये, उनका उस पर अधिकार मान लेना चाहिये। ९९ साल के बाद जो दूसरों का फैसला होगा वही कच्ची बस्तियों वालों का भी हो जायगा। इस सदन में यह सवाल बार बार उठता है। मंत्रीजी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं यह अच्छी बात है। मैं उनसे यह कहूँगा कि आप उनके पुराने अधिकार को मान्यता दे दें। अभी वित्त मंत्री जी ने पिछड़े वर्गों के लोगों को सुविधा देने की घोषणा की है। आप उनसे बात करें क्योंकि पिछड़ी जाति के ही लोग इन कच्ची बस्तियों में अधिक बसे हुए हैं, कुछ अछूत और कुछ दूसरे लोग बसे हुए हैं। उनके लिये बिजली पानी के साधन आपको उपलब्ध करने चाहिये। शहर के विकास का प्रश्न और कच्ची बस्तियों का प्रश्न अलग अलग नहीं है। दोनों प्रश्नों को साथ में जोड़ेंगे तभी हल निकल सकेगा। जिन लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी है उनको लम्बा आश्वासन देनें से पार नहीं पड़ेगा। वे तो तत्काल उत्तर चाहते है। मैं समझता हूँ आप एक बार सदन के माननीय सदस्यों को बुलाइये, नगर न्यास के प्रतिनिधियों को बुलाइये और और उन लोगों से बात चीत करके निर्णय जल्दी ही लें ताकि समाधान समस्या का हो सके। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि आपका जवाब अधूरा है, असंतोषजनक है, इससे समाधान हुआ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानंद जी। संक्षेप में कहें, जो बातें कह दी गई हैं उनको दोहरावें नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कच्ची बस्तियों की समस्या पर जिस प्रकार बुनियादी तौर से सोचा जाना चाहिये था उस तरह से नहीं सोचा गया है। अब तक सदन में गवर्नमेंट की तरफ से इस बुनियादी प्रश्न को टालने का प्रयत्न किया जाता रहा है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि वहां पर कुछ गरीब लोग बसते हैं और मानवीय दृष्टिकोण से उनको बसाना है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से प्रश्न यह है कि कुछ लोग, बड़ी तादाद में, १ लाख के करीब बसे हुए हैं दूसरों के जिस प्रकार से मालिकाना हकूक बनते हैं जुरिस्प्रूडेन्स में जिनका आइडिया है उसी तरह से वे मालिक हैं। सिर्फ इसलिए कि उनके कच्चे मकान हैं इसलिए गवर्नमेंट रिकोग्नाइज नहीं करें, इसलिए रिकोग्नाइज नहीं करे कि उनके पास पट्टे नहीं हैं, बेनामा नहीं है इसलिए उनको चाहे जब निकाल फेंकते हैं और कहते हैं कि पट्टा लाओ। मंत्री जी ने ५२ से ५७ तक वालों की बात कही, उससे पहले वालों को नहीं निकालेंगे। वैसे एक एक पक्का सबूत पेश करे तब भी आप उनको एलोटमेंट देने में प्रायोरिटी देने की बात कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शहर में केवल कच्चे मकान वाले ही नहीं कि जिनके पास पट्टे और बेनामे नहीं हैं बल्कि यदि आप सर्वे करेंगे तो हजारों ऐसे

Page No. 81

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मकान हैं जिनके पास पट्टे और बैनामे नहीं हैं लेकिन वे ईंट पत्थर के बने हुए हैं उनसे नहीं मांगते....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पक्के मकान वालों से नहीं मांगें यह दलील नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बुनियादी प्रश्न है कि जो अरसे से बसे हुए हैं वे जमीन के मालिक हैं उनके मालिकाना हक को रिकोग्नाइज करना चाहिए। उनको कोई नयी चीज देने की बात नहीं है। आप १६२५ से बसे हुओं की बात कहते हैं लेकिन बहुत से उससे भी पहले के बसे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बी चर्चा नही होगी, आपने अपने विचार रख दिये मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उसको उन्होंने अपने जवाब में टच ही नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना था, मंत्री जी ने राज्य सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया, आपने अपनी बात कहदी, और कहनी हो तो संक्षेप में कह दीजिए। लम्बी चर्चा करने से सदन का समय जाता है, और भी काम करने हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे प्रश्न के बारे में समय की बात कहते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख नहीं पाये।

श्री उपाध्यक्ष : और भी माध्यम हैं, इतनी चर्चायें हुई हैं, बजट पर वाद विवाद हुआ, और किसी तरह से रखा जा सकता है। मंत्री जी आपकी बात मान रहे हैं। इतना लम्बा भाषण देंगे तो समय जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहने तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ३ घन्टे इसमें चले गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका क्या समाधान है मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। प्राइवेट ओनर्स जो हैं वे कहते हैं कि यह जमीन हमारी है। माधोविहारी जी के मन्दिर का अहाता है उसके बारे में रमेश जी कहते हैं कि मेरा मालिकाना हक है। अब उनका हक है या नहीं, म्युनिसिपेलिटी न तो हां कहती है और न इन्कार करती है। मालिक जमीन कहता है कि यह जमीन मेरी है मैं बेचूंगा। गवर्नमेंट क्या प्रोटेक्शन देना चाहती है उन लोगों को जो वहां पर बसे हुए हैं। लोग जिस जमीन पर बसे हुए हैं आपने वह जमीन बेच दी इस तरह के झगड़े जगह जगह पर खड़े हो रहे हैं। इसी तरह से आपने कहा कि जहां विकास योजना आ गई वहां पर निर्माण नहीं रुकेगा और जो विकास योजना में नही आई उनको रोकते हैं तो इस तरह से तो पचास वर्षों तक भी नहीं बन पायेंगे। हसनपुरा में नहीं बनाने दिया तो वैसे ही पड़े हैं न पक्के बनाने देते हैं और न मरम्मत करने देते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लगा-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तार ऊपरी बात कह कर टाला जाता है। मैंने मुख्य मन्त्री जी को भी नोटिस दिया है। भीखाभाई इस बारे में आश्वासन नहीं दे सकते। यह फण्डामेंटल पोलिसी का सवाल है। भीखाभाई उसके लिए क्या कहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लेंड रेवेन्यू लॉ कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में सिफारिश की है नोन म्युनिसिपल एरियाज हैं उनके बारे में सिफारिश की है कि १८ फरवरी सन् ५८ से जो आबाद हैं, जिनका लेंड पर कब्जा है उनको बाइ स्टेच्यूट ओनर डिक्लेयर करने का कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब नोन म्युनिसिपिल टाउन्स में हो सकता है तो म्युनिसिपिल टाऊन्स में क्यों नहीं हो सकता। यह सोशियल जस्टिस का बुनियादी प्रश्न है। जो अरसे से रह रहे हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज है। उनको मालिक घोषित करना चाहिये। टेम्पोरेरी तौर पर उनको बेदखल करना बंद करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कच्ची बस्ती की समस्या को सुलझाने के लिये अपना संकल्प सदन में प्रकट किया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस समस्या की ओर बहुत उदासीन रही है। जयपुर नगर में ६२ कच्ची बस्तियां हैं जिनमें से १५ बस्तियें हाथ में ली जा सकी हैं। ४७ बस्तियां ऐसी हैं जिन में सरकारी आंकड़ों के बिना पर सर्वेक्षण का काल हुआ है या हो रहा है।.........

(११ म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष सूक्ष्म में तीन चार सुझाव रखना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार विकास की दृष्टि से पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के एम० एल० ए० को एसोसियेट मेम्बर रखा जाता है उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का भी एम० एल० ए० को एसोसियेट मेम्बर बनाना चाहिये। होता क्या है सामान्यतया इनमें वी० आई० पीज को ही सम्मिलित किया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शहरी क्षेत्र में विकास की दृष्टि से अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का मेम्बर विधान सभा के सदस्य को बनना चाहिये ताकि उसका सक्रिय सहयोग मिल सके।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ दिल्ली का स्लम क्लिअरेन्स एक्ट है उसी प्रकार का राजस्थान में भी स्लम क्लिअरेन्स एक्ट बनाना चाहिये ताकि वास्तविक तौर पर कच्ची बस्तियों का विकास हो सके।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ आपने इसमें सन् १९५७ का आधार लिया है वह भी आधार बदला जाय आज हरेक मनुष्य के लिए पांच चीजें होना आवश्यक है रोजी, रोटी, आवास, शिक्षा, और चिकित्सा की सुविधा। संविधान के अनुसार यह राज्य सरकार की यह प्रथम जिम्मेदारी है इस दृष्टि से निवेदन करना

Page No. 83

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहता हूँ कि जो पापुलेशन की वृद्धि हो रही है उसी आधार पर आपको उनके निवास के लिए भूमि देनी पड़ेगी। आपने जो १६५७ का आधार रखा है उसको बदलना चाहिये।

आवास के सम्बन्ध में मेरा यह भी सुझाव है कि जिस प्रकार जमीन को जोतता है उसकी है उसी प्रकार जिस भूमि पर जो बसता है वह उसी को भूमि होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये वहां की भूमि एक्वायर करके उनको उजाड़ दिया जाय और उनको नहीं बसाया जाय इस नीति मे सरकार को परिवर्तन करना चाहिये। अरबन की पोलिसी डेवलपमेंट चार्जेज के नाम पर जो ज्यादा रुपया जमीन बेचने का तरीका है उसका बदला जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में ही कच्ची बस्तियों से करीब एक लाख आदमी बसते हैं। भोखाभाई आप चलिये मैं आपको बता सकता हूँ कितना नारकीय जीवन वे लोग वहां पर बीता रहे हैं कोई यदि मर जाय तो उस गली से मुर्दा नहीं निकल सकता इन सुझावों पर सरकार विचार करेगी।

श्री लादूराम मुलाणिया (फागी) : मैं भी इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में.......

श्री उपाध्यक्ष : क्या मैं यह मानकर चलूं कि अब आगे विनियोग विधेयक पर चर्चा नहीं करनी है अगर करनी है तो समय का ध्यान रखना आवश्यक है अतः आप माननीय सदस्य अब स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम मुलाणिया : जो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया मुझे उस पर कुछ कहना है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास विनियोग विधेयक पर बोलने वाले सदस्यों की काफी लम्बी सूची है यदि आप इस तरह से समय लेते रहेंगे तो वे माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह जायेंगे। माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है और उसके बाद भी कुछ माननीय सदस्य बोल गये हैं आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम मुलाणिया : मेरी बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये मैं केवल एक ही मिनिट में निवेदन कर दूंगा.......

श्री उपाध्यक्ष : आप एक ही मिनिट में समाप्त कर देंगे इस वादे पर पक्के रहिये।

श्री लादूराम मुलाणिया : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हरिजन पिछड़ी जाति के है जो वे यह कहते है मैं उनको इस बात को चेलेन्ज करता हूँ और मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि आप इनकी समस्या को बहुत जल्दी सुलझायें लेकिन यह आपके बूते की बात नहीं है आपको १२ वर्ष हो गये मन्त्रिमन्डल में आये हुए क्या आपने कभी अपना उत्तरदायित्व निभाया है ? कभी आपने परिगणित जाति एवं जन जाति के लोगों की सुविधा के लिये कभी ध्यान दिया है ? कभी आपने उनके भलाई के काम के लिये सरकार पर जोर डाला है नहीं आप यह नहीं कर सकते आप तो उनके एक खरीदे हुए है आप को केवल × × × × ×

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No. 84

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज।

श्री लादूराम मुलाणिया : आप हरिजनों और आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं आपको सही तरीके से इनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखना चाहिये तभी यह समस्या सुलझ सकती है। बार बार आपके द्वारा परिगणित जाति की भलाई की काम की दुहाई देना गलत बात है। आप सही तरीके से उनकी भलाई का काम करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह कच्ची बस्तियों का कोई सवाल ही नहीं था यह सवाल तो पैदा किया गया है। एक जगह बसने वाले लोगों को दूसरी जगह उखाड़ दिया जाता है। जब वे दूसरी जगह आबाद होते हैं तो फिर उनको वहां से भी उखाड दिया जाता है। ये बस्ती वाले ऐसे लोग हैं जिनको आप एक जगह बसने देना नहीं चाहते। दूसरा इसमें वे लोग भी हैं जो बाहर से रोजगार की तलाश में यहां आते हैं और जहां भी जगह देखी, बस जाते हैं कच्ची बस्ती में बसने वाले लोग इस प्रकार के हैं। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है राज्य सरकार का कर्तव्य है और बुनियादी कर्त्तव्य है कि ऐसे लोगों के लिये आवास की व्यवस्था करे लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति न होने के कारण यह समस्या ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं हो पा रही है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि राज्य सरकार इस समस्या के समाधान के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं रखती, इसका परिणाम जयपुर ही नहीं राजस्थान के अन्य कस्बों में भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। अगर सरकार इनको बसाने में वाकई उत्सुक है तो सरकार को इस बारे में निश्चित कार्यक्रम बनाकर इसका समाधान करना चाहिये और कच्ची बस्तियों से रहने वालों को ठीक से बसाया जा सकता है और उनको आवास के लिये स्थान दिया जा सकता है।

आज इन बस्तियों की हालत बहुत बुरी है वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जिनके पास अपने पक्के मकान बनाने के लिये पैसा नहीं उनको आप इधर उधर उखाड़ पछाड़ करते रहें यह उचित नहीं है इनके लिये आप निश्चित योजना बनाकर इसको हल किया जा सकता है। आपकी नीति और कार्यक्रम के अभाव में यह समस्या बढ़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कच्ची बस्तियों सवाल महान् दुखदायी और खेद जनक है। आज हम देखते हैं पचासों वर्षों से बसते आये हुए लोगों को जो दिन भर मजदूरी के लिये इधर उधर काम करते है और परमात्मा के भरोसे कुछ मजदूरी में मिल जाता है तो उसी से अपना पेट भर कर इन झोपड़ों में सो जाते है! अगर मजदूरी न मिले तो भूखे रहकर भी सोजाते हैं। आज हालत यह है कि आज ऐसे लोगों को भी जहां वे बसे हुए है उनको उजाड़ा जा रहा है जिनके कुछ झोंपड़े हैं। आप कहते हैं कि वे अपने पट्टे दिखावें। आपको पट्टे ही देखने हों तो देखिये क्या

(श्री गोकुलप्रसाद)

बीकानेर का लालगढ़ पेलेस है क्या उसका पट्टा है, क्या गजनेर का पट्टा है, क्या चन्द्र महल का पट्टा है, बड़े बड़े सेठों की हवेलियां हैं क्या उनके पट्टे हैं उनके पट्टों के लिये कोई नहीं पूछता आज उस गरीब झोंपड़ी वाले को पूछते हैं पट्टा लाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, पांच महिने पहले बीकानेर में बरसात के दिनों में कुछ मकानों को तुड़वा दिया गया। बेचारे गरीब मजदूर जिनके वे मकान थे हमारे पास रोते रोते आये क्या करें मैंने कहा कि कलेक्टर से बात करें। कलेक्टर ने कहा कि ये योजना से तोड़े जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा जब हम डेपुटेशन लेकर यहां आये उस समय हमारे भोखा भाई आंख का इलाज करा रहा थे ये मिले नहीं। मैंने कहा कलेक्टर के मकान पर सत्याग्रह करेंगे। वहां जाकर लोग बैठ गये उनके साथ बच्चे भी थे। उसे मकान तुड़वाने के समय एक पट्टी के गिर जाने से एक गाय की टांग भी टूट गई। कलेक्टर साहब कहते है कि हम योजना के अनुसार तुड़वा रहे हैं आप तुड़वा तो रहे हैं लेकिन उनके लिये दूसरे मकान कौन बनवायेगा। जिसके पास पैसा नहीं वह कैसे दूसरा मकान बना पायेगा। आज ये वे लोग हैं जो ग्रामीण पूंजीवादियों से सताये हुए शहरों में आकर बस गये हैं। वहां गांवों में जिनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती इसलिये शहरों में आकर बसते हैं आप उनके बने बनाये मकान झोंपड़े तुड़वाने के लिये बैठे हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा इसको बन्द करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो जमीन पर बस गये है उसी का उनको पट्टा दे दिया जाय थोड़ी कीमत लेकर। आप सीलिंग कानून लागू नहीं करना चाहते दूसरी तरफ जो गरीब बसे हुए हैं उनको भी उजाड़ना चाहते हैं। आज बीकानेर के महाराजा जिन्होंने अपनी जमीन को बेचना शुरू कर दिया हजारों बीघा है क्या उसको इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट रोक नहीं सकता। वल्लभ गार्डन में हजारों एकड़ जमीन है उसको आप क्यों बेचने दे रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, में एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, मैं एक मिनिट में इसके विषय में कहना चाहता हूँ कि जो शहरों को बनाने की स्कीम की वजह से पिछड़े वर्ग को जहां वह बसा हुआ था। उनको उस जगह से हटा दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले जयपुर के अन्दर आबाद थे और बाहर भी आबाद थे। उसके बाद में स्कीम बनी, उसमें केवल जयपुर का जिक्र नहीं था, सभी शहरों की स्कीमों के तहत वह वहां से हटा दिये गये और वह दूसरी जगह आबाद हो गये। वो ही लोग जो शहरों से निकाले गये थे वे अब कच्ची बस्तियों में आबाद हैं। तो अब उनके मकान नहीं तोड़े जायें व उनको वहां से नहीं हटाया जावे इस बारे में सरकार क्या कर रही है। मंत्री जी इसकी जानकारी भी दें।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। केवल एक बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि इन्सान के लिए पांच चीजों की आवश्यकता होती है खाना, कपड़ा, आवास, हवा और पानी....

श्री उपाध्यक्ष : यह सिद्धान्त सभी को मालूम हैं। आप जो बात कहना चाहते हैं वह कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी : उन सिद्धांतों में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नम्बर तीन के अन्दर रहती है आवास की व्यवस्था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कई सालों से आबाद हैं उस जमीन पर उनका मालिकाना हक स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरे पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिए या दूसरे कामों के लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता होती है तो उनके मालिकाना हक को स्वीकार करके उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए या उनको रहने के लिए दूसरी जमीन दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब अपने जीवन काल में प्राइम मिनिस्टर थे, दिल्ली में कच्ची बस्तियों की हालत देखने लगे तो वहां की हालत देख कर रोये, उनकी आंखों से आंसू बहे। उस भावना से इस समस्या को देखते हुए मंत्री महोदय काम करने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री !

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह नाकाफी है और उससे संतोष नहीं होता, वह समस्या का हल भी नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस आवास के मामले में हस्तक्षेप करें और उन प्रतिनिधियों को, यानी ऐसी बस्ती में रहने वाले जो हैं उनके लोग प्रतिनिधियों को स्वयं बुलायें और उनकी समस्या को ध्यान से सुनें क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले पांच छः महीनों से इस सम्बन्ध में एक व्यवस्थित आन्दोलन चल रहा है; दो बार प्रदर्शन हो चुके हैं और यह सवाल महत्व का बन चुका है। यह मामूली सवाल नहीं है इसलिए आपस में बैठ कर बात करें और इसमें अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाना चाहिए ताकि वह भी बैठकर बात कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री !

श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : एक मिनिट में मुझे एक बात कहनी है।

माननीय भीखा भाई ने बताया कि यह समस्या धीरे धीरे हल होगी, और सरकार जागरूक है—यह दो बातें उन्होंने कही हैं। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में बुनकर हजारों की संख्या में बसे हुए हैं, और १९५५ से इस सरकार से आवास के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। कई बार उनको आश्वासन दिया है कि नक्शा बन रहा है और उनको प्लाट एलाट करने का आश्वासन दिया है लेकिन आज तक प्लाट नहीं दिये गये हैं। उन लोगों में से सब सहकारी समिति के मेम्बर हैं और उसके माध्यम से सरकार को एप्रोच किया गया है, और मुख्य मंत्री जी तक गये हैं। आज तक उनका केस पेंडिंग है। आपने इस समस्या का आज तक समाधान नहीं किया है। आशा है आप इसको गम्भीरता के साथ देखेंगे और इन लोगों की समस्या का समाधान करेंगे।

Page No. 87

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों के प्रति तो मेरी बड़ी सहानुभूति है, मैं उनका स्वागत करता हूँ लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है....

श्री उपाध्यक्ष : भीखा भाई जी सब माननीय सदस्यों के साथ हैं।

श्री भीखाभाई : उनके बारे में क्या कार्यवाही हो सकती है उसके बारे में विचार किया जायेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पंडित जी ने इनकी दुर्दशा को देख कर आंसू बहाये थे, उसी तरह करें भीखाभाई !

श्री रामानन्द अग्रवाल : भीखाभाई ने इस बारे में कुछ नहीं कहा ..

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा चर्चा नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भीखाभाई जी बैठ गये। एक सुझाव कान्क्रीट आया था कि मुख्य मंत्री जी, अभी पांच दिन असेम्बली और बैठेगी, इस बीच विधान सभा के सभी दलों के नेताओं और नागरिकों, और कच्ची बस्तियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीरिअस्ली ....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बाकी के कहां गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल – यह जो जो प्रतिनिधि हैं, और जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है उनको बुला कर सीरिअस्ली बात करें कि इसका क्या समाधान हो सकता है। स्कीम गवर्नमेंट की आ रही है नीति के तहत-उससे काम नहीं चलेगा। क्या मंत्री जी इस तरह की मीटिंग बुलाने के लिए तैयार हैं। इस तरह की मीटिंग, अभी पांच तारीख तक असेम्बली चलेगी, तो कल बुला लीजिये, परसों बुला लीजिये, कल चुनाव हैं तो दो तारीख को बुला लीजिये और उसमें कुछ विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष –माननीय स्वायत शासन मंत्री।

श्री लादूराम सुलानिया-शासन की ओर से बताया कि माननीय मंत्री जी सदस्यों के साथ हैं तो मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूँ

श्री उपाध्यक्ष – आर्डर प्लीज। दुबारा चर्चा नहीं होगी। मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा-कर दो घोषणा।

श्री भीखा भाई–माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया

श्री उपाध्यक्ष–सबसे बड़ा सुझाव यह है कि आमंत्रित किया जाय सभी दलों के नेताओं को।

श्री भीखा भाई – उनके प्रतिनिधियों को बुला कर उनसे बातचीत की जाय इस बारे में सुझाव दिया। इस बारे में मैं निवेदन

(भीखा भाई)

कर सकता हूँ कि माननीय सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट्स के और दो चार पांच माननीय सदस्य, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उनको प्रतिनिधि के रूप में बुला सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन जो बेसिक पालिसी निवेदन करी उसमें इस वक्त परिवर्तन हो सकता है या नहीं-यह बहुत कठिनाई का सवाल है। एक बात बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि में मंत्री रहूँगा इसलिए यह काम नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष – उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री भीखाभाई – में यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न जो है इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। उस बारे में कहना चाहता हूँ कि २०-१-६८ को इस बारे में नगर न्यास के वहां बैठक थी, उस बैठक में, जैसा सतीशचन्द्र जी ने कहा कि अभी काम बड़ा धीरे धीरे हो रहा है, ४७ योजना पर काम नहीं हुआ। में निवेदन करना चाहता हूँ कि ६१-६२ की योजना थी उसमें १४ पर काम हो गया हे, और ३६ पर बाकी है। यह कहा था, इसलिए कहता हूँ कि कई माननीय सदस्य कहते हैं कि धीमी गति से चलते हैं तो बात सही नहीं है, बुनियादी तौर पर यह हक स्वीकार करने के लिए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जुरिस्पुडेंस में कहा है कि मालिकाना हक प्राप्त हो जाते हैं। में समझता हूँ कि इस प्रकार का जुरिस्पुडेंस में नहीं है, मालिकाना हक का नही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल – आप कानूनी चक्कर में मत पड़ो।

श्री भीखा भाई – यह मालिकाना हक की बात समझ में नहीं आती है। इसके बाद में कहा, प्राइवेट ओनर्स के बारे में। इसके बारे में हम सब लोगों को सहानुभूति हैं, जिस प्रकार माननीय सदस्य को सहानुभूति हो सकती हैं, जो लोग कच्ची बस्ती में बसे हुए हैं, जिनसे डवेलपमेंट के चार्जेज ले लिये हैं वह काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जिनसे नहीं लिया है वह मजबूर नहीं कर सकते। मैं यह कह सकता हूं कि जो नीति का सवाल है उसके बारे में माननीय सदस्य चाहें तो मुख्य मंत्री जी से बात कर लें।

श्री देवीदत्त गाड़िया – आपकी बात को नहीं मानते हैं तो इस काम को आपको अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए। दूसरे मंत्री को दे देना चाहिए मुख्य मंत्री को दे देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष – चर्चा समाप्त हुई।

श्री लादूराम सुलानिया – यह बात गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल – मेरे दो सुझाव थे।

श्री लादूराम सुसानिया – उनको बिजली नहीं देना, पानी नही देना और प्लाट दे दिये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : इसके लिए कहते हैं कि वह काम पूरा हो गया। वह क्या पूरा हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ग्रार्डर प्लीज ! कोई उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने कॉन्क्रीट सुझाव रखा था। ग्राखिर मसला इतना सीरिग्रस है कि दो बार प्रदर्शन ग्राये, चार ग्रादमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खाली हमारी बातों को नोट करने से बात नहीं चलेगी। यह बात सही है कि भीखा भाई ग्रकेले कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल पॉलिसी का क्वेश्चन है। इसलिए सुझाव दिया कि मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में इस तरह की मीटिंग बुलाई जाय उसमें लेजिस्लेटर्स बुलाये जायं विभिन्न पार्टियो के, कच्ची वस्ती के प्रतिनिधि बुलाये जायं ग्रौर बुला कर राउन्ड टेबल कॉन्फ्रेन्स में इस बारे में सीरिग्रसली विचार किया जाय, जिसमें सब बातों पर विचार कर सकें, ग्रौर नया कानून बना है उसके बारे में विचार हो सके। यह इतना ही ग्राश्वासन इस ग्रसेम्बली के फ्लोर पर ग्राप दे देते इस बारे में ग्राप कुछ कहने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री रामकिशन : कह दो इसमें क्या है ?

श्री लादूराम सुलानिया : पूछ ग्राइये मुख्य मंत्री जी से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ग्रलग ग्रलग राजनैतिक दलों के नेताग्रों से मिल कर बात करें तो इस बारे में ग्राश्वासन दे सकते हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : मैं कैसे दे सकता हूं ? मैंने यह ग्राश्वासन दिया है कि मैं ग्रापसे बात करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्राप तो हमारे साथ हैं।

श्री भीखाभाई : ग्रापने यह मांग की है, मेरे से यह मांग की है उसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं ग्रापसे बात करूंगा, मैं बात करूंगा जो प्रतिनिधि हैं उनसे ग्रौर उसमें ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : भीखाभाई हमदर्दी जाहिर कर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मंत्री जी की राय नहीं लेनी है ग्रौर ग्राप खुद कर सकते हैं तो ग्राप करके खत्म कर दीजिए। ग्राप कर सकते हैं तो ग्रापको भला करना चाहिए गरीब लोगों का।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ! विनियोग विधेयक !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न इस बात का नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को बातों में टाल देना चाहते हैं तो मतलब साफ है कि समस्या को हल नहीं करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका हल निकाला जाय····

श्री उपाध्यक्ष : क्या हल निकाला जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थोड़ा थोड़ा भीखाभाई सोच रहे हैं। पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया था सदन में तो उस बार सुझाव दिया था और स्वीकार किया था कि सभी राजनैतिक दल के लोग हैं उनको बुला कर मुख्य मन्त्री जी के साथ……

श्री भीखाभाई : मुख्य मंत्री जी के साथ नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके साथ बैठकर विचार करने में हमें आपत्ति नहीं है, आपके साथ बैठने में गुरेज नहीं है। मुख्य मन्त्री जी आपके साथ बैठना हिकारत समझ सकते हैं। हम इस बात को अनुभव करते हैं कि यह कच्ची बस्तियों का मामला है। वर्ना हम इस मामले पर सोच रहे थे कि सरकारी नीति रीति का विरोध करते हुए हम इस मामले पर वाक आउट करते। लेकिन चूंकि यह भीखाभाई का प्रश्न है इसलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रश्न पर, विशेष तौर पर भीखाभाई के प्रश्न पर वाक आउट का प्रश्न आये। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, पोलीटिकल पार्टीज के लोगों को बुला लीजिये, मुख्य मंत्री जी उसमें हों और फिर क्या हो सकता है—इस पर विचार कर लीजिए। इसमें एश्योरेंस देने में क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री भीखाभाई : मैं आश्वासन दे चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्राइवेट लैंड के बारे में आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता।

श्री भीखाभाई : मैंने यह आश्वासन दिया, माननीय सदस्य जिन्होंने अपने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और उनके साथ विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जो सदस्य हैं उनको बुलाकर मैं अपने चेम्बर में बात करूंगा। उनकी बात अधिकारियों के सामने रख कर जो वाजिब हल होगा वह निकालने की चेष्टा करूंगा। यह निवेदन कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तारीख बता दीजिए, दूसरे मुख्य मंत्री जी का……

श्री भीखाभाई : आपकी जब तबियत हो तब तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तबीयत की बात नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : सत्र समाप्त होने से पहले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बगैर मुख्य मंत्री जी के प्राइवेट लैंड के बारे में फैसला कैसे कर सकते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने तो इतना लेटीट्यूड दिया है, आज-कल, परसों चाहे जब मैं तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय सदस्य चाहें तब भीखाभाई बात करने को तैयार हैं।

राजस्थान विनियोग (सं. ३) विधेयक, १९६८ पर अग्रेतर विचार

श्री अध्यक्ष : विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श ! आर्डर प्लीज ! साढ़े बारह बजे चर्चा समाप्त होगी। हर एक बोलने वाले माननीय सदस्य को पन्द्रह मिनिट का समय दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय बढ़ा दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फर्स्ट अप्रेल को पास कर लेंगे, आज क्या जल्दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह समय-सीमा में पास होगा। अब माननीय शिवनाथ सिंह बोलेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं कुछ विचार व्यक्त करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। संक्षेप में निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ-सिंह !

श्री देवीदत्त गाडिया : थोड़ा समय बढ़ा दीजिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष पिछले दिनों अगली साल का बजट प्रस्तुत किया, उसके बाद अलग अलग विभागों की मांग प्रस्तुत की गई और उनको स्वीकार किया गया। इस समय सदन के सामने विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लेकर सदन में काफी विवाद हुआ है। मेरी मान्यता यह है कि बजट अपने आप में कुछ नहीं होता, कुछ सिद्धांतों की पूर्ति के लिए किसी राज्य या किसी देश का बजट होता है। उससे कौनसा राज्य किस ओर चलना चाहता है, उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या आदर्श हैं-यह जानने को मिलता है। राजस्थान का बजट पेश हुआ इस पर यह चर्चा की गई कि इस बजट में नया टैक्स नहीं लगाया गया है। कई साथियों ने इसको बहुत ही बढ़िया बजट बताया और किसी ने इसकी आलोचना की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी बजट में टैक्स लगना या न लगना अहमियत की बात नहीं है। टैक्स लगने के बाद भी कई बजट अच्छे हो सकते हैं और कई टैक्स न लगते हुए भी अच्छे हो सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि टैक्स आज के प्रगतिशील युग में लगे लेकिन उस टैक्स का सदुपयोग हो। इसलिए कोई बजट, जिसमें टैक्स लगे हैं अच्छा हो सकता है। लेकिन कोई बजट प्रगतिशील युग के माफिक नहीं है, समाज के उत्थान के लिए नहीं है, तो हम यह मानकर नहीं चल सकते कि टैक्स नहीं चल सकते कि टैक्स नहीं लगा इसलिए बजट बहुत प्रगतिशील है।

इस बजट के कई पहलू हैं। उन सबकी तरफ ध्यान दिलाकर यह हमारा किसान

(श्री शिवनाथसिंह)

वर्ग है, मजदूर वर्ग है उसकी बजट के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रान्त में जो ८० और ६० के बीच का प्रतिशत है वह किसान और मजदूर वर्ग का है। उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि किसान और मजदूर में फर्क नहीं है, जिसका कैपिटल अपना है, लेबर अपना है वह किसान कहा जा सकता है और जिसमें कैपीटल दूसरे का है और लेबर अपना है वह मजदूर हो जाता है। जब किसान का अपना खेत है, अपनी जमीन है उसमें वह खुद काम करता है तो वह किसान कहा जा सकता है। किसान अपनी खुद की जमीन पर काम न करके दूसरे की जमीन पर काम करता है तो वह मजदूर हो जाता है। बाहर गांव में नहीं रह कर वह शहर में आ जाता है तो शहरी मजदूर हो जाता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार का ध्यान इस वर्ग की ओरजाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां ८० प्रतिशत ८५ प्रतिशत इसवर्ग के लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पिछले २० सालों में प्रगति की है। लेकिन जिस हिसाब से प्रगति करनी चाहिए, वह किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए हमने नहीं की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कृषि पॉलिसी तय होनी चाहिए। हमने देखा है रूस जैसे देश को जो अपनी कृषि पॉलिसी को क्रियान्वित नहीं कर सका तो उसके प्रधान मन्त्री को हमने बदलते देखा है। उस पॉलिसी को, जो भी पालिसी है-इसका आज समय आगया है-कि हम निर्धारित करें, हम नीति निर्धारित करें हमारा कृषिप्र-धान देश है, यदि हम खेती की तरफ उचित ध्यान नहीं देंगे तो हमारे प्रान्त का विकास होना असम्भव है। हमारी सरकार है उसने किसानों के लिए कुछ किया है, जमीन को सुधार दिया है, खातेदारी के अधिकार दिये हैं, जमीन पर मालिकाना हक दिया है, सिंचाई के साधन दिये हैं। अब तक जो कुछ हो चुका है, उससे किसान की हालत को देखना पड़ेगा क्या वह निश्चिन्त हो गया हैं? आज किसान की हालत है वह यह है कि वह निष्फिक्र नहीं है। उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है उसको पहू मामले के लिए वर्षा की ओर या राज्य सरकार की ओर देखना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसका किसान का धन्धा है वह किसान रह सकता है, जो किसान रहे हैं और कसान के धन्धे को नजदीक से देखा है वह जान सकते हैं कि किसान के लिए जमीन चाहिए, जमीन जितनी है उतनी मिलेगी। उसके बाद राज्य सरकार जमीन की मात्रा को बढ़ा सकती है, उसको सिंचाई के साधन, बिजली के साधन, खाद के साधन देकर बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों बिजली की सहूलियतें बढ़ी है। सिंचाई के साधन बढ़े हैं। हम नहीं कह सकते कि ऋण के मामले में निष्फिक्र हैं, अपनी फसल बढ़ाने के लिए, कुए खोदने के लिए, सिंचाई के साधन करने के लिए ऋण की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि ऋण के लिए किसान को मुंह देखना पड़ता है, पंचायत समितियों का और राज्य सरकार का। कम से कम ६० पर्सेंट किसान ऐसे है जिनको ऋण नहीं मिल सकता। राज्य सरकार की व्यवस्था है, मैं चाहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसान सिंचाई के साधन जुटा सके और उसको

(श्री शिवनाथसिंह)

ऋण मिल सके। किसान को ऋण मिलना चाहिए। जब तक ऋण की तरफ किसान को आप निष्फिक्र नहीं कर सकते तब तक देश में उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

बिजली के सवाल पर मैं निवेदन करूं कि थोड़े दिन पहले विद्युत् मन्त्री स्टेटमेंट दे रहे थे विद्युत् के मामले में। उस वक्त उनका भाषण सुन कर खेद हुआ मुझे। किसानों की तरफ देखे बिना उन्होंने स्टेटमेंट में कहा, किसान को बिजली लेनी है तो लें, नही लेनी है तो मत ले। राज्य का जो विद्युत् मन्त्री जानता है कि किसानों की क्या तकलीफ है? वह ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि कारखानों को बिजली मिलेगी दिन में। और रात को किसान को बिजली लेनी हो तो वह ले। आप देखिए, दस बजे बाद सर्दी में अपने खेत में काम करता है, उसकी औरत काम करती है, उसके बच्चे काम करते हैं, रात को वह खेत की पिलाई करते हैं जब कि कड़ाके की सर्दी पड़ती है और हम सब लोग गद्दे लिहाफ में सोये होते हैं उस वक्त किसान अपने खेत में पानी देता है। यह दर्दनाक स्थिति है। इस ओर ध्यान देना चाहिए। कारखानों में आप बिजली रात में दें। शेडे हैं वहां छाया है लेकिन किसान को सर्दी बरसात में दिन में बिजली देने का इन्तजाम करिये। वह गर्मी सर्दी बरसात में खुले आकाश के नीचे काम करता है। वह खुद करता है, उसकी औरत करती है, उसके बूढ़े माता-पिता और उसके बच्चे पिलाई का काम करते हैं। उनको आप रात में बिजली दें और कहें कि रात में बिजली लेनी पड़ेगी तो यह किसान के प्रति अच्छा रुख और रवैया नहीं है।

और इसके साथ ही साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां कृषि की उपज को बढ़ाने के लिये किसानों को अच्छे साधन चाहिये, अच्छे किस्म का बीज चाहिये, खाद चाहिये, कृषि को उन्नत करने के लिये उन्नत किस्म के औजार चाहिये और समय पर ऋण चाहिये, पर हमारे इस बजट में रियायत दी है कि उनके इन्सेक्टिसाइड्स हैं, उन पर टैक्स कम करते हैं। इतना बड़ा बजट जिसमें केवल इन्सेक्टिसाइड्स पर थोड़ा टैक्स कम कर दिया और कहें कि हमने किसानों के लिये बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं यह समझता हूं कि आज जितनी सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं वे बहुत ही नाकाफी हैं। आज जो हमारे प्रान्त की स्थिति है, उस स्थिति से यदि हमारे प्रान्त को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें खेती की ओर ज्यादा ध्यान देकर खेती को बढ़ाना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि खेती के बारे में सरकार एक निश्चित पॉलिसी डिक्लेयर करे। खेती के बीमे की आवश्यकता को आज अनुभव करने लग गये हैं, खेती के लिये बीमा-योजना को चालू करना नितान्त आवश्यक है। किसान महीनों तक लगातार कड़ी मेहनत करता है, खेतो पर खर्चा लगाता है और रात दिन खेतों में परिश्रम करता है पर आखिरी दिन अगर ओले पड़ गये या और किसी किस्म का प्राकृतिक प्रकोप हो गया तो किसान की ४ महिने की कड़ी मेहनत एक दिन में ही खत्म हो जाती है, उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है...

(११. ३१ म० पू०)

Page No. 94

(श्री शिवनाथसिंह)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि बीमा की योजना को खेती में लागू किया जाय एक्सपेरिमेंट की स्टेज पर ही सही और इसमें राज्य सरकार अपनी ओर से मदद दे। यदि इसमें सरकार को घाटा भी हो तो उस घाटे को राज्य सरकार को मंजूर करना चाहिये और किसानों की सुरक्षा करनी चाहिये। क्योंकि किसान, लगातार महीनों तक की सारी मेहनत सारी कमाई एक दिन में ही चौपट हो जाती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार कृषि में बीमा की योजना को जल्द से जल्द लागू करे।

दूसरे मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह किसानों को ऋण के सम्बन्ध में आश्वस्त रखना चाहिये कि जब भी उन्हें कृषि के विकास के लिये ऋणों की आवश्यकता होगी तो ऋण मिल जायेंगे।

राजस्थान केनाल में जमीनें एलॉट करने के सम्बन्ध में यहां सदन में चर्चा चली और राज्य सरकार ने कहा कि भूमिहीनों को, हरिजनों को, पिछड़े वर्गों को वहां जमीनें दी जा रही हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं पर राज्य सरकार की जमीनें एलॉट करने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से गरीबों को, भूमिहीनों को जमीनें मिलने वाली नहीं है। जिस तरह का सिस्टम भूमि के एलॉटमेंट का रखा है उससे गरीबों को जमीनें नहीं मिल सकेंगी। यहां सदन में कई माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि राजस्थान केनाल एरिया में जमीनों की नीलामी नहीं की जानी चाहिये, पर मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जमीनों की नीलामी हो। जो गरीब पिछड़े हुए, हरिजन, आदिवासी आदि हैं, उनको भी नीलामी से जमीनें दी जाय, हां उनसे किश्तों की वसूली में रियायत कर सकते हैं, साधारण आदमी से १० किश्तों में वसूल करते हैं तो उनसे २० किश्तों में धीरे-धीरे वसूली की जा सकती है पर जमीनें नीलाम नहीं की गई तो जिस तरह का एलॉटमेंट सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम से उन्हें जमीनें नहीं मिल सकेंगी।

राजस्थान केनाल एरिया में जमीनों के एलॉटमेंट के सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान केनाल एरिया केवल किसी एक जिले का, तहसील का या गांव का नहीं है, क्योंकि इस पर समूचे राजस्थान का पैसा लग रहा है। इसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया था और फिर निवेदन कर रहा हूं कि समूचे राजस्थान के लोगों को, आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोगों को, भूमिहीनों का, राजस्थान केनाल एरिया का फायदा मिलना चाहिये। किसी एक जिले के लोगों को ही वहां भूमि मिले, इसका मैं विरोध करता हूं। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि उसकी जो एलॉटमेंट पॉलिसी है, उसको चेंज किया जाय, समस्त राजस्थान के लिये राजस्थान केनाल एरिया को रखा जाय। हम चाहते हैं कि राजस्थान केनाल में अधिक से अधिक रुपया लगे पर इसके साथ ही साथ चाहते हैं कि राजस्थान के सब लोगों को वहां भूमि की सुविधा मिले।

(श्री शिवनाथसिंह)

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार जो बजट पेश हुआ है उसमें नया टैक्स तो नहीं लगाया है पर केवल नया टैक्स नहीं लगाने से ही कोई बजट अच्छा नहीं हो जाता। टैक्सेज की चोरी को रोकने का और जो टैक्सेज लगे हुए हैं उनको ठीक प्रकार से वसूली का प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। आज टैक्सेज की रात दिन चोरियां होती हैं, उन चोरियों को रोकने में सरकार सफल नहीं हुई है, यदि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ में तो जान बूझ कर चोरी कराई जाती है। जो पैसेंजर्स टैक्स लिया जाता है उसमें से २० पर्सेंट भी राज्य के कोष में नहीं आता। पिछले वर्ष वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पैसेंजर्स टैक्स की वसूली के लिये टिकटों पर स्टेम्प लगा कर टिकट देने की व्यवस्था करेंगे पर इस सम्बन्ध में आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि तीन महिने के लिये इसे आगे बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार इस प्रकार से की जाने वाली टैक्स की चोरी को नहीं रोक सके तो यह एक बुरी चीज है। हां, मोटर मालिकों की कोई शिकायत हो तो उस शिकायत को दूर कर सकते हैं पर टैक्स की चोरी की इस प्रकार छूट दें, यह उचित नहीं है। स्टेम्प वाले टिकटों के आधार पर टैक्स वसूल किया जाय इसमें किसी भी मोटर मालिक को दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो चोरी की आप छूट दे रहे हैं, इस पर आप सोचें। टिकटों पर स्टेम्प लगा कर टैक्स की वसूली होनी चाहिये, तभी पैसेंजर्स टैक्स की चोरी रुक सकती है। पर सरकार इन टिकटों की व्यवस्था नहीं कर रही है इससे मुझे सरकार की मंशा में फ़र्क नजर आता है।

कल सदन में चर्चा चली कि न्याय लोगों को सस्ता, जल्दी और सरलता से मिले। इस सम्बन्ध में कहा गया उसके एक पहलू के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। न्याय दिलाने के लिये राजस्थान में पब्लिक प्रोसीक्यूटर की पोस्ट है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। न्यायालयों में सरकार के पक्ष को रिप्रेजेंट करने के लिये पब्लिक प्रोसीक्यूटर की नियुक्तियां होती हैं। सदन को आश्चर्य होगा यह सुन कर कि आज से पंद्रह, बीस साल पहले जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर की तनख्वाह थी, वही आज भी चल रही है। सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसीक्यूटर राज्य सरकार की पैरवी करते हैं, उनकी तनख्वाह २०० रु० है। पिछले सालों में जो मंहगाई बढ़ी है, उसकी ओर कोई ध्यान न देकर सरकार उन्हें २०० रुपया दे रही है। २०० रु० माहवार में कोई भी ईमानदार कैसे गुजर कर सकता है। अगर आप कहें कि प्राइवेट प्रेक्टिस उनको अलाउड है तो क्रिमिनल केसेज में उनको प्राइवेट प्रोपिटस अलाउड नहीं है, सिविल केसेज में है। किसी फौजदारी केस में वे वकील नहीं हो सकते। ईमानदारी से कोई २०० रुपयों में गुजर नहीं कर सकता इसलिये राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि ला डिपार्टमेंट ने तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट को यह केस रेफर कर दिया है पर यह केस फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। किसी

(श्री शिवनाथसिंह)

ग्रादमी से हम इतना इस प्रकार का जिम्मेदारी का काम लें ग्रौर उसको २०० रुपया ही तनख्वाह दें तो यह तो ठीक नहीं है।

मजदूर वर्ग की ग्रोर भी मैं सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। रात–दिन ग्रान्दोलन होते हैं, झगड़े होते हैं ग्रौर राज्य सरकार की ग्रादत सी पड़ गई है कि पहले ग्रान्दोलन हों, झगड़े हों तभी उनकी मांगें मंजूर करे। जैसे कृषि पॉलिसी है उसी तरह से सरकार की मजदूर पॉलिसी भी होनी चाहिये। मजदूरों के रहने के लिये, उनके बच्चों की शिक्षा के लिये ग्रौर दवाई के लिये राज्य सरकार को इन्तजाम करना चाहिये। प्राइवेट सर्विसजे में जो मजदूर है उनके लिये भी मजदूरों को जो एम्प्लॉय करें उनके लिये पाबन्दी होनी चाहिये कि मजदूरों के लिये रहने का प्रबन्ध करेंगे, उनके बच्चों को शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे ग्रौर उनके लिये दवाई का प्रबन्ध करेंगे। इस प्रकार का कानून बना कर उनको पाबन्द करना ग्रावश्यक है।

ग्राज हमारे प्रान्त की कुल ग्राबादी का ८५ प्रतिशत मजदूर ग्रौर किसान हैं। हमने समाजवादी ग्रर्थ-व्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया है। मैं खुद तो इतना नहीं समझता पर सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बात को समझा दें कि समाजवादी ग्रर्थ–व्यवस्था के क्या मायनें हैं ? यह मुझे समझा दें। २० साल पहले जो लखपति था वह ग्राज करोड़पति है जो करोड़पति था वह ग्ररबपति है पर जो ग्राज से २० लाख पहले भूखा था वह ग्राज भी भूखा ही है, तो क्या यह समाजवाद है ? क्या यह समाजवादी ग्रर्थ-व्यवस्था है। जो ग्रादमी कल नंगा ग्रौर भूखा था उसको ग्राज हम रोटी दे दें, उसके रहने के लिये मकान की व्यवस्था कर दें, उसके बच्चों को शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध कर दें, उसके लिये दवाई की इन्तजाम कर दें तो हम मान सकते हैं कि हम समाजवाद की ग्रोर बढ़ रहे हैं। पर हालात ग्राज ग्रौर तरह के हैं। उनके कारखाने ग्रधिक बढ़े हैं ग्रौर गरीबों की गरीबी बढ़ी है। इसलिए इस दृष्टिकोण से सरकार को सोचना पड़ेगा ग्रौर देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो गरीब तबको है उसको ऊपर उठाए। उसके बिना हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारे बजट से जनता को मालूम होना चाहिए कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना चाहती है ग्रौर जो जो ऊंचा वर्ग है उसको लेवल पर लाने की कोशिश करती है। ऐसा इस बजट से कोई संकेत नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि ग्रागे जितने बजट बनें तो राज्य सरकार इस ग्रोर ध्यान दे, ग्रौर जो गरीब ग्रादमी हैं, उनको उठाने की कोशिश करें। सरकार इस ग्रार ध्यान दे ग्रौर किसानों की ग्रोर ध्यान दे। किसान खुद मेहनत करे, उसका बाप मेहनत करे, उसकी ग्रौरत मेहनत कर सकती है लेकित उस मेहनत के ग्रलावा ग्राप उसको विश्वास दिलायें कि तुम मेहनत करो उसके बाद जितने साधन चाहिए राज्य सरकार देगी। ग्राज ऐसी स्थिति नहीं है। तो ग्राप कृषि की ग्रोर ध्यान दें ग्रौर काश्तकारों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाएं।

श्री सभापति : श्री रामानंद अग्रवाल ! कृपया १५ मिनिट में समाप्त करें ।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक पर बहस हो रही है। सरकार ने जो यह बजट-प्रस्तुत किया, उस पर हमने कई दिन बैठकर चर्चा की है। मैंने उन बातों को दोहराना नहीं चाहता । कुछ बातें स्पष्ट तौर से सामने आई हैं चाहे सरकार मन्जूर करे या न करे, और किया भी है लेकिन आज जो भारी आर्थिक संकट हमारे राज्य में है, सरकार ने उसमें से निकलने के लिए कोई संकेत नहीं किया है और आज भी अंधेरे के अंदर घूम रही है। भारी कर्जे हमारे राज्य पर हो रहे हैं। नया फाइनेन्स कमीशन बैठा है। उसके सामने ये जितने कर्जे हम पर हैं उनमें से कुछ को राइट ऑफ करने की बात आज उनके सामने करनी चाहिये। इस तरीके का जो सेंटर-स्टेट स्ट्रक्चर है, इसकी बुनियाद पर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते खास तौर से जो नॉनप्रोडक्टिव लोन्स हैं, वे ग्रांट के अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए। यह राज्य की तरफ से माँग होनी चाहिए। जितनी आप अकाल सहायता देते हैं या और इस तरह खर्च करते हैं, तो इससे कौनसी आपकी आमदनी बढ़ जायेगी ? आपके पास रेवेन्यूज के अंदर कमी है, डेफीसिट फाइनेन्सिंग है। पूंजी में से खर्चा कर रहे हैं और कर्जा लगा रहेगा तो आप तो व्याज भी नहीं दे सकते। इसके लिए हमें स्केल डाउन करने की माँग करनी चाहिए। जो कर्जा भारत सरकार को खुद वहन करना चाहिए जैसे राजस्थान केनाल में ५० करोड़ सरकार पर है, उनको ट्रांसफर कराने की माँग फाइनेन्स कमीशन से करनी चाहिए। इसी प्रकार से अकाल सहायता का कर्जा है और स्केयरसिटी अफेक्टेड एरियाज में आपने काम कराए हैं, ये जो काम हैं जिनसे रिटर्न आपको नहीं मिलता, आप वापस नहीं दे सकते। इसलिए नए फाइनेन्स कमीशन के आगे नया आऊटलुक रखना चाहिए कि मौजूदा दृष्टिकोण से इस बुनियाद पर राज्य अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। मैं समझता हूँ कि राजस्थान ही नहीं दूसरे राज्य भी इस प्रश्न को उठा रहे हैं और राजस्थान को भी उठाना चाहिए।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिए थे कि पब्लिक सेक्टर का अलग विभाग बनाया जाना चाहिए। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो एक्चुअली पब्लिक सेक्टर में विश्वास करते हैं उन लोगों को इसमें ऐसे अधिकारियों का विशेष तौर से ट्रेन करना चाहिए ताकि जिनका माइन्ड हो पब्लिक सेक्टर को कामयाब बनाने का, कुछ कॉर्मशियल एटीट्यूड हो, उसमें तजुर्बा हो, तो उनका स्पेशल कैडर क्रीएट करना चाहिए जैसे आई० ए० एस० और आर० ई० एस० है। आज चाहे किसी आई० ए० एस० आफीसर को थोप देते हो, इस तरीके से पब्लिक सेक्टर कामयाब नहीं हो सकता।

दूसरी बात, जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उन पर भी हम काफी पैसा खर्च करते हैं। आज एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका यह है कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनको जैसे कि हमारी परव्यू से ही निकला गया है, जैसे कि सदन का कन्ट्रोल ही नहीं रहा है। विद्युत् मंडल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, रोडवेज निगम है, विश्वविद्यालय हैं, इन पर हम इतना पैसा खर्च करते हैं, वह सही ढंग से हो रहा है अथवा नहीं, इस सदन का काम है कि पूरी तरह से उसको देखे। आॅटोनाॅमस बाॅडीज बनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि वे स्वच्छंद हों और जनता के प्रतिनिधियों का उस पर कोई कन्ट्रोल न हो, या उनकी बातें यहां डिस्कस न हों। पिछले ६ वर्षों के अंदर विश्वविद्यालयों को करीब डेढ़ करोड़ की ग्रांट दी है, हम उनको डिस्कस ही नहीं करते, उन पर डिस्कशन होना चाहिए। हमने इस बजट के अंदर १.४० करोड़ करीब रखे हैं, उनमें से जोधपुर विश्वविद्यालय को करीब ४७ लाख रुपया देते हैं लेकिन उसकी क्या हालत है ? किस तरह से रुपया खर्च किया जा रहा है ? अगर उनका बजट यहां पर आता तो पता लगता। मेरी जानकारी के अनुसार बजट तैयार नहीं किया जाता। २० लाख रुपया दिया इंजनीयरिंग पर खर्च करने के लिए। मेरी जानकारी के अनुसार २० लाख इंजनीयरिंग पर नहीं खर्च किया गया। कहां खर्च कर दिया गया इसका पता नहीं। उनके पास यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स नहीं हैं इसलिए जल्दी से बजट तैयार नहीं कर सकते। नियुक्तियों के झगड़े, जिस तरह से इर्रेगुलर एपाॅइंटमेंट्स होती हैं, ३६ ऐसे प्राध्यापकों की सूची मेरे पास है जिनको बिल्कुल इल्लीगल तरीके से, इर्रेगूलर तरीके से वाइस-चांसलर के नाती—रिश्तेदार, मिलने-जुलने वाले उनकी नियुक्तियां की गई। वैसे आॅटोनाॅमस बोडीज में भले ही इंटरफीयर हम नहीं करें लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में चाहे वे जिस तरह से भी चलें, हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वहां सर्वे कराया। वहां पर लाइब्रेरी से ८ हजार पुस्तकें गायब हैं और यह विश्वविद्यालय जिससे हम उम्मीद करते थे, वह आॅल-इंडिया पेपर्स में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गई। हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने एडीटोरियल में लिखा है:—

"Significantly Jodhpur University had taken the original decision under duress and reversed it under further duress by a different section".

इसका मतलब दबाव के अंदर फैसला लिया और फिर दूसरे दबाव के अंदर फैसले को वापस लिया। एक पत्रिका है "वीक-एन्ड रिव्यू," हिन्दुस्तान टाइम्स निकालता है, उसने बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट इस विश्वविद्यालय के बारे में दी है। ३ फरवरी, १६६८ के अंक में पेज २४-२५ पर उसने लिखा है:-

"In the five years since it was established, it has squandered all this original goodwill, along with a crore of the taxpayers money over and above the normal budget of the colleges that originally constituted the University. It would be worthwhile now to assess what way the founding of the University had improved the equality of higher education in the area."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"What is involved in Jodhpur and a hundred other centres of learning, is the question of getting a return for the nation's investment. Student fees do not account for even a tenth of the expenditure on a University like Jodhpur."

तो इस तरह के हालात जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर हैं। आपको जानकारी है कि पहले वहां जो रजिस्ट्रार थे सुरेन्द्र, सरकार ने उसको रिकॉल किया। वह डिप्यूटेशन पर था। वाइस चांसेलेर उसमें इन्टरेस्टेड हो गया, उसको भेजा नहीं। आखिर सरकार और विश्वविद्यालय के बीज में टसल चली, झगड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से आये। वित्त मंत्रीजी ने चिट्ठी लिखी कि ५५ साल वालों को रिटायर कर दो। तीन बार चिट्ठी लिखी और उन्होंने एक लाइन में रिज्योल्यूशन पास कर दिया। स्टेटसको विलवो मेन्टेन्डा इस तरह से आप जिन संस्थाओं को पैसा देते हैं वह इस तरह का एटीट्यूड अपनाये, इस पाइन्ट को विजिलेन्टली लेना चाहिये। इसके बारे में एन्क्वारी की जरूरत है। इस युनिवर्सिटी को वन्द ही क्यों न कर दिया जाय? बहुत सीरियस मामला है। सरकार को टेक-अप करना चाहिये और इस तरह से इस मामले में पूरी जानकारी करनी चाहिये।

दूसरे, सभापति महोदय, ऐसे ऑटोनॉमस बॉडीज जैसे राजस्थान विद्युत् मण्डल। अब इस राजस्थान विद्युत् मण्डल में हम चाहते हैं कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़े, कुछ आमदनी बढ़े लेकिन एक ऑटोनॉमस बॉडी चलती है तो उसकी आमदनी सही तरीके से होनी चाहिये। वह स्क्वान्डर की जाती है, बड़े बड़े सेठों को रियायत दी जाती है। मेरे नोटिस में एक मामला आया है–बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट, पिलानी का। जो बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट है और दूसरा एक सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट है। उसने इस विद्युत् मण्डल से सन् १९६४ में बिजली देने का एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के अनुसार जो बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट था उसको मेक्सिमम २५० किलोवाट बिजली देने का था और दूसरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट को १५० मेक्सिमम किलोवाट बिजली देने का था। सभापति महोदय, पहले ३० किलोवाट सवा पांच आने पर यूनिट पर मंथ था और उससे अगले ५० पर सवा दो आना पर किलोवाट दिया गया और उससे ज्यादा पर पौने दो आना किलोवाट पर दिया गया। यह भी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में क्लाज है कि राजगढ़ से पिलानी को दी जायगी और पब्लिक को डाईरेक्टली सप्लाई करेगी सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे इस बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट और इस रिसर्च इन्स्टीट्यूशन ने इस तमाम एग्रीमेंट का वायोलेशन किया और वायोलेशन करके जो रेवेन्यू, जो आमदनी हमारे आर० एस० ई० बो० को आनी चाहिये वह आर० एस० ई० बी० को नहीं आई, और आर० एस० ई० बी० के नोटिस में आने पर भी वह आंख मूंदे बैठा रहा, चुप्पी साधे बैठा रहा। उस सब पर पर्दा डाल दिया। सभापति महोदय, जहां बिरला एज्यूकेशन ट्रस्ट को २५० मेक्सिमम लेने का अधिकार हैं उन्होंने ६२ फरवरी से २५० के बजाय ४५० किलोवाट लिया, ४५० ही नहीं फरवरी ६८ में ८०० किलोवाट लिया। इसका, सभापति महोदय, क्या मतलब हुआ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदय, इसका मतलब घर में बिजली पौने दो आना में मिले और पब्लिक और वहां के स्टाफ को बारह आना फी यूनिट बेच रहे हैं। एक यूनिट में दस आना सवा दस आना आमदनी होरही है। पब्लिक के ऊपर शोषण हो रहा है। जो आमदनी सही तरीके से आर. एस. ई. बी. को आनी चाहिऐ थी, सभापति महोदय, वह मैंने टेक्निकली इसका एस्टीमेट कराया है कि इस रिसर्च इन्स्टीट्यूशन को १५० के बजाय २५० किलोवाट दिया, तो मेरा निवेदन है कि इनसे टेरिफ के अनुसार लिया जाना चाहिये। उस रेट के हिसाब से लिया जाय तो इनके ऊपर १० लाख रुपये का केवल इस बिना पर बनता है। ६ लाख का बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट का बनता है और ४ लाख का रिसर्च इन्स्टीट्यूट का बनता है। इस तरह १० लाख रुपया इन दोनों इन्स्टीट्यूशन्स की तरफ बनता है। सभापति महोदय, इसके अलावा यह लगातार चोरी कर रहा है, चोरी पकड़ी गई। जो करन्ट की टेन्सन है नॉर्मली ३० बटा ५ की होती है। ३० बटा ५ से ज्यादा करन्ट नहीं लेना चाहिये। इसके भीतर से सील तोड़कर देखेंगे तो वह ३० बटा ५ के बजाय ६० बटा ५ है। इसका मतलब बिजली दुगनी खर्च हो रही है और मीटर में दिखाई जा रही है आधी। इस तरह क्रिमिनल का केस हैं, थेफ्ट की गई है। सभापति महोदय, मैंने उसका हिसाब लगाया है इस तरह की चोरी से जो कि इन्होंने मीटर के अन्दर की है इसका इनकी तरफ करीब १० लाख रुपया बनता है। इसके अलावा इन लोगों ने जो तय हुआ था कि लुहारू से पिलानी तक की लाईन के २५ पर्सेन्ट पेमेन्ट ये देंगे, आज ६ वर्ष हो गये कुछ भी नहीं दिया। सभापति महोदय, इन दोनों इन्स्टीट्यूशन्स की तरफ २५ हजार रुपया ड्यू है, वह वसूल नहीं किया गया। उनसे किसी तरह वसूल नहीं किया गया है। इनके अलावा, सभापति महोदय, उनसे यह तय हुआ था कि आप अपने मीटर को जी. एस. एस. पाईन्ट तक लगायेंगे ताकि हाई टेन्सन लाईन आगे आये तब सुविधा रहे लेकिन एग्रीमेंट के खिलाफ उन्होंने अपना मीटर पिलानी में लगाया। जी. एस. एस. से मीटर पाईन्ट तक बिजली का जो खर्च है उसका करीब २ लाख का बिल बनता है। इस तरह, सभापति महोदय, उन्होंने जो बिजली बारह आना के अन्दर बेची है और डेढ़ आने के अन्दर ली है, उसका इस विद्युत् मण्डल को फायदा मिलता और विद्युत् मण्डल जनता को जिस रेट पर बिजली देता उस रेट पर उसको काफी फायदा होता। राजगढ़ से लाईन आज ६ साल हो गये, उसको एग्रीमेंट के मुताबिक विद्युत् मण्डल को खरीद लेनी चाहिये थी और एग्रीमेंट के अनुसार वे बेचने के पाबन्द थे, लेकिन वह लाईन नहीं खरीदी गई और वे ही उसका फायदा उठा रहे हैं। इस तरह जो रेवन्यू लॉस हुआ है वह ५ लाख का हुआ है।

इस तरह से सभापति महोदय, जो सर चार्ज बिजली पर लगाया जाता है। राजस्थान सरकार ने पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ३ पैसे पर यूनिट लगाई और ११-११-६५ से ५ पैसे फिर बढ़ाये। सर चार्ज १० पर्सेन्ट से १५ पर्सेन्ट बढ़ाया। बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट से और इस दूसरे इन्स्टीट्यूशन से यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सर चार्ज के जितने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पैसे बनते हैं, उसका उनसे पेमेन्ट होना चाहिये। इसका भी पेमेन्ट नहीं कर रहे हैं। इसका ऐसेसमेंट मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। इसका भी करीब लाखों पर ही रुपया बनता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य समय समाप्त हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी थोड़ा सा ..। ओवर कन्जम्शन का मेक्सिमम से ज्यादा खर्च हुआ है। हाई टेन्सन के १० लाख जो ऐरियर है के, वी. लाईन के...।

(१२ मध्यान्ह)

ट्रान्सफोर्मर लौसेज के दो लाख रुपये, इसके अलावा जो पिट्स हैड हैं उनके पाँच लाख रुपये और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सरचार्ज के २१।। लाख रुपये इस तरह कुल ३० लाख रुपये आज इन दोनों इन्स्टीट्यूशन्स की तरफ निकलते हैं।

सभापति महोदय, आज हमारा विद्युत् मण्डल नुकसान में चलता है । पर इनको अपने नुकसान की चिन्ता नहीं। इतना नुकसान होते हुए भी कोटा में उद्योगपतियों को सस्ती दे दी। हमारी प्रोडक्शन कास्ट ८ पैसे प्रति यूनिट आती है, पर हमने उनको तीन पैसे में दे दी जिससे १६ लाख हर साल नुकसान होता था और आज यह हमारे बिरलाजी का ट्रस्ट है और आप यह न समझिये कि एजूकेशन ट्रस्ट कैसे चलाये जाते हैं। इस तरह से यह भी कमाई का धन्धा है। रिसर्च इन्स्टीट्यूशन के नाम पर पब्लिक को जितनी बिजली देते हैं उसका मुनाफा बिड़लाजी अपनी जेब में रखते हैं। मुनाफा कमाने के कई तरीके हैं।

मैं पूछना चाहता हूँ कौन जिम्मेदार है इस नुकसान के लिये। इस तरीके से तीस लाख का रेवेन्यू का नुकसान इस आर० एस० ई० बी० को हुआ। एग्रीमेन्ट के खिलाफ यह ट्रस्ट काम करता रहा है। इनसे एग्रीमेन्ट का पालन क्यों नहीं कराया गया। जो इन्होंने बिजली की चोरी की है उसके लिये कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या क्रिमिनल एक्शन लिया गया इसके लिये जो आप ले सकते थे। क्या यह चोरी का केस नहीं बनता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ नहीं है? सिविल लाइबेलिटी अलग होती है, वह अलग क्लेम कर सकते हैं।

आज भी मंगाना चाहिये करना चाहिए और जो वहाँ के इन्जीनियर साहब हैं, वे यूनिटों की बाकायदा लेजर में भी एन्ट्री नहीं करते। लेजर में जो फिगर हैं वे ओथेन्टिकेटेड नहीं हैं। रेगुलर रोज हर महीने एन्टर होने चाहिये। इस तरीके से नहीं करता। यह बहुत बड़ा फ्रौड है। बिड़ला ब्रदर्स वैसे ही मशहूर हैं मिलकर फ्रौड करने में।

पार्लियामेन्ट में चन्द्रशेखर ने मामला उठाया। पर बिड़लाजी के हाथ बहुत लम्बे हैं। सब उनके हाथ में थे । उस चीज को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दबा दिया। बेचारे चन्द्रशेखर को तो कट ही मिलना खतरे में पड गया था। यह तो नौजवानों ने थोड़ी हिम्मत की और किसी तरह टिकट मिल गया।

आज हमारे विद्युत मन्त्री नहीं है। ऊपरी दिखावे के लिये वे बिड़ला जी के विरोध में कह देते हैं। यह उनकी अण्डरहैंडिंग पालिसी तो नहीं है। अन्दर अन्दर सेबोटेज करके रियायत दी। मै पूंछना चाहता हूं विद्युत मंत्री जी से कि इस तरह से बिड़ला ब्रादर्स को जो नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए तीस लाख का विद्युत मण्डल को नुकसान हुआ इसकी इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने को तैयार हैं? और अगर क्रिमिनल आफेन्स मालूम हो तो एक्शन लें। एग्रीमेन्ट की पाबन्दी करायें। अधिकारी दोषी है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये।

एक बात कहकर में समाप्त करूंगा। रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समझौता हुआ कि स्टेट के एम्पलोयीज के बराबर उनको भी मंहगाई भत्ता मिलेगा। इसकी नीति और दूसरी बातों में में अभी समयाभाव से नहीं जाऊंगा। पर सभापति महोदय आज एग्रीमेन्ट को किए काफी दिन हुए उन लोगों को आज तक टी. ए. डी. ए. उस तरह से नहीं दिया जा रहा है। पिछले महीने तनखा दी। एक दिन तनखा न लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। आप कहते हैं मजदूर हड़ताल क्यों करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आखिर जब पेट में चूहे कलाबाजी खावें भूखों मरे मजदूर तो क्या करेगा। तंग आमद जंग आमद मजबूर होकर उनको हड़ताल करनी पड़ती है। सरकार की कुम्भकर्णी निद्रा से जगाने के लिए कार्यवाही तो करनी पड़ती है। आप उनको टी. ए. डी. ए. एग्रीमेंट के मुताबिक तुरन्त चुका दें वरना ऐसा न हो कि जबर्दस्ती आप मजबूर करें और उनको संगठित होकर कोई एक्शन पर जाना पड़े।

इन्हीं तीन बातों को कहकर में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, आज इस बजट के आखिरी दिन......

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री महोदय को छुट्टी हो गई है क्या ?

श्री सभापति : समय केवल १५ मिनिट।

श्री विजयसिंह रावत : जब हम घर से किसी दुलहिन को सीख देते हैं तो उस समय उसके साथ दहेज भी देते हैं गहना भी देते है पर आज यह राजस्थान की सरकार इस सदन से ६८।६६ के बजट को लेकर दुलहिन के रूप में जा रही है। पर वह अपने साथ में दहेज के रूप में जेवर के रूप में केवल दिवालियापन लेकर जा रही है।

इसलिए में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह दिवालियापन को न ले जावे। अपनी गलतियों को सुधारे। सोचे कि

(श्री बिजयसिंह रावत)

इस पिछले बीस सालों में उसने इस राजस्थान को किस जगह लाकर खड़ा कर दिया है। हम आज दिवालियापन के कगार पर खड़े हैं।

सभापति महोदय, गांवों के अन्दर आज पटवारी से लेकर तहसीलदार तक गरीब किसानों का शोषण करता है। किसान के लिए राज का सिपाही और पटवारी सबसे बड़ा अफसर है। वे मानकर चलते हैं कि आज इस सरकार में उनके लिए सुखाड़िया का उतना महत्व नहीं है जितना पटवारी और तहसीलदार का और पुलिस के सिपाही का।

इसके कई कारण हैं। गरीब- काश्तकार की काश्त की गिरदावरी होती है। ये पटवारी गिरदावर दो चार अपने मनचले आदमियों से मिल जाते हैं। होटल पर बैठकर या ग्राम पंचायत के भवन में बैठकर काश्त की गिरदावरी कर दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि काश्त बहुत अच्छी होती है बाहर से दिखती है, पर अन्दर से बिल्कुल खोखली होती है जैसे बाजरे की काश्त है। पर वह अगर वर्षा हो गई तो सारा वापिस उग जावेगा और जहां खेत में दस मण या १५ मन की उपज की आशा थी वहां बीज भी नहीं होगा। तो यह हालत भी होती है। इतना ही नहीं होता। गिरदावरी करते समय पटवारी को अगर काश्तकार घी न दे या किसी न किसी प्रकार से कुछ दे नहीं तो नाम उसका मुन्नालाल है तो कानेलाल कर देगा। उसका नाम कन्हैया लाल है तो नाम बदल देगा और रिकार्ड में गलत आ जाता है। उसको सुधारने के लिए बाद में पचास रुपया भी खर्च करे तो मुश्किल पड़ती है आखिर उसको पचास रुपया तक देना पड़ता है। वह तहसील में जाता है, एस. डी. ओ. के पास जाता है पर वहां भी कुछ नहीं होता, उसको तो फिर उसी पटवारी के पास लौटकर आना पड़ता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर। मैं जानकारी दे दूं कि गिरदावरी के दौरान में किताब की एन्ट्री हुआ करती थी इस तरह की एन्ट्री इन दो सालों से बन्द हो चुकी है।

श्री विजय सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय की इनफार्मेशन के लिए कहना चाहता हूं कि वह सवाई चक की भूमि के लिए कह रहे हैं। सवाई चक की भूमि को आप दर्ज करते हैं और फसल की गिरदावरी श्री बी० एन० जोशी ने खेत बोया है तो बी० एन० जोशी के ही नाम से होती हैं। आपने बिस्वेदारी और खेवटदारी खतम की है लेकिन आपने जोत खतम नहीं की है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अन्याय किसानों के साथ होता है जो मैंने देखा है : गांवों में किसान जमीनें बेचता है तो नाम नहीं बदला जाता है। किसी किसान का लड़का मर जाता है और पोते के नाम कराना चाहता है तो वह नहीं होती है। आपका पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार उनकी कोई सुनाई नहीं करता है। इसके अलावा सभापति महोदय, यही नहीं है अब काश्तकारों को आप कृषि के अन्दर ले लें।

(श्री विजयसिंह रावत)

कृषि के बजट में ५ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह बिलकुल नाममात्र के लिए। इससे तो अच्छा था कि नही रखते। और उसके अोगेन्सट में ६।। करोड़ का प्रशासनिक खर्चा है। आज जहां इस देश को उत्पादन की आवश्यकता है, किसानों को खेती के साधनों की आवश्यकता है जिससे वह अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकता है और वह कृषि के लिए लोन लेने के लिए जाये-मान लो उसको हजार रुपये का लोन लेना है तो उसके लिए इतने नियम हैं कि वह पहले ग्रामसेवक के पास जायेगा, ग्रामसेवक उसको पंचायत समिति के पास फारवर्ड करेगा, पंचायत समिति वहाँ के कृषि अधिकारी के पास करेगी और कृषि अधिकारी कलेक्टर के पास भेजेगा और फिर आपका कलेक्टर सेक्रेटेरियट को भेजेगा। तो यह इतना लांग प्रासेस है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रासीजर को शार्ट करे और नियमों में तब्दीलियाँ करे। क्योंकि जगह जगह जनता को हर जगह भेंट पूजा देनी पड़ती है। वह तो श्री बी० एन० जोशी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि भेंटपूजा के बिना काम नहीं हो सकता। नहीं तो उस एप्लीकेशन को क्लर्क भी दबा सकता है। इसी कृषि लोन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट दोनों विभाग ऐसे हैं कि जब जिला फेमिन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तो अमूमन तौर पर हमारे साम समस्यायें आई हैं वहाँ पर क्या होता है किने कृषि अधिकारी ने कहीं पर कोई सुझाव दिया है तो उस एग्रीकल्चर के सुझाव को सिचाई विभाग को क्रियान्वित करने के लिए कहा जाता है लेकिन आपका सिंचाई विभाग साथ नहीं देता है। तो सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि आप दोनों का काम्बीनेशन स्थापित करें कि जिससे किसान सफर नहीं करें और वह दिक्कत नहीं उठा सकें। जो कृषि अधिकारी आन दी स्पाट कोई निर्णय लेता है संकर बाजरा या हाई ब्रीड को किसान बोना चाहता है तो कृषि विभाग का साथ सिचाई विभाग नहीं देता है। बड़े-बड़े तालाब होते है उनका टाइम बंधा होता होता है कि कब से कब पानी पानी खोलना चाहिए। अगर आपका कोई कृषि अधिकारी सुझाव देता है तो उसकी क्रियान्विति उसी समय होनी चाहिए। जैसा कि अजमेर जिले के अन्दर पिछली बार में हुआ है कि कलेक्टर के कहने पर भी सिचाई विभाग ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जिससे लोगों की फसल जल गई और पानी भी बच गया और पानी भी हवा के अन्दर उड़ गया। तो यह गांव वालों की पोजीशन है।

इसके अलावा एक बहुत अफसोस है कि एक माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल जी व्यास कह रहे थे कि यह जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और जो अन्य पार्टीज हैं वह प्रतिक्रियावादी पार्टीज हैं। तो इस बात को किसी हद् तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मैं यह कहूं कि कांग्रेस इस देश के अन्दर एक ऐसी पार्टी थी जो अपने नाम से हर समय जयजयकार के नारे लगवाती थीं लेकिन आज वह कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जिसका नाम लेने से आदमी यह कहते हैं कि कांग्रेस का नाम ले लिया लो ७ दिन तक रोटी नहीं मिलती। अब इसके करतब और कारनामे कैसे हो गये हैं, आपकी करनी और कथनी कैसी रहती है सभापति महोदय राजा और महाराजाओं की बात लेकर यह बात कही

(श्री विजयसिंह रावत)

जाती है कि वह शोषण करते थे। लेकिन उनका शोषण इतना नहीं था कि जितना कि आज सरकार में बैठे हुए नये राजा महाराजाओं की जो आर्मी इस देश में पैदा हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी में कोई भी इस बात की दलील दे कि वह समाजवाद लाने के लिए कांग्रेस में बैठे हैं और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो समाजवाद लायेगी तो वह समाजवाद नहीं मिल सकता है। सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि मंत्रियों का टेलीफोन का ४ महीने का खर्चा पूछा तो २ लाख ६३ हजार रुपये जहाँ ४ महीने के अन्दर टेलीफोन में खर्च होते हैं और उसमें भी एक मंत्री महोदय का खर्चा ३३८५० रुपया हो तो सभापति महोदय, आज एक मंत्री के टेलीफोन प्रयोग करने के लिए १२ हजार रुपया प्रति महीने चाहिए तो उस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह राजा महाराजा जिनके लिए आप केवल नारों के लिए दुवायें देते हो वह शोषण करते थे कि जो यह राजा महाराजा पैदा हो गये जिनको १२००० रुपया टेलीफोन के लिए चाहिए अब उसके बाद में पानी कितना चाहिए, बिजली कितनी चाहिए पैट्रोल कितना चाहिए और भी फेसेलिटीज कितनी चाहिए और इसको काउन्ट करें तो मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि एक मंत्री का खर्चा १५-१६ हजार के करीब होता है।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा होता है

श्री विजयसिंह रावत : आई एम सारी ३५-३६ हजार के करीब होता है। मैं इस एम० एल० ए० की स्तर पर आया हूँ और मैं आज मंत्री बनता हूँ तो जो माननीय सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हैं इनको नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव लड़ने के पहले थे और बाद में हो गये तो समझें कि उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आई और उसके बाद में ट्रेजरी बेन्चेज के ऊपर बैठें और उसके बाद में अगर आप अपने जीवन को नये ढांचे में ले जायें जिससे कि फिजूल खर्ची होती है - मैं सारे मंत्रियों के लिए नहीं कहना चाहता हूं। इस आंकड़े के अनुसार ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने बहुत कन्ट्रोल किया है खर्चे को। तो मैं चाहूँगा कि इतना खर्चा करें और पैसे का दुरुपयोग करें और ट्रेजरी बेन्चेज पैसे का दुरुपयोग ही नहीं करें प्रशासनिक मामलों में इतनी ढिलाई दे जिससे मै समझता हूं कि वह वर्ग जो राजस्थान में ८२ परसेन्ट है जो रात और दिन इस चिंता में रहता है कि कब हमारा भला करने वाली सरकार आयेगी और कब प्रजातंत्र का असली स्वरूप मिलेगा और कब निष्पक्ष प्रशासन मिलेगा। तो सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आप प्रशासन के ऊपर इतना खर्चा करते हैं उसका उपयोग होना चाहिए। सुखाड़िया जी कहते हैं कि मैंने मंत्रियों की संख्या इसलिए बढ़ा दी है कि मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूं। सभापति महोदय यह ट्रेनिंग सेन्टर है? यह ऐसा केन्द्र है जहां आपके देश के २।। करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हैं। उनके खाने पीने, रहने सहने और साथ ही भारतवर्ष की भी सारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई सरकार यह कहकर टालना चाहे कि हम ट्रेनिंग के बतौर रखते हैं हर साल देखने में आता है कि हर काम में ढिलाई बरती

(श्री विजयसिंह रावत)

जाती है और इसी कारण से जितने भी प्रशासनिक तरीके अपनाये जा रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य बन गया है कि आपके नीचे जितने अधिकारी हैं और यह मानी हुई बात है कि मंत्री के नीचे जो डिपार्टमेंन्ट हो यदि उसके अधिकारी इस बात को पहचान लेते हैं कि मंत्री का करेक्टर कैसा है और मंत्री क्या चाहता है और अगरवह गलत तरीके से उनसे काम लेना चाहता है तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह मान कर चलें कि मिलिट्री के अन्दर लें या सिविल सर्विस में लें या किसी प्राईवेट कन्सर्न में लें कोई बड़ा अधिकारी है या मंत्री है उसका करेक्टर लोगों को मालुम पड़ जाता है, आपकी वीकनेस उनको मालुम हो जायेगी तो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह कोई आपका कहना नहीं मानेंगे। वह एक रुपये में १० नये पैसा यह बतायेंगे कि काम कर दिया है और ६० पैसे वह काम नहीं करेंगे। तो मैं यह चाहूंगा कि जब इतना खर्चा होता है इस देश के प्रशासन के लिए तो जो इस प्रान्त की जनता है उसको आप कम से कम इस हालत में लायें और कान्फीडेन्स हासिल करें जिससे उनको निष्पक्ष शासन प्राप्त हो जाये। सभापति महोदय, गांवों के अन्दर से जो एम. एल. एज. जीत कर आये हैं....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विजयसिंह रावत : गांवों के बारे में एक बात और कह देना चाहता हूँ। परिवार नियोजन का आपने जिक्र किया है इससे हमें कोई एतराज नहीं है। साथ ही साथ एक एतराज है भी। सभापति महोदय, अमेरिका आदि विदेशी देश हमारे भारतवर्ष की अखण्डता और स्वतन्त्रता पर आंख लगाये हुए बैठे हैं। अगर मैं यह कहूँ कि अमेरिका बदनियती से काम कर रहा है तो एक गलत बात होगी, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हम इस पर गम्भीरता से विचार करें, क्योंकि सभापति महोदय, आज परिवार नियोजन के अन्दर हमें अधिक से अधिक सहायता अमेरिका और हर देश से मिल रही है। परिवार नियोजन होना चाहिये, पर परिवार नियोजन के आगे जाकर भयंकर परिणाम सिद्ध होंगे। आज जो माइनोरिटीज में है।

श्री सभापति : इस पर काफी चर्चा हो गई है। आप नई बात कहें।

श्री विजयसिंह रावत : जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे बहुसंख्यक लोगों पर हावी होंगे। आज भारतवर्ष के अन्दर परिवार नियोजन करना चाहते हैं तो केवल एक ही वर्ग को उसमें लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से मान कर चलिए कि २० वर्षों के बाद यह नक्शा सामने आयेगा कि भारत वर्ष के मुस्लिम्स, हिन्दू और ईसाई तीनों बराबर हो जायेंगे जिससे हम देश की अखण्डता और स्वतन्त्रता की रक्षा करने में नाकामयाब रहेंगे। भारत सरकार ने परिवार-नियोजन के लिए कहा है तो वह सब के लिए एक सा लागू होना चाहिए। कोई धर्म के नाम पर उससे बचना चाहेगा तो यह बात किसी वर्ग विशेष के लिए घातक होगी।

(श्री विजयसिंह रावत)

इसके साथ-साथ गांवों के अन्दर परिवार-नियोजन होता है तो क्या होता है कि अगर लूप का कोई काम किया गया, कई स्त्रियों को मैंने देखा है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले इसकी चर्चा हो गई है।

श्री विजयसिंह रावत : मै रियल बात कहना चाहता हूँ। जिले के अन्दर जो हैल्थ विजिटर्स काम करते हैं वे गांवों के अन्दर परिवार-नियोजन करके चले जाते हैं। तीन दिन के बाद उनको सम्हालना चाहिए, लेकिन वे सम्हालते नहीं हैं जिससे वे बेचारे शहर और गांव के बीच घूमते रहेंगे। इस कारण से कई महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है।

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि कई प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये हैं इस बात के लिए वे सब बोगस हैं। आपका जो कन्ड्यूम है वह सारे का सारा बोगस है इसको टेस्ट करवाने के बाद गांवों के अन्दर दिया जाय। गांवों की जनता इतनी समझदार नहीं है कि उनका उचित उपयोग कर सकें। उनको किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए यह उनको पूरी तरह से बताया जाना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर और आगे आने वाली सन्तान पर किसी प्रकार का असर न पड़े, और उनको सही मायने में रास्ता मिल सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ-साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री विट्ठल।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय. इधर का भी नम्बर आयेगा कि नहीं ?

श्री सभापति : श्री विट्ठल, केवल ५ मिनट।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय···· ···

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : सभापति महोदय, २६४ करोड़ के ऊपर का बजट आज पेश किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को खुशी जरूर है, लेकिन खुशी के साथ-साथ नाराजगी भी है, क्योंकि इस बजट में हमेशा से पक्षपात होता आ रहा है। जब जब भी जो खर्चा होता है तो खर्चे के समय हमारे इलाकों के साथ पक्षपात किया जाता है। अब मैं आपसे कहूंगा, ज्यादा आलोचना करना नहीं चाहता और आलोचना कर करके हम लोग थक गये हैं, लेकिन जो हमारे मंत्री महोदय हैं वे कोई सुनते नहीं हैं, और हमारी बातों को कभी जांच भी नहीं करते हैं। यह जो बजट का आपका खर्चा होता हैं वह किन्हीं इने गिने इलाकों में खर्च हो जाता है पक्षपात की नीति से। जो कि कांग्रेस का इलाका है, जहां कि कांग्रेस के वोटर्स हैं और कांग्रेस के लोग है वहां यह पैसा खर्च होता है न कि गरीब लोगों के इलाकों में किया जाता है।

थोड़ी सी बात में आपसे कहूंगा। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, पीपलखूंट से मैं आया हूँ, उस क्षेत्री की पंचायत समिति में ३

(श्री विजयसिंह रावत)

मिडिल स्कूल सभी खुले हुए हैं, और वे सड़क की लाइन पर है, बाकी ३५ मील के लम्बे एरिया में कहीं भी मिडिल स्कूल नहीं है, और आज तक नहीं खुला है, और उस क्षेत्र की पंचायत समिति ने और उन लोगों ने मांग भी की, लेकिन अभी तक नहीं खुला।

दूसरी बात यह है कि उस पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी छात्रावास आज २० साल से अभी तक नहीं खुला है जहां कि ९९ पर्सेन्ट आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन एक भी छात्रावास उन आदिवासियों के लिए नहीं खोला गया है।

तीसरे, उस क्षेत्र में एक भी दवाखाना नहीं है। खाली एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला है वह भी सड़क के किनारे जहां कि तीन मिडिल स्कूल खोले गये हैं। बाकी ३५ मील के एरिया में कहीं भी कोई डिस्पेन्सरी या दवाखाना नहीं हैं।

इस ३५ मील के एरिया में कोई भी पक्की सड़क नहीं है। इसी तरह से वहां पर एक भी नहर, तालाब या एनीकट बनाया गया हो जिससे उस इलाके के लोगों को नहरी पानी मिले। इस तरह से जो आदिवासी और किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं वे आज २० साल के बाद भी नहीं है। यह अगर मैं झूठ बोलता हूं तो माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायें कि सही बोला है या झूठ बोला। यह पक्षपात का कारण क्या है।

हमारे वहां के जो मंत्रीजी हैं जो कि यहां पर मौजूद है या नहीं हैं जिनकी अभी जीप के विषय में काफी आलोचना हुई है वे हमारे इलाके के रहने वाले हैं। वे हरदेवजी जोशी हमेशा से हम लोगों के साथ कुठाराघात और बुरा व्यवहार करते आये हैं। जब वहां के क्षेत्र से कोई मांग होती है तो वहां अधिकारियों को कह देते हैं कि उस क्षेत्र में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि हम लोग सोशियेलिस्ट उस इलाके से जीतकर आते हैं और उनका कहना नहीं मानते है इसलिए इस इलाके में कोई काम नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर जोशीजी की नियत खराब है तो एक आदमी का फर्ज हो जाता है कि अगर कोई गलत नीति अपनाता है तो दूसरे लोगों को भी वह नीति नहीं अपनाना चाहिए। आप तो दूर रहते हैं। आपको वहां से वोट भी नहीं लेना है। जोशीजी को वहां से वोट लेना है। लेकिन आप लोगों को तो कम से कम बराबर होना चाहिए (श्री माथुर के आने पर) मैं माथुर साहब से कहना चाहता हूं। माथुर साहब कहते हैं कि हमने इन लोगों का भला किया है, आदिवासियों का भला किया है, पिछड़ी हुई जातियों को हम आगे लाये हैं लेकिन आज वह कहते हैं पीपलखूंट क्षेत्र को देखें तो जो मैंने ५-६ बातें कही हैं वे झूठ नहीं कही हैं, सच बातें कहीं हैं और जांच करायें और जो ५-६ बातें कही हैं वे आज तक नहीं हुई हैं और न होने वाली हैं, जब तक हरदेवजी जोशी वहां रहेंगे तब तक वहां नहीं होने वाली है, और गलत काम वे वहां अधिकारियों से करवाना चाहते हैं। यहां तक कि मेरे उस क्षेत्र में पानी के लिए भी यह होता है। घाटोल क्षेत्र में जो कि जोशी जी का क्षेत्र है वहां पर ठीकरिया गांव है। वहां लालसिंह ठाकर एक छोटा सा ठाकर है उस गांव में और वह

(श्री विट्ठल)

सोशियेलिस्ट है तो उसके गांव को पहले पानी मिलता था नहर से हरिया बान्ध से लेकिन दो साल से उनको नहर से पानी नहीं दिया जाता है अगर वह सोशियलिस्ट हो तो उसके गांव के लोगों को पानी नहीं दिया जाय यह गलत चीज है। जब इरींगेशन इंजीनियर के पास गये तो उसने कहा कि जब तक जोशीजी नहीं कहेंगे तब तक पानी नहीं देंगे। बेचारा दौड़ता हुआ जयपुर गया और हरिदेवजी से मिला। जोशीजी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप हमारे कहने पर नहीं चलोगे और स्थानीय कांग्रेसी लिख कर नहीं देंगे कि वह हमारे में आ गया है तब तक नहीं होगा। स्थानीय कांग्रेसी यह लिख कर देंगे तभी पानी देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तब वह बांसवाड़ा में हमारे पास आया और कहा कि जोशी जी ने यह कहा है आपकी पार्टी में रहने से नुकसान हो रहा है। तब मैं इंजीनियर के पास गया और उनसे कहा कि पक्षपात की नीति तो पार्टी-वालों के पास है, आप तो सरकारी नौकर हो आपको तो पानी ठीकरिया गांव को देना चाहिये। तब उन्होंने कहा कि हमने तो पक्षपात नहीं किया है लेकिन ऊपर से जब दबाव आता है तो हमको करना पड़ता है। तब मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिये और उनको पानी देना चाहिये। तब मैं कलेक्टर के पास गया। उन्होंने जांच की और कहा कि पानी इस गांव को मिलना चाहिये लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला क्योंकि वह सोशलिस्टों का गांव था इसलिये पानी नहीं मिला। यह आपकी नीतियां हैं। हम लोग यहां पर शिकायत करते हैं, विधान सभा में चिल्लाते हैं, हीराभाई चिल्लाते हैं मैं भी बोलता हूँ लेकिन इस इलाके में चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, चाहे रोड विभाग का हो उस ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। हमको सड़कों की तो इतनी जरूरत नहीं है सड़कें नहीं दें तो भी कोई बात नहीं, आप बिजली नहीं दें तो भी कोई खास बात नहीं लेकिन कम से कम एक तो शिक्षा के मामले में हमको पीछे नहीं रखें और दूसरा दवाइयों के मामले में पीछे नहीं रखें क्योंकि पीपलखूंट ऐसा क्षेत्र है, बांसवाड़ा में अस्पताल है, वहां से २५ मील दूर पड़ता है और वहां पर आवागमन मोटरों का साधन नहीं है इसलिये डिलीवरी के केसेज में बहुत दिक्कत पड़ती है, कभी कभी तो औरतें मर जाती हैं इसलिये इस क्षेत्र में इलाज के लिये होस्पिटल खोला जाय ताकि लोगों का इलाज हो सके। औरतों के इलाज के बारे में खास तौर से विचार किया जाय नहीं तो वे मर जायेंगी। इसलिये आप यदि पक्षपात की नीति नहीं अपना कर चलेंगे तो ठीक होगा नहीं तो आगे के लिये जो होगा वह देखा जायगा।

(कई मा० सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द्र, कांग्रेस।

श्री लादूराम सुलानिया : हमारी प्रार्थना पर विचार करने का प्रश्न है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी ने ७० मिनिट ले लिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : यदि डिबेट का समय बढ़ेगा तो आपको जरूर मौका मिलेगा।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल सु०) : सभापति महोदय, बजट अधिवेशन जब से शुरू हुआ, उसमें माननीय वित्त मंत्रीजी ने ६८-६९ का तख़मीना पेश किया है उस पर भी बहस हुई और उसके बाद विभिन्न प्रकार की मांगों पर, जो स्वीकृत हो चुकी हैं, विचार हुआ। वैसे तो बहुत असंतोष की बात बजट से नहीं मालूम पड़ती है और मैं मानता हूं कि सभी ने स्वागत किया है, विरोध प्रकट नहीं हुआ है। वैसे मैं भी १०, ११ बजट देख चुका हूँ, इस साल का बजट संतोषजनक है, अच्छा है और नये कर नहीं लगाये गये हैं सबसे ज्यादा परेशानी नये करों से होती है। लेकिन फिर भी जो आपत्तिजनक बातें जो सरकार के ध्यान में लानी हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा।

आज भी चर्चा का विषय रहा कि गृह विभाग की धांधली रही या पुलिस अकर्मण्य हो गई इस कारण से चोरियां हुई, डाके राजस्थान में पड़ने लगे हैं ये सब बातें जरूर चिन्ता का कारण है। आज बड़ा भारी शोर गुल हुआ, मिनिस्टर की कार चोरी चली गई। वास्तव में बात यह है कि छोटे मोटे आदमी के घर में चोरी हो जाय तो इतनी चिन्ता की बात नहीं लेकिन मंत्रियों के घर में चोरी हो जाय तो फिर कहां ठिकाना रहेगा। जब बात सुनी तो बहुत दुख हुआ....

श्री मदनसिंह दांता : चोरी होती तो दुख की बात थी।

श्री गोकुलचन्द जाटव : वह आश्चर्य इसलिये खतम हो जाता है कि जब हम यह सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं तो मेरे खयाल से चोरी ने भी तरक्की करली है, छोटे घरों से बड़े घर पहुँचने लगे हैं....

एक माननीय सदस्य : अश्रव्य।

श्री सभापति : बोलने दीजिये।

श्री गोकुलचन्द जाटव: चिन्ता का विषय इसलिये मानना पड़ेगा कि पुलिस क्या करती है, कैसे उसके काम हैं, किस की देख रेख में चोरी हो जाय, किस का हाथ है, कैसी बुद्धिमानी का काम है? इसलिये मानना पड़ता है कि पुलिस ने ठीक तरह से काम नहीं किया, नहीं कर रही है। अबकी बार अलवर में देखने को मिला, आपको आश्चर्य होगा कि ३ गांवों में ४ डाके पड़े। एक मूसाखेड़ा गांव है वहां पर एक वैश्य को खाट से बांध दिया गया और बुरी तरह से बांधा, उसकी औरत को गोली मारदी जिससे वह मर गई। उसके दो बच्चों को छुरे लगे मैंने उनको अस्पताल में जाकर देखा है। अफसोस है कि एक औरत गोली से मर गई, वैश्य को खाट से बांध कर मारा, छोटे छोटे बच्चों के छर्रे लगे वे मरने से बच गये लेकिन हालत बुरी है और डाकू लोग ८० हजार का माल ले गये। मैंने समय समय पर वहां के एस०पी० से कहा, उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि माल बरामद हो गया है, मिल जायगा। मैंने उस आदमी से बात की तो उन्होंने कहा कि माल मिला नहीं है।

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

इसी तरह से इस्माइलपुर और करतारपुर में डाके पड़े। ये डाके क्यों पड़ते हैं और चोरियां क्यों होती हैं ? पकड़े भी जाते हैं लेकिन नहीं पकड़े जाते हैं तब शक होता है। पुलिस क्या करती हैं कौन चोर है, कैसा रिश्ता है, कौन करवाता है चोरी, किसका हाथ है ? यह प्रश्न होते हैं।

एक नयी बात मुझे कहनी है। पिछले दिनों ६ सितम्बर को छात्र आन्दोलन हुआ अलवर में। छात्र आन्दोलन में ज्यादातर छात्र होते हैं यह छिपी हुई बात नहीं है कि छात्र नुकसान पहुँचाते हैं, हड़ताल करा डालते हैं, जलूस निकालते हैं, पत्थर वर्षा करते हैं, वह भी अलवर में हुआ। मैं जयपुर से गया तो वहां पर दिन भर हड़ताल का आतंक था। जब मैं कमेटी की बैठक में जयपुर आया तो ५.६ छोरे यहां पर थे, चमारों के छोरे जिनको पुलिस ने पकड़ा उनमें से एक भी स्टूडेन्ट नहीं था। चमार के छोरों को जूते गांठते हुओं को घर से पकड़ कर लाया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या करती है पुलिस। यह लज्जा की बात है। चमार छोरे जिनका हड़ताल से कोई संबंध नहीं, और किसी के छोरों को नहीं पकड़ा इनके सिवाय एक शरणार्थी सिख का लड़का था उसको भी पकड़ा गया और किसी को छात्र आन्दोलन में नहीं पकड़ा गया। लड़कों ने तार काटे, नुक्सान पहुँचाया उनको नहीं पकड़ा। गिरफ्तार हुए चमारों के छोरे जो जूतों का काम कर रहे थे उनको थाने में बुलाया और बाद में बांदीकुई लाये और फिर हवालात में लाये।

श्री लादूराम सुलानिया : जोशी जी के खिलाफ वोट दिया होगा।

श्री गोकुलचन्द जाटव : आपके खिलाफ वोट देते तो...

श्री सभापति : भाषण जारी रखिये।

श्री गोकुलचन्द जाटव : यह आश्चर्य की बात है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता में जागृति भी हुई है, पुलिस का सहयोग भी रहता है। मैंने कई बार पुलिस के काम देखे हैं, उनका अच्छा काम होता हैं, बहादुरी का होता है, डाकुओं का पीछा करते हैं, अफसर लोग गोली भी खाते हैं जान भी देते है, जनता की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन अब की बार देखा कि मिनिस्टर के घर में भी चोरी होने लगी। जयपुर में ही नहीं, अलवर में भी जयकिशन जी शर्मा जो स्टेट मिनिस्टर है उनके घर में भी चोरी हुई, लोग इकट्ठे हुए, जयपुर में भी चोरी हुई। एम. एल. एज. के घर में नहीं होती

श्री केसरसिंह हाडा : एम.एल.एज. की चोरी हुई।

श्री गोकुलचन्द जाटव : सरकार को सावधान रहना चाहिये।

(१२.४० म॰ प॰)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं आशा करता हूं कि इस बारे में गृह मंत्री महोदय ध्यान देकर जो हरिजन छात्र

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

गिरफ्तार किये गये हैं छात्र आन्दोलन के सिलसिले में उनको रिहा करने के आदेश प्रदान करेंगे । यह तो मुझे मालूम हुआ है कि यह मामला जयपुर से ट्रान्सफर हो गया है मैं आशा करता हूँ सरकार निर्दोष छात्रों को छोड़ कर इस केस को वापिस लेगी ।

वैसे बहुत सी बातें कहने के लिये हैं लेकिन समय की कमी के कारण उन सब को कह नहीं सकता । इस बजट सत्र के दौरान उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बार बार नाराजगी जाहिर की है इस वास्ते जाहिर की है कि मिनिस्टर्स की संख्या बढाली है, राज्य पर यह बहुत बड़ा खर्च का भार आगया है । मेरी ऐसी मान्यता है कि सन् ५२ में जब चुनाव हुए इस सदन में सदस्यों की संख्या १६० थी ५७ में वह जाकर १७६ हुई और ६८ में जाकर १८४ हो गई । जिस तरह से समय समय पर विधायकों की बढोतरी हुई, जन संख्या की वृद्धि हुई हमारे प्रान्त की जन संख्या दो करोड़ से भी ज्यादा होगई तो मिनिस्टर्स की यदि संख्या बढ़ायी गई है तो सही बढ़ाई गई है । राजस्थान में बिजली लगी नये उद्योग धन्धे लगे शिक्षा विभाग दिन प्रति दिन नये स्कूल खोलते जा रहा है कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करता जा रहा है । आप देखिये पंचायत विभाग कितना बढ़ गया इसके जरिये से काफी बड़ा काम हुआ है । आज दो हजार से ऊपर पंचायतें हैं २३२ पंचायत समितिया हैं । यह पंचायत विभाग ही ऐसा विभाग है जिसमें एक मंत्री से काम नही चल सकता इसके लिये पांच उप मंत्री सहायता के तौर पर मिलने चाहिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ताकि आपका भी नम्बर आजावे ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं आशा तो नहीं रखता फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इसमें पांच उपमंत्री होने चाहिये । इसी प्रकार मैं यह भी मानता हूँ गृह विभाग है वह कितना बड़ा विभाग है इसके लिये एक एक डिवीजन में एक एक उपमंत्री काम करे देखे....

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसी हिसाब से १८ का नम्बर आ सकता है ।

श्री केसरीसिंह : घोड़ी दुबली माले दर्द ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मेरी जो इस बारे में दलील है वह उपयुक्त है फिर भी आप नाराजगी जाहिर करते हैं इसका कारण यह है कि आपने १९ की लिस्ट दी वह पूरी नहीं हो सकी धीरे धीरे उसमें भी कमी होती गई इस कारण उनको नाराजगी है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : विरोध में थोड़े नहीं है यह आपको किस प्रकार से भ्रम है यह तो पता आपको थोड़े समय के बाद चल जायगा कि आप थोड़े हैं या हम ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : आपका बहुमत आप मानते हैं तो फिर इतनी कुरबानी किसके लिये करते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो बेईमानी से बनायी हुई सरकार है बहुमत से सरकार नहीं बनी।

श्री गोकुलचन्द जाटव : बेईमानी किसे कहते हैं यह मैं नहीं कह सकता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माथुर साहब को चीफ मिनिस्टर बनने दीजिये देखे फिर क्या होता है ?

श्री गोकुलचन्द जाटव : आज कांग्रेस की बदौलत ही समझिये यह देश को आजादी मिली १९४७ में कांग्रेस ने शासन भार संभालने के बाद नया सविधान बनाया कांग्रेस ने जो जो काम किये दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकी ...

एक माननीय सदस्य : क्या उस समय नवाब साहब भी थे क्या।

श्री गोकुलचन्द जाटव : कांग्रेस ने ही आपको बोलने लायक बनाया ! गाँव गाँव में पंचायतें बना दी आज हर आदमी यह अनुभव करता है वह देश का स्वामी है मालिक है। अगर आज के शासन में किसी प्रकार की कमी है तो वह विरोधी दल के सदस्यों के कारण है। आप कोई भी बात कहते हैं तो उसमें वजन होना चाहिये झूठे आप चार्ज लगाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं इससे न देश का भला हो सकता है और न प्रान्त का। आप एक भी आरोप सही नहीं लगाते।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम जो भी आरोप लगाते हैं सही लगाते हैं हमारे पास प्रमाण होते हैं जाँच करवायी जाय तो प्रमाणिक हमारी बातें निकलेंगी आरोप लगाते हैं सत्य लगाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य श्री जाटव को भाषण देने दीजिये। बीस साल के कांग्रेस के राज में जब कि आप १५ साल से लगातार इस विधान सभा के सदस्य हैं, इनको मंत्री मंडल में नहीं लिया और जयकिशनजी नये आये उनको ले लिया। आपको भाषण देकर मन के गुबार निकालने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य के भाषण में बाधा उपस्थित न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम नहीं करेंगे बात तो सत्य कहनी चाहिये।

श्री गोकुल चन्द जाटव : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष से जो बातें कही जाती है उसमें सत्यता कम होती है....

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर आप कहते हैं बाधा डालते हैं मेरे पास प्रमाणित आरोप है कोई जाँच करवाये तो पता चल जायगा कौन सत्य कहता है ?

श्री गोकुल चन्द जाटव : जब देश में कांग्रेस सरकार बनी लोगों को बोलना सिखाया लोगों को मानवता सिखायी, असमानता का भेदभाव समाप्त किया। इसमें किसी को

(श्री गोकुलप्रसाद जाटव)

नाराजगी हो सकती है विरोधी सदस्यों को हो सकती है ...

एक माननीय सदस्य : आप ही अभी यह आरोप लगा रहे थे कि हरिजनों के लड़कों को जिनका छात्र आन्दोलन में हाथ नहीं था उनको गिरफतार किया गया और आप कहते हैं सरकार ने अच्छा काम किया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कांग्रेस की सरकार ने हजारों लोगों को मरवाया डाकुओं से मरवाया।

श्री गोकुलचन्द जाटव : आप और हम जो यहां बैठे हैं वह कांग्रेस के ही बदौलत बैठे हैं। कांग्रेस की ही यह विधान की देन है। आज आदिवासी लोग जो बैठे हैं यह उन्हीं की देन है, समाज में जो प्रेरणा दी वह कांग्रेस की देन है जो रिजरवेशन शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लिये यह इसी विधान की देन है इन्होंने ही अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया ...

श्री लादूराम मुलाणिया : यह संविधान कांग्रेस ने नही बनाया यह तो डा० अम्बेडकर ने बनाया जो कांग्रेसी नहीं थे। आज उस विभूति को इसी कांग्रेस ने भुला दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बार बार सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य बोले तो उनके बीच से बाधा उपस्थित न करें। बीच में बोलने से माननीय सदस्य को बाधा पहुंचती है।

श्री लादूराम मुलाणिया : माननीय सदस्य को झूंठ बात नहीं कहनी चाहिये झूठ बोलते हैं तो उसको सही करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यह उनके ध्यान में रहे देश को आजाद कराने में केवल कांग्रेस का ही हाथ नहीं था अन्य लोगों की कुर्बानियां भी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की बार बार अवहेलना करते हैं आसन पैरों पर हो तो उसका ध्यान रखिये। आप सदन के नियमों की अवहेलना मत कीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय सदस्य इन्टरप्शन इनवाइट न करे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोकुलचन्द जाटव से) : आपके १५ मिनिट समाप्त हुये। आप स्थान ग्रहण करें मैं अब उचित समझता हूं कि सरकार की ओर से उत्तर दिया जाय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमारे दल को टाइम नहीं मिला।

श्री भगवानदास शास्त्री : हमारे दल को समय मिलना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सब दलों के दलदल से अलग निर्दलीय को भी समय नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय यह जो विनियोग विधेयक....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरा व्यवस्था का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दल की तरफ से कोई माननीय सदस्य नहीं बोला है और न उनको समय ही दिया गया है इससे मुझे खेद है।

श्री उपाध्यक्ष : कल भी आपकी पार्टी को समय दिया गया। और जब कि सदन की कार्यवाही चल रही है यह आप कैसे कह रहे हैं समय नहीं दिया जा रहा है आगे आपको समय दिया जा सकता है। इसलिये व्यवस्था का सवाल कहाँ पैदा होता है ?

श्री दौलतराम सारण : कल केवल पांच ही मिनिट का समय मिला है। एक ही सदस्य के अलावा किसी को समय नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कल जिस समय माननीय सदस्य बोले थे उस समय कोई समय की सीमा नहीं थी कोई दस मिनिट बोला और कोई पांच मिनिट। उस बारे में आसन कुछ नहीं कर सकता।

लेकिन उनको बीच में रोका नहीं गया था यह मैं निवेदन कर दूं।

श्री दौलतराम सारण : हमारे दूसरे सदस्य ने बहुत चेष्टा की थी उनको अवसर नहीं दिया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक जो प्रस्तुत किया। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी मेरे दल के माननीय सचेतक महोदय ने प्रश्नोत्तर में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा था, इसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९६५ के अन्दर जिस समय हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी उस समय जयपुर के अन्दर ब्लैक आउट हो रहा था तो उस समय राजस्थान सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक जीप की चोरी हुई। उस जीप की चोरी के अन्दर चोरों ने उस जीप की चोरी तो की ही उसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो चपरासी था खूबसिंह उसकी हत्या करके वह कुछ लोग उस जीप को ले गये। राजस्थान सरकार उस जीप का पता नहीं लगा सकी। मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह जीप १९६५ में चोरी हुई, सरकार उसका पता नहीं लगा सकी, वह जीप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बाहर नहीं गई थी। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान की पुलिस सक्षम है, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि जिस जीप की १९६५ में चोरी हुई थी, भीलवाड़ा के अन्दर जो एक बहुत बडी फर्म है उस फर्म ने उस जीप के कुछ पार्ट्स, चैसिस और दूसरे पार्ट्स खरीदे और अभी वह जीप पुलिस ने जनता की सूचना देने के बाद में बरामद की।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह चोर पकड़े गये हैं, कातिल पकड़ा गया हैं और सारे लोग पकड़े गये हैं जब सरकार ने पकड़ लिये हैं तो अब क्या कहते हैं। अब कोई नई बात आपको पता हो तो बतादें ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सारे लोग पकड़ लिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि कोई माननीय सदस्य बोलें तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस जीप के पार्ट्स भीलवाड़ा की जो बहुत बड़ी फर्म है जिसका नाम पूसाराम मानसिंह है ...

श्री उपाध्यक्ष : बिना पूर्व सूचना के आप किसी का नाम नहीं लें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अच्छी बात है। उस फर्म ने उसके पार्ट्स खरीदे। पुलिस के अधिकारी उस फर्म के जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन राज्य के अधिकारियों के और मंत्रिमण्डल ने किसी एक मंत्री के हस्तक्षेप के कारण से वह व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हो सका और जो उस गिरोह के व्यक्ति थे, जो दूसरे पार्ट्स खरीदते हैं उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता के ऊपर नाना प्रकार के टैक्स लगाये जा रहे हैं, उन टैक्सों के अन्दर सरकार यह कह कर चलती है कि राजस्थान के बजट में पैसा नही हैं इसलिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर जो एडीशनल डाइरेक्टर, श्री बोडिया जी ने....

श्री उपाध्यक्ष : नाम से नहीं, ओहदे से।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एडीशनल डाइरेक्टर ने अपने रिश्तेदार को विज्ञान से सम्बन्धित सामान खरीदने के लिए, जो हर साल शिक्षा विभाग एक साल के लिए टेन्डर काल करता है, उसके स्थान पर उन्होंने तीन साल के लिए टेन्डर इस प्रकार से रहस्यमय ढंग से काल किये हैं, और उसके द्वारा उस फर्म जिसका नाम, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि उसमें लाखों रुपये का घोटाला एडीशनल डाइरेक्टर के रिश्तेदार ने किया है, जिसकी, मैं सोचता हूं, हमारे शिक्षा मंत्री को जानकारी है लेकिन अभी तक उस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह टेन्डर १६६७-६८-६६ के लिए आमंत्रित किया। उसके अन्दर जो पुरानी फर्म थी उन्होंने अपने टेन्डर दिये। उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार से हम यह टेन्डर दे रहे हैं, यह सीक्योरिटी आप जो मांगते हैं वह भी आवश्यक समझें तो हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सभी चीजों की अवहेलना करते हुए एडीशनल डाइरेक्टर ने साइन्टिफिक इन्स्टीट्यूशन्स के लिए सामान खरीदा, उसमें टेन्डर सिर्फ उन्हीं के रिश्तेदार, जिनका कि नाम...

श्री उपाध्यक्ष : नो नेम्स प्लीज ! आर्डर प्लीज ! नाम नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान साइन्टिफिक इन्स्टीट्यूशन हैं, उसको उन्होंने टेन्डर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर उन्होंने यह लिखा दिया कि जिस प्रकार से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी या जो भी है, यदि उन्होंने, जो साइंस से सम्बन्धित सामान तैयार करते हैं, रेट्स बढ़ाई तो जिन्होंने टेन्डर दिया है उसको भी रेट्स बढ़ाने की स्वीकृति दी है। जब इस प्रकार की सुविधा दी, कि जैसे जैसे मेन्युफेक्चरर्स अपनी रेट्स बढ़ायेंगे, वैसे वैसे इनकी रेट्स को बढ़ी हुई मानी जायगी। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि टेन्डर लेने की आवश्यकता थी ? इसके कारण जो लाखों रुपयों का सामान खरीदा जायगा, उसके अन्दर गवर्नमेंट की संस्था को, शिक्षा मंत्री जी, तीन लाख का नुकसान होगा, शिक्षण संस्थाओं को नुकसान होगा और लाभ होगा एक व्यक्ति को, जो एडीशनल डाइरेक्टर का रिश्तेदार है और उसको नाजायज फायदा पहुँचाने के लिए यह किया गया है ...

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात सदन में उठाई जाय तो उसकी पूर्व सूचना प्राप्त होना आवश्यक है। क्योंकि बोलने के बाद इस बात की सूचना भी चाहेंगे, जो दी नहीं जा सकेगी और यह ठीक भी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सूचना नहीं दे सकें तो न दें लेकिन सुन तो लें। जो जानकारी दी जा रही है, वह जानकारी तो ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आर्डर प्लीज ! एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर विचार विमर्श है उसमें केवल पॉलिसी मेटर्स पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे अन्य मामले, जो मांग के समय उठाये जा सकते थे, उस समय उठाये जाने चाहिए थे। ऐसे मामलों को छोड़ कर दूसरे मामलों पर विचार हो सकता है। इसलिए कृपया इसका आप ध्यान रखें। जिस वक्त शिक्षा की मांग थी उस वक्त यह नहो उठाई गई तो अब नहीं उठायी जानी चाहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डिमाण्ड के वक्त में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया था ...

श्री उपाध्यक्ष : इस कारण तो और भी यह उठाई नहीं जा सकती। कटौती प्रस्ताव दिया था तो वह मामला कटौती प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी है कि जो डिमाण्ड पास हो गई है, उसके बारे में एप्रोप्रियेशन के विचार विमर्श के समय दुबारा न उठाया जाय। लेकिन इसमें है कि सामान्यतः न उठाई जाय, कुछ रेफरेन्सेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की हालत के बारे में दिये जा सकते हैं। आपको दिक्कत यह है कि आप उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन वित्त मंत्री जी तो उत्तर दे सकते हैं। आपका कहना है कि पूर्व सूचना के बिना नहीं उठा सकते तो उसका उत्तर भले ही न दें, लेकिन बाद में जांच कर लें। माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, और आपके नोटिस में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की हालत ला रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सूचना देनी थी तो सदन के बाहर दे दे तो उस पर जानकारी कर लेता। आप सूचना दे रहे हैं और फिर उत्तर की अपेक्षा करें तो यह उचित नहीं होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : जो सदस्य लिख कर देते हैं उनका भी क्या होता है। कौन सुनता है। माननीय सदस्यों ने कई बातें लिख कर दी हैं, राइटिंग में दी हैं। कोई नहीं सुनता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें इस प्रकार की रेट्स दी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड मीटर्स हैं, उसमें १९६७-६८ के लिए ६३ रुपये, १९६८-६९ के लिए ६९ रुपये और १९६९-७० के लिए ७० रुपये की रेट दी है। इस प्रकार जो और आइटम्स हैं, उनकी इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्षों के लिए अलग अलग रेट्स दी हैं, जिसके कारण लाखों रुपयों का नुक्सान हुआ है। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय. टोंक के अन्दर डपोक हायर सैकण्डरी स्कूल है, उसके हैड मास्टर ××

श्री उपाध्यक्ष : नो नेम्स।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनके ऊपर

श्री मदनसिंह : नाम स्त्री नहीं लेती है। हम तो नाम लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, उक्त हैड मास्टर के साथ एडीशनल डाइरेक्टर ने राग द्वेष के कारण किसी प्रकार का अन्याय किया है. इतना ही नहीं उस समय के केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री को भी उसमें घसीटा है। उस हैड मास्टर को जो चार्ज शीट दी है, उसके अन्दर यह लिखा है कि सन् १९६४ के अन्दर जिस समय शिक्षा मंत्री माननीय छागला जयपुर में आये थे तो तुमने उनके ऊपर आक्रमण किया। उक्त हैड मास्टर ने एडीशनल डाइरेक्टर को लिखा कि मैंने उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। उसके बाद में उक्त हैड मास्टर ने माननीय छागला को पत्र लिखा। उसके ऊपर छागला जी ने राजस्थान के शिक्षा सचिव, श्री विष्णु दत्त शर्मा को पत्र लिखा, उसको पढ़ने में उपाध्यक्ष महोदय, समय लग जायगा, उसमें उन्होंने लिखा है, श्री छागला के पर्सनल सेक्रेटरी ने लिखा है, मेरे ऊपर जिस समय जयपुर के अन्दर आया था, उक्त हैड मास्टर ने कोई आक्रमण नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैंने कोई शिकायत नहीं की उसमें आगे लिखा है, मुझे अफसोस है, एडीशनल डाइरेक्टर ने किस प्रकार मोटे तरीके के ऊपर हैड मास्टर के ऊपर इतना गम्भीर आरोप लगाया है। इसकी जांच की जाय। मैं माननीय शिक्षा मंत्री, आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार छागला जी के लिखे गये पत्र के ऊपर आपने क्या कार्यवाही की। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उक्त हैड मास्टर का १९६४-६५ में ८० पर्सेन्ट रिजल्ट रहा था, लेकिन एडीशनल डाइरेक्टर ने राग द्वेष के आधार पर ८० पर्सेन्ट रिजल्ट था उसको मिल कर गलत ढंग से बना कर ३८ पर्सेन्ट कर दिया। उसके सम्बन्ध में जब पत्र लिखा तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया।

इसके बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री. त्रिगुण सेन को लिखा कि इस प्रकार मेरा रिजल्ट

×× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

रहा और इसको ऐसा बनाया है । उस पर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने एडीशनल डाइरेक्टर को पत्र लिखकर पूछा यह गलती किस प्रकार की । उसके ऊपर एडीशनल डायरेक्टर ने यह कह कर टाल दिया कि क्लैरिकल मिस्टेक हो गई इस कारण गलती हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग में इस प्रकार की घटना हुई थी । जो आदमी उसमें परीक्षा के लिए गये थे तो उसमें एक आदमी के नम्बर कम कर दिये गये । उस पर जांच हुई और केन्द्रीय रेलवे विभाग ने, जिसने नम्बर कम किये थे, उसको सजा दी थी. और जो जो व्यक्ति बैठ थे उनको निलम्बित किया था । मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन दोनों मसलों पर ध्यान दें । आज यहां यह बात है उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जहां इस प्रकार से आदर्श की बात करते हैं वहां इस सेल्स टैक्स, टैक्सेशन विभाग के अन्दर उन्होंने जातिवाद के आधार पर अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार नियुक्त किया जो कि उसके लिए योग्य नहीं । इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने साढू को जो इस विभाग में नहीं था, सहकारी विभाग में सहायक इंस्पेक्टर था, उसको श्री माथुर एक गलत ढंग से सेल्सटैक्स विभाग में लाये और ला कर, जो इण्टरमीडिएट था, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बना दिया । जब कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पोस्ट के लिए कम से कम बी. ए. सैकिण्ड क्लास, ग्रेजुएट होना चाहिए, तब उसकी नियुक्ति की जाती है । लेकिन माथुर साहब ने इस विभाग के अपने पास होने के नाते जातिवाद के आधार पर उसकी नियुक्ति की वह उनका छोटा साढू लगता है । इसलिए उसकी ऐसी नियुक्ति की । इतना ही नहीं होने पाये इस सैलसटैक्स डिपार्ट मेंट में हमारे शीप एड वूल के चार व्यक्ति लिये जो मैट्रिक पास थे । उनकी उस पोस्ट पर नियुक्ति की । उनमें से एक व्यक्ति हुक्माराम को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बना दिया गया । वह इसलिए बनाया गया क्योंकि वह कांग्रेस के एक एम.एल.ए., एक विधायक का रिश्तेदार था । उसकी गलत नियुक्ति की, इस प्रकार की पोस्ट के ऊपर जातिवाद और राजनीति के आधार पर नियुक्ति की जाती है यह बड़े मजे की बात है । उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान की सरकार ऊंची दर पर टैक्स लगा रही है । मैं वित्तमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि कोटा की एक फर्म हैं मैसर्स जानकीलाल भौरीलाल उसके ऊपर चार साल से राजस्थान सरकार का ९३ हजार रुपया बाकी है । उस व्यक्ति ने उस समय सप्लाई डिपार्टमेंट से मिलकर मिलिट्री को गल्ला सप्लाई किया था । उसके अन्दर फर्म ने मिलिट्री से पूरा पेमेंट लिया, एडवांस में पेमेंट ले लिया । केन्द्रीय सरकार से मिलिट्री डिपार्टमेंट से एडवांस लिया और उसका भुगतान नहीं किया । राजस्थान से जो गल्ला खरीदा उसका ९३ हजार आज तक नहीं चुकाया राजस्थान सरकार को १९५५ में कोटा कलेक्टर ने पी. डी. आर की कार्यवाही को (समय समाप्ति सूचक घंटी) उस पी. डी. आर. की कार्यवाही के सारेकागजात गायब हैं और उससे रकम वसूल नहीं हो रही है । इतना ही नहीं, एक मत्स्य पालन विभाग है, इस मत्स्य पालन विभाग के अन्दर एक असिस्टेंट आफिसर है । उन्होंने एक

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पत्र लिखा है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मत्स्य पालन विभाग के सेक्रेटरी को लिखा है, और उसके अन्दर उसने राजस्थान मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों पर इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाये हैं और जिसके अन्दर लिखा है, राजस्थान मत्स्य पालन विभाग जिस प्रकार चल रहा है वह अव्यवस्था के कारण है, यदि इसकी व्यवस्था सुधर जाय तो मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष ६० लाख की आमदनी हो सकती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उसने यह भी लिखा है कि इस साल राज्य सरकार को इस मत्स्य पालन विभाग से १० लाख की आमदनी होगी जब कि १९६७-६८ में राजस्थान सरकार को १३ लाख की आमदनी हुई (समय समाप्ति-सूचक घंटी) अभी पांच मिनिट भी नहीं बोला हूँ, दो तीन मिनिट और लूंगा)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण समाप्त करें। और किसी अवसर पर बोल लें।

श्री देवेन्द्रकुमार !

श्री लादूराम सुलानिया : टाइम आधा घण्टा बढ़ाया जाय क्योंकि हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं बोला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर) : आप देवेन्द्र-कुमार नहीं हैं. न धर्मेन्द्र हैं, सिनेमा के।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं थोड़ा टाइम लूंगा। चार पांच मिनिट निवेदन करना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार बोल रहे हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार गोयल (गोगुन्दा सु): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वित्त मन्त्री से निवेदन है कि उदयपुर डिवीजन में छोटे काश्तकारों को उनकी खेती के लिए और सिंचाई साधनों के लिए बहुत कम पैसा है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इन छोटे किसानों के लिए छोटे छोटे तालाब, कुओं की व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक उदयपुर डिवीजन में वह लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वह लोग भीतरी पहाड़ियों में रहते हैं। उदयपुर डिवीजन की, उनकी हालत आपने देखी होगी, वह आदिवासी एरिया है, शत-प्रतिशत आदिवासी हैं, पांच छः तहसीलों में। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि उस एरिया की तरफ सरकार क्यों ध्यान नहीं देती जब कि इस इलाके में बड़े बड़े प्लाट, वहाँ अधिकांश में पानी है और सब तरह की सुविधा है। सिर्फ इधर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ जो बजट में पैसा रखा है वह आदिवासी किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए बहुत कम पैसा है। वहाँ आदिवासी जिस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं वह अपने एग्रीकल्चर के मार्फत से आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुए खोदने के लिए पैसा मिलना चाहिए ताकि उन किसानों को आगे बढ़ने

(श्री देवेन्द्रकुमार गोयल)

का मौका मिले। इसके साथ साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर डिवीजन के ज्यादातर आदिवासी लोग पुलिस में, मिलिट्री में भर्ती होते हैं। क्यों भर्ती होते हैं ? उनके पास खेती के और दूसरे साधन नहीं होते हैं जिससे क्या होता है कि उनके लिए अपने बालबच्चों और परिवार का पालन पोषण करना बड़ा जटिल होता है । मेरे से पहले बोलने वाले साथी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस के बारे में कि आज किसी भी देश में जनता के माल और जान की रक्षा करना पुलिस का फर्ज होता है। मैं आज तक सुनता आ रहा हूँ इस हाउस के अन्दर कि जैसे पुलिस वाले मर जायें, भगवान जाने क्यों यह समझ रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको सुविधा क्या है ? कितना वेतन देते हैं छोटे कर्मचारियों को ? आप सी० आई० डी० विभाग में देखिए । उसके लिए कहते हैं कि सी० आई० डी० विभाग निकम्मा है । मैं नहीं मानता कि उनके सवारी का साधन हैं या दूसरे साधन हैं। उनको छोड़ देते हैं, साइकिल से काम करो। तो साइकिल वाला एक मोटर वाले का क्या पीछा कर सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको अलाउन्स और सुविधा दीजिए ताकि उनको पूरी तरह से काम करने का मौका मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खेरवाड़ा में एम० बी० सी० जो है, वहाँ पर ३८ में ९०० आदमी थे, आज ३०० आदमी है। यह क्यों हुआ ? आप भी मानते हैं छावनी नसीराबाद की तरह खेरवाड़ा छावनी है, वहाँ मकान बने हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बटेलियन कायम की जाय और वहाँ के इन लोगों को इसमें रखा जाय क्योंकि हमारे आदमी फौज और पुलिस में भर्ती होते हैं, उनको इधर उधर डोलना न पड़े। इसलिये उन लोगों को मौका दें और वहाँ भर्ती करने के बाद फिर जहाँ चाहें भेजें, किसी भी जगह भेजें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ८०० आदमियों की कमी करने के बारे में हमने सुना, तो जिस वक्त हमारे देश पर, प्रान्त पर आपत्ति आती है, आपको जरूरत होती है तब तो भर्ती कर लेते हैं और फिर उन ट्रेन्ड लोगों को निकालते हैं यह ठीक नहीं है। ४०० आदमी उदयपुर डिवीजन से कम कर रहे हैं वे ऐसे आदमी होंगे जो गरीब हैं, जिनके लिये अपने बाल बच्चों का पोषण करना भी मुश्किल है, उन लोगों को आप कम कर रहे हैं। जब आप पर आपत्ति आती है, बोर्डर पर अशान्ति होती है तब तो उनको बुला लेते हैं, हमारी सुरक्षा के लिये जान माल की रक्षा के लिये बुला लेते हैं और फिर निकाल देते हैं, यह कहाँ तक ठीक है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पुलिस वालों को आप आगे बढ़ाओ, इनको सुविधाएं दो, वे हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। उप गृह मंत्रीजी तो स्वयं जानते हैं क्योंकि वे मिलिट्री में पुलिस में रहे हुए हैं। बहुत से कहते हैं कि पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं यह गलत है, पुलिस वाले तो दो दो, तीन तीन रुपयों की चोरी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते पर कहीं भी कत्ल हो जाय तो उनको कहते हैं पहुँच जाओ वहाँ, कहीं मारपीट होती है, आपस में झगड़ा हो जाता

(श्री देवेन्द्रकुमार गोयल)

हैं तो उनको कहते हो, पहुँच जाओ वहां पर। तो उनका मालिक कौन है ? कोई नहीं मालिक आप हैं। तो उनको ज्यादा से ज्यादा देना चाहिये और उनका हौंसला आगे बढ़ाना चाहिये जिससे कि वे हमारे देश की रक्षा कर सकें।

उदयपुर डिवीजन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि बिजली से वहां के लोग अपनी पैदावार को बढ़ा सकें।

शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे उदयपुर डिवीजन में बहुत बड़ा एरिया पिछड़ा हुआ है। वहां शिक्षा कम है। इसलिये वहां मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खोले जायं क्योंकि वह गरीब आदिवासी ऐरिया है उनके पास पैसा नहीं है। पास ही मिडिल स्कूल हाई स्कूल हो तो वे पढ़ सकते हैं और आज के संसार के साथ चल सकते हैं।

इसके अलावा, मैं वह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें हमारे प्रान्त का आर्थिक विकास करना है। हमारे यहां मजदूर और किसान ६० प्रतिशत हैं। हमारे 'यहां मजदूर ऐसे हैं जो अपना पेट काट कर रात दिन महनत करते हैं और हमारे यहां किसान ऐसे हैं जो अपने बाल बच्चों को पेड़ों पर टांक कर खेतों में काम करते हैं। आज आप उन किसानों और मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं देते। बड़ी बड़ी फैक्टरियां लगाते हैं तो बड़े बड़े पूंजीपतियों, करोड़पतियों और अरब पतियों को सब तरह की सुविधाएं देते हैं, सब तरह से आप उनको मदद देते हैं पर गरीबों को मदद नहीं देते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां का पिछड़ा हुआ एरिया है वहां आप अगर मदद नहीं देंगे तो किसी तरह देश की आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुझारसिंह ! समय बहुत कम है, इसलिये समय सीमा १० मिनट रहेगी।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टाइम को देखते हुए सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, जो आवश्यक बातें हैं उनकी ओर मुख्य मंत्री महोदय का और खास तौर से प्लानिंग मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बजट में जो ऐसी बातें हैं जिनका मेरे डिस्ट्रिक्ट पर असर पड़ता है, उन्हीं तक अपना भाषण कन्फाइन्ड रखते हुए कुछ बातें कहूंगा और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उन्हें ध्यान से सुनें और उन्हें सुनने के बाद यदि वे समझते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बातों में सार है तो प्लानिंग के द्वारा संशोधन करने को कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की यह पोलिसी है कि चम्बल क्षेत्र में जो रेवाइन लैंड्स हैं, उसे बड़े बड़े सेठ साहूकारों को और ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास साधन हैं, सौ सौ एकड़ के पंचेज में अलोट कर दी जायं। क्योंकि यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है इसलिये इसकी ओर मुख्य मन्त्री महोदय का

(श्री जुझारसिंह)

ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूँ ।

मैं वर्षों से निवेदन करता आ रहा हूँ कि कोटा स्टेट के जमाने से और राजस्थान बनने के बाद से भी इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या भूमि कटाव की है । इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में और इस सदन में बार बार प्रश्न उठाये जा चुके हैं । इस समस्या की जानकारी हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवीन सर्वे डिपार्टमेंट कायम किया है और हजारों एकड़ की सर्वे हो चुकी है । उनकी रिपोर्ट भी इस तथ्य को जाहिर करती है कि इस क्षेत्र में रेवीन्स को कल्टिवेट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये, क्योंकि इससे भूमि का कटाव बढ़ेगा और जमीन की औसत उपज घटेगी । इसी प्रकार जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस तरह की रिपोर्ट भी है कि मारजीनल-लैन्ड के रैकलैस, इन्डिस्क्रिमिनेट अलोटमेंट से भूमि का कटाव बढ़ा है और जमीन की औसत उपज घट रही है ।

इसके साथ साथ में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कटाव पर अध्ययन करने को सरकार ने समय समय पर कमेटियाँ बैठाई हैं । १९६० में उस समय के कोटा के कमिश्नर मिस्टर कक्कड़ की चैअरमैनशिप में एक कमेटी बैठाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, उस रिपोर्ट में भी उस कमेटी ने सरकार को यही सलाह दी है, वह रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिये क्योंकि उस रिपोर्ट को देखने का मुझे भी मौका मिला था । मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट्स की कमेटियाँ बैठती हैं, वे कमेटियाँ परिश्रम करके सारे मामलों को एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट्स देती हैं पर उनके रिपोर्ट्स के देने पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है और पोलिसीज जो सरकार निर्धारित करती है, उन रिपोर्ट्स की सिफारिशों के विपरीत होती हैं ।

इस सम्बन्ध में थोड़े से आँकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा । कोटा में चम्बल कमाण्डेड एरिया में ८,००,००० एकड़ में रेवाइन्स है । उसके इटावा क्षेत्र के ४६ गाँवों में लेवलिंग का काम करीब दो वर्ष पहले शुरू किया गया था । यह ऐसा क्षेत्र था जो आलरेडी एरिया कल्टीवेटेड था । इसका मतलब यह है कि इस एरिया में रेवीन की डेप्थ ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा १ फीट से तीन फीट में कुछ कम तक का डिप्रेशन हो सकता है । वहाँ जमीन का लेवलिंग शुरू किया गया और करीब ४० लाख की रकम रीक्लेमेशन के लिये रीफाइनेन्स कारपोरेशन बाम्बे से ग्रान्ट हुई । उन ४६ गाँवों में डेढ़ वर्ष की कोशिश के बाद में केवल १० एकड़ लैंड का रीक्लेमेशन हुआ है । इस पर कास्ट आफ रीक्लेमेशन बहुत हैवी आती है । इन ४६ गाँवों में कास्ट आफ रीक्लेमेशन का सरकार ने ३०० रुपये से ३५० रुपये पर-एकड़ का अन्दाज लगाया था पर वास्तव में कास्ट आफ रीक्लेमेशन इतनी हैवी वर्क आउट हुई है कि किसान इतनी हैवी कोस्ट आफ रीक्लेमेशन देने में असमर्थ होने के कारण कतई देने को तैयार नहीं हैं । वहाँ कास्ट आफ रीक्लेमेशन ७०० रुपया पर-एकड़ तक हो गई है ।

(श्री जुझारसिंह)

यह जो ८ लाख एकड़ का चम्बल का रेवाइन एरिया है, उसमें ३ फीट से कम गहराई का जो एरिया है उसका पर्सेंटेज कुल इस रेवाइन एरिया का २६ पर्सेंट है। जैसा मैंने बताया १ से ३ फीट तक के रेवाइन्स एरिया की कोस्ट ग्राफ रीक्लेमेशन ७०० रुपये पर-एकड़ ग्राई है तो ३ फीट से १० फीट ग्रौर १५ फीट तक की डैप्थ के रेवाइन एरियाज को रीक्लेम करने में कास्ट ७००) रुपये से पाँच गुनी तीन हजार से ४०००) रुपये तक ग्रा सकती है ग्रौर इस ३ फीट से १० फीट, १५ फीट की डैप्थ के रेवाइन एरिया का पर्सेंटेज कुल रेवाइन एरिया का ३५ पर्सेंट है।

तीसरी टाइप का जो रेवाइन एरिया है उसकी डैप्थ १५ फीट से ज्यादा से ग्राती है, उसकी पर्सेंटेज ८ लाख एकड़ के इस एरिया की ३९ पर्सेंट है।

तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि रेवाइन एरिया ३ किस्मों में विभक्त है, ३ टाइप का है। एक टाइप जी वन एरिया है, दूसरा टाइप जी. टू एरिया है ग्रौर इसका तीसरा टाइप जी. ३ एरिया है। जी. १ टाइप एरिया की डेप्थ १ फीट ३ फीट या इससे कुछ कम है, उसका पर्सेंटेज २६ पर्सेंट है, जो ग्राज भी यूटिलाइज्ड है, इसका ८० पर्सेंट ग्रालरेडी ग्रन्डर कल्टिवेशन है। इस जी. १ टाइप के एरिया में रीक्लेमेशन से २० पर्सेंट एरिया प्राप्त हो सकता है।

रेवाइन एरिया का दूसरा टाइप जो जो है, इसका पर्सेंटेज कुल एरिया का ३५ पर्सेंट है, इसका भी ३४ पर्सेंट ग्रन्डर कल्टिवेशन है।

ग्रब जो ३ टाइप हैं, वह सारे एरिया का ३९ पर्सेंट है, जिसको ग्रन्डर कल्टिवेशन लेना चाहते हैं, उसमें से भी ६ पर्सेंट एरिया है वह ग्रन्डर कल्टिवेशन है। इस तीसरे टाइप के एरिया को डैप्थ १५ फीट ज्यादा होगी, इसलिये वहाँ कोस्ट ग्राफ ग्रोपरेशन, कोस्ट ग्राफ रीक्लेमेशन बड़ी हैवी होगी। गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है कि कास्ट ग्राफ रीक्लेमेशन बड़ी मंहगी पड़ रही है, ग्रौर वह केवल ३ फीट से नीचे की डैप्थ के रेवीन्स के बारे में रिपोर्ट की है।

इतनी लम्बी चौड़ी बात इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने नीति बनाई है कि रैविन्स को लैंड को रिक्लेमेसन के लिए किन्हीं प्राइवेट पार्टीज को दी जाय। इसमें एक खतरा देखता हूं जो रिक्लेमेशन सरकार के बूते के बाहर है, सरकार द्वारा सब तरह से साधन उपलब्ध कराने के बाद में भी डेढ वर्ष में १० एकड़ रिक्लेमेशन हुग्रा जिसका कास्ट ग्राफ रिक्लेमेशन करीब ७००) रु० प्रति एकड़ ग्रौर ग्राया है ग्रौर जो १ टाइप रैविन्स में काम किया गया है। तो ग्रापकी जो नीति है, उससे इन्टरेस्टेड पार्टीज ने किसी तरह ग्रपने नाम जमीन ग्रलाट करवा देंगे क्योंकि ग्रापने तय किया है कि दो तीन साल बाद ग्राप जाँच करेंगे कि उन्होंने ५० प्रतिशत रिक्लेम किया या नहीं, ४० प्रतिशत किया या नहीं ग्रौर ५ वर्ष बाद पूरा रिक्लेमेशन नहीं किया तो उनको ग्राप

(श्री जुझारसिंह)

डिस्लोज कर देंगे लेकिन ५ वर्ष में इस नीति से उस क्षेत्र में कितना कटाव बढ़ गया होगा, इसका अन्दाज नहीं लगाया। इसलिए जो नीति आपने तय की है सोच समझकर उस क्षेत्र में लगायें। इस क्षेत्र में रैविन्स का रेट ऑफ ग्रोथ है २½ प्रतिशत पर–ईअर है। सरकार ने एक गांव केशोरायपाटन का उसका १६२३-२४ में सर्वे कराया था बाडोली गांव का नाम है। ३० वर्ष बाद फिर जो सर्वे कराया तो २५० एकड़ में रैविन्स बढ़ गए थे, स्पीड ऑफ ग्रोथ रैविन्स में कल्टीवेशन के लिए लैंड दे दी और हिफाजत नहीं की तो भूमि का कटाव बहुत बढ़ जावेगा। कोटा राज्य में जहां इतना साइंटिफिकली डेवलप्ड विभाग भी नहीं था तो भी रियासतें महसूस करती थी कि राज्य में कटाव की बड़ी समस्या है। और इसलिए उन्होंने महकमा बंधात खोला हुआ था। वह महकमा चलाया था कि जो छोटे छोटे चैक डेम्स बनाए और कल्टीवेटेड एरियाज में जहां डिप्रेशन्स है वहाँ डैम्स बने ताकि भूमि का कटाव रुके। इस महकमे ने लाखों रुपए के बंधे बनाये, और वह रेकार्ड राज्य सरकार को हैंडओवर किया है जिसका २० साल से न रेकार्ड न बंधों की रिपेयर्स करवाई है। अब कटी हुई जमीनों को रोकना तो दूर लेकिन एलाट करना शुरू कर दिया है।

अभी जो मारजिनल लैंड्स हैं उनके बारे में मेरे निवेदन पर कलेक्टर कोटा ने मौकों को देखा और निर्णय लिया कि सांगोद तहसील में जितनी भी मारजिनल लैंड है, उसको रेवेन्यू से ट्रांसफर करके वन विभाग को दे दी जाय ताकि लोग रैविन्स में कल्टीवेशन नहीं कर सकें। सांगोद में ५० गांवों को वन विभाग को ट्रांसफर किया गया लेकिन आपकी गलत नीतियों की वजह से जगह जगह ट्रेस्पासर्स बैठ रहे हैं, और हर साल रेग्यूलराइज कराते जा रहे हैं। इस तरह गलत नीतियों की वजह से वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है।

वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हमने बेटरमेंट लेवी के टारगेट्स सेट किए थे, उनको हम रीएलाइज नहीं कर पाए हैं और करीब ५ करोड़ का शार्टफाल हुआ है। बैटरमेंट की नीति अपने आप में गलत है। मैं राजस्थान के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं रखता लेकिन चम्बल के बारे में थोड़ा बहुत निवेदन करूं कि बेटरमेंट लेवी उस लैंड पर ली जाती है जो आपको इरिगेशन से या आपकी योजना के तहत इम्प्रूव हुई है। उसमें कोई सुधार हो गया हो तो किसी तरह की पैदावार बढ़ गई हो लेकिन इस क्षेत्र में सिंचाई के बाद जमीन बिगड़ने लगी है।

(लगातार घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपको १० मिनट समाप्त हो गए।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : मैं बहुत थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़े में समाप्त करें, तब कहूंगा।

(श्री शंकरलाल जाट व श्री लादूराम सुलानिया साथ साथ बोलने लगे)

श्री शंकरलाल जाट : हमारे दल में से केवल तीन सदस्य ही बोले हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश में लोग भूखे हैं, जंगलों में रहते हैं, आज भी इस प्रकार की अव्यवस्था है। बहुत बारीकी से अध्ययन किया, वर्षों तक प्रयास किया लेकिन २० वर्षों का जो प्रयास है उसमें हमारी सरकार असफल रही है, यह स्पष्ट बात है। कोई विशेष बात में नहीं कहना चाहता। आज हमारी राजस्थान सरकार के लोग जो मंत्रि मंडल में बैठे है वे भारत सरकार से गरीबों की गरीबी मिटाने के नाम पर, हरिजनों को ऊंचा उठाने के नाम पर, हमारे देश के अन्दर पैदावार बढ़ाने के नाम पर, हमारे देश के लोगों को राहत देने के कामों पर करोड़ों रुपया राहत कार्यों के लिए प्राप्त करते हैं और हमारे सारे राजस्थान का रेवेन्यू जितना भी आया है, सारे विभाग खपाते हैं। इसके अलावा कर्जा भी लेते हैं। इस तरह तीन तरह से आय प्राप्त करने के पश्चात् भी जिन कार्यों को हाथ में लिया है उनको २० वर्षों में पूरा नहीं किया है। जो लोग २० वर्ष पहले गांवों में गरीबी का जीवन बिताते थे, उनके जीवन में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए था, उनको इन सारी पूंजियों का फायदा मिलना चाहिए था लेकिन वह नहीं मिल पाता है और उसका मुख्य कारण यह है कि जो लोग इस मशीनरी में बैठकर चला रहे हैं वह समझते हैं कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई और अगर समाजवाद को हमने लागू कर दिया तो जिस तरह से आज वे ऐशो-आराम करते हैं, वह समाप्त हो जायगा।

आज काश्तकार की हालत यह है कि जो खेत में काम करता है, उसकी क्या पोशाक है। मंत्री महोदय जाने या न जाने लेकिन उसी पोशाक से निकल कर मंत्रिमंडल में बैठे हैं। इस बात को भूल गए हैं कि खेत में किसान बंडी बांधकर काम करता है। और दूसरी तरफ उसी देश में रहने वाला व्यक्ति जो २४ घंटों में से एक घंटा भी काम नहीं करता, दिन में तीन बार कपड़े बदलता है। हमारी सरकार को जो समाजवाद की नीति है इसकी यह परिभाषा है। यह स्पष्ट है कि आज से २० वर्ष पहले जिस स्टेज पर ये लोग भाषण देते थे स्पष्ट कहते थे, कि हम भूमि पर लगान नहीं लेंगे और जो पैदावार है उस पर हमारा अधिकार है, हम उठायेंगे लेकिन आज २० वर्ष के बाद भी उस काश्त' कार से वह लगान लिया जाता है जो १० साल पहले बांधा था। इस वर्ष छोटी जोतों पर लगान समाप्त करने के बजाय दुगुना वसूल किया है। इस प्रकार की नीति आज सीलिंग पर चली।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आध घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री लादूराम सुलाणिया : सीलिंग का कानून सरकार ने इसलिए बनाया ताकि जो भूमिहीन हैं, जिनके पास नहीं है, उनको भूमिदारों से भूमि लेकर देंगे। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी हम उस नीति पर जमे हुए हैं।

अगर छोटे काश्तकार का, जो जमीन जोतकर अनाज पैदा करता है, सही माइने की जमीन मिल गई तो वह इस बात का

(श्री लादूराम सुलाणिया)

प्रयास करेगा जब देखेगा कि मलिकाना हक प्राप्त कर लिए हैं और कब्जा रहेगा। यह सरकार की दोहरी नीति है उससे जो उन लोगों को राह मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई है और इससे लाभ छोटे काश्तकारों को नहीं हुआ। आज इधर सीलिंग की दुहाई दे रहे हैं कि बहुत जल्दी करेंगे और दूसरी तरफ लोग जमीन को फार्म के रूप में बनाते हैं ताकि सीलिंग में न आए और खुदकाश्त नहीं कर सकें। हमारे देश में राजस्थान का जो हिस्सा है इसमें जितने बड़े बड़े फार्म्स हैं वे १०० बीघा से अधिक हैं, उन पर उनका कब्जा है जो राजस्थान में बड़े-बड़े धनाढ्य से है, पूंजीपति हैं या जो मंत्रि मण्डल के सदस्य हैं, उनके फार्म हैं, जिनके अन्दर कोई गरीब, कोई मजदूर या कोई काश्तकार नहीं है जो अपनी रोजी-रोटी रोज कमा कर खाते हैं। अगर वे इस बात की मांग करते हैं, जमीन लेने की कोशिश करते हैं तो उनको जमीन मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उपाध्यक्ष महोदय, जमीन का प्रश्न कभी उनके साथ उठ ही नहीं सकता। जब राज्य सरकार सीलिंग लागू करे और जिस नीति से यह बनाया है, उस नीति और ईमानदारी से वाकई जिनके पास भूमि नहीं है, उनको दे तो हो सकता है हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, उपज बढ़ सकती है और उससे ज्यादा राईट मिल सकते है। दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार दुहाई देती है कि गरीबों को जमीन पर बसने के अधिकार दिये है, उनके छात्रों को पढ़ने के अधिकार दिये है, छात्रवृत्तियों के अधिकार दिये हैं और उनको बड़ी-बड़ी फेसेलिटि देने के अधिकार प्राप्त हैं, इस प्रकार की दुहाई दी है लेकिन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को यह जानकारी कराना चाहता हूँ कि २० वर्षों में हरिजनों के प्रति अन्याय हुआ है उनका नमूना है कि हरिजनों का एक भी व्यक्ति तैयार नहीं किया गया है, जो बहुत बड़ा आफिसर बन सके, कोई डाक्टर तैयार नहीं किये है, कोई इंजीनियर तैयार नहीं किये हैं, कोई मजिस्ट्रेट तैयार नहीं किये हैं. किसी भी क्षेत्र में कोई ऊंचे आदमी नहीं बने हैं। जिनके उपर करोड़ों रुपया खर्च करने की दुहाई देते है, ऐसा एक भी व्यक्ति तैयार नहीं किया है और ये इस सिद्धान्त को मानते है कि पिछड़े हुये लोगों को बराबर लाना चाहते हैं तो आजादी के टाइम से राजस्थान में किसी भी हरिजन लड़के और लड़कियों को इस प्रकार के सांचे में नहीं ढाला गया है जो आगे जाकर अपना भविष्य सुधार सके पिछड़ी जाति में इस प्रकार की व्यवस्था कर सके कि इस देश में हमने भी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। भारत के संविधान ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में जो धारा ४२ से ४८ को माना है, उसके उपयोग करने के अधिकार मिले हैं, वह राजस्थान सरकार ने पूरे नहीं किये हैं। इस लिये पूरे नहीं किये हैं, इसका कारण है कि हरिजनों के जो हजारों लड़के और लड़कियां है आफिसर बन सकते हैं, डाक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी बन सकते हैं और सारे राजस्थान के

(श्री लादूराम सुलाणिया)

पिछड़ी जाति के जीवन को ऊंचा ला सकते हैं, यह इनकी दोहरी चाल है, अगर आज इनको प्रोत्साहन दिया जाय तो आने वाले भविष्य में आपकी दाल गलने वाली नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री लादूराम सुलाणिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलाणिया : दो मिनट सिर्फ उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है। आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलाणिया : केवल दो मिनट.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। समय समाप्त हो गया है।

श्री शंकर लाल।

श्री लादूराम सुलाणिया : दो तीन बातें रह गई, उपाध्यक्ष महोदय. बहुत जरूरी है। केवल दो मिनट......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको १० मिनट हो गये। अब दो मिनट नहीं दिये जायेंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : दस मिनट में बोला ही नहीं हूं, मेरी प्रोसीडिंग्स देख ली जाय। मुझे दो मिनट और मिलने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन की बात माननी चाहिये।

श्री शंकरलाल (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९६८-६९ का जो वित्त मंत्री जी ने बजट बनाया है, उसमें नये कर नहीं लगाये गये हैं, उसकी प्रशंसा के साथ साथ बड़ी भारी आलोचना की गई है और यहां तक कहा है कि राजस्थान की सरकार दिवालिया सरकार है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ पालिसी मैटर्स के बारे में मुझे दो शब्द कहना है। उनकी बोली से क्या, चुनावों के पहले कहते थे। योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कर नहीं लगायेंगे, सड़कें बनवायेंगे। अब उनके पास कौनसा जादू था, कहां कहते हैं कि दिवा-लिया सरकार है। टैक्स नहीं लगायें तब भी आलोचना और टैक्स लगायें तब भी आलो-चना। ये जो कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। बजट जो पेश हुआ है, उसमें टैक्स नहीं लगा है। प्रशंसा की जा सकती है कि टैक्स नहीं लगे, क्योंकि वे लोग टैक्स नहीं दे पाते हैं। थोड़ी बहुत इस बात के जरूर टैक्स लगने चाहिए थे कि जिनके

(श्री शंकरलाल)

पास काफी प्रापर्टी है, काफी पैसा है। आप एक नीति निर्धारित करिये। एक टैक्स तो आपने ऐसा लगाया है कि कुआ किसान खोदता है उसके ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं-१०, १२ बीघोड़ी और एक आदमी शहर में रहता है लाखों रुपया कमाता है उस पर आप सीलिंग लागू करिये जिससे सरकार को काफी प्रोफिट मिले। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने २० वर्षों में बहुत कुछ किया है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि सरकार हमारी उदासीन है लेकिन छोटे छोटे किसानों का सवाल है। आज का किसान हिन्दुस्तान का-भारत का प्रमुख नागरिक है और देहातों में बसते है जो शहरों की जन संख्या के अनुपात से ८० या ८५ प्रतिशत है। उनके लिए सरकार क्या कर रही है ? एक किसान अगर कुआ खोदता है, उसके लोन के लिए उसे तहसीलदार, पटवारी और लैण्ड मोर्टगेज बैंक के पास कई चक्कर लगाने पड़ते हैं इसलिए आप उन लोगों के लिए सुविधा करिये। जो प्रोसीजर है उसको शार्ट करिये ताकि उनको लोन लेने में कोई दिक्कत न आये। दूसरी बात जो मैं लोन के लिए कहना चाहता हूं कम से कम आप जो पालिसी बनाते हैं और लागू करते हैं, वह उन पर भी होनी चाहिये। किसान के पास बहुत जमीन है। जंगलात की बहुत सारी जमीन है, जिसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में तहसीलदार विकास अधिकारी वगैरह है उनकी ५-५ महीने तक कोई मीटिंग नहीं होती है और उसका बहुत लम्बा प्रोसीजर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के आर्डर के लिए आप छोटा प्रोसीजर बनायें ताकि किसानों को, छोटे किसानों को फायदा मिल सके। दूसरा निवेदन यह है कि हमारे यहां करीब करीब दस हजार एकड़ जमीन है, २५ हजार कुए पहले थे, आजादी के पहले और अब ५० हजार होगया है वहां सिंचाई का साधन केवल गम्भीरी नदी है। इसके अलावा न बांध है न तालाब है। इसलिए इन कुओं को बिजली देने का प्रबन्ध करिये। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी और अन्न उत्पादन बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सब चर्चा समाप्त हुई अब वित्त मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री रामकिशन : नई बात कहने वाले हैं क्या साहब कोई। इसके बाद तो कोई न कोई घोषणा करनी पड़ेगी।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लेकर सदन में माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं।

मुझे खेद है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे नये सिरे से इस वक्त उठाये हैं वे अगर डिमाण्ड के वक्त उठाये जाते तो उत्तर तुरन्त दिया जा सकता था पर फिर भी समयाभाव से कुछ मुद्दों पर ही मैं इस समय प्रकाश डाल सकूंगा। विभागीय अध्यक्ष और मन्त्रीगण बाक़ी मुद्दों का उत्तर समय समय पर देते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वित्तीय स्थिति जो मैंने अपने बजट भाषण के जरिये सदन में रखी थी उस पर कुछ माननीय

(श्री मथुरादास)

सदस्यों ने जो अहम मुद्दे उठाये उनका जिक्र में जरूर करूंगा ।

राजस्थान के लोगों में सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों के भी कई के दिमाग में काफी भ्रम यह चलता है कि जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान कर्जदार बनता जा रहा है और हमारी वित्तीय स्थिति गिरती जा रही है इसके बारे में निवेदन करूंगा ।

मैंने राजस्थान के असेट्स और लायबिलिटीज का मिलान करते हुए कहा था कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति के लिये कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये । आंकडे भी रखे थे । और उनके जरिये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था ।

आज राजस्थान ने पिछले वर्षों में कुल ऋण ४४७ करोड़ और ६२ लाख का लिया है । ये आंकडे ६७-६८ तक के हैं । अब जो अपना विकास करना चाहें उसके लिये यह ऋण आज अवश्यम्भावी है । इससे अगर नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है एन्टरप्रोन्योर एस्टेब्लिश होता है तो सदस्यों को चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

इस ऋण में अधिकांश हिस्सा भारत सरकार से योजनाओं को पूरा करने के लिये और साथ साथ अकाल पड़ने पर लोगों को राहत देने के लिये लिया गया है । जो ३७८ करोड़ और ८० लाख होता है । बाकी छोटे मोटे दूसरे कर्जे भी हैं । बाकी ओटोनोमस कारपोरेशन से एल.आई.सी. सेऋण लिया वह है आठ करोड़ आठ लाख की । एल आई सी से मकान बनाने लिये लिया जो लोगों को दे रखा है । इसी तरह पब्लिक से ४३ करोड ८१ लाख का ऋण लिया है जो विकास कामों में खर्च होता है ।

यह धारणा अगर हो कि ऋण के जरिये से राज सरकार का काम चलता है तो में सहमत हूँ इससे कि फिर वित्तीय स्थिति शोचनीय बनती जावेगी । पर वास्तव में ऐसा है नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एडहाक क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें सभी शामिल हैं । में निवेदन करूं । कुछ लायबिलिटीज भी हैं टोटल लोन और लाइबिलिटी मिलाकर ४९२ करोड़ और ३० लाख है । जागीरदारी खतम की गई तो बांडों के जरिये भुगतान करते हैं वह भी १३ करोड की लायबिलिटी है । वह भी इसमें आ जाती है ।

कहने का मतलब यह कि प्रोविडेण्ट फण्ड का और दूसरे प्रकार के फण्ड हैं उनमें भी खर्च करते हैं । वह विकास में खर्च करें तो चिन्ता नहीं ।

अब विकास के काम के लिये उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो ऐसा खर्चा किया जाता है जो कि ऐसा है जिससे समाज की तरक्की हो शिक्षा में खर्च इसके लिये करना अनिवार्य है । एजूकेशन की डिमाण्ड पर चर्चा हुई थी तो इसमें काफी विस्तार हम कर रहे हैं और उसी के अनुपात से खर्चा भी निरन्तर बढ़ता

(श्री मथुरादास माथुर)

जा रहा है। स्वास्थ्य पर सुविधाएं पर कैपिटा के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं इसी हिसाब से खर्चा भी बढता जा रहा है। यह भी एक तरह से इन्वेस्टमेन्ट है। समाज के लोगों की तरक्की के लिये और तन्दुरुस्ती के लिये लोगो के मानसिक विकास के लिये तो कुछ ऋण इसमें भी खर्च किया गया।

साथ साथ बड़े बड़े फार्म और इरिगेशन के साधन बनाये गये। राजस्थान नहर के लिये ऋण लिया गया और इसका रिटर्न अभी जल्दी नहीं मिलेगा पूरा होने पर धीरे धीरे समय पर आवेगा।

इसके अलावा जनता, किसान, और मजदूरों को, व्यापारियों को उद्योग धन्धे चलाने के लिये भी इसी में से लोन देते हैं।

तो इस तरह से कुल ४४७ करोड में से १४५ करोड़ ६० लाख रुपया इन लोगों को दे रक्खे हैं। वे इसमें से घटा दीजिये। फिर यह ऋण ३०० करोड़ के आसपास रह जाता है। इसमें से प्लान योजनाओं पर और प्लान डवलपमेन्ट पर खर्च किया गया है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस बात को रखने की कोशिश करूंगा कि जो यह चार्ज लगाया गया है कि इसमें से नान प्लान एक्सपेन्डोचर पर भी खर्च किया गया है, इसके लिये पुराने आंकड़ों में न जाकर मैं ६१–६२ से लेकर ६७। ६८ तक हर साल के आंकड़े रखने का प्रयत्न करूंगा जिसकी वजह से यह साबित हो जावेगा कि हमने हमारी रेवेन्यू अकाउन्ट में से कितना नान प्लान एक्सपेन्डीचर में लिया और कितना इसमें से लिया। ६१। ६२ में एक करोड़ चालीस लाख का यह माइनस रहा। इसमें जो आपने कहा ठीक है। इसमें हमने कुछ लिया इस ऋण में से ६२। ६३ में स्थिति बदल गई। डवलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर में रेवेन्यू अकाउन्ट से ७ करोड़ १९ लाख का कन्ट्रीव्यूशन रहा। ६३। ६४ में प्लस ४.९८ करोड़ रहा। ६४।६५ में ३. ३२ रहा।

६५–६६ में प्लस ६–०१। उसके बाद ६६-६७ में फिर यह जाकर माइनस १३-४१ हो गया है यानी इतना उसमें और डालना पड़ा यानी लोन में से रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को मीट करने के लिए। आपने कहा वह ६१-६२ की स्थिति थी। बीच में स्थिति सुधार होकर हम कान्ट्रीब्यूट करते रहे। ६६–६७ में १३-४१ का हुआ है। सदन पूछेगा कि यह कैसे हो गया तो उसके लिए नम्र निवेदन है कि ८-७२ तो हमारे यहां अकाल होने की वजह से फेमीन एक्स पेन्डीचर में यह करना पड़ा। इसलिए यह रकम माइनस १३-४१ हो गयी और ६७-६८ में माइनस ५–६०। इसमें भी ३-३८ फमीन कम्पोनेन्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो पूरे ६ वर्ष के आंकड़े उनमें से ओवर आल ६१–६२ से लगातार ६७–६८ तक २१ करोड़ ६३ लाख का हमने डेवलपमेंट के लिए कन्ट्रीब्यूट किया और २७ करोड़ ७१ लाख वह हमने नान प्लान के अन्दर रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के लिए बोरोइंग किया। नतीजा यह रहा नेट के अन्दर कि आज की स्थिति में जिस वक्त हम विचार कर रहे हैं हमने ६२ लाख नेट ६ साल के अन्दर डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू एकाउन्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

से कन्ट्रीब्यूट किया है। इसलिए यह धारणा माननीय सदस्य की थी, और होना स्वाभाविक है इसलिए उस धारणा के बारे में मैंने विस्तार से जिक्र सालवार का केलक्यूलेट करके आपके सामने रखा है। जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि वह चीज है। ६१-६२ में और तीन वर्ष तक अकाल के समय में बराबर हम लोगों ने इसके अन्दर डेवलपमेंट के काम के अलावा जो खर्च किया है वह नेग्लीजिबल है। कुल नेट हमने कन्ट्रीब्यूशन किया है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६८–६९ का नहीं दिया।

श्री मथुरादास माथुर : उसका बजट अब आयेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें आपने १४ करोड़ का लगा लिया है उसको छोड़ दिया है।

श्री मथुरा दास माथुर : वह इससे ताल्लुक नहीं रखता है। ६७-६८ का एंडिग मार्च ३१ तक का चार्ज हो गया हैं और ६८–६८ का चार्ज नहीं हुआ है। बजट उसका प्रस्तुत किया है। उसका आउट होगा तब होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक बात बताइये....

श्री मथुरा दास माथुर : मेरी बात सुन लीजिये। फिर एक बात नहीं १० बात पूछिए।

दूसरा मुद्दा जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था वह यह था कि हम सदन के सामने बजट पेश करते हैं और उसके आंकड़े पेश करते और फिर हम सप्लिमेंट्री डिमान्ड्स के लिए ५० पर्सेंट के करीब करीब बजट के आंकड़ों को सदन के सामने लेकर आते हैं तो यह कैसा बजट एस्टीमेट है? सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स ५० पर्सेन्ट की टोटल डिमाण्ड्स जो आप से पास करवा के हैं उसको लेकर चले आते है। यह मुद्दा उठाया था। सुनने से हरेक के दिमाग में यह बात पैदा होगी कि बजट एसटीमेट बिल्कुल गलत हो गये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बजट की प्रणाली अजीबोगरीब है, यह आल इंडिया के अन्दर जो पैटर्न है वह इस बजट के अन्दर यह है कि हमारा ग्रास वोटिंग सिस्टम है। एक एक फीगर को १०-१० दफा रिपीट करना पड़ता है एकाउंटिंग पाइंट आफ व्यू से। बजट के अन्दर कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके लिए फिर सप्लीमेंट्री डिमाण्ड करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि कुल ६७-६८ के अन्दर में सदन के सामने २७०-५६ की डिमाण्ड लेकर आया था। उसके बाद १४०-०७ लेकर आया था। मेरा यह निवेदन है कि १४०-०३ में से अकाल एक्सपेन्डीचर की वजह से जो ज्यादा हुए हैं वे ८-३१ हैं। बाकी तो बुक एडजस्टमेंट है। इधर से उधर लाना ले जाना पड़ता है अब भारत सरकार से आ गई सब्सिडी तो हमें तो आपसे सेन्क्शन लेनी पड़ती है। इसलिए सप्लीमेंट्री में आना पड़ता है। दौराने साल के अन्दर वह सेंक्शन आ जाती है कभी गवर्नमेंट आफ इंडिया से और कभी और कारण आ जाते हैं। इन कई

(श्री मथुरादास माथुर)

कारणों से सप्लीमेंट्री लेकर आया था। असल में जो सप्लीमेंट्री है वह तो ८ करोड़ की ही है १४० करोड़ में से तो बाकी फीगर्स बुक एडजस्टमेंट्स है। इधर से उठाकर उधर करना पड़ता है। यह ग्रॉस वोटिंग सिस्टम है एकाउंटिंग का इसकी वजह से यह होता है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस हैड में से उस हैड में एप्रोप्रियेट करते हैं तो वह एक्स-पेन्डीचर तो आता है उसका बुक एडजस्टमेंट करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा अगर करते हैं तो उसका भी जिक्र करते हैं। १४० करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आया था। उसमें अकाल एक्सपेन्डीचर की जो कि सदन में वोट नहीं हुई थी वह ८-३१ करोड़ की थी। बाकी सब बुक एडजस्टमेंट है। यह सदन में पहले भी मैं कह चुका हूँ।

दूसरा यह कहा गया कि ५० पर्सेन्ट के करीब सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स होती हैं तो २० करोड़ में से ८ करोड़ होती है तो वह नेग्लीजिबल है। दूसरी स्टेट्स में जो सप्ली-मेंट्री डिमाण्ड्स आती हैं उनके भी फीगर्स मैंने देखे हैं। उनका भी पर्सेन्टेज मैंने देखा है तो राजस्थान में कई स्टेटों से अच्छा है। किसी साल में स्थिति बिगड़ जाती है कोई भी कन्टिन्जेन्सी आ जाती है जैसे डियरनेस की रिपोर्ट आ गई तो फिर सदन के सामने आना पड़ता है।

मेरा नम्र निवेदन है कि ये दो तीन बड़े मुद्दे उठाये थे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६६-६७ में है?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आ रहा हूँ? वही की वही बात है। २११-०६ का विचार किया था और १३८-०५ थीं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें कितना है?

श्री मथुरादास माथुर : उसके अकाल के फीगर्स नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे क्यों होंगे?

श्री मथुरादास माथुर : पर्सेन्टेज करीब करीब वही है। वह आप चाहेंगे तो मंगा दूंगा स्पीच समाप्त करने से पहले पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पकड़ता था सो पकड़ लिया।

श्री मथुरादास माथुर : वह अभी दे दूंगा बिफोर आई गो। वह मैं जानता था कि यह प्रश्न आने वाला है।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा प्रश्न जो उठाया गया है वह ऋण लेने की नीति के बारे में। वह यह उठाया गया है कि राज्य सरकार बोरोइंग करे, कर्जा ले, पब्लिक लोन ले, भारत सरकार से लोन ले, उसके लिए

(श्री मथुरादास माथुर)

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा वह सवाल उठाते हैं। उनकी अपनी विचार धारा है, और वह यह कहते हैं कि राज्य सरकार को विधान सभा से सेंक्शन लेकर ही बारोइंग करना चाहिए। उसके लिए विधान सभा की इजाजत होनी चाहिए। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बजट प्रस्तुत करते हैं उस वक्त जितने भी पब्लिक लोन रेज करने की बात होती है तो सदन में बजट पास करवाते हैं और बजट का एप्रूवल होता है तो उसका भी हो जाता है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेज करने के बाद लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : तो वह रेज इसलिए करना पड़ता है कि अकाल हो गया तो बजट में एन्विसेज नहीं करते हैं या प्लान के अन्दर इतना रुपया मिल जायगा तो उसमें कितना लोन कम्पोनेन्ट है और कितना सब्सिडी कम्पोनेन्ट है, वह पहले से मालूम रहता है तो वह बजट में रहता है। इसलिए सदन के सामने में निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक लोन जो फोरसीएबल हैं उनको हम दिखा सकते हैं। वह लेकर आते हैं और उसमें सदन की इजाजत आती है लेकिन दौराने साल के अन्दर ऐसे मुद्दे पैदा हो जाते हैं कि जो मुद्दे बजट प्रस्तुत करते वक्त हमारे सामने नहीं होते हैं। अकाल की स्थिति हो जाती है, मानसून फेल हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती है या विकास के ऐसे मुद्दे या प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं भारत सरकार से सहयोग मिलने के बाद तो उनको हम इसमें डाल देते हैं और ऐसे मुद्दों के लिए लोन लेना पड़ता है और अगले साल के अन्दर उसके एक्सपेन्डीचर का एप्रूवल लेते हैं इसलिए सदन की सेंक्शन के बिना राज्य सरकार पैसा खर्च करे यह भ्रम होता है। यह स्थिति यहीं पर नहीं है और दूसरे प्रान्तों में भी है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय १० मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : अब हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने एक बात कही। वास्तव में उनकी विचारधारा से मुझे तथा राज्य सरकार को बहुत सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की बात की कोशिश करे कि जितने भी नान-प्रोडक्टिव परपजेज के लिए कर्जा दिया जाता है वह सब्सिडी में कन्वर्ट हो जाय। बड़ी खुशी की बात होती अगर यह हो जाता। वैसे हमने जहां तक फेमीन लोन का सम्बन्ध है राज्य सरकार ने पहले से ही भारत सरकार को लिख रखा है और हम इस प्रयत्न में हैं—भारत सरकार उसे मन्जूर करे या नहीं—कि भारत सरकार से हमें तो फेमीन का लोन मिलता है वह ५० पर्सेन्ट लोन फार फेमीन एक्सपेन्डीचर रहे और ५० पर्सेन्ट सबसिडी हो फाइनेन्स एकाउन्ट फार कर लेता है उसके बाद। इस तरह से ६३ लाख के ऊपर जितना खर्चा करते हैं...

(२ म० प०)

६३ लाख से ऊपर जितना कार्य करेंगे फेमिन की एप्रूव्ड स्कीम पर ५० परसेन्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

ग्रान्ट या अनुदान है और ५० परसेन्ट लोन है। सेन्ट परसेन्ट सबसिडी मिले तो राज्य सरकार को बड़ी खुशी होगी, खास करके अपने प्रान्त में बहुत अकाल पड़ते हैं। हमने भारत सरकार को इसके लिए पहले से ही लिखा है।

उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं लेना चाहिए बल्कि सबसिडी मिलनी चाहिये, बहुत खुशी है लेकिन सबसिडी मिलना मुमकिन नहीं है और प्रस्ताव लिखकर भेजना भी ठीक नहीं है। यदि सबसिडी मिले तो अच्छा हो। लेकिन भारत सरकार की नीति है कि ५ साल तक इन्टेस्ट फ्री लोन देते हैं और इन्सटालमेन्ट्स भी ५ साल तक नहीं देनी पड़तीं और ५ साल के बाद इन्सटालमेन्ट्स और इन्ट्रेस्ट शुरू होता है। हमें यह आशा थी कि ५ साल में राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलना शुरू हो जायगा लेकिन कुछ हालत ऐसे बने कि वित्तीय स्थिति के कारण ५ साल में हम जो चाहते थे वह नहीं कर सके। मैं खुद चाहता हूँ कि इस तरह का प्रावधान हो जाय कि जब तक प्रोजेक्ट कम्पलीट न हो जाय, जब तक प्रोडक्टिव नहीं हो जाय तब तक जो लोन मिले वह इन्ट्रेस्ट फ्री मिले तो जो हमारी वित्तीय स्थिति पर कुप्रभाव है वह नहीं पड़े लेकिन भारत सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है।

माननीय सदस्य ने और भी एक सुझाव दिया था कि जो स्टेट अण्डरटेकिंग्ज है उनके लिये सेपरेट सर्विस होनी चाहिये। यह मैं भी मानता हूँ कि आज के दिन हमारा ओरियेन्टेशन ओथेरिटेटिव करने का रहा है न कि कमर्शियल आउट लुक। इसलिए हमको बड़ी कठिनाई होती है। इसके लिए कामर्शियल एक्युमन और कमर्शियल आउट लुक होना जरूरी है तभी हम एफिशियेन्टली वर्क कर सकेंगे। इसके लिए अलग सर्विस बने यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

इसके साथ साथ जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दो बातें और कहीं जनरल वे में। यह ठीक है कि दोराने बहस उन्होंने भी वित्त के सिलसिले में मुद्दे उठाए थे इसके अलावा उन्होंने खास तौर से जिक्र हाई कोर्ट के जजेज की अपोइन्टमेन्ट्स के बारे में किया, अच्छा होता यह जिक्र नहीं किया जाता। हम लोग यहां पर हाई कोर्ट के जजेज की अपोइन्टमेन्ट्स के बारे में अमूमन चर्चा नहीं करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १२ साल में पहली बार की है।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार जो चीफ जस्टिस रिकमन्ड करके भेजते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी स्क्रूटिनी करते हैं और उसके बाद होम मिनिस्ट्री अपोइन्टमेन्ट्स करती है। इन जज महोदय के बारे में क्या हुआ क्या नहीं मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान की जुडिशियरी, खास तौर से जो हाईकोर्ट के जज हैं उनकी इनडिपेन्डेन्स, इन्ट्रिग्रिटि और एफिशियेन्सी बाहर के किसी हाईकोर्ट से कम नहीं है। इसलिये मैं कहना पसन्द करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जस्टिस मोदी जो यहां के सदस्य थे उनके बारे में चीफ जस्टिस का इनिशियेटिव था या चीफ मिनिस्टर का ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ओन पोइन्ट ओफ आर्डर: में समझता हूं जिस समय इस पोइन्ट पर बहस हो रही थी उस समय भी मैंने पोइन्ट ओफ ओर्डर रेज किया था कि इस संबंध में यहां पर चर्चा होना ठीक नहीं है । आज भी जो हाईकोर्ट के जजेज अन्य प्रान्तो में हैं उनसे कपेरिजन किया है । यह सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वे अच्छे है या ये कम हैं किसी से ...

श्री मथुरादास माथुर : किसी से कम हैं यह नहीं कहा है । मैंने यह कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज जो नियुक्त किये जा चुके हैं वे दूसरे हाईकोर्ट्स के जजेज के मुकाबले में इन्टिग्रिटि में, एफिशियेन्सी में कम नहीं हैं ।

श्री मदनसिंह : क्या यह मतलब है कि उनसे अच्छे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : दे आर ईक्वली कांपिटेन्ट, ईक्वली एफिशियेन्ट एन्ड ईक्वली गुड । यह अंग्रेजी का मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया था उसके संबंध में निवेदन करूंगा कि हाईकोर्ट के जजेज को मुकर्रर किया जाता है वह उनके लीगल एक्युमन, उनकी कानूनी काबलियत पर किया जाता है बाहर से भी और सरविस से भी । हमारे यहां आला सरविस जजेज हैं और जो बाहर से मुकर्रर किये गये हैं वे भी आला जजेज हैं । बहुत से गवर्नमेंट एडवोकेट्स हाई कोर्ट की बेंच पर एलिवेट हो गये । इसमें कोई सिहासन का प्रश्न नहीं है । हमारे प्रान्त की बार में भी हिन्दुस्तान आला से आला लीगल एक्युमन के लोग हैं । उनको आगे जाकर हाई कोर्ट में एलिवेट किया जाता है तो इसलिये नहीं किया जाता कि वे विरोधी दल के हैं या इस दल के हैं । हमारे यहां के जस्टिस मोदी और जस्टिस त्यागी, जस्टिस मोदी रिटायर हो गये और जस्टिस त्यागी अब भी है । पोलिटिकल इन्कलीनेशन जब तक वे बाहर थे तब तक कुछ भी हो, लेकिन वहां रहने के बाद देखने के बाद हमको तसल्ली हुई कि जो प्रजातंत्र में हमने सिस्टम डेवलप किया है वह बहुत एफिशियेन्ट रहा है और सभी उसकी सराहना करते हैं । बाकी बातों पर उस दिन कानून मंत्रीजी ने काफी चर्चा की थी । राज्य सरकार ने हिन्दुस्तान के ला कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन किया है । इलेक्टेड जुडिशियरी के सिस्टम में न्याय पंचायतों और इलेक्टेड कोर्ट्स का सिस्टम हमारे यहां राजस्थान में मिलता है और प्रान्तों में नहीं मिलता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और सुझाव आया था कि कमर्शियल अंडर टेकिग्ज का बजट अलग प्रस्तुत होना चाहिये जैसे रेल्वेज का पालियामेन्ट में होता है । आज हमारे यहां कमर्शियल अंडरटेकिग्ज में कम्पनीज हैं, बोर्ड हैं, कोरपोरेशन हैं जो अलग अलग कानूनों से गवर्न होते हैं । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट सदन में आता है और उस पर

(श्री मथुरादास माथुर)

हम चर्चा करते हैं । बाकी कम्पनीज के स्टेटमेन्ट ग्रोफ अकाउन्ट्स सदन में रखे जाते हैं, माननीय सदस्यों को अधिकार है कि उन पर चर्चा करें । इसी तरह से कोरपोरेशन्स के भी होते हैं । अलग अलग कम्पनीज जिनके अन्दर हमारे मेजोरिटी शेयर्स हैं या सेन्ट परसेन्ट शेयर्स हैं उनके लिये डिपार्टमेन्ट खोला है लेकिन उनका अलग बजट बनाना संभव नहीं है क्योंकि कम्पनीज और कोरपोरेशन एक्ट के नीचे होती हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आपकी वारनिंग मिली है । जो विभिन्न विचार और सुझाव वित्त के बारे में आये उनके बारे में मैंने निवेदन किया है । एक बात मैं और कहना चाहता हूँ । श्री जुझारसिंहजी ने रेविन्स के बारे में सुझाव दिया था, मैं उनसे सहमत हूँ । एक्सपर्ट्स की भी राय है कि राज्य सरकार सुविधा दे । जी. १ और जी. २ रेविन्ज हैं उनको डेवलोप करने में काफी खर्चा लगता है, किसान नहीं कर सकते, रूल्स बनाकर किया जाय । जी. १ और जी. २ में एफोरेस्ट्रेशन हो सकता है, इसमें आपका मतलब पूरा होगा । भारत सरकार की तरफ से रिक्लेमेशन बोर्ड कायम किया गया है वह यह काम करेगा । १० हजार एकड़ में काम करेगा रेविन्स की समस्या राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित समस्या है इसलिये भारत सरकार से कहा था कि यह बड़ा काम है आपका यह बोर्ड बनाया गया है ......

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनिट का समय और बढ़ाया जाता है ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी माननीय सदस्यों द्वारा जो मुद्दे उठाये गये वित्त मंत्रालय से संबन्धित नहीं थे ज्यादातर जनरल टाइप के थे । अलग अलग डिमान्ड्स पर जैसे पुलिस को-आपरेटिव आदि के संबन्ध में थे जिनको सप्लीमेन्टरी डिमान्डस के समय रखना चाहिये था । इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या ३ विधेयक १९६८ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) १९६८ विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : समय केवल पाँच मिनिट ही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : मैं इस विनियोग विधेयक के पारित करने के प्रस्ताव पर ज्यादा कुछ न कहता हुआ समय के अभाव के कारण इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो मामले उठाये उनके बारे में जो उत्तर दिये गये वे कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है उसके बारे में फिर कभी मौका आयगा सदन के समक्ष रखूंगा । वित्त मंत्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय से विशेष रूप से एक बात पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार का जो साल भर का अलोकेशन बजट का है उसके लिये साल भर का जो प्रावधान है उसके अन्दर जितना खर्चा आप ६ महिने में करते हैं उससे भी ज्यादा आखिरी तीन महिने मे करते हैं। यह गलत तरीका है मैं इस संबन्ध में सदन की जानकारी के लिये जो सन् ६६. ६७ के आंकड़े हैं ३१ मार्च ६७ तक के उसमें राज्य सरकार द्वारा किस तरह से खर्चा किया गया है वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। उदाहरण की तौर पर तृतीय पंच वर्षीय योजना के फीगर्स की रिपोर्ट है उसके आधार पर को आपरेशन में आखिरी तिमाही में जितना खर्चा हुआ है उतना खर्चा बाकी के ६ महिने में भी नहीं हुआ। प्रथम तीन महिने में २५ प्रतिशत होना चाहिये दूसरे में २५ प्रतिशत इस तरह से आखिरी तिमाही में भी २५ प्रतिशत होना चाहिये लेकिन आपको देखकर आश्चर्य होगा को आपरेशन में आखिरी तीन महिने में १०४ परसेन्ट खर्च हुआ है।

पंचायतों में जो चुनाव का साल था उसमें ६७ मार्च तक २७५ परसेन्ट खर्च हुआ है। पावरमें १२१ परसेन्ट से ज्यादा खर्च हुआ है। पावर के सिलसिले में पहली तिमाही में २४ लाख दूसरी में ६० लाख तीसरी में ११४ लाख और चौथी तिमाही में १,४७१ लाख रुपया खर्च किया गया है। यह खर्चा करने का कौनसा तरीका है एक तिहाई में २४ लाख और एक तिहाई में १४७१ लाख खर्चा यह इम्बेलेन्स तरीका है इसको आपको दूर करना चाहिये।

इसी तरह से रूरल वाटर सप्लाई और पावरसप्लाई को ले लिजिये चाहे एग्रीकलचर को ले लिजिये उसमें भी इसी तरह के आंकड़े मिलेंगे। आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये। किसी तिमाही में पांच परसेन्ट अधिक हो जाय तो कोई फर्क नहीं है लेकिन एक तिमाही में २४ लाख और अन्तिम तिमाही में १४८० लाख खर्चा हो इसको कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं इस बारे में आश्वासन चाहता हूँ कि ६८.६९ के साल में हर तिमाही का खर्चा अनुपात से हो करेगी।

श्री मदनसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने अपने बजट के भाषण के समय कहा था हमको ६३ लाख से अधिक घाटा नहीं है। उसकी एवज में ५१ करोड़ का घाटा है क्या यह सही है राज्य सरकार इस चीज को मानतो है। अपन ने जो लोन लिया है वह देना है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बजट स्पीच पढ़ लीजिये उसमें ६३ लाख का घाटा माना गया है। भारत सरकार के जो लोन्स हैं उसके इन्स्टालमेन्ट देने हैं वह भी आप देखलीजियेगा घाटा तो ६३ लाख से ज्यादा नही है।

इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ।

Page No. 139

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वागत करते हुए आश्वासन देते हैं क्या ६८.६९ में ठीक अनुपात से खर्चा होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट का समय बचा हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय आपने जो लोन्स लिये कर्जा लिया जनता से चार करोड़ का कार्य लिया उसके बारे में प्रश्न यह है कि राजस्थान बेंक में ११ परसेन्ट पर दिया। कोटा जिले का ३० लाख रुपया इसी तरह से दिया गया। २४ हजार रुपया वहां इकट्ठा किया गया जिसकी रसीदें नहीं दी राजस्थान बेंक के १० परसेन्ट और बीस परसेन्ट शेयर खरीदे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गाडिया आप बोलते ही जा रहे हैं। आर्डर आर्डर। आप स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६८ को पारित किया जाय

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक १-४-६८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की कार्यवाही २.१७ पर दिनांक १ अप्रेल १९६८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ६७२ की सूची)

स्टेटमेन्ट भूमि चरनोट का जिस पर नाजायज कब्जा हुआ नायब तहसील अरनोद

न शु०	नाम पटवार हल्का	कुल रकबा	रकवा हटाया गया	बाकी रहे
१–	जाजली	२।।।)	२।।।)	–
२–	लालगढ़	३)	३)	–
३–	नौगांव	१८।)१	२।)	१६)१
४–	कांटडी	६१।।)	६१।।)	–
५–	अचनारा	३०।।)१	३०।।)१	–
६–	माहेडा	२३।।।)४	२३।।।)४	–
७–	बेड़मा	३।।)१	२)	१।।।)१
८–	सागथली खुर्द	१५।)	८।।।)	६।।)
९–	चुपना	१८१।।।)	१८१।।।)	–
१०–	अचलावदा	४८।।)४	२३।)	२५।)४
११–	चाकुन्डा	४४।।।)१	४४।।।)१	–
१२–	दीवाला	१९।।।)	१६।।।)	३
१३–	निनोर	५४।।।)२	–	५ ।।।)२
१४–	दलांत	१)	–	१)
१५–	रायपुर	१।।)	–	१।।)
१६–	बढोसागथली	१)	–	१)
		५१२।)४	४०१।)१	१११)३

———

स्टेटमेन्ट चरागाह की भूमि का जिस पर नाजायज कब्जा हुआ तहसील प्रतापगढ़

(तहसीलदार के सर्किल का)

न० शु०	नाम पंचायत	कुल रकबा जिस पर नाजायज कब्जा हुआ	रकबा जिसका कब्जा हटाया गया	रकबा जिसकी कार्यवाही जारी है
१-	अबलेश्वर	३०)३	२२॥)४	७॥)४
२-	पानमोडी	२॥)	२॥)	-
३-	कुलथाना	२१॥।)१	२१॥।)१	-
४-	कुनी	६॥)	६)३	।)२
५-	खोगिया	॥।)	।।)	-
६-	बसेरा	॥।)२	॥।)२	-
७-	जाजली	॥।)	॥।)	-
८-	प्रतापगढ़	२॥)१	) १	२॥)
	कुल योग	६१)२	५८॥)१	१०॥)१

स्टेटमेन्ट चरागाह के रकबे पर नाजायज कब्जे उप तहसील प्रतापगढ़।

न० शु०	नाम पंचायत	कुल रकबा नाक	कब्जा हटाया गया	बकाया रकबा
१-	गोटरस	३॥)२	२॥)२	१)
२-	सिघपुरा	६७)।४	४७॥)१	१६।)३
३-	खोरिया	१६॥)३	१०॥)३	-
४-	पलथान	२१।)	२१।)	-
५-	थडा	२)४	१॥)३	।)१
६-	पानमोडी	३०)४	३०)४	-
७-	सुहागपुरा	८८)१	४०॥)	४७॥)१
८-	देवगढ़	३५॥)	३५॥)	-
९-	अचलपुर	९॥)४	९॥)४	-
१०-	वीरपुर	९॥)	९॥)	-
११-	अमलावदा	१६॥)२	४॥ १	११॥)१
१२-	नाराणखेडा	२९)	९॥)२	१९)३
१३-	धमोतर	१३॥)	१३॥)	-
१४-	गादोला	२६॥)१	९॥)१	१७)
१५-	रजाजना	१६।)३	५॥)२	१०॥)१
१६-	बरडिया	६॥)२	३)	३॥)२
१७-	मिलू	३॥)३	३॥)३	-
१८-	दाबडा	१॥)१	-	१॥)१
१९-	रामपुरिया	३८)	-	३८)
	कुल योग	४३७।)४	२६६॥)१	१७०॥)३

परिशिष्ट: २

(तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ की सूची)

सूची व तारांकित प्रश्न संख्या १८ सा० नि० मं०

मील संख्या	नाम ठेकेदार	दर
२१ व २२	श्री छाजूराम	२५ प्रतिशत नीचे आइटम नं० ५ तथा ६ शेष आइटम्स शिडयूल आफ रेटस अनुसार.
	श्री वसूदेव	२.२० प्रतिशत नीचे
	श्री राधाकृष्ण	६.६६ प्रतिशत नीचे
	श्री चिरंजीलाल पटेल	४ प्रतिशत नीचे
२३	श्री छाजूराम	श्री छाजूराम, श्री वसूदेव श्री राधाकृष्ण क्रमशः मील २१ व २२ के अनुसार.
	श्री वसूदेव	
	श्री राधाकृष्ण	
	श्री चिरंजीलाल.	११ प्रतिशत नीचे
२४	श्री छाजूराम	२५ प्रतिशत नीचे आइटम नं० ५ तथा ६ शेष आइटम्स शिडयूल आफ रेट्स के अनुसार
	श्री वसूदेव	२०.२० प्रतिशत नीचे
	श्री राधाकिशन	६.६ प्रतिशत नीचे
	श्री चिरंजीलाल	१३ प्रतिशत नीचे
	श्री छाजूराम	२५ प्रतिशत नीचे आइटम नं० ५ तथा ६ शेष आइटम्स शिडयूल आफ रेटस
	श्री वसूदेव.	२०.२० प्रतिशत नीचे
	श्री राधाकिशन	६.६६ ,,
	श्री चिरंजीलाल	११ प्रतिशत नीचे

———

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

राशीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०

६८२. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)—क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राशीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को सेन्ट्रल कोग्रापरेटिव बेंक लिमिटेड, बीकानेर से ग्राज तक कब कब, कितना-कितना कर्जा मिला ग्रौर वापिस किन तारीखों को चुकाया गया ?

(२) क्या यह सच है कि श्री रणजीत सिंह भूतपूर्व सहकारी प्रसार ग्रधिकारी ने इस समिति के सदस्यों के झूठे ग्रंगूठे लगवा कर ऋण की राशि का गबन किया ? यदि हां, तो कितनी राशि का ग्रौर राज्य सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि श्री रणजीत सिंह के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही ग्राज तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(स्थगित किए जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

रेल्वे के कर्मचारियों को सरकारी ग्रस्पताल में सुविधाएं

६८३. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)-क्या चिकित्सा, मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि रेलवे मजदूरों व कर्मचारियों को एक नागरिक के तौर पर राज्य के ग्रस्पतालों में चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती ग्रौर उन्हें यह कह कर इन्कार कर दिया जाता है कि रेलवे ग्रस्पताल में जाग्रो ?

(२) राजस्थान में स्थित रेलवे ग्रस्पतालों में जो सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, क्या उन सुविधाग्रों को रेलवे कर्मचारी राज्य के ग्रस्पतालों में ग्रन्य नागरिकों की भांति प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

कृषि उपज मंडी समिति के कार्य

६८४. श्री महेन्द्र सिंह (पीपल्दा)-क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि २१ जनवरी सन् ६७ को सहायक सचिव द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यों को स्थगित कर दिया गया था ? यदि हां, तो किस ग्राधार पर ?

(श्री महेन्द्रसिंह)

(२) क्या यह भी सही है कि २८ मार्च, सन् ६७ को उक्त कार्य पुनः चालू कर दिए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान उच्च न्यायालय ने कृषि उपज विपणी नियम १९६३ के कुछ नियमों को अवैधानिक बताया था। अतः राज्य सरकार ने उन नियमों को जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया और उक्त समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार फैसला दें तब तक के लिए राज्य सरकार ने आज्ञा संख्या एफ. १० (२) कृषि।५।६७ दिनांक २०-१-६७ द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के कार्यों को सिर्फ आस्थगित (Abeyance) करने के आदेश दिए थे।

(२) जी हां, उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई खामियों को राज्य सरकार ने दूर कर दी थी।

बन्दूकों के लाइसेन्स रिन्यूअल के अधिकार

६८५. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों को छोड़कर शेष राजस्थान में हवाई एवं टोपीदार बंदूकों तथा नियमों के अनुच्छेद ५ में लिखित अन्य हथियारों के लाइसेंस देने तथा उनके रिन्यूअल करने के अधिकार तहसीलदारों को दिये हैं ? यदि हां, तो यह सुविधा जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

जी हां, सही है। जहां तक जैसलमेर और बाड़मेर जिलों का प्रश्न है, ये सीमावर्ती जिले हैं जहां लाइसेंस देने में अधिक एहतीयात की जरूरत है और हथियारों की सुरक्षा तथा उनके दुरुपयोग भी नहीं होने का पूर्ण ख्याल रखने की जरूरत है। अतः यह शक्ति इन जिलों में जिला स्तर पर ही रखी गई है।

रोडवेज के कर्मचारियों को बसों में सफर करने की सुविधाएं

६८६. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद)—क्या राज्य पथ परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या रोडवेज के स्थायी कर्मचारियों एवं उनके परिवार वालों को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर करने की इजाजत है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

निगम के कर्मचारी जिन्हें सेवा में एक साल पूरा हो चुका है उन्हें व उनके परिवार वालों को एक वर्ष में एक फैमिली पास दिया जाता है। इस सुविधा को दूसरी प्रादेशिक निगमों के समकक्ष निगम के कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए दूसरी प्रादेशिक निगमों से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। जानकारी

(राज पथ परिवहन)

प्राप्त होने पर सुविधा बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

पंचायत समिति रतननगर का मुख्यालय

९८७. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समितियों के मुख्यालय किन किन आधारों पर बनाये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, रतननगर, जिला चूरू का मुख्यालय कस्बा रतननगर है, जो इस पंचायत समिति क्षेत्र के एक कोने पर स्थित है और जहां पर आवागमन के लिये उपयुक्त साधन नहीं हैं ? और जिससे पंचायत समिति एवं जिला परिषद् ने बार बार इस मुख्यालय को रतननगर से चूरू करने हेतु सरकार से मांग की है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) पंचायत समितियों के मुख्यालय यथासंभव तहसील मुख्यालय पर ही रखे गये हैं अलबत्ता जहां तहसील मुख्यालय बड़े शहरों में हैं वहां पंचायत समिति मुख्यालय अन्य उपयुक्त स्थान पर रखे गये हैं ।

(२) मुख्यालय रतननगर में है जो क्षेत्र के बीचों बीच नहीं है किन्तु आवागमन के साधन उपलब्ध हैं । मुख्यालय बदलने के लिये जिला परिषद् तथा पंचायत समिति ने सरकार को लिखा है ।

(३) राज्य ने सन् १९६४ में मुख्यालय नहीं बदलने का निर्णय लिया । अब जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे विचाराधीन हैं ।

पंचायत समिति महुवा में सामान की खरीद

९८८. **श्री अब्दुलाल** (हिन्डोन) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, महुवा में सन् १९६५-६६ में कितना कितना व क्या क्या सामान किस किस फर्म से किस किस दर पर खरीदा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त खरीद के लिये क्या टैण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस किस के टैण्डर किस किस दर के प्राप्त हुए थे ?

(३) क्या यह सही है कि जो टैण्डर मंजूर किये गये थे उनकी दरों में व बाजार की दरों में दुगना व चौगुना अन्तर था ?

उत्तर

(१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख भी किया हुआ है ।

(३) आडिट ने कुछ सामान का ऊंची दर पर खरीदना बताया है ।

Page No. 147

(पंचायत एवं विकास मंत्री)

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थाना नगर में दर्ज पशु मेलों की जमीन से संबंधित झगड़ा

६८६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक १२-११-६६ को नगर थाना हल्का देवली में पशु मेला वाली जमीन के सम्बन्ध में डकैती व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि एफ आई. आर. में कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करना तथा तम्बू, शामियाने आदि उखाड़ कर ले जाने का उल्लेख भी है ?

(३) क्या यह सही है कि दंगा करने वालों ने थाने के दफ्तर में हुल्लड़ मचा कर कार्य सरकार का बन्द कर दिया था ?

(४) क्या यह सही है कि शामियाने, तम्बू आदि निजी जमीन से उखाड़ कर ले जाये गये थे ?

(५) उक्त मामले में क्या चालान अदालत में कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब किया गया और किन किन धाराओं के अन्तर्गत ?

(६) यदि चालान कर दिया गया है, तो क्या यह सही है कि इस चालान को पेश करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां, दिनांक १२-११-६६ को नहीं बल्कि दि० १३-११-६६ को नगर थाना में मान्डकला पशु मेला वाली जमीन के संबंध में मारपीट एवं तम्बू उखाड़ने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

(२) जी हां एफ. आई. आर. अभियोग क्रमांक ३४ में कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने तथा तम्बू शामियाने आदि उखाड़ कर थाना नगर में ले आने का उल्लेख है।

(३) थाने के दफ्तर में थोड़ी देर हल्ला गुल्ला अवश्य हुआ था। परन्तु इस हल्ले गुल्ले से थाने के कार्य में कोई विशेष बाधा नहीं हुई इसलिये किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

(४) जी हां शामियाने (तम्बू) आदि रावराजा उनियारा के खातेदारी वाली जमीन जो पशु मेला मान्डकला के काम में भी आती है से उखाड़ कर ले जाये गये थे।

(५) जी हां, उक्त विषय में दर्ज हुये अभियोग क्रमांक ३३ का धारा ३३२।३५३ १४७।१४९ मा. दं सं एवं अभियोग क्रमांक ३४ का धारा १४७।३ २ मा. द. सं, में चालान अदालत एम. एम. टोंक में दिनांक २५-४-६७ व २२-५-६७ को क्रमशः प्रस्तुत किये गये।

(६) उक्त दोनों अभियोगों का चालान कर दिया गया है। चालान को पेश करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया।

मनोहरथाना-सालपुरा मार्ग की बसें

६६०. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मनोहरथाना-सालपुरा मार्ग पर कितनी बसेज पास हैं एवं इस समय कितनी बसेज नियमित चल रही हैं ?

(२) क्या आर. टी. ओ., कोटा की यह जानकारी में है कि उक्त बसेज पूरा रूट कवर नहीं करती हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन बसेज के न चलने बाबत २५ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं सैकड़ों लोगों को शिकायतें हैं ?

(४) यदि हां, तो इन बस आपरेटर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है ?

(५) यदि वर्तमान बस मालिकान इस रूट पर गाड़ियां नहीं चलाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य इच्छुक व्यक्तियों को परमिट क्यों नहीं दिये जाते ?

उत्तर

(१) मनोहरथाना-सालपुरा मार्ग के ३ वाया हैं जिन पर बसें निम्न प्रकार से पास हैं:—

(क) मनोहरथाना-सालपुरा वाया इकलेरा छीपांबड़ोद ४ बसें

(ख) मनोहरथाना-सालपुरा वाया इकलेरा लहास २ बसें

(ग) मनोहरथाना-सालपुरा वाया ४ बसें छीपाबड़ोद, दीगोद उचकपुरा चौकी बजारी हरनाबदा मार्ग नं० १ पर इस समय दो बसें चल रही हैं। मार्ग नं० २ पर दोनों बसें चल रही है। मार्ग नं० ३ पर इस समय तीन बसें चल रही हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हाँ, यह सही है।

(४) अनुज्ञापत्रधारी पर कार्यवाही की जाती रही है।

(५) रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रादेशिक परिवहन अधिकरण के विचाराधीन है।

चैरिटी फण्ड की रकम

६६१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में चीनी व गल्ला आदि से सम्बन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत चैरिटी फण्ड बना हुआ है ?

(२) यदि हाँ, तो किस किस जिले में इस समय तक कुल कितना धन जमा पड़ा हुआ है और अब तक कितना कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(३) क्या यह सही है कि इस चैरिटी फण्ड की रकम को उसी जिले में खर्च करने हेतु कोई कमेटी बनी हुई होती है ? यदि हाँ, तो उस कमेटी का कौन कौन सदस्य होता है ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चैरिटी फण्ड की रकम को खर्च करने का अधिकार जिलाधीश को अध्यक्षता में बनी कमेटी से वापिस ले लिया है ? यदि हाँ, तो किन कारणों को लेकर लिया गया है ?

(५) प्रत्येक जिले के बने चैरिटी फण्ड की रकम अब किन किन नियमों के अन्तर्गत किस किस प्रकार से खर्च की जाती है ?

उत्तर

(१) जी हाँ, प्रत्येक जिले में चीनी, सूजी, आटा मैदा, चापड़ आदि से सम्बन्धित व्यवस्था के लिये चेरिटी फंड बना हुआ है, गल्ले के लिये कोई चेरिटी फड नहीं है।

(२) जिलेवार सूचि संलग्न है।

(३) जी हाँ, दिनांक ७-२-६८ से पूर्व प्रत्येक जिले में उक्त फंड में से धनराशि खर्च करने हेतु सलाह देने के लिये एक एडवाईजरी कमेटी निम्न सदस्यों को बनी हुई थी जो सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा एक साल के लिये मनोनीत की जाती थी।

१. जिलाधीश चेयरमैन।

२. प्रतिनिधि थोक विक्रेताओं का—एक।

३. प्रतिनिधि खुदरा विक्रेताओं का एक।

७-२-६८ के पश्चात संशोधित नियमों के अनुसार सम्बन्धित जिलाधीश एवं मनोनीत मंत्री महोदय की सहमति एवं सिफारिश के आधार पर उक्त फंड में से खर्च करने की स्वीकृति दी जाती है।

(४) जी हाँ, दिनांक ७-२-६८ (प्रतिलिपि सलग्न है) के संशोधित नियमों के फलस्वरूप जिलाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी अब भग हो चुकी है और यह निर्णय मंत्रि मंडल की आज्ञा दिनांक २१-१२-६७ के अनुसार लिया गया है।

(५) नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।
(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मकराना में तहसील के गोदाम के लिए ली गई दुकानों का किराया

६६२. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मकराना में किस किस व्यक्ति की दुकानें तहसील के गोदाम के लिये ली गई है व किस तारीख से ली गई हैं ?

(२) क्या उपरोक्त दुकानों का किराया बराबर दिया जा रहा है ? अगर

(श्री विजयसिंह)

हाँ, तो कब तक का किराया दे दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया ?

(३) मकराना में किस किस व्यक्ति ने तहसील से अपनी दुकानें छुड़ाली हैं और कब कब ? क्या दुकान छुड़ाने के बाद भी दुकान मालिक को पूर्ण किराये का भुगतान नहीं किया गया ? अगर हाँ, तो किस माह से किस माह तक का किराया बाकी है और जब तक पूर्ण भुगतान नहीं होता क्या तहसील परस्वतसर किराये की रकम पर ब्याज देगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) मकराना में जिन जिन व्यक्तियों की दूकानें गोदाम के लिये ली गई हैं उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं तथा उनके नाम के आगे लेने की तारीख अंकित है।

(१) ठा० विजयसिंह मकराना दिनांक १५-५-६४.

(२) श्री कालूराम मोहनलाल मकराना दिनांक १८-१०-६६.

(३) श्री कल्याण मल भंवर मकराना दिनांक १८-५-६४.

(४) श्री हांजो शेख नत्थू ए. कं. मकराना दिनांक १-११-६५.

(५) श्री हवी बुल्ला अलारख मकराना दिनांक १-११-६७.

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने अंकित तारीख तक का गोदाम किराया दे दिया गया है।

(१) ठा० विजयसिंह मकराना दिनांक १५-५-६४ से ३१-१०-६६.

(२) श्री कल्याण भंवर दिनांक १८-५-६४ से ३१-३-६५.

बाकी का किराया सार्वजनिक निर्माण बिभाग से किराये के प्रमाण पत्र के अभाव में नहीं दिया गया है।

निम्न व्यक्तियों ने अपनी दूकानें उनके सामने अंकित तारीख को छुड़ा ली हैः—

(१) ठा० विजयसिह मकराना ३१-८-६७ से,

(२) श्री कालूराम मोहनलाल मकराना १८-११-६६ से।

(३) इस प्रकार श्री विजयसिह मकराना को माह नवम्बर ६३ से अगस्त, ६७ तक का यानि १० माह का किराया देना बाकी है तथा सर्व श्री कालूराम मोहनलाल को दिनांक १२-१०-६६ से १२-११-६६ तक का एक माह का किराया देना बाकी है। ब्याज देने का प्रावधान नहीं है।

वैद्यों की नियुक्ति

९९३. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(श्री गंगासहाय)

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के सभी वैद्यों की नियुक्ति 'सी' क्लास में होती है चाहे उनकी योग्यता कुछ भी हो ?

(२) क्या यह सही है कि 'सी' क्लास में नियुक्त उच्च योग्यता प्राप्त वैद्यों को प्रारम्भिक वेतन १२० रुपये प्रतिमाह के बजाय १५० रुपये प्रतिमाह दिया जाता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी हाँ, भिषगाचार्य या उत्तम परीक्षा उत्तीर्ण को प्रारम्भ में १५० रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाता है ।

एलाटमेन्ट एडवाइजरी कमेटी की कार्यवाही का विवरण

६६४. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या तहसीलदार एलॉटमेन्ट एडवाइजरी कमेटी की कार्यवाही (प्रोसीडिंग) लिखते हैं ?

(२) यदि हां, तो कितनी तहसीलों में यह प्रथा अपनाई जा रही है ?

(३) यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही लिखने और मेन्टेन करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(४) एलांमेन्ट रूल्स में इसका प्रावधान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. सब तहसीलों में यह प्रथा अपनाई जा रही है ।

३. जिन तहसीलों में यह प्रथा नहीं है वहां कार्यवाही लिखने के लिए आज्ञा संख्या एफ ११ (१०६) रा । ख । ६७ दिनांक २-८-६७ को आदेश प्रचलित किये जा चुके हैं ।

४. इसकी आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम देसूरी की प्राइमरी स्कूल का भवन

६६५. **श्री दौलतराम आगरी** : (देसूरी) क्या विकास मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:-

(१) क्या देसूरी ग्राम, जिला पाली में प्राइमरी स्कूल राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है ? यदि हां, तो स्कूल का भवन बना हुआ है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम देसूरी में पाठशाला भवन जो प्राइमरी स्कूल के लिये हैं उसमें सांप व बिच्छू निकलते हैं और ऊपर की छत गिरने की हालत में है ?

(३) क्या यह सही है कि देसूरी ग्राम के निवासी अनुदान की रकम भवन के लिये देने हेतु समर्थ नहीं है ?

Page No. 152

(श्री दौलतराम ग्रागरी)

(४) देसूरी ग्राम, में प्राइमरी स्कूलें कितनी हैं ?

उत्तर

१. प्राथमिक शालाएं पंचायत समिति के ग्राधीन चल रही हैं। स्कूल भवन बने हुए नहीं हैं क्योंकि ग्राम पंचायत जन सहयोग के ग्रभाव में भवन निर्माण नहीं करा पायी।

२. जिस भवन को शाला के काम में लिया जा रहा है उसका कुछ भाग भग्नावस्था में हैं, जहां बालक नहीं बिठाये जाते हैं। इस भाग में कभी कभी सांप निकलने को घटना हुई हैं।

३. जी नहीं। समर्थ हैं।

४. तीन शालाएं हैं।

ग्रामनैनवा में ग्रकाल राहत कार्य

१९९. श्री केसरीसिह हाडा (हिन्डोली) क्या ग्रकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) ग्राम नैनवां (जिला बूंदी) में ग्रकाल राहत कार्य कब खोला गया ग्रौर यह काम किस के निरोक्षण में कराया गया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि नैनवा के तालाब की खुदाई बिलकुल गलत कराई गई ग्रौर क्या तालाब की एक नई पाल का निर्माण करा दिया गया ?

(३) नई पाल बनाने का प्रस्ताव किसने दिया ? क्या यह सही है कि ग्रध्यक्ष नगरपालिका नैनवा द्वारा ग्रपने साथियों की इच्छा के ग्रनुसार यह कार्य कराया गया ?

(४) इस सारे कार्य में कितनी रकम खर्च की गई ग्रौर इसमें कितने ग्रादमियों को रोजगार दिलाया गया ?

(५) क्या यह सत्य है कि नागरिक नैनवा ने मंत्री जी को २८-६-६७ को इस कार्य मे जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी सूचना दी थी ?

(६) क्या सरकार ने इसकी ग्रभी तक जांच की है ?

उत्तर

१. ग्राम नैनवा, जिला बून्दी में ग्रकाल राहत कार्य माह जून ६७ में खोला गया। ग्रौर सहायक ग्रभियन्ता, सामुदायिक विकास विभाग, बूंदी के निरीक्षण में कराया गया था।

२. जी, नहीं।

३. नई पाल बान्धने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया। यह सत्य नहीं है कि ग्रध्यक्ष नगरपालिका, नैनवा द्वारा ग्रपने साथियों की इच्छा के ग्रनुसार कार्य करवाया गया है।

४. इस कार्य में ३९०९-५९पै० खर्च हुए ग्रौर २९९ ग्रादमियों को रोजगार दिलाया गया।

५. जी हां।

(श्री अकाल राहत मंत्री)

६. जी हां, जांच करली गई है, शिकायत सही नहीं पाई गई।

ग्राम पंचातय कुचेरा के सरपंच के विरुद्ध जांच

६६७. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कुचेरा, जिला नागौर के सरपंच श्री तेजराज को सस्पेंन्ड (निलम्बित) किया गया था। यदि हाँ, तो कब और उनके खिलाफ क्या? आरोप थे? आरोपों की सूची सदन की मेज पर रखने का कृपा करें?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सरपंच को वापस बहाल भी कर दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(३) क्या यह भी सही है कि जिन कारणों से उपरोक्त सरपंच को निलम्बित किया था वह जाँच जारी है? यदि हाँ, तो जांच पूर्ण होने तक बहाल कैसे कर दिया गया?

(४) राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के सरपंचों को निलम्बित करने तथा वापिस बहाल करने में क्या प्रक्रिया व नीति अपनाती है?

उत्तर

१-जी हां। दिनांक १७-१०-६६ को निलंबित किया गया। आरोप रकम का दुरुपयोग करने तथा अनियमित रूप से आबादी भूमि विक्रय करना व कृषि कार्यवाही कर कर्तव्यपालन में अपेक्षा करने के थे। आरोपों की सूची संलग्न है।

२-जी हां, सरपंच ने आरोपों का उत्तर प्रेषित किया उसको ध्यान में रखते हुए बहाल किया गया।

३-जी हां। जांच होने तक निलंबित रखा जाना आवश्यक नहीं है।

४-राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ की धारा १७(४) के अधीन जांच के दौरान में अथवा नैतिक पतन युक्त दुराचरण के अपराध का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने पर पंचायत अधिनियम सन् १९५३ की धारा १७(४) (ए) के अनुसार आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निलंबन आदेश दिया जाता है। बहाली के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान नहीं है। सरपंच के उत्तर आदि को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाती है।

श्री तेजराज सरपंच पंचायत कुचेरा के विरुद्ध आरोप पत्र

(१) कि श्री तेजराज सरपंच ने दि० ६ ५-६३ को पूर्व सरपंच श्री हरिराम से २८२०) रु० चार्ज में लिये, दि० ११ ६-६३ को पंचायत सहायक द्वारा निरीक्षण किया उस समय तक रकम रोकड़ में जमा नहीं थी सो कहा गया किन्तु सरपंच ने १५-२-६४ को रकम रोकड़ में जमा की वह फर्जी कार्यवाहो

(श्री पंचायत मंत्री)

की। इस प्रकार सरपंच ने ६-५-६३ से १५-२-६४ तक २८२०) रु० का दुरुपयोग किया वह फर्जी कार्यवाही कर्तव्य पालन में उपेक्षा की।

(२) कि श्री देवराज सरपंच ने बाल उद्यान को बिना पंचायत की सम्मति से अनियमित रूप से ११००) रु० में श्री मोहनलाल को बेच दिया जबकि उक्त उद्यान पर १६००) रु० व्यय किये गये। इस प्रकार सरपंच ने नियमों के विपरीत कार्य कर रकम का दुरुपयोग किया।

(३) कि श्री तेजराज सरपंच ने श्री हीराचन्द नाहर को पैट्रोल पम्प के लिये भूमि आबादी की नहीं होकर खसरा नं० २३७३ राजस्व की अनियमित रूप से दी। राज्य सरकार से स्वीकृति अन्य भूमि की प्राप्त की और भूमि दूसरी दी। इस प्रकार राज्य सरकार की स्वीकृति के विपरीत भूमि देकर अनियमितताऐं कर धोखा दिया।

(४) पैट्रोल पम्प और जानवरों के सफाखाने की मध्य की राजस्व भूमि अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से बिना नीलाम २०००) रु० की भूमि को ५००) रु० ही में देकर कर्तव्यपालन में उपेक्षा की।

(५) कि श्री तेजराज सरपंच ने श्री हीराचन्द नाहर को पोस्ट आफिस के पास की भूमि अनियमित रूप से बिना कोरम की राय से १५७) रु० में दे दी। इस मामले में जनता द्वारा भूमि अधिक दबाने की शिकायत करने पर पंचायत ने स्टे आर्डर दिया किन्तु वह पत्रावली में नहीं न उसके अनुसार कार्यवाही ही की। सरपंच ने अधिकारों का दुरुपयोग कर कर्तव्यपालन में उपेक्षा की।

(६) कि श्री तेजराज सरपंच ने अपने निजी स्वाथ के कारण अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए श्री रामवक्ष, हरदीनराम, देवकरण आदि को बिना नीलाम एवं बिना कोरम की अनुमति से २००) रु० (दो सौ) रुपये में भूमि दी।

(७) फील्ड की सरकारी भूमि अनाधिकृत रूप से सरपंच ने अपने व्यक्तियों को १५,०००) रु० की भूमि को ८,०००) रु० में दे दी। इस प्रकार नियमों के विपरीत कार्य कर कर्तव्यपालन में विफल रहे।

(८) कि श्री तेजराज सरपंच ने सड़क निर्माण का कार्य में ठेका अपने दोस्तों को देकर स्वयं ने फायदा उठाया एवं इसमें न तो कोई प्लान ही बनाया न टेण्डर ही। सरपंच ने उक्त कार्य में अपना निजी लाभ उठाकर पद का दुरुपयोग किया।

(९) कि श्री तेजराज सरपंच ने ग्राम सभा का आयोजन नहीं कर कर्तव्य पालन में विफल रहे।

(११) कि श्री तेजराज सरपंच ने नल योजना को पूर्ण सतर्कता से कार्यान्वित नहीं कर कर्तव्यपालन में उपेक्षा की।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

ग्राम पड़िहारा में चीनी का वितरण

७८२. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) :

(श्री लाभचन्द जैन)

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित पडिहारा में चीनी का वितरण बन्द कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? और कब से ?

उत्तर

जी नहीं !

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

कोटा व झालावाड़ जिलों में सैनिकों द्वारा कृषि व मकान के लिए दरख्वास्तें

७६७. श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में फौजी सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को किन किन प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ?

(२) सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के स्वरूप कोटा व झालावाड़ जिलों में किन किन गांवों में कितने सैनिकों को कृषि या मकान हेतु भूमि उपलब्ध करवाई गई है ? कृपया यह भी बतावें कि सरकार को इन जिलों में कुल कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई और अभी कितनी फैसल की जा चुकी हैं ?

(३) ग्राम खेरखेड़ा, तहसील पाटन व पीपलदा, तहसील रामगंज मन्डी में कितने सैनिक व भूतपूर्व सैनिकों ने अपील की दरख्वास्तें दी हैं और उन्हें जमीन अलाट नहीं किये जाने की क्या वजह है ?

उत्तर

१. कृषि हेतु भूमि आवंटन।

२. आवास हेतु नगरों में भूखंडों का आरक्षण एवं आवंटन।

३. भवन निर्माण हेतु कर्ज पर दी जाने वाली उपलब्ध धनराशि का १० प्रतिशत आरक्षण।

४. १००) रु० से कम पेंशन का राज्य के खर्च पर मनीआर्डर से भुगतान।

५. मृत एवं सर्वदा के लिये विकलांग सैनिकों को नकद सहायता एवं भू आवंटन।

६ शौर्य पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं भूमि आवंटन।

७. मृत एवं विकलांग सैनिकों के बच्चों को प्रथम से ११ वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति।

८. भूतपूर्व सैनिकों के लिये जन सेवाओं में साढ़े बारह प्रतिशत स्थानों का आरक्षण।

९. आपत्कालीन स्थिति में मोर्चे पर लगे सैनिकों के अदालती मामलों में सहायता।

(श्री राजस्व मंत्री)

१०. कनीकी शिक्षा संस्थाओं में सैनिकों के बच्चों के लिये स्थानों का आरक्षण।

११. सैनिक सहकारी समितियों को प्राथमिकता पर सहायता एवं ऋण।

१२. गृह उद्योगों के लिये ऋण एवं सहायता में प्राथमिकता,

(२) सूची संलग्न है।

(३) ग्राम खेरखेड़ा तहसील पाटन के लिये किसी भी सैनिक व भूतपूर्व सैनिक द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया। ग्राम पीपलदा, तहसील रामगंज मंडी से केवल ३ सैनिकों ने दरख्वास्तें पेश की थी, तीनों को भूमि आवंटन की जा चुकी है।

सूची तहसीलवाईज सैनिकों को ग्रामवाईज भूमि आवंटन कृषि हेतु व आवास गृह हेतु आवंटन की गई एवं कितनी दरख्वास्ते प्राप्त हुई व कितनी शेष रही, जिला कोटा।

क्रम सं०	नाम तहसील	तादाद प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुये	तादाद प्रार्थना पत्र जो फैसल हुये	शेष प्रार्थना पत्र	नाम ग्राम जहां भूमि आवंटन की गई — कृषि हेतु	आवास हेतु
१	२	३	४	५	६	७
१.	खाडपुरा	४३	२०	२३	(१) खन्धारपुरा	
					(२) अमरपुरा	
					(३) आमली	
					(४) जामपुरा	
२.	रामगंजमंडी	६२	६०	२	(१) नूरपुरा	
					(२) पीपल्दा	
					(३) खेड़ा रूद्धा	
					(४) देवीपुरा	
					(५) खीमच	
					(६) मन्डा	
					(७) गोयन्दा	
					(८) चेचट	
					(९) कलसपुरा	
					(१०) खांडपुर	
					(११) हाथिया खेड़ी	

१	२	३	४	५	६	७
३. सांगोद		४०	८	३२	(१) खजूरना	
४ बारां		६	७	२	(२) पाठेडा (२) कोयला (३) खेड़ली (४) बटांवया (५) मन्डोला (६) हथलेरा	
५. किशनगंज		३७	६	२८	(१) खन्डेला (२) सहर विदा (३) पट्टी (४) परोनिया (५) भसराबदा	
६. दीगोद		—	—	—	—	—
७. अटरू		३	३	—	(१) खेडली मध्यान (२) बरखड़ा (३) गोरड़ी	
८. पीपलदा		—	—	—	— कमान्डेड क्षेत्र है	
९. शाहबाद		१०	२	८	(१) नाटई (२) माबव	
१०, अन्ता		—	—	—	— कमान्डेड क्षेत्र है	
११. मांगरोल		४	२	२	(१) बावड़ी खेड़ा (२) भौंरा खेड़ी;	
१२. छीपा बड़ोद		१७	५	१२	नाम अंकित नहीं किया है	
योग		२२५	११६	१०९	३४ ग्राम	

(श्री राजस्व मंत्री)

जिला झालावाड़

जिला झालावाड़ में ३० ग्रामों में ४२ (८ भूतपूर्व सैनिकों एवं ३४ सेवारत सैनिकों) को कृषि भूमि ग्रावंटित की जा चुकी हैं।

प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र	११३
फैसले हुए	१०१
शेष रहे	१२

१. तहसील झालरा पाटन—१. वालाखेड़ी, २. बासगढ़ी, ३. उन्डल, ४. डोडा, ५. वृद्ध मंढ़ावर, ६. किशनपुरा, ७. रीछ्या, ८. छनवाडिया ९. मंडावर, १०. भंवरिया।

२. तहसील खानपुर— १. मालूनी, २. पिपलान, ३. बन्धा, ४. करनवास, ५. सोवपुर, ६ डोवड़ा, ७. कोडकिया, ८, डूंगर गांव।

३. तहसील पग पहाड़— १. भारखेड़ी, २. मूल्याखेड़ी, ३. भीलवाड़ी, ४. छत्रपुरा, ५. भवानीमंडल, ६. बुरेण्डी,।

४. तहसील पिडावा— १. मोडी, २. चन्द्रपुरा, ३. मालपुरा, ४. काचीखेड़ा।

५. तहसील ग्रकलेरा— १. ग्रकलेरा, २. ग्रानेठा।

योग—२२५　११६　१०६　३४ ग्राम

स्थगित प्रश्न

(१२-३-६८ व २०-३-६८)

जिला बोर्ड व नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पंचायत समिति में नियुक्ति

५६५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) व

श्री फूलचन्द बाफणा : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि २ अक्टूबर १९५९ के बाद एवं पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन ग्रायोग के गठन के पूर्व पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में रिक्त स्थानों पर, जिलाधीशों द्वारा जिला लोकल बोर्ड व नगरपालिका के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था?

यदि हां, तो जिला लोकल बोर्ड व नगरपालिका के कितने कर्मचारी राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में किन किन शर्तों के ग्राधार पर व किन नियमों के ग्रन्तर्गत लिये गये? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि उनका नगरपालिका व जिला लोकल बोर्ड का सेवाकाल

(श्री फूलचन्द बाफना)

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु नहीं माना गया है ?

(३) क्या विकास विभाग की ओर से जिला लोकल बोर्ड के कर्मचारियों का जिला लोकल बोर्ड का सेवा काल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु मानने के लिए दिनांक ६-३-६८ को एक परिपत्र प्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) इसी परिपत्र के आधार पर नगरपालिकाओं के कर्मचारियों का नगरपालिका का सेवा काल पंचायत समिति एवं जिला सेवा मे वरिष्ठता हेतु माना गया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों नही ?

(५) क्या नगरपालिका के कर्मचारियों को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में लेते वक्त उन्हें सूचित किया गया था कि उनका नगरपालिका का सेवाकाल पचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु नहीं माना जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(६) नगरपालिका के वे कर्मचारी जिनका नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु न मानने के कारण, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में नहीं करना चाहते हैं, वापिस नगरपालिका में सेवायें प्राप्त करने के हकदार हैं या नहीं यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(७) नगरपालिका के कर्मचारियों का नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु न माने जाने के कारण स्थानान्तरण के वक्त नगरपालिका में जो वेतन उन्हें मिलता था वो पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में उन्हें दिया गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं और किन नियमों के अनुसार उनको नहीं दिया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, जिला लोकल बोर्ड भंग होने के कारण उनके कर्मचारियों के स्थानान्तरण आमतौर पर जिलाधीश द्वारा किया गया किन्तु नगरपालिका कर्मचारी का स्थानान्तरण केवल जिलाधीश, पाली द्वारा किया गया। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिला लोकल बोर्ड के कर्मचारियों का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु माना गया है। नगरपालिका के कर्मचारियों का नहीं।

(३) जी हां, सन् १९६५ में। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी नहीं, क्योंकि नगरपालिका कर्मचारी का स्थानान्तरण वैद्य नहीं था।

(५) ऐसी सूचना देने या नहीं देने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(६) नगरपालिका में सेवाएं प्राप्त करने में राज्य सरकार को आपत्ति नहीं है।

(७) ऐसे कर्मचारियों की नई नियुक्ति मानी गई है और इसलिए उन्हें नगरपालिका में जो वेतन स्थानान्तरण के समय मिलता था वो नहीं दिया जा सकता।

विभिन्न जिलाधीशों द्वारा जिला लोकल बोर्ड व नगरपालिका के कर्मचारियों को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में स्थानान्तरण किये जाने का विवरण ।

क्र० सं०	जिला	संख्या कर्मचारी	आदेश जिनके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया ।
१.	जयपुर	३५६	एफ ४५ (१७३) (८८) कोर्ड।डी डी।५६।१२३० दिनांक १६-५-१६५६.
२.	भरतपुर	१	१३७४५ दिनांक ४-१२ ५६.
३.	कोटा	१	— — १-१२-५६.
४.	चूरू	३६	एफ ४५ (१७३) (८८) कोर्ड।डी डी।५६।१२३० दिनांक १५-६-१६५६.
५,	पाली	१	६२०१ दिनांक १२-१०-५६.

राजस्थान सरकार

पंचायत एवं विकास विभाग

क्रमांक :-एफ-१३६ (३) (६) प्रशा। पंचि। ६५। २४२२ दिनांक ६-३-६५

–:आदेश:–

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १६५६ के लागू होने के साथ साथ विभिन्न जिलों में कार्यशील जिला बोर्ड राजाज्ञा क्रमांक ४५ (१७३) (८८) औद।विधि।५६।१२३० दिनांक १५ सितम्बर, १६५६ के अनुसार समाप्त कर दिये गये थे। इसी राजाज्ञा के अनुसार जिला बोर्ड के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों तथा पंचायत समिति जिला परिषद में लगाया गया था। भूतपूर्व जिला बोर्डों के इन कर्मचारियों को सेवा में वरिष्ठता निर्धारण के प्रश्न पर राज्य सरकारं विचार निर्णय लिया है। तदनुसार यह निर्देश किया जाता है कि भूतपूर्व जिला बोर्ड के कर्मचारियों की वरिष्ठता जिला बोर्ड में उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी विभागीय नियमों के अनुसार निश्चित की जावेगी।

यह आदेश नियुक्ति विभाग के अनुमोदन से उनकी टिप्पणी क्रमांक आई० डी०। २६५।एए।२।६५ दिनांक २४-२-६५ के अनुसार जारी किया जा रहा है।

ह० रामसिंह
संयुक्त विकास आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि

१) समस्त जिला विकास अधिकारी (जिलाधीश)

२) समस्त उप जिला विकास अधिकारी।

३) समस्त सचिव जिला कर्मचारी की समिति जिला परिषद।

४) समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।

५) सचिव नियुक्ति विभाग (अ) राजस्थान, जयपुर।

ह० रामसिंह,
संयुक्त विकास आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

बी० एम० : २६-३-६८।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८)

बीकानेर-देहली की रेल्वे लाइन के बीच पारण द्वारों के बन्द करने से जनता को परेशानी

७६१. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चूरू जिले में बीकानेर-देहली रेल्वे लाइन पर जिस समय यह रेल्वे लाइन बनी थी (बीकानेर स्टेट रेल्वे) तब से पारण द्वार (फाटक ग्राम रास्ता) चार चार स्लीपर रेल्वे द्वारा लगा कर बनाए हुए थे जो जनता के ग्रावागमन को सुविधा के लिए थे ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसे सब पारण द्वार रेल्वे विभाग द्वारा लगभग ४-५ वर्ष पूर्व यकायक खाइयां लगा कर बन्द कर दिये गये जिससे ग्राम जनता के ग्रावागमन का माध्यम बिलकुल रुक गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि जनसामान्य की उक्त कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत समिति श्री डूंगरगढ व जिला परिषद्, चूरू इस कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री, राजस्व मन्त्री तथा यातायात सचिव को कई बार लिखा गया ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह भी सही है कि रेल्वे ने ऐसे रास्तों को 'डी' श्रेणी के रास्ते मान कर बन्द किये हैं जिन पर बैलगाडी, गाड़ा, मोटर ग्रादि नहीं चल सकें जब कि ये रास्ते 'डी' श्रेणी के कभी नहीं रहे हैं व हर प्रकार की गाडियों ग्रादि के लिए सदैव खुले रहे हैं ?

(५) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ ने ऐसे तमाम बन्द पारण द्वार की सूची भी राज्य सरकार को पेश की थी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह भी सही है कि उत्तर रेल्वे के साथ राजस्थान सरकार का यह निर्णय है कि ऐसे रास्तों के लिए राजस्थान सरकार ग्रपनी राय देगी तथा जिन रास्तों की सूची राजस्थान सरकार पेश करेगी वे ही रास्ते उत्तरी रेल्वे खोलेगी ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त रास्तों की सूची उत्तर रेल्वे को प्रस्तुत कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(७) क्या राज्य सरकार रेल्वे लाइन के दोनों ग्रोर बसने वाले गाँवों ग्रौर कस्बों के निवासियों के ग्रावागमन व यातायात में ग्राने वाले प्रति दिन की इस गम्भीर कठिनाई को महसूस कर इसका निवारण करना उचित समझती है ? यदि हाँ, तो कब तक ग्रौर किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(८) क्या यह भी सही है कि ऐसे अधिकांश रास्ते एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के जलाशयों पर जाने के, खेत खलियानों पर

श्री (दौलत राम सारण)

जाने के लिए हैं जो समय समय पर हुई पैमाईशों में राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ते दर्ज हैं, परन्तु जहां रेलवे लाईन क्रोसिंग होता है वहां पर ऐसे रास्तों को परिभाषा चाहे कुछ भी हो, बन्द कर दिए गए हैं ।

(९) चूरू से लेकर बेलासर स्टेशन तक की कितनी दूरी है और इस दूरी पर कितने रास्ते रेलवे द्वारा खोले हुए हैं। ऐसे रास्तों की संख्या जो रेल्वे यार्डों से बाहर खुले हुए हैं, प्रत्येक रास्ते की दूरी सहित बतलाई जाय ।

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई) ।

परिशिष्ट ४

(अतारांकित सूचना प्रश्न संख्या ५३२ को सूची)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में गेहूँ लेवी वसूली की सूचना

क्रमांक	नाम जिला	प्रारभिक निर्धारित लेवी मात्रा (क्वि०) में	निर्धारित मात्रा लेवी में (क्वि०)	लेवी वसूली क्वि० में।
१-	अलवर	२३५००	१६५८७-८७-०००	१३९१६-७१-०००
२-	बून्दी	३००.००	१३४८४-५६-५१६	१३०१६-८८-९५९
३-	भरतपुर	१६०००	५७९३-८५-०००	४१३९-४८-०००
४-	भीलवाड़ा	७०००	१७६००-००-०००	१३५८१-४०-३५०
५-	चित्तौड़गढ़	९०००	१२३०००-००-०००	१०५०००-००-०००
६-	जयपुर	२००००	२२५०२-००-०००	५१९६-१६-५००
७-	कोटा	६००००	२३७५०-००- ००	८९३६-२६-५००
८-	पाली	२३०००	८०२२-०६-५००	५०७६-९१-४००
९-	सवाई माधोपुर	१७०००	१८५०९-४४-०००	१७७२२-७२-५००
१०-	श्री गंगानगर	१३००००	४:३६६-७५-०००	१०२९१-५७-०००
	कुल योग	३२५५००	२:७६१६-५४-०१६	१९६५८१-०६-२०९

क्रमांक	नाम जिला	दर्ज मुकदमों की संख्या	मुकदमों की संख्या जिनमें सजा हुई	वापिस लिये गये मुकदमों की संख्या
१-	अलवर	१३९	११	१२०
२-	सवाई माधोपुर	१९	१२	७
३-	भीलवाड़ा	शून्य	शून्य	शून्य
४-	जयपुर	सूचना प्राप्त		
५-	गंगानगर	५४	१८	३६
६-	बून्दी	२	शून्य	२
७-	पाली	शून्य	शून्य	शून्य
८-	चित्तौड़गढ़	शून्य	शून्य	शून्य
९-	भरतपुर	६१	शून्य	६१
१०-	कोटा	शून्य	शून्य	शून्य

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५३६ की सूची)

सूची

गंगानगर जिले में स्थित पशु चिकित्सालयों, पशु औषधालयों एवं चल पशु चिकित्सा ईकाईयों का विवरण निम्न प्रकार है :—

पशु चिकित्सालय का नाम	पशु-औषधालय का नाम	चल पशु चिकित्सा ईकाई का नाम
१. गंगानगर	१ श्री करनपुर	१. श्री गंगानगर
२. भादरा	२. रार्यसिंहनगर	२. रावतसर
३. हनुमानगढ़	३. रार्यसिंहनगर (आर.ए.सी)	३. सूरतगढ़
४. नोहर	४. रावतसर क्षेत्र	
५. सूरतगढ़	५. मोहनगर	
६. अनूपगढ़	६. गर्जसिंहपुर	
७. पदमपुर	७. सादुलशहर	
८. श्री विजयनगर	८. गोगामेड़ी	
९. संगारिया		

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५४० की सूची)

Extract copy of Govt. Notification No. F. 2 (b) (118) FD (ER)/65-1 dated 28.7.66.

SCHEDULE No. V.

(Schedule for Non-Clinic and non-pracitising for Medical Officers.)

Natuae of allowance :	Posts	Amount of allowance :	New Scale No.	Pay Scale No.	Remarks
1	2	3	4	5	6

(D) The following new entries shall be inserted in Schedule No. V.

			New Scale No. till 31.3.66	Amended so No. from 1.4.66.
(b) Non practising allowance admissible to officers on condition that they do not have any private practice. This allowance will be admissible in addition to Special pay adimissible undder parts 3 & 4 of Schedule II.	1, Asstt. Directer Med. & Health Services.	150/-	(27)	(29)
	2. Jr Splt. (M.S.U.)	150/-	(27)	(29)
	3. C.A.S. Posted as D.H.O.	100/-	(25)	(26)
	4. C,A S. Posted In E.S.I. Scheme.	100/-	(25)	(26)
	5. C.A.S. posted in MSU.	100/-	(25)	(26)
	6. C.A.S. posted in Nutritition SCH.	100/-	(25)	(26)
	7. CAS posted in Milk Scheme.	100/-	(25)	(26)

8. CAS Posted in FP Scheme Mobile units.	100/-	(25)	(26)
9. CAS in TBD Centre.	100/-	(25)	(26)
10. CAS in School Health Services.	100/-	(25)	(26)
11. CAS Health Bureau.	100/-	(25)	(26)
12. CAS in Health Education Seheme.	100/-	(25)	(26)
13. CAS in A.H,W. Trg. Centre.	100/-	(25)	(26)
14. CAS in Regional EPT Centre.	100/-	(25)	(26)
15. CAS in Pub. Health Lab.Path. Lab. & Pharm. Lab. provided that there are Rules or orders prohibiting shearing of Lab. income or Private Practice.	100/-	(25)	(26)
16. CAS posted as Mo I/c of Med. stores,for Govt. Servants.	100/-	(25)	(26)
17. CAS posted as Mo of RAC	100/-	(25)	(26)

18. CAS posted as Mo I/c of Rural Health Centre, Naila.	100/-	(25)	(26)
19. CAS posted in NMEP	100/-	(25)	(26)
20. CAS Trachoma Eradication Programme.	100/=	(25)	(26)
21. CAS Small pox Eradication Programme.	100/-	(25)	(26)

Note ;—The amount of Non-clinical and Non-practising allowance shown in Col. No. 3 in lien of (b) above shall be recoverable if any officer in receipt of the allowance is found to have indulged in private practice.

————

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३६५ की सूची)

A. O. No 252/HM.

CASES OF MURDERS AND THEFTS IN RAJASTHAN

	Murder				Theft			
	1964.	1965.	1966.	1967.	1964.	1965	1966.	1967.
1. Ajmer	35	21	20	24	957	813	903	1016
2. Alwar	33	26	37	39	784	781	895	1049
3. Bharatpur	28	33	28	42	930	940	970	1052
4. Jaipur	19	21	24	36	2448	2132	2461	2409
5. Jhunjhunu	10	6	11	10	299	319	348	303
. Sawai Madhopur	22	21	18	21	496	447	518	593
7. Sikar	15	12	12	16	472	443	422	505
8 Tonk	11	14	8	8	329	378	392	367
9. Bikaner	11	14	17	12	318	317	369	345
10. Churu	11	9	7	17	280	229	283	258
11. Ganganagar	64	70	80	74	1188	915	863	786
12. Barmer	11	14	13	13	164	211	255	252
13. Jaisalmer	5	4	6	5	70	101	93	88
14. Jalore	21	20	17	16	201	226	306	358
15. Jodhpur	14	25	17	31	595	574	901	846
16, Nagaur	22	27	24	18	475	474	527	521
17. Pali	8	20	24	22	372	370	478	490
18. Sirohi	10	10	15	13	188	131	149	156
19 Banswara	13	17	11	15	235	177	208	223
20. Bhilwara	17	15	14	23	603	648	745	736
21. Bundi	4	9	7	6	334	247	280	283

22. Chittorgarh	16	16	23	6	703	656	679	669
23. Dungarpur	5	11	14	8	124	126	169	148
24, Jhalawar	11	25	22	25	713	470	499	436
25. Kota	25	26	20	33	863	836	901	1218
26. Udaipur	35	28	36	30	1002	1062	1181	1213
27. G.R.P. (Rlys)	3	6	6	2	226	545	680	731
Total (Rajasthan)	469	520	531	575	15414	14675	16486	17171

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न सं० ४२१ की सूची)

धारा ९१ के तहत ग्राम रास्तों पर अतिक्रमणियों की ग्राम वार सूची

क्र०सं०	नाम ग्राम	तादाद व्यक्ति अतिक्रमणि	जुर्माना रु० पैसे	क्र०सं०	नाम ग्राम	तादाद व्यक्ति अतिक्रमणि	जुर्माना रु० पैसे
१	बिवादीया	१६	१४१-८८	२७.	उचेरिया	३	२५-२०
२.	राय थलिया	६	७३-८०	२८.	सबलपुर	३	६१-८०
३.	आसता	१६	५६-५५	२९.	मनाणा	५	१३४-४०
४.	धानणवा	३३	१३३-०४	३०.	गोठड़ी	२	१०-४३
५.	बौरावड़	८	३६-६३	३१.	गुढ़ाखेड़ी	१	३१-८०
६.	इटावा बामणिया	३	७२-३०	३२.	सांगवा	१०	७३-१५
७.	गच्छीपुरा	४	६४-६५	३३.	गुणावली	४	२५-३५
८.	मकराना	३	२१-२५	३४.	पगलाना	५	३५-५५
९.	कालवा	१	१०-३५	३५.	परबतसर	१	६-६०
१०.	जूसरिया	४	४३-३५	३६.	बडू	९	७०-९८
११.	इटावा खीचिया	९	१०२-६०	३७.	चिताई	१	२-२५
१२.	रमोई कला	३	२३-४०	३८.	पीट	४	१४-४२
१३.	मैया कलां	१०	११४-९८	३९.	सिटावट	३	२०-२५
१४.	मैया खुर्द	४	४०-७५	४०.	रोहड़ी	१३	३८-१८
१५.	इटावा लाखा	१	११-२५	४१.	रोजास	२	३६-८२
१६	चकमादास	३	२२-३५	४२.	रताजपुर	२	१३-०५
१७,	चांडी	११	७५-७५	४३.	सांचोर	३२	२२७-०५
१८.	चंडालिया	६	४८-३५	४४.	सोखरिया	४	१०६-६५
१९.	देवला	१४	१२६-६५	४५,	जजीला	१	११-८०
२०.	वेसरोली	१	१५-४५	४६.	नेतियास	११	१२७-२०
२१.	नान्दोलि मेहलिया	१	४-६५	४७	बापाहेड़ा	३	३१-०९
२२.	नीमड़ी	४	२५१-१५	४८.	रिड़	१	२०-२५
२३.	जिलू	९	४६८-३०	४९.	हरनावा	३	२२-३५
२४.	लाडपुरा	१७	१०६-६०	५०.	बवाल	२	५-६२
२५.	सूथली	४	४४-१५	५१.	कुलियाना	१०	१७२-१०
२६.	कुचीपला	१	१५-००	५२.	पिडकिया	४	२०२-३७

Page No. 171

१	२	३	४	५	६
५३. विसास	१	— —	५९. लखियास	१२	३३-७१
५४. बसून	२	११-४६	६०. पीलवा	१	००-८०
५५. बमापुर	५	१८-७७	६१. कवलाद	३	८-६६
५६. झालरा	१९	९६-३७	६२. रावड़ीयाद	३	१३- ३
५७. रूघनाथपुरा	५	४२-२०	६३. वौलिया	१	२-८८
५८. मड़ोवरी	१	१४-०८			
				३८८	३८२७-२४

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक ३० मार्च, १९६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	४	प्ररम्भ	प्रारम्भ
६	अन्तिम से १२	श्रीम्रती	श्रीमती
१३	अन्तिम से ४	करबाई	करवाई
१४	१४	कसा	सका
१७	११	क ा	क्या
२५	१	निशुक्तियां	नियुक्तियां
२६	अन्तिम से ११	अकाऊट्स	अकाऊन्ट्स
२७	अन्तिम से ६	टैम्परारी	टैम्परेरी
२७	अन्तिम से २	श्री रामकिसन	श्री रामकिशन
२६	४	जैतारण	(जैतारण)
२६	८	(वपुर)	(देवपुरा)
३०	अन्तिम से २	ब के ाद	के बाद
३१	अन्तिम से १०	पुस्तकालल	पुस्तकालय
३६	अन्तिम से १३	श्री हरदेव	श्री हरिदेव
४२	१५	जानक्कारी	जानकारी

१	२	३	४
४४	७ व ८	ड्राइवर	ड्राइवर
४४	१४	की	को
४४	१६	अब	जब
४४	२०	की	को
४५	अन्तिम से ७	वहमा	वहम
४६	१	श्री खेतर्सप	श्री खेतसिंह
५४	५	प्रि लेज्ड	प्रिविलेज्ड
५५	शीर्ष	बाड़दार	बाढ़दार
६१	१८	में	में
६४	३	पाकि तान	पाकिस्तान
६४	अन्तिम से १०	प्रयस	प्रयास
६४	अन्तिम से ६	सुझे	मुझे
६५	शीर्ष	वग्रवाल	अग्रवाल
६६	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
६६	६	सफती	सकती
६७	अन्तिम से ५	सहोदय	महोदय
६६	५	करहे	करते
७१ से ७६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
७६	६	अयेक्षित	अपेक्षित
८०	४	वान्करेन्ट	कान्करेन्ट

१	२	३	४
८१	शीर्ष	खाद्य (खत्री)	(खाद्य मंत्री)
८१	४	रेस्ट्रिकान्स	रेस्ट्रिक्शान्स
८२	१२	सम्बन्धीत	सम्बन्धित
८६	शीर्ष	सारणा	सारण
९०	३	य	व
९०	६	व होने	न होने
९०	१७	ग्रावासियों	ग्रामवासियों
९०	अन्तिम से ३	एजराज	एतराज
९२	अन्तिम	बिल्गि	बिल्डिग
९२	अन्तिम	३	—
९७	८	यका	बया
९८	अन्तिम से ७	अलंबत्सा	अलबत्ता
१००	अन्तिम	) कृपया	(कृपया
१०३	शीर्ष	(श्री बीरबल)	—
१०३	अन्तिम से ३	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
१०५	शीर्ष	(श्री विजयसिंह)	—
१०५	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों पर	अतारांकित प्रश्नोतर
१०७	१३	कन्टौल	कन्ट्रोल
१०७	अन्तिम से १०	विवान	विवान
१०९	१५	सकुते	सकते

१	२	३	४
१११	शीर्षक	परत्व	पर व्य०
११२	११	प्रस्तव	प्रस्ताव
११८	शीर्षक	अध्यक्षीय	शासकीय
१२२	अन्तिम से ७	उसका	उसकी
१२३	अन्तिम से ६	कण्डशन्स	कण्डीशन्स
१२३	अन्तिम से ६	समझौता	—
१२५	५	को	तो
१२५	अन्तिम	महोदम	महोदय
१२६	१	डिस्ट्यूड	डिसप्यूट
१२८	अन्तिम से १२	का	की
१३२	अन्तिम से ७	पूखे	पूछे
१३७	अन्तिम से ३	वात	बात
१४१	१०, १३, १४	थ्री	थी
१४१	१६	निर्यामतस्त	नियमित रूप
१४२	३	पद के	पद से
१४२	अन्तिम से १०	सामजसन	सामंजस्य
१४४	८	सानियर	सीनियर
१४४	अन्तिम से ८	शिक्षण	शिक्षा
१४४	अन्तिम से ७	बना	बनी
१५०	१८	का	की

१	२	३	४
१५०	२१	रही	रहा
१६५	१२	अवशन	आक्शन
१६५	१४	उसका	उसको
१६५	१७	से	में
१६५	२०	बीता	बिता
१६८	अन्तिम से १३	बस्तियों	बस्तियों का
१६६	शीर्ष	श्री गोकुलप्रसद	श्री गोकुलप्रसाद
१७०	१२	में	मैं
१७५	अन्तिम से १२	में	मैं
१७५	अन्तिम से १०	यया है	गया है
१७७	शीर्षक	प्रस्तव	प्रस्ताव
१८२	अन्तिम से ५	टॅक्स नहीं चल सकते कि	—
१८४	१७	कसान	किसान
१८७	शीर्ष	शियनार्थसिह	शिवनार्थसिंह्
१८६	३	लगाथा	लगाया
१८६	अन्तिम से १५	मे	में
१६१	प्रन्तिम	२० लाख	२० साल
१६७	१४	बीज में	बीच में
१६७	१६	मेन्टेन्डा	मेन्टेन्ट
१६७	अन्तिम से ११	एन्क्वारी	एन्क्वायरी

१	२	३	४
२०३	१	कट	टिकट
२७०	अन्तिम से ६	साम	सामने
२०७	अन्तिम से ५	किने	कि
२०८	६	होता	—
२०८	१०	पानी पानी	पानी
२०६	५	भो	भी
२०६	अन्तिम से १०	टेलीफोन	टेलीफोन
२०६	अन्तिम से १०	अव	अब
२०६	अन्तिम से ७	फेसेलिटीज	फेसिलिटीज
२११	३	लीचे	नीचे
२११	१४, १५	मालुम	मालूम
२११	१८	वतायेंगे	बतायेंगे
२१४	अन्तिम	क्षेत्री	क्षेत्र
२१५	शीर्ष	(श्री विजयसिंह रावत)	(श्री विट्ठलभाई)
२१७	शीर्ष	(श्री विट्ठल)	(श्री विट्ठलभाई)
२१६	अन्तिम	वात	बात
२२०	४	चोरी	चोरों
२२०	अन्तिम से १३, १०	ओरत	औरत
२२१	१०	में	में
२२१	१७	५·६	५–६

१	२	३	४
२२१	अन्तिम से ८	शरणाथी	शरणार्थी
२२२	११	डाकुग्री	डाकुओं
२२२	अन्तिम से ८	श्री केसरसिंह	श्री केसरीसिंह
२२४	१३	१८	१०८
२२४	१८	१६	१०६
२२५	१६	क्या	—
२२७	१६	रिजरवेशन	रिजर्वेशन
२२७	१६	शिड्ल्ड	शिड्यूल्ड
२२७	अन्तिम से ६	अम्बेउकर	अम्बेडकर
२३०	६	जाप	जीप
२३०	११	खूबसिंह	खूबसिंह
२३१	अन्तिम से १५	ने	के
२३५	१	सुलाणिया	सुलानिया
२३८	अन्तिम से ६	समाप्ति सूचन	समाप्ति सूचक
२४०	१	सुलाणिया	सुलानिया
२४०	५	श्री देवेन्द्रकुमार गोयल	श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
२४१	शीर्ष	श्री देवेन्द्रकुमार गोयल	श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
२४३	शीर्ष	श्री देवेन्द्रकुमार गोयल	श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
२४३	अन्तिम से ५	फैक्टीयां	फैक्ट्रियां
२४५	अन्तिम से १२	ओसत	औसत

१	२	३	४
२४६	अन्तिम से ६	क स्ट	कॉस्ट
२४७	अन्तिम	जो जो	जो
२४८	१७	रिक्लेमेसन	रिक्लेमेशन
२४८	अन्तिम से ८	रैविन्स	रेवीन्स
२४९	५, ११	रैविन्स	रेवीन्स
२५०	१	रैविन्स	रेवीन्स
२५०	७	नतियों	नीतियों
२५०	अन्तिम से ८	आपको	आपके
२५१	३	सुलाणिया	सुलानिया
२५१	अन्तिम से १०	भी	—
२५१	अन्तिम से ९	नहीं	—
२५२	अन्तिम से ३	का	को
२५३	शीर्ष	सुलाणिया	सुलानिया
२५३	४	राह	राहत
२५३	१३	धनाढ्य से	धनाढ्य सेठ
२५४	१-२	फेसेलिटि	फेसिलिटी
२५५	शीर्ष७, ११, १५	सुलाणिया	सुलानिया
२५६	१, ७	सुलाणिया	सुलानिया
२५६	१२	श्री शंकरलाल	श्री शंकरलाल जाट
२५७	शीर्ष	श्री शंकरलाल	श्री शंकरलाल जाट

१	२	३	४
२६०	२	बनाने	बनाने के
२६०	७	राज	राज्य
२६१	अन्तिम	हमारी	हमारे
२६२	११	६-०१।	६·०१
२६२	अन्तिम से ४	बोरोइंग	बारोइंग
२६२	अन्तिम से ११	फमीन	फेमीन
२६३	स्कम्भ	२६४	२६३
२६३	अन्तिम से १०	रखना	रखता
२६३	अन्तिम से ८	६८-६८	६८-६६
२६४	४	करते	करते हैं
२६४	६	पसेंट	पर्सेंट
२६४	१०	करवाके	करवाते
२६६	स्कम्भ	२६७	२६६
२६६	६	श्री सतीशचद्र	श्री सतीशचन्द्र
२६६	अन्तिम से १०	पकड़ता	पकड़ना
२६६	१४	इन्टेस्ट	इन्ट्रेस्ट
२७०	१२	दोराने	दौराने
२७०	१५	जजेज की	जजेज के
२७०	१८	जजेज की	जजेज के
२७१	११	कपेरिजन	कम्पेरिजन
२७४	३	माथर	माथुर
३२३	७	Natuae	Nature